पंचम माला, खंड 42, अंक 20
Fifth Series, Vol. XLII, No. 20

सोमवार, 19 अगस्त, 1974/28 श्रावण, 1896 (शक)
Monday, Aug. 19, 1974/Sravana 28, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खंड 42 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

: दो रुपये
Price : Two Rupees

1—28 L

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 20—सोमवार, 19 अगस्त, 1974/28 श्रावण, 1896 (शक)

No. 20—Monday, August 19, 1974/28 Sravana, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
387	राय. चौक, पश्चिम बंगाल में मत्स्य पत्तन	Fishing Harbour at Raichowk, West Bengal . . .	1–2
388	उर्वरक का वितरण	Distribution of Fertilizers .	3–7
389	गेहूं से भरा अमरीकी जहाज	American wheat Ship .	7–9
390	मधु मक्खियों की मृत्यु	Death of Honey Bees . .	9–12
391	आसाम में खाद्य उत्पादन योजना	Food Production Plan in Assam	12–15
392	महाराष्ट्र में सुखा	Drought in Maharashtra .	15
393	पश्चिम बंगाल में वन विकास परियोजनाएं	Forest Development Project in West Bengal . . .	15–16

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
385	केन्द्रीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम	Curricula of Central Schools .	17
386	भूमिहीन श्रमिकों के संबंध में परियोजना प्रतिवेदन	Project Reports on Landless Labour	17
394	कृषि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी	Students in Agriculture Universities	18
395	उड़ीसा में अभाव की स्थिति	Scarcity conditions in Orissa .	18–19
396	कलकत्ता में विश्व टेबल टेनिस खेल	World Table Tennis Game at Calcutta . . .	19
397	भारतीय खाद्य निगम का धनबाद डिपो	Dhanbad Depot of FCI . .	19–20

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
398	नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति	New Delhi Redevelopment Advisory Committee. . .	20–21
399	दूषण रोक विधेयक	Anti-pollution Bill . .	21
400	इंडिया गेट पर राष्ट्रीय नेता की प्रतिमा	Statue of National Leader at India Gate. . . .	22
401	बंगीय साहित्य परिषद से विष्णु की मूर्ति की चोरी	Theft of Vishnu Idol from Bangiya Sahitya Parishad . .	22
402	चीनी के अंतिम लेवी मूल्य	Final Levy Prices of Sugar .	22
403	कान्डला पत्तन से भावनगर तक तटवर्ती राजमार्ग	Coastal High way from Kandla Port to Bhavnagar . .	23
404	पश्चिम बंगाल द्वारा अनाज की मांग	Demand of Cereals by West Bengal	23–24
*अ ता०प्र०संख्या *U. Q. nos.			
2684	ग्लोब मोटर्स , दिल्ली	Globe Motors, Delhi . .	24
2685	बम्बई बंदरगाह में कारगों और कारगो शिप्स के त्वरित हैंडलिंग के लिए सुविधाएं	Facilities in Bombay Port for Speedy handling of Cargo and Cargo Ships . . .	24–25
2686	भारतीय निर्यातकर्ताओं द्वारा ठेके संबंधी दायित्वों को कथित पूरा न करना	Alleged non-fulfilment of Contractual obligations by Indian Exporters. . . .	25
2687	पूरक तथा संरक्षित खाद्य पदार्थ का विकास करने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने संबंधी कार्यक्रम	Programme for development and popularisation of subsidiary and protected foods . .	25–26
2688	चल खाद्य और पोषाहार विस्तार कार्यक्रम की पांच अतिरिक्त यूनिटों की स्थापना करना	Setting up of five more units of Mobile food and Nutrition Extension Scheme . . .	27
2689	कालेज आफ आर्ट, दिल्ली में भर्त्ती	Recruitment in College of Art, Delhi	27
2690	दूग्ध परियोजना में आपरेशन फ्लड की कथित असफलता	Alleged failure of operation flood in Milk Project . . .	27–28
2691	बम्बई में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी का कारखाना लगाना	Setting up of factory of the Hindustan Housing Factory at Bombay . . .	28
692	स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का पुनर्गठन और प्रसार	Re-organisation and expansion of science teaching in schools	28–29
2693	न्यूट्रेशन फीडिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत फीडिंग मेटीरियल बनाने के लिए संगठन	Organisation for producing feeding material under Nutrition Feeding Programme .	29

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2694	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में आवास कार्यक्रम	Housing Programmes under Public and Private Sectors.	29
2696	भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा वर्ष 1972, 1973 और 1974 में मई और जून के दौरान चीनी का वितरण	Sugar releases by FCI and other Government Agencies during May and June in 1972, 1973 and 1974 . . .	29–30
2697	केरल में युवक केन्द्र	Youth Centres in Kerala .	31
2698	काली मिर्च के उत्पादकों को प्रोत्साहन	Incentives to Pepper Growers	31
2699	नारियल उत्पादकों को प्रोत्साहन	Incentives to Coconut Growers	32
2700	काजू उत्पादकों को प्रोत्साहन	Incentives to Cashewnut Growers	32
2701	सराय रोहिल्ला, दिल्ली में भूमि का अवध कब्जा	Unauthorise Possession of land in Sarai Rohilla, Delhi .	33
2702	लाल कुआं, दिल्ली में बरामद वनस्पति	Vanaspati seized from Lal Kuan, Delhi	33
2703	गेहूं की कीमत के निर्धारण से भारतीय जनता पर पड़ा अतिरिक्त प्रति व्यक्ति भार	Additional per capita Annual Burden on Indian People due to fixation of Wheat Prices	33
2704	दिल्ली वृहत योजना के अन्तर्गत शंकर रोड	Shanker Road under Delhi Master Plan . . .	34
2705	दिल्ली म भूमि के मूल्य	Prices of Land in Delhi . .	34
2706	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घरेलू और लघु उदयोगों का नियमित किया जाना	Regularisation of Household and Small Scale Industries by DDA . . .	34–35
2707	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कमाया गया लाभ	Profits Earned by DDA .	35
2708	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के निर्माण का लक्ष्य	Targets for the Construction of House by DDA . . .	35–36
2709	दिल्ली और आसपास के राज्यों में लेवी गहूं न दिया जाना	Evasion of Payment of Levy Wheat in Delhi and Neighbouring States . . .	36
2710	कृषि श्रमिकों और भूमिहीन किसानों के लिय सहकारी समिति	Cooperative Society for Agricultural Labourers and Landless Peasants . . .	36–37

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2711	विभिन्न संघ राज्य-क्षेत्रों में शराब की खपत	Consumption of Liquor in various Union Territories . .	37–38
2712	मोरमुगाओं पत्तन विकास परियोजना के पूरा होने में विलंब	Mormugao Port Development Project delayed . . .	38–39
2713	विभिन्न विश्वविद्यालयो को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान	Grants by UGC to various Universities . . .	39
2714	कृषि के लिए जर्मनी के साथ करार	Agreement with Germany on Agriculture	39
2715	स्कूलों में खेल सुविधाओं और खल प्रशिक्षण का विस्तार करने संबंधी कार्यक्रम	Programme to Expand sports facilities and Training in Schools	40–41
2716	कृषि कार्यक्रम के लिये योजना	Plan for Agricultural Programme	41–42
2717	पहाड़ी और पिछड़े राज्यों में दुग्ध संयंत्र	Milk Plants in Hilly and Backward States . . .	42
2718	लेवी मुक्त गेहूं अधिकतम थोक मूल्य पर रोक लगाना	Ceiling on Maximum Wholesale Price of Levy Free Wheat .	42–43
2719	दिल्ली जल सम्पूर्ती योजना की स्वीकृति	Sanction of Delhi Water Supply Scheme	43–44
2720	राज्यों के चीनी के कोटे में कटौती	Reduction in Sugar Quota of States	44
2721	सी० पी० डब्ल्यू० डी० इण्डस्ट्रियल वर्कस कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमेटेड की सदस्यता	Membership of the C.P.W.D. Industrial Workers Cooperative Thrift and Credit Society	44–45
2722	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के अंतर्गत बिजलीघर	Power Houses under the Arunachal Pradesh Circles of C.P.W.D. . . .	45
2723	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के कार्य प्रभारित कर्मचारी	Work charged staff of Arunachal Pradesh Circles, C.P.W.D.	45
2724	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किल के कार्य-प्रभारित कर्मचारी	Work charged Staff of Arunachal Pradesh Circle C.P W.D. .	45–47
2725	सिविल सप्लाई निगम के लिये केरल सरकार को सहायता	Assistance to Kerala for Civil Supplies Corporation .	47

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2726	अगले पांच वर्षों के दौरान कृषि के विकास के लिये धन राशि	Funds for Development of Agriculture during next Five Years	48
2727	पांचवीं योजना में लद्दाख में अधिक वृक्ष लगाओ अभियान	Grow More Trees Campaign in Ladakh during Fifth Plan	48
2728	शुद्ध घी के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Pure Ghee	48–49
2729	आंध्र प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन संबंधी लक्ष्य	Food Production Target in Andhra Pradesh	49
2730	छात्र अनुशासनहीनता	Student Indiscipline . .	49–50
2731	वनस्पति घी में रंग मिलाना	Colourisation of Vanaspati . .	50
2732	जन परिवहन व्यवस्था के विकास हेतु राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई राशि को स्वीकृति न मिलना	Rejection of State Government's demand for funds to develop Public Transport . .	50–51
2733	मंत्रियों, संसद् सदस्यों और अधिकारियों के लिये सुसज्जित आवास	Furnished Accommodation for Ministers, M.P.'s and Officers	51
2734	अजंता के चित्रों की प्रतिलिपि तैयार करने के कार्य का पूरा होना	Copying of Paintings of Ajanta	51–52
2735	चीनी का उत्पादन	Production of Sugar . . .	52
2736	कृषि श्रमिकों तथा सीमान्त कृषकों को आवास ऋण	Housing Loan to Agricultural Labour and marginal Farmers	53
2737	राजनीतिक पीड़ित अध्यापकों को सेवानिवृत्ति आयु के मामले में छूट देना	Relaxation in Retirement Age to Political Sufferer Teachers	53
2738	ग्रामीण कालेज शिक्षा कार्यक्रम	Rural College Education Programme	53
2739	छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Chattisgarh Region . . .	53–54
2740	दिल्ली में संकटग्रस्त कालेजों को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of Sick Colleges in Delhi	54
2741	उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी	Students failed in Higher Secondary Examinations . .	55
2742	खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के बारे में बनाई गई नई नीति	New Policy for increase in Food Production	55–56

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2743	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के मूल्य आदि संबंधी समिति का प्रतिवदन	N.B.T. Publications. . .	56–57
2744	सामुदायिक विकास योजना पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on Community Development Schemes	57
2745	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	Central Hindi Directorate .	57–59
2746	वैज्ञानिक तथा तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग का कार्यकरण	Functioning of CSTT . .	59–60
2747	वरिष्ठ एन० डी० एस० इन्स्ट्रक्टर्स और ग्रेड-I के सुपरवाइजरों को मानदेय देना	Honorarium to Senior NDS Instructors and Grade I Supervisors . . .	60
2748	पंजाब को उर्वरक और बीजों की सप्लाई करने हेतु प्रबंध	Arrangements for supply of Fertiliser and Seeds to Punjab .	60–61
2749	दिल्ली के जूनियर नृत्य अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड	Selection Grade to Junior Dance Teachers in Delhi .	61
2750	रतलाम (मध्य प्रदेश) में सहकारिता के आधार पर वनस्पति मिल	Vanaspati Mill on Cooperative basis in Ratlam (M.P.) .	61–62
2751	गन्ने का मूल्य	Sugarcane Price . . .	62
2752	जावरा (मध्य प्रदेश) शुगर मिल के मजदूर संघ से प्राप्त शिकायत	Complaint from workers Union of Jawra (Madhya Pradesh) Sugar Mills . . .	62
2753	लेवी में वसूल किये गये गेहूं को रखने के लिये गोदामों की व्यवस्था	Godowns for procured Levy Wheat	62–63
2754	पश्चिम की ओर जाने वाले नौवहन के बारे में भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ करार	Agreement Between India and U.K. on West Bound Traffic.	63
2755	जबरन गेहूं वसूली के बारे में किसानों की शिकायतें	Complaints from Farmers regarding Procurement of Wheat by Force	63
2756	दिल्ली अतिथि नियंत्रण आदेश के अंतर्गत मोटे अनाजों का लाया जाना	Inclusion of Course Grains in the List of Cereals covered by Delhi Guest Control Order .	63
2757	नौवहन कम्पनियों के लिए मंजूर किया गया ऋण	Loans Sanctioned to Shipping Companies . . .	64
2758	पशुधन बीमा योजना	Cattle Insurance Scheme. .	64–65

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2759	बड़े पत्तनों का विकास	Development of Major Ports	65
2760	वैकल्पिक विषय के रूप में विश्वविद्यालयों में धर्म की शिक्षा आरंभ करना	Introduction of Religion as Optioal Subject in Universities	65–66
2761	विभिन्न नौवहन कम्पनियों के नियतन में कमी	Reduction in Allocation of various Shipping Companies	66
2762	भारतीय नौवहन के पास जहाज	Ships with Indian Shipping	66–67
2763	बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के कब्जे में फालतू भूमि	Surplus Lands in Possession of Sugar Mills in Bihar and Uttar Pradesh	67
2764	साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान	Grants to Literary and Cultural Institutions	67–68
2765	एस० वी० अध्यापकों को उच्चग्रेड	Higher Grade for S.V. Teachers	68
2766	बिहार में खाद्यान्नों की वसूली के तरीके	Methods of procurement of Foodgrains in Bihar	68–69
2767	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रकाशनों के मूल्य, प्रकाशन, वितरण और विक्रय विषयक समिति	Committee on Pricing, Printing, Distribution and Sale of N.B.T. Publications	69–70
2768	साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता-प्राप्त भाषायें	Language recognised by Sahitya Akademi.	70
2769	कर्नाटक में हुल्लरों द्वारा चावल का परिष्करण	Rice processed by Hullers in Karnataka	70–71
2770	कर्नाटक में खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of foodgrains in Karnataka	71
2771	राष्ट्रीय बीजनिगम के बीजों के व्यापार की मात्रा	Quantity of Seeds handled by National Seeds Corporation	71–72
2772	लाख की खेती	Lac Cultivation	72–73
2773	ग्रान लाइन सेवा की बसे पूरी-पूरी भरी होने के कारण कार्यालय जाने वाले लोगों को असुविधा	Inconvenience to Office goers due to fully packed up Green Line Service	73–74
2774	ट्रालर निर्माण यार्ड के लिये मैक्सिको के साथ सहयोग	Mexican Collaboration for Trawler Building Yard	74
2775	आवास योजना	Housing Plan	74
2776	राज्यों में धान और गेहूं की औसत पैदावार	Average yield of paddy and wheat in States	75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2777	मध्य प्रदेश में लिंक सड़कों का निर्माण करने के लिये धनराशि	Funds for construction of Link-Road in Madhya Pradesh	75
2778	मावरयगकनेंग . विकास .खंड में किसानों को बांटे गये ऋण	Disbursement of loans to farmer in Mawryangkneng Development Block	76
2779	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों के पुनर्निर्माण के लिये केन्द्र द्वारा नियत राशि	Central Allocation for the Reconstruction of National Highways in Madhya Pradesh .	76
2780	मध्य प्रदेश को वनस्पति घी की सप्लाई	Vanaspati to Madhya Pradesh.	76–77
2781	गंगानगर जिले में सूरजगढ़ मशीनीकृत फार्म को हुआ लाभ	Profits of Suratgarh Mechanised Farm in Ganganagar District	77
2782	केरल के लिये चावल और गेहूं	Rice and Wheat for Kerala .	77–78
2783	दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों का कार्यकरण	Working of Cooperative House Building Societies in Delhi	78
2784	कोचीन पत्तन से माल की ढुलाई	Cargo Handled by Cochin Port	79
2785	दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध तथा अन्य दुग्ध उत्पादों के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Milk and Milk Products of Delhi Milk Scheme	79
2786	'बेनामी भूमि'	Benami Land . . .	79–80
2787	मिल मालिकों तथा व्यापारियों को निःशुल्क बोरियां देना	Free Gunny Bas to Millers and Traders	80
2788	कलकत्ता पत्तन पर अनाज के चढ़ाने तथा उतारने के लिये साइलो प्लांट का उपयोग	Utilisation of Silo Plant at Calcutta Port for handling Foodgrains . . .	80–81
2789	'वेतन की हानि' के बारे में गोदी श्रमिक सलाहकार समिति का निर्णय	Dock Workers Advisory Committee's Decision re: 'Loss of Pay' . . .	81
2790	गोदी श्रमिक सलाहकार समिति की सिफारिश	Recommendation of the Dock Workers Advisory Committee	81–82
2791	सौभारक कारोबार का राष्ट्रीयकरण	Nationalization of Stevedoring Business. . . .	82
2792	केरल में सामूहिक कृषि फार्मों की स्थापना के लिये केन्द्रीय सहायता की मांग	Request for Central Aid for Setting up Collective Farms in Kerala	82

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2793	अनधिकृत कब्जे वाले पात्र लोगों को गाड़गिल आश्वासन के अधीन पुनर्वास	Rehabilitation of Squatters under the Gadgil Assurance . .	83
2794	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	Indian Council of Agricultural Research Institute .	83
2795	दक्षिण दिल्ली में त्रिलोकी कालोनी	Triloki Colony in South Delhi .	83–84
2796	इन्द्रपुरी कालोनी का लेआउट प्लान	Lay out Plan of Indrapur Colony	84
2797	खाद्य समस्या को हल करने हेतु लघु-कालीन उपाय	Short Term Measures to solve Food Problem . . .	85
2798	1974 के दौरान फसल उत्पादन	Crop production during 1974	85
2799	प्रशाद नगर में बनाये गये फ्लैट	Flats constructed in Prasad Nagar.	86
2800	दिल्ली में नारायण से पहाड़गंज तक बस सेवा	Bus Service from Naraina to Pahar Ganj in Delhi . .	86
2801	पहाड़गंज से शादीपुर के लिए बस सेवा	Bus Service from Pahar Ganj to Shadipur	86
2802	डेरी इस्माइल खा सहकारी गृह निर्माण समिति में अनियमितताओं के बारे में सदस्यों को भेजा गया पत्र	Irregularities in Dera Ismail Khan Cooperative House Building Society . . .	87
2803	बहराइच में उत्पादित गन्ने का बेचा जाना	Sale of Sugarcane produced in Bharaich	87
2804	बहराइच जिले में चीनी मिल की स्थापना	Setting up of a Sugar Mill in District Bahraich . .	87–88
2805	भूकम्प सह भवनों का निर्माण	Construction of Earthquake proof Building . . .	88
2806	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटों का आरक्षण	Reservation of Seats in Jawaharlal Nehru University and Delhi University . .	88–89
2807	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में शिक्षित लोगों की प्रतिशतता	Percentage of Literacy amongst S.C. & S.T. . . .	89–90
2808	पश्चिम बंगाल में वन्य क्षेत्र	Forest area in West Bengal .	90
2809	पश्चिम बंगाल में राज्य नौवहन निगम की स्थापना	Setting up of State Shipping Corporation in West Bengal .	90–91

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2810	पश्चिम बंगाल में वन विकास परियोजना	Forest Development Project in West Bengal etc. . .	91
2811	संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों की मई, 1974 में खाद्य मंत्री के साथ हुई, बैठक	Meeting of M.Ps. and M.L.As. with Food Minister during May, 1974 . . .	91
2812	परिवहन लागत में वृद्धि	Rise in Cost of Transport .	91
2813	दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों के लिये चलाई जा रही प्राइवेट बसों द्वारा लिए जाने वाले सवारी प्रभार में वृद्धि	Increase in conveyance charges by Private Buses Operators for Central Schools in Delhi .	92
2814	सुविख्यात कलाकारों तथा लेखकों को नेशनल प्रोफेसरशिप का पुरस्कार और सहायता देना	Award of National Professorship and assistance to Eminent Artists and Writers . .	93
2815	उड़ीसा को समाज कल्याण अनुदान	Social Welfare Grant to Orissa	93–94
2816	उड़ीसा में आदिवासियों और हरिजनों में निरक्षिरता की प्रतिशतता	Percentage of Literacy among Tribals and Harijans in Orissa	94
2817	पारादीप बंदरगाह	Pardeep Port . . .	94–95
2818	'पूर्व मध्यामा' को मैट्रिक के समान मान्यता देना	Recognition of Purab Madhama as equivalent to Matriculations	95
2819	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को आगरा छावनी में भूमि का कुछ भाग दिया जाना	Handing over of portion of land in Agra Cantt. to Arch, Survey of India . . .	95
2820	इंगलैण्ड में हुआ क्रिकेट टेस्ट मैच	Cricket Test Match held in England	95–96
2821	खेल-कूद के लिये पांचवीं योजना में व्यवस्था	Provision for sports in Fifth Five Year Plan	96–97
2823	पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति	Food situation in West Bengal	97
2824	भूमि उपयोग प्राधिकरण ढांचा सुझाने के लिये समिति का गठन	Committee to Suggest framework for land use authority	97–98
2825	नेहरु युवक केन्द्रों के अधीन ग्रंथालय स्थापित करना	Setting up of Librariet under Nehru Yuyak Kendras. .	98–99
2826	जवाहरलाल नेहरु तकनीकी विश्वविद्यालय, वारंगल को मान्यता न दिया जाना	Non Recognition of Jawaharlal Nehru Technical University at Warangal . . .	99–100

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2827	कृषि श्रमिक	Agricultural Labour . .	100
2828	राजनैतिक दलों के ऐसे नेताओं को जो संसद सदस्य हैं, बंगलों का आबंटन	Allotment of Bungalows to leaders of Political Parties who are M.Ps.	100–101
2829	गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच हुआ परिवहन करार	Transport agreement between Gujarat and Madhya Pradesh	101–102
2830	गुजरात में भूमि संबंधी रिकार्ड की शुद्ध किया जाना	Corrections in land records in Gujarat	102
2831	गुजरात में गंदी बस्तियों की सफाई कार्यक्रम	Slum Clearance Programme in Gujarat . .	103
2832	हाउस टैक्स को वापस करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका के पास लंबित आवेदन पत्र	Applications pending with NDMC for refund of House Tax	103
2833	नई दिल्ली नगर पालिका की विभागीय उप-समिति	Departmental Sub Committee of NDMC	104
2834	दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से लाल गेहूं का वितरण	Supply of red wheat from Fair Price Shops in Delhi . .	104
2835	दिल्ली में संगीत अध्यापिकाओं को पी० जी० टी० का वेतन मान न दिया जाना	PGT scales to music teachers in Delhi	104–105
2836	चीनी मिलों को ऋण सुविधाएं	Credit facilities to Sugar Mills	105
2837	दिल्ली परिवहन निगम की बसें	DTC Buses	105–106
2838	दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये सीटों की संख्या में कमी करना	Reducation in number of seats for posts-graduate classes in Delhi University . . .	106
2839	औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास योजना	Housing scheme for Industrial Workers	106–107
2840	दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों द्वारा वरीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियों की अदायगी न करना	Non-payment of Senior Science Talent Search Scholarships by Colleges of the Delhi University	107
2841	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में श्रेणी दो के एसिस्टेंट इंजीनियर	Assistant Engineers Class II in C.P.W.D.	107–108
2842	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एसिस्टेंट इंजीनियर से सुपरींटेंडिंग इंजीनियर तक के अधिकारियों के ग्रेड	Grade of Officrrs from Assistant Engineers to Superintending Engineers of C.P.W.D. .	108

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2843	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति के मापदंड	Criteria for Promotion in C.P. W.D.	109
2844	जिमखाना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के लेखे के बारे में प्रोफेसर गुहा से पत्र	Letter from Prof. Guha about Accounts of Students Gymkhana, IIT, Kharagpur	109–110
2845	तमिलनाडु में मूंगफली के तेल और बीज परिवहन पर रोक	Ban on Movement of Groundnut Oil and Seed in Tamil Nadu	110–111
2846	कोचीन में जहाज निर्माण यार्ड	Ship Building Yard at Cochin	111
2847	बंगलौर में वातावरण संबंधी सुधार	Environment improvements in Bangalore	111
2849	पांचवीं योजनावधि में मध्य प्रदेश में टिम्बर के उत्पादन के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Production of Timber in M.P. during Fifth Plan	111–112
2850	वसंत विहार, नई दिल्ली में प्लाटों का उप पट्टा समाप्त करना	Termination of Sub lease of Plot in Vasant Vihar, New Delhi	112
2851	सहायक फसलों की खेती	Cultivation of Subsidiary Crops	112–113
2852	पूर्व जर्मनी से कम्बाइनों का आयात	Import of Combines from East Germany	113
2853	चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास योजना	DDA Housing Scheme for Class IV Employees	113
2854	दिल्ली में आवास योजनाओं के वित्त-पोषण की नीति	Policy to Finance Housing Schemes in Delhi	113–114
2855	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सैन्य अधिकारियों को आवासों/फ्लैटों का आवंटन	Allotment of Houses/flats to Army Officers by DDA	114
2856	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास का आरक्षण	Reservation of Government accommodation for S.C. Employees	114
2857	निर्माण तथा आवास मंत्रालय में स्थानान्तरणीय तथा गैर-स्थानान्तरणीय पद	Transferable and non-transferable post in the Ministry of Works and Housing	114–115
2858	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ अनधिकृत कालोनियों का गिराया जाना	Demolition of Unauthorised Colonies by DDA	115

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2859	दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम को क्रियान्विति	Implementation of Delhi School Education Act . . .	115
2860	डबल रोटी के मूल्य में वृद्धि	Increase in Prices of Bread .	116
2861	हाई स्कूल स्तर पर नाम दर्ज करना	Enrolment at High School Level	116–117
2862	तमिल नाडु में खाद्य संबंधी दंगे	Food roits in Tamil Nadu . .	117
2863	पोरबंदर में सभी मौसम में इस्तेमाल हो सकने वाले पत्तन का निर्माण	Construction of all-weather port at Porbander . . .	117
2864	गुजराती भाषा के विकास के लिए संस्थायें	Institutions for development of Gujarat language. . .	118
2865	किसानों को राज-सहायता प्राप्त दर पर उर्वरक सप्लाई करने संबंधी योजना	Scheme to supply fertiliser to farmers at subsidised rate . .	118
2866	नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, अशोक पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली	Corporation Primary School, Ashoka Park Extension, New Delhi	118
2867	राजकीय माध्यमिक कला शिक्षक संघ, दिल्ली	Rajkeeya Madhyamik Kala Shishak Sangh, Delhi . .	119
2868	पंजाब से गेहूं ले जाने की अनुमति के देने के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति न देने के कारण	Reasons for turning down proposal of Himachal Pradesh for allowing people to take Wheat from Punjab .	119
2869	केन्द्रीय सड़क निधि	Central Roads Fund . .	119–120
2870	सडकों को राष्ट्रीय राजपथ स्वीकार करने संबंधी मानदंड	Criteria for adopting Roads as National Highways . .	120
2871	गृह निर्माण सहकारी समितियों की सदस्यता	Membership of the House Building Co-operative Societies. .	121
2872	शाहदरा में गृह निर्माण समितियां	House Building Socieities in Shahdara	121
2873	दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी समितियां	House Building Co-operative Societies in Delhi . . .	121
2874	किसानो को उर्वरको के लिये ऋण संबंधी सहायता	Credit Support to Farmers for Fertiliser	122
2875	भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के खजान्ची द्वारा रुपये की चोरी	Lifting of Cash by Cashier of Archeological Survey of India.	122

विषय	Subject	पृष्ठ Page
दिनांक 19-4-74 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8503 के उत्तर में शुद्धि करने का वक्तव्य	Correcting statement to U.S.Q. No. 8503, dated 29-4-74 .	123
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	124–125
स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Adjournment Motion (Query)	125–126
अविलम्बनिय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—	
बिहार और पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी, मशीनों की ऊंची लागत आदि के कारण कोयला उत्पादन और खानों के संचालन को खतरे का समाचार	Reported threat to production of coal and working of mines due to shortage of Power, high cost of machinery, etc. in Bihar and West Bengal—	
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon . .	126–127 व 128–129
श्री के० डी० मालवीय	Shri K.D. Malviya . .	127–128, 129 व 130–131
तेल उद्योग (विकास) विधेयक के बारे में	Re. Oil Industry (Development Bill	131–133
पटसन के माल पर निर्यात शुल्क के बारे में वक्तव्य—	Statement re. Export Duty on Jute Goods—	
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya .	134–137
अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक—पुरःस्थापित	Additional Emoluments (Compulsory Deposit Bill Introduced	137–148
अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अध्यादेश, 1974 के बारे में वक्तव्य—	Statement re. Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Ordinance, 1974 .—	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan.	148
अनिवार्य निक्षेप योजना (आयकर दाता) विधेयक, पुरःस्थापित	Compulsory Deposit Scheme (Income Tax Payers) Bill Introduced	148
अनिवार्य निक्षेप योजना (आयकर दाता) अध्यादेश, 1974 के बारे में वक्तव्य—	Statement re. Compulsory Deposit Scheme (Income Tax Payers) Ordinance, 1974—	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan .	149
नियम 377 के अधिन मामला—	Matter under rule 377—	
इस्पात घोटाले का पता लगने और कतिपय नकली कारखानों के मालिकों पर कारण बताओं नोटिस जारी करने के समाचार	Reported unearthing of Steel scandals and show cause notices on bogus factory owners	149

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974—	Finance (No. 2) Bill, 1974—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	149–150
कुमारी मणिबेन पटेल	Kumari Maniben Patel	150
श्री श्यामसुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	151
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornananda Painuli	151
श्री हरि सिंह	Shri Hari Singh	152
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	152–155
खण्ड 2 और 3	Clauses 2 and 3	155
आधे-घंटे की चर्चा—	Half an-Hour Discussion—	
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद—	Maharashtra karnataka Boundary Dispute—	
श्री शंकरराव सावंत	Shri Shankarrao Savant	156
श्री उमा शंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	158–159

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार 19 अगस्त, 1974/28 श्रावण, 1896 (शक)
Monday, August 19, 1974/Sravan 28, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनटपर समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Two minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राय चौक, पश्चिम बंगाल में मत्स्य पत्तन

***387. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राय चौक, 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में मत्स्य पत्तन के पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप कब दिया गया था तथा परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सर्वप्रथम कितनी लागत आने का अनुमान लगाया गया ;

(ख) सरकार ने अन्तिम रूप से इस योजना को कब मंजूरी दी थी तथा अब तक उसमें कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) निर्माण कार्य आरम्भ होने में किन कारणों से विलम्ब हुआ ; और

(घ) यह परियोजना कब तक चालू हो जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (के) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) तथा (ख) शुरू में जून 1971 में राय चौक में 151 लाख रुपये की लागत की मत्स्य पत्तन के निर्माण की एक परियोजना स्वीकृत की गई थी । इस परियोजना के अनुसार पांच नौबंध स्थल सहित एक नदी जेटी का निर्माण शामिल है जिससे 120 फुट लम्बे 15 ट्रालरों की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं । साथ ही माल चढ़ाने, उतारने, रख-रखाव तथा अन्य सम्बन्धित तटीय सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी ।

परन्तु 1973 में लागत अनुमानों में संशोधन किया गया था क्योंकि दो बार टेन्डर आमंत्रित करने के बावजूद भी स्वीकृत धनराशि को ध्यान में रखते हुए समुद्रीय निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कोई उपयुक्त ठेकेदार नहीं मिला । अत: नवम्बर, 1973 में इस स्वीकृति को संशोधित करके 241.50 लाख रुपये कर दिया गया ।

रिवर माडल स्टडी, भूमि जांच और जेटी के डिज़ाइन को अन्तिम रूप दे दिया गया है। जेटी स्थल के लिए अस्थायी पहुंच सड़कें भी बना दी गई हैं। जेटी के निर्माण के लिए टैन्डर समिति तथा बंदरगाह आयुक्तों द्वारा टैन्डर स्वीकृत किए जा चुके हैं। ठेके देने के लिए मंजूरी दी जा रही है।

(ग) देर होने का मुख्य कारण यह है कि स्वीकृत धन-राशि को ध्यान में रखते हुए समुद्रीय निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए कोई उपयुक्त ठेकेदार नहीं मिला।

(घ) यदि काम संशोधित अनुसूची के अनुसार होता रहे तो यह परियोजना सम्भतव: 1977 तक शुरू हो जाएगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मूलत: यह 1965 से पहली परियोजना है। कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने जुलाई 1969 में मंत्रालय को सूचित किया था कि यह चौथा परियोजना प्रतिवेदन है और परियोजना प्रतिवेदन अप्रैल, 1970 में तैयार किया गया था और मंत्रालय ने इसे जनवरी, 1971 में स्वीकृति दी। अत: मेरा पहला प्रश्न यह है :

"वर्ष 1971 के अनुमानिक व्यय में केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि दी जानी थी तथा राज्य मत्स्यपालन विकास निगम द्वारा कितनी ? उस तिथि से आज तक कितनी बार निविदाए मांगी गयीं और कितनी बार अनुमान में संशोधन किये गये ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सर्वप्रथम, दो बार निविदाए जारी की गयीं। जो देर से आयीं वे अनुमानित व्यय से बहुत ऊंची थीं अत: इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। मूल अनुमान में संशोधन करना था और वास्तव में जब व्यय 20 लाख रुपये बढ़ गया तब वित्तीय व्यय समिति बनायी गई। अत: अब इस समिति की मंजूरी लेनी है। निविदा स्वीकार कर ली गयी हैं और आदेश जारी किये जा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वर्ष 1971 में पहला अनुमानित व्यय कितना था अब यह कितना है और अनुमान कितनी बार संशोधित किया जा चुका है ? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे उत्तर के दूसरे भाग में इस प्रश्न का उत्तर है। एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है अत: मैंने यह नहीं कहा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जून, 1972 की निविदा राशि पर आधारित अनुमान मंजूरी के लिये कब मंत्रालय के ध्यान में लाया गया और सरकार ने वास्तव में स्वीकृति कब दी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे : पहली निविदा जून, 1972 में मांगी गई थीं और दूसरी जून, 1973 में। स्वाभाविक रूप से कुछ पत्रव्यवहार चला और अन्तत: पुनरीक्षित अनुमान नवम्बर, 1973 में मंजूर कर दिया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण के अनुसार पूरी परियोजना के लिये मूलत: 151 लाख रुपये की राशि लागत के रूप में मंजूर की गयी थी। बाद में, जैसा कि विवरण में बताया गया है, इसमें संशोधन करना पड़ा क्योंकि कोई उपयुक्त ठेकेदार उपलब्ध नहीं था जो निर्माण कार्य के समुद्री उपकरणों का कार्य चला सकता और इस प्रकार राशि में संशोधन करके 241.50 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई। निर्माण कार्य के समुद्री उपकरणों से क्या तात्पर्य है ? अब किस ठेकेदार को ठेका दिया गया है और किस कार्य के लिये ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : समुद्री उपकरणों से तात्पर्य बन्दरगाह के घाट वाले भाग से है। अनुमान पूरी परियोजना कोल्ड स्टोरेज सड़क तथा बहुत से बातों के लिये हैं। जहाँ तक घाट का सम्बन्ध है अनुमान 41 लाख से संशोधित करके 80 लाख कर दिया गया। केवल हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी इस कार्य को लेने के लिये सामने आयी है।

उर्वरक का वितरण

*388. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक के वितरण को अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार और आन्ध्र प्रदेश को कितना उर्वरक आबंटित किया गया तथा इन राज्यों को उर्वरक के वितरण के लिए मुख्य एजेंसी कौन सी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अणाण्साहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

देश में खपत होने वाला उर्वरक देशी उत्पादन तथा आयात से प्राप्त होता है । जहां तक आयातित नाइट्रोजनपूरक तथा फास्फेटपूरक उर्वरकों का सम्बन्ध है, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा जिस बोर्डों को सहकारी संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक एजेन्सियों के माध्यम से इनका वितरण करने के लिये इनकी सारी मात्रा का आबंटन किया जाता है । राज्यों को देशी उर्वरकों का आबंटन भी भारत सरकार करती है । इसका कुछ भाग विनिर्माताओं द्वारा सहकारी संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक एजेन्सियों के माध्यम से तथा शेष भाग अपने विक्रेताओं के माध्यम से वितरित किया जाता है । भारत सरकार देशी विनिर्माताओं से अनुरोध करती रही है कि वे यथासम्भव उर्वरकों का वितरण सहकारी संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक एजेन्सियों के माध्यम से करें। सारे उर्वरकों के वितरण को अपने हाथ में लेने का भारत सरकार का कोई विचार नहीं है ।

वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान पश्चिम बंगाल, तमिल नाडु, बिहार तथा आन्ध्र प्रदेश को आबंटित की गई उर्वरकों की मात्रा नीचे दी गई है :--

(हजार मीटरी टन)

	1972–73			1973–74		
	एन०	पी०	के०	एन०	पी०	के०
पश्चिम बंगाल	75.1	22.2	28.1	79.8	35.0	27.3
तमिल नाडु	284.0	94.0	88.0	304.2	108.0	88.36
बिहार	109.6	19.1	9.2	127.66	35.0	16.13
आन्ध्र प्रदेश	250.0	90.0	32.0	255.0	88.0	35.22

उर्वरकों की इन मात्राओं का लगभग 50 प्रतिशत भाग आयात से पूरा किया जाना था और विनिर्माता अपने उत्पादन के अधिकांश भाग का वितरण भी सार्वजनिक माध्यम से करते रहे हैं, अतः संबंधित वर्षों के दौरान इन राज्यों में उर्वरकों के वितरण करने वाली मुख्य एजेन्सियां सहकारी संस्थाएं, कृषि-उद्योग निगम तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाएं रही हैं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या सोवियत रुस ने उर्वरक देने की कोई पेशकश की है और यदि हाँ तो सोवियत रुस द्वारा सप्लाई किये जा रहे उर्वरकों का किस प्रकार वितरण किया जा रहा है, किन एजन्सियों के माध्यम से, क्या वे सरकारी एजेन्सियां हैं अथवा गैर-सरकारी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मूल प्रश्न स्पष्ट है। मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं परन्तु मैं आपका निर्देश चाहता हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : यदि वे उत्तर दे सकते हैं तो उत्तर क्यों नहीं देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने ठीक ही निर्देश मांगा है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : विवरण में बताया गया है कि देश में जिन उर्वरकों की खपत होती है वे देशीय उत्पादन तथा आयात से उपलब्ध होते हैं। अतः मैं एक विशेष आयात की बात कर रही हूं। पता नहीं वह इसका उत्तर क्यों नहीं दे सकते ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं सामान्य प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। उन्होंने सोवियत रुस से खरीद के बारे में पूछा है। इसीलिये मैंने ऐसा कहा है।

जहां तक आयातित उर्वरकों के प्रबन्ध की बात है...

श्रीमती पार्वती कृष्णन : आयात किन देशों से किया जा रहा है। सोवियत संघ उर्वरकों का मुख्य सप्लाई कर्ता है। उन के सभी उर्वरकों जो रुस से आयात किये जाते हैं राज्यवार वितरित किये जाते हैं तथा सार्वजनिक एजेन्सियों के माध्यम से।

क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि जो उर्वरक गैर सरकारी एजेन्सियों को दिये गये वे काले बाजार से बहुत ऊंचे मूल्य पर बेचे जाते हैं और यदि हां, तो जो लोग उर्वरकों को काले बाज़ार से बेचते हैं उनका पता लगाने के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : महत्वपूर्ण उर्वरकों पर जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, कॅलशियम एमोनियम सल्फट नाइट्रेट पर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रण है और उर्वरक नियंत्रण आदेश की भी व्यवस्था है। तत्काल मुकदमा चलाने की व्यवस्था है और राज्य सरकारों को सभी शक्तियां दी गयी हैं। यदि कोई इसमें हस्तक्षेप करता है तो उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

श्री के० सूर्यनारायणन : विभिन्न राज्यों को आबंटित किये गये उर्वरकों की मात्रा के आंकड़े मंत्री महोदय ने दिय हैं। हमारी जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से और अधिक उर्वरकों की मांग की है क्योंकि वे अधिक उत्पादन वाली फसलें बो रहे हैं जिनके बारे में भारत सरकार ने आइ० ए० डी० पी० योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया है और किसान भी आई० ए० डी० पी० योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी नस्लों के बीज बोने में रुचि रखते हैं। इसीलिये आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत-सरकार से मांग की है। देश में अभाव की स्थिति को देखते हुय, क्या कम से कम, धान की खेती करने वाले केन्द्रों को विशेषकर आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों को जो अधिक खाद्यान्नों की सप्लाई करते हैं प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक आन्ध्र प्रदेश की बात है, माननीय सदस्य की बात को ध्यान में रखा जायगा। क्योंकि आन्ध्र प्रदेश में काफी खाद्यान्नों की वसूली होती है और केन्द्रीय मूल्य में वहा से काफी मात्रा प्राप्त होती है, हम आन्ध्र प्रदेश की विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं और हालही में हमने अतिरिक्त मात्रा देने के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया है।

श्री के० सूर्यनारायणन : कितनी अतिरिक्त मात्रा देने का विचार है ? उन्होंने कितनी मांग की है और कितना आबंटन किया गया है ?

श्री ए० के० एम० इसहाक : मंत्री महोदय ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार तथा आन्ध्र प्रदेश को दिये गये उर्वरकों की मात्रा के आंकड़े बताये हैं। क्या पश्चिम बंगाल जनसंख्या तथा कृषियोग्य भूमि के क्षेत्रफल को देखते हुये तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश से पीछे है जिसके कारण पश्चिम बंगाल को तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश की तुलना में कम मात्रा में उर्वरकों का आबंटन किया गया है ? क्या पश्चिम बंगाल की भूमि की उर्वरक शक्ति तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश की भूमि से कम है और क्या पश्चिम बंगाल में उत्पादन तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश से कहीं अधिक है अथवा नहीं ? क्या मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं कि वितरण की वर्तमान प्रणाली युक्तिसंगत नहीं है और यदि हाँ, तो क्या वह वर्तमान वितरण प्रणाली में परिवर्तन करने के लिये सहमत हैं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राज्यों को उर्वरक देने के बारे में जनसंख्या को आधार नहीं बनाया जा सकता। जहाँ तक आबंटन के सिद्धान्तों की बात है, हम उत्पादन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हैं। खपत स्तरों वाली एक पहली प्रणाली भी है। दुर्भाग्य से देश में खपत स्थिति एक समान नहीं है। उदाहरण के लिये अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में खपत बहुत अधिक है। पहले वर्ष की खपत की तुलना में वार्षिक 5-20 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त आवंटन की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि इस मामले पर राज्यों में मतभेद रहा है और हमने आवंटन किस प्रकार किया जाये इस प्रश्न पर विचार करने के सम्बंध भारत सरकार स्तर पर एक समिति बनायी है और हम इसे मुख्य तथा उत्पादन कार्यक्रमों तथा खपत प्रणाली से सम्बद्ध करने का प्रयास कर रहे है।

Shri K. M. Madhukar. : In view of the flood situation in Bihar and in view of the inadequate allotment to Bihar during last two years may I know whether the Government of Bihar have requested for more fertilizers and if so, whether the Government is going to accede the demands made by Bihar Government ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले भी बताया है हम राज्य सरकारों की मांग के आधार पर आबंटन नहीं करते हैं क्योंकि यदि कुल मांग का हिसाब लगाया जाये तो यह उपलब्धता से तिगुनी चौगुनी होती है। अतः इस सम्बन्ध में एक युक्तिसंगत पद्धति बनाने की आवश्यकता है जिससे न्यायसंगत आबंटन किया जा सके। इसलिये मैंने बताया है कि हम अधिक उपज देने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत खेतों वाली भूमि के क्षेत्रफल, पहली खपत प्रणाली, सिंचाई प्रतिशतता तथा अन्य बातें इस सम्बन्ध में ध्यान में रखते है। परन्तु फिर भी जैसाहि मैंने बताया है इस विषय में मतभेद है। हाल ही में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से इस विषय पर बातचीत की गई है। उन्होंने वर्तमान प्रणाली को असंतोषजनक बताया है। अतः हमने इस विषय के अध्ययन के लिये एक समिति नियुक्त की है।

Shri Atal Bihar Vajpayee : Is it a fact that the cooperation in the procurement programme is also taken into consideration while allotment is made to a particular state ? May this result in short fall of production this time also as it was last time because of the shortage of fertilizers ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह कार्यरूप देने हेतु एक अच्छा सुझाव है। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपयी : मैंने कोई सुझाव नहीं दिया है मैंने मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जाननी चाही है।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्नों के नियमों के अनुसार सुझाव और प्रतिक्रिया दोनों के लिये ही स्वीकृति नहीं दी जा सकती।

श्री अण्णासाहिब गोटखिडे : विवरण में बताया गया है कि कुछ उर्वरक निर्माताओं द्वारा ही सहकारी समितियों तथा अन्य सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से बांटे जाते हैं और कुछ उनको अपनी एंजसियों द्वारा बांटे जाते हैं। निर्माताओं को अपनी एजेंसियों के कदाचारों को ध्यान में रखते हुये सरकार को इनके द्वारा वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने में क्या कठिनाई है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मूल उवरकों का 70 प्रतिशत भाग देश में सरकारी एजंसियों तथा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जाता है। अब प्रश्न 30 प्रतिशत का रह जाता है। उर्वरकों की बिक्री की सामान्य समस्या पर सरकार द्वारा 7-8 वर्ष पूर्व बनायी गई एक समिति पर विचार किया गया था। समिति ने उर्वरक उद्योग में पूंजीनिवेश न होने की समस्या पर भी विचार किया। विदेशी सहयोग कर्ताओं तथा बहुत सी अन्य समस्याओं को देखते हुये समिति ने एक यह सिफारिश भी की थी कि जो कारखाने उर्वरक बनाते हैं और पूंजीनिवेश के लिये तत्पर हैं उन्हें बिक्री सम्बन्धी भी कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। अतः उस समय यह बात मान ली गई थी और कुछ कारखानों ने इसी शर्तपर उत्पादन आरम्भ किया। यद्यपि हम कारखानों को यही परामर्श देते हैं कि वे सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वितरण के लिये अधिकाधिक मात्रा में उर्वरक दें और क्योंकि भारत सरकार ने इन कारखानों को आश्वासन दिया था अतः इससे पीछे हटना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे उर्वरक उत्पादन के लिये भविष्य में पूंजी निवेश के मामले में बहुत सी समस्यायें पैदा हो जायेगी।

श्री धामनकर : मंत्रीमहोदय ने बताया है कि अमोनिया सल्फेट तथा यूरिया जैसे महत्वपूर्ण उर्वरक सरकारी एजंसियों के माध्यम से बांटे जाते हैं। क्या सरकार को पता है कि ट्राम्बे में उत्पादित उर्वरक गैर सरकारी-व्यापारियों को बेचे जा रहे हैं? घटिया माल के बहाने वास्तव में अच्छा माल गैर सरकारी एजन्सियोंको दिया जा रहा है और कालाबाजारी चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न विषय क्षेत्र में नहीं आता है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर ठीक से नहीं सुना है। मैंने बताया है अमोनियम सल्फेट, युरिया आदि महत्वपूर्ण उर्वरकों के मूल्य अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रित हैं। ट्राम्बे के बारे में घटिया माल बेचे जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत हमारे ध्यान में नहीं आयी है। यदि माननीय सदस्य कोई जानकारी दें तो उस पर ध्यान देने में मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मंत्रीमहोदय को जानकारी में यह बात है कि यदि जांच करायी जाये तो पश्चिम बंगाल में सरकारी, सहकारी, गैर सरकारी किसी भी एजेन्सी के माध्यम से नियंत्रित मूल्य पर कोई भी उर्वरक उपलब्ध नहीं है? सरकारी वितरण एजेन्सियों के बारे में भ्रष्टाचार की अधिक शिकायतें हैं।

श्री **अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : मैं माननीय सदस्य का तर्क मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सरकारी तथा सहकारी सभी वितरण एजेन्सियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। यदि व्यक्तिगत मामले में कोई बात है तो वह अलग है। वह हमारे ध्यान में लाई जा सकती है और हम उस पर ध्यान देंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह पश्चिम बंगाल में आकर देखें। मैं उनका सारा व्यय वहन करूंगा। एक भी वितरण एजेन्सी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक नहीं बेच रही है।

श्री बी० वी० नायक : जिन राज्यों को उर्वरकों का अधिक मात्रा में आबंटन किया जाता है उन्हें केन्द्रीय पूल खाद्यान्न का भी बहुत अधिक आवंटन होता है। क्या श्री मंत्रीमोहदय प्रत्येक राज्य को जितने उर्वरक मिलते हैं उनके साथ ही राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की सप्लाई को सम्बद्ध करने पर विचार करेगी? उन्होंने बताया है कि इस प्रत्येक राज्य के उत्पादन कार्यक्रम से सम्बद्ध किया जाता है क्या ऐसी प्रणाली बनायी जायेगी कि जिन राज्यों को अधिक उर्वरक मिलें उन्हें अधिक खाद्यान्नों का कोटा न मिले तथा जिन्हें अधिक खाद्यान्नों का कोटा मिले उन्हें अधिक मात्रा में उर्वरक का आबंटन न किया जाये?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सर्वप्रथम, माननीय सदस्य की यह धारणा कि कमी वाले राज्यों को उर्वरकों का अधिक मात्रा में आबंटन किया जाता है, गलत है। यह उत्पादन कार्यक्रम से सम्बद्ध है। वास्तव पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश को जिनमें आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है, बड़ी मात्रा में आबंटन किये जाते हैं कमी वाले राज्यों को इतनी मात्रा में आबंटन नहीं किया जाता।

श्री जे० एम० गौंडर : विवरण में बताया गया है कि सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से उर्वरकों के वितरण को सम्पूर्ण कराया जाये ऐसा कोई भारत सरकार का प्रस्ताव नहीं है। ऐसा करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने इस बारे में कुछ समय पहले ही स्पष्टीकरण किया है।

Shri Ishaque Sambhali ; It has been said that 70 per cent distribution is made through public sector agencies and 30 per cent through private traders. Where dual policy is adopted and certain part of the particular production is left for free marketing, it is seen that also the goods allotted for distribution through public sector agencies are being sold through private traders. In view of this as well as of the shortage of fertilizers, which has caused shortfall in production of foodgrains during last two-three years, may I know whether the Hon. Minister would arrange to see that entire distribution of fertilizers is made through public sector agencies and the distribution by private bodies is totally banned?

Where non-availability of fertilizers has resulted in short fall of production, even if there are irrigation facilities available and the land is fertile, may I know the step decided to be taken to encourage the producers and to raise the production in such areas?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पहले प्रश्न के सम्बन्ध में यह कहना ठीक नहीं है कि मूल्य के बारे में उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। वास्तव में, जहाँ उर्वरकों का वितरण गैर सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से होता है, उन्हें इन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचना होता है। दूसरे, उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत, राज्य सरकारें उन्हें परमिट देती हैं और वे केवल कुछ विशेष किसानों तथा उत्पादकों को ही उर्वरक बेच सकते हैं। एक और भी भारी नियंत्रण यह है कि उर्वरक कारखानों को देश के किसी भी भाग में उर्वरक बेचने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। उन्हें इन उर्वरकों को राज्य सरकार के परामर्श से किन्ही विशिष्ट-राज्यों के विशिष्ठ क्षेत्रों में वितरण करना होता है।

गेहूं से भरा अमरीकी जहाज

***389. श्री एम० कतामुतु :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं से भरा एक अमरीकी जहाज बम्बई बन्दरगाह के निकट प्रकाश स्तम्भ से टकरा गया था तथा जिसके कारण जहाज पर लदा आधे से अधिक गेहूं पानी में भीग गया और मानव उपयोग के अयोग्य हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस घटना के कारण सरकार को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी ; और

(ग) क्या जहाज को पुनः चलाने हेतु सारा खर्च भारत सरकार ने वहन किया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे) : (क) और (ख) अमरीका ध्वज टैंकर 'नार्थ फील्ड' जिसमें लगभग 23368 मीटरी टन गहूं था, 16 जुलाई, 1974 को बम्बई गोदी से लगभग 5 किलोमीटर दूर प्रांग रोफ पर उतरा था। जहाज में 27 माल टैंकों में से 25 में माल था और मौजूदा संकेतों के अनुसार छः स्टार बोर्ड टैंकों और दो पोर्ट टैंकों को तह में माल पानी से अंशतः भीग गया बताया जाता है। जहाज को 22 जुलाई, 1974 को फिर चालू किया गया था। तब से और 16-8-1974 तक जहाज के मालिक ने लंगर की जगह से नावों में लगभग 14 हजार मीटरी टन गेहूं को ठीक स्थिति में लाने की व्यवस्था कर दी थी।

(ग) चार्टर पार्टी के अनुसार जहाज को फिर चालू करने का सारा खर्च जहाज के मालिकों द्वारा वहन किया गया था और न कि भारत सरकार द्वारा वहन किया गया था।

श्री एम० कतामुतु : अपने उत्तर में मंत्रीमहोदय ने बताया है कि जहाज के मालिक ने लंगर की जगह से नावों में लगभग 14 हजार मीटरी टन गेहूं को ठीक स्थिति में लाने की व्यवस्था कर दी थी।

या शेष 9,000 मीटरी टन गेहूं मानवी उपयोग के योग्य नहीं रहा है और यदि हाँ, तो जहाज़ के मालिक से लागत वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाने के बाद नवीनतम जानकारी यह है कि लगभग 15,000 मीटरी टन गहूं ठीक स्थिति में ले आया गया है। शेष मात्रा के बारे में हमने एक तकनीकी समिति नियुक्त की है। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप यदि गेहूं खराब हुआ पाया गया तो समिति उसपर विचार करेगी और यह निर्णय करेगी कि यह गेहूं उपयोग के योग्य है अथवा नहीं। यदि यह उपयोग के योग्य नहीं पाया गया तो यह सार्वजनिक वितरण के लिये राज्य सरकारों को नहीं दिया जायेगा। जहाँ तक दायित्व का प्रश्न है यह चार्टर पार्टी पर निर्भर है और इसमें बहुत से कानूनी मसले आते हैं। वाशिंगटन स्थित इन्डिया सप्लाई मिशन इस मामले के कानूनी पहलू पर विचार करेगा।

श्री एम० कतामुतु : पता चला है कि बम्बई के पत्तन अधिकारियों ने डूबे जहाज़ को निकालने के लिये श्रीलंका से एक मज़बूत रस्सा मांगा था। अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे प्रमुख पत्तनों पर मज़बूत रस्से उपलब्ध नहीं है। क्या सरकार देश के सभी बड़े पत्तनों पर मज़बूत रस्से रखने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य यह प्रश्न नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय से पुछ सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उत्तर में मंत्रीमहोदय ने स्वीकार किया है कि अमरीका का ध्वज टैंकर 'नार्थ फील्ड 16 जुलाई को उतरा था तथा इसे 22 जुलाई को फिर चालू किया गया। इस सम्बन्ध में क्या कृषिमंत्री नौवहन और परिवहन मंत्री के सहयोग से, जैसे कि आल इन्डिया ट्रान्सपोर्ट एन्ड डॉक वर्कर्स फैडरेशन आफिस बीयरर्स ने रचनात्मक सुझाव दिये हैं, समुद्र से माल निकालने वाले तथा अन्य आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने के प्रयास करेंगे जिससे कि जब कभी खाद्यपदार्थ का आयात करके पत्तन पर लाया जाये और जब कभी जहाज़ को फिर से चालू करने की बात बने, आधुनिक उपकरण उपलब्ध हो सकें।

ऐसी स्थिति पहली बार ही नहीं आयी है।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है। 16 जुलाई से 22 जुलाई तक अमरीकी टैंकर उतरा रहा, इसे 22 जुलाई को फिर चालू किया गया। इस समय अन्तराल के बाद भी, मुझे मंत्री महोदय के इस उत्तर पर आश्चर्य होता है कि हानि का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया है। उन्होंने अभी अभी एक रुढ़िवादी वक्तव्य दिया है कि उन्हें हाल ही में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें कुछ हानि का अनुमान लगाया गया है परन्तु सही मूल्यांकन अभी नहीं किया गया है। जब वहाँ टैंकर 16 जुलाई से 22 जुलाई तक पड़ा रहा और टैंकर में पानी भर गया, वहाँ 30 फुट गहरा पानी था, तो अब तक हानि का अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सका ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहाँ तक पहले भाग का सम्बन्ध है हम सुझाव पर विचार करने के लिये इसे नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पास भेज देंगे।

जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है माननीय सदस्य इसे भलीभांति समझ सकते हैं। जहाज़ में टैंक और कम्पार्टमैंट्स होते हैं, जहाज़ के 27 टैंकों में से 25 में गेहूं था। जब तक जहाज से पूरा गेहूं नहीं निकाल लिया जाता तब तक हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 23,000 मीटरी टन में से 15,500 मीटरी टन गेहूं ठीक स्थिति में है।

श्री दिनेश जोरदर : इस प्रश्न के अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जाना है। पश्चिम बंगाल में कुछ वर्ष पूर्व खाद्य पदार्थ से लदा एक ऐसा ही जहाज़ कलकत्ता पत्तन के निकट गंगा नदी में डूब गया। खाद्य पदार्थ भरे कुछ अन्य जहाजों में आग लग गई। समुद्र में खाद्य पदार्थों की ऐसी हानियां आये दिन होती ही रहती है। क्या मंत्रालय इस बात का पता लगाने के लिये कदम उठाने पर विचार कर रहा है कि क्या खाद्यपदार्थों की

तस्करी करने वाला कोई गिरोह जहाजों में खाद्यपदार्थों को इस प्रकार को हानि के पोछ कार्यवाहो कर रहा है, क्या यह हानि तोड़फोड़ को कार्यवाहो के परिणामस्वरूप हो रही है ? मैं इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त किय जाने का अनुरोध करूंगा जो पत्तन स्थितियों के बारे में विशेषज्ञ हो ताकि वे इस बात का पता लगा सकें कि यह कार्य तोड़फोड़ के कारण तो नहीं हो रहा है ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : कानूनो स्थिति के अनुसार यदि जहाज के मालिक अथवा कार्यप्रभारी अधिकारो को गलतो है, तो दायित्व उनका होगा । अतः यह एक कानूनो प्रश्न है कि क्या विशेषज्ञ समिति अनिवार्य है अथवा नहीं । शायद नौवहन और परिवहन मंत्रालय इस पर विचार करेगा । मैं इस सुझाव को नौवहन और परिवहन मंत्रालय को भेज दूंगा ।

मधु मक्खियों की मृत्यु

+

*390. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **कृषि** मंत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ बीमारियों के कारण मधु मक्खियों की बड़ी संख्या में मृत्यु होने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन बीमारियों की रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ग) क्या यह महामारी विदेशों से मंगाई गई विदेशो किस्म को मक्खियों के कारण हुई ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धो तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जो हां ।

(घ) सम्बन्धित वक्तव्य लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

अभो हाल में भारतोय मधु मक्खो पालन उद्योग को लार्वा और प्रौढ़ मक्खियों को बोमारियों का सामना करना पड़ रहा है । यह विश्वास किया जा रहा है कि भारत में मधु मक्खियों में बोमारियां फैलने के कारण अनधिकृत तरोके से विदेशों से मंग यो गयीं **एपिस मेल्ली फेरा** जाति को मधु मक्खियां हैं । मधु मक्खियों को दो महत्वपूर्ण बोमारियां हैं : (1) यूरोपोय फाउल-ब्रूड बोमारो और (2) एकेराइन बीमारी ।

पता चला है कि यूरोपोय फाउल ब्रूड बोमारो महाबलेश्वर के चारों तरफ फैलो और इसके कारण मधुमक्खी पालन उद्योग को काफी हानि हुई । केन्द्रोय मधु मक्खो पालन अनुसंधान संस्थान, पूना में इसके रोग जनक पर किये गय अध्ययनो से पता चला कि यह **स्ट्रेटोकांकस** ल्युटोन के साथ्य है जो एपिस मेल्ली फेरा मक्खियों को संक्रमित करने वालो प्रजाति से एक भिन्न विभेद प्रतोत होता है । इस बीमारी का पता लगाने का तरीका, उसकी रोकथाम के उपाय और उपयुक्त प्रबन्ध तथा चुनोंदा प्रजनन कार्य शुरू कर दिया गया है । प्रयोगशाला में इसके रोकथाम के लिए इस्तेमाल किये गये प्रति जैविकों में सुग्राहिता सम्बन्धी परीक्षणों के दौरान टैरा माइसोन सबसे अधिक कारगर पाया गया । एक्रमाइसीन और सल्फाट्रिड का नम्बर दूसरा रहा । भारतीय मधु मक्खी पालन अनुसंधान आई० बी० आर० एस० के अन्तर्गत मधुमक्खो पालन संस्थान, महाबलेश्वर में एक अनुसंधान परियोजना शुरू को गयो है । इस बीमारी के प्रसार और रोकथाम से संबंधित तकनोको बुलेटिन छपवाकर मधुमक्खो पालकों में वितरित कर दिये गये हैं । प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत यूरोपीय फाउल-ब्रूड बोमारो को रोधो मधु मक्खियों की प्रजातियों

के चयन पर और आगे कार्य किया जा रहा है, जहां प्रस्तुत रोग के विभिन्न प्रतिरोधिता वाले कई विभेदों सम्बन्धी के अध्ययन में तेजी से प्रगति हो रही है ।

उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी भारत में मधु मक्खियों की **एकेराइन बीमारी** पायी गयी और सन 1960 के दौरान इस बीमारी के कारण काफी नुकसान हुआ था । कीड़ों की प्रजातियों **एकारापिस उडी** रैनी के रूप में पहचानी गयीं, जो **एपिस मेल्ल फेरा** जाति की मधु मक्खियों को संक्रमित करती हैं । बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने पर **एफराइन** बीमारी का प्रकोप पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर तक पाया गया ।

खादी और ग्रामोद्योग ने, जो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने का प्रभारी है, मधु मक्खी पालन वैज्ञानिकों के सहयोग से मधुमक्खियों की मृत्यु दर और बीमारियों के फैलाव को कम करने के लिए शीघ्र और आपातिक कदम उठाये हैं । एकेराइन बीमारी पर अनुसंधान के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें अल्पकालीन उपाय जैसे रासायनिक नियंत्रण, मधुमक्खियों का उपयुक्त प्रबन्ध आदि और दीर्घकालीन उपाय जैसे आनुवांशिक प्रतिरोध के लिए मधुमक्खियों का चुनींदा प्रजनन शामिल है । बीमारी को रोकथाम के लिए विभिन्न एकेरोसाइड और उनके सम्मिश्रणों की जांच की गयी । यह पाया गया कि मिथाइल सैलासिलोकेट और फौलबेक्स या नाइट्रो बेंजीन के मिश्रण के प्रयोग से सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त हुए । केन्द्रीय मधुमक्खी पालन अनुसंधान संस्थान, पूना द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए दवा की उपर्युक्त मात्रा, उपचार का समय और दवा देने के तरीके को मानकीकृत किया गया । चूंकि फौलबेक्स की पट्टियों का भी आयात किया जाता है, इसीलिए विदेशी मुद्रा बचाने के लिए इन पट्टियों का उत्पादन अपने देश में ही करने का कार्य शुरू कर दिया गया है । इसके अलावा, एकेराइन रोधी प्रजातियों को मधुमक्खियों के प्रजनन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है ।

(1) फील्ड कर्मचारियों और मधु मक्खी पालकों को शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किये गये (2) निजि मधुमक्खी पालकों के लिए नियंत्रण के उपायों पर प्रदर्शनों की व्यवस्था की गयी (3) रोग से प्रभावित क्षेत्रों के मधु मक्खी पालकों की बस्तियों से मधु मक्खियों के अनियमित (रैन्डम) नमूने एकत्रित किये गये और उनको तकनीकी सलाह दी गयी । (4) एकेराइन बीमारी और इसकी रोकथाम सम्बन्धी अंग्रेजी और हिन्दी में तकनीकी बुलेटिनें प्रकाशित हो चुकी हैं और उसका उर्दू रूपान्तर भी जारी किया जाने वाला है (5) प्रगतिशील मधु मक्खी पालकों में एकेरो साइड वितरण, फौलबक्स की पट्टियों का मुफ्त वितरण, और क्लोरोबेंजिलेट से युक्त कागज की पट्टियां (पेपर स्ट्रोप्स) का वितरण किया गया, (6) रोग रोधी सामग्री की आपूर्ति, रानी मक्खी के कोशों की आपूर्ति, युग्मित रानी मक्खियों और रोग प्रतिरोधी नस्ल वाली रानी मक्खियों वाले निवहों की आपूर्ति का काम शुरू किया गया ।

विश्व में तीन विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियां पायी जाती हैं । ये हैं—यूरोप की मधुमक्खियां, अफ्रीका की मधुमक्खियां और एशिया की मधमक्खियां । ये सभी मधुमक्खियां जेन्स **एपिस** कुल की हैं । ये अपने पुराने स्थानों तक ही सीमित हैं, जहां से ये शुरू के वाशिन्दों द्वारा अमेरिका और अन्य देशों में लायी गयीं। इन मधुमक्खियों के साथ-साथ बीमारियां भी वहां गयीं ।

भारतीय उपमहाद्वीप में मधुमक्खियों की तीन विभिन्न प्रजातियां पायी जाती हैं जिनमें से केवल **एपिस इन्डिका** ही पाली जा सकती है, अतः ये ही व्यापारिक दृष्टि से मूल्यवान है ।

एपिस इन्डिका मधुमक्खी से औसतन 4.6 किलो० मधु प्राप्त होता है, जबकि कैलिफोर्नियाई प्रजाति की मधुमक्खियों से औसतन 19.6 किलो० मधु प्राप्त होता है । इन्हीं परिस्थितियों के अन्तर्गत **एपिस मेल्लिफेरा** की चार अन्य प्रजातियों से औसतन 11 से 30.8 किलो ग्राम मधु प्राप्त होता है ।

केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान, पूना द्वारा जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग (1956 के संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित) के तत्वावधान मे कार्य कर रहा है, 1963 में, कांगड़ा में एक क्षत्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गयी, जो एतत्सम्बन्धी कार्य तथा क्षेत्रीय महत्व की दूसरी समस्याओं पर अनुसंधान करता है ।

यह सरकार की नीति नही है कि वह विदेशों से मधुमक्खियों के आयात को प्रोत्साहित करे । इसके लिए पौध-संरक्षण और संगरोध विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है ।

अब, **एपिस मेल्लफेरा** नामक प्रजाति पंजाब में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो चुकी है इन मधुमक्खियों से अधिक मात्रा में मधु प्राप्त होता है और ये नारियल, तथा तिलहन आदि जैसी कुछ बड़ फसलों के लिए अच्छे परागणकर्त्ता के रूप में भी काम करती हैं । लेकिन अभी मुख्य समस्या देश के दक्षिणी और अन्य क्षत्रों में **ए-मेल्लिफेरा प्रजाति** को ले जाकर की है । इसके साथ ही इन मधुमक्खियों को ले जाने से वहां एकेराइन बीमारी के फैलने का खतरा भी है । इसलिए परिषद उन क्षत्रों में रोग जनकों को ले जाने से उत्पन्न होने वाले खतरे को टालने के लिए सतर्कता बरती है । इस उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने यह सुझाव दिया है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में पाली गयीं स्वस्थ और अच्छी तरह जांची गयीं **ए० मेल्लिफेरा** मधुमक्खियों को लिया जाय और इन्हें विशेषज्ञों के निरीक्षण में और उनके निकट सहयोग से पहले निकोबार जैसे किसी समुद्रतट से दूर के इलाके में (अन्तः स्थलीय स्थान) पाल कर देखा जाय और मुख्य भूमि पर पालने के पहले इनके सापेक्षिक महत्व का मूल्यांकन किया जाय ।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चारों ओर फैली एक विदेशी बीमारी के कारण जिससे शहद के उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, पंजाब और हरियाणा में लाखों मधुमक्खियां मर रही हैं, मैं यह बात जानना चाहता हूं कि इस बीमारी को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं जिससे शहद बीमारी को शहद उत्पादन करने वाले जम्मू और कश्मीर के अन्य केन्द्रों पर न पहुंचे ।

Shri Sarjoo Pandey ; On a point of order, Sir. You have asked us not to waste the time of the House in certain unnecessary subjects. We are not given time on matters of importance, but the time of the House is being wasted on this un important subject. How the honey bees died? (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को यह आय का बहुत महत्वपूर्ण साधन है । मुझे खेद है आपने इसे कम महत्वपूर्ण समझा है ।

श्री पी० गंगादेव : मैंने पूछा है कि क्या उपाय किये जा रहे हैं . . . (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखिये । कृपया बैठ जाइये । आप सदन की कार्यवाही में व्यवधान क्यों कर रहे हैं ? यह क्या है—आप सदैव ही ऐसी बातें करते हैं ।

श्री पी० गंगादेव : विपक्ष के सदस्यों को इसे कम महत्वपूर्ण विषय नहीं समझना चाहिये । रोजगार क्षमता के अतिरिक्त इससे देश को विदेशी मुद्रा की आय भी होती है ।

इस बीमारी को जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों, आसाम तथा उड़ीसा के शहद उत्पादन करने वाले अन्य क्षत्रों में फैलने से रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने विवरण में कुछ उपायों का उल्लेख किया है ।

महाबलेश्वर में एक अनुसंधान संस्थान है । वे इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और प्रचार के लिये उनके यहाँ एक विस्तार विंग है ।

जो माननीय सदस्य इसे कम महत्व का विषय समझते हैं मैं उनकी इस विचारधारा को दूर करना चाहता हूं। मधु मक्खी पालन लाभकारी कारोबार है। इससे देश में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है।

श्री पी० गंगादेव : मक्खियों के आयात के सम्बन्ध में इन्डियन क्वेरेनटाइन एक्ट, 1955 के दोष-रहित रूप से लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि शहद उत्पादन में वृद्धि करने के लिये इस प्रकार आयातित विदेशी मधुमक्खियां पूर्णतया रोग मुक्त हों ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: इस मामले में यह प्रतीत होता है कि किसी ने बिना अनुमति इस प्रकार का आयात किया है। यही कारण है कि बीमारी फैली है। ऐसी सामग्री के आयात के जो नियम हैं तथा क्वेरेन्टाइन नियम इन्सैक्ट्स एन्ड पैस्ट्स एक्ट 1914 में दिये गये है। यह एक पुराना अधिनियम है और इसके सम्पूर्ण उपबन्धों को समीक्षा की आवश्यकता है ताकि क्वेरेन्टाइन नियम कठोर बनाय जा सक और हम इस समय इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री डी० डी० देसाई : आयुर्वेद में मधु तथा इसके गुण स्पष्ट रूप से बताये गये हैं। कुछ मेरे माननीय मित्र शहद से चिढ़े हुये हैं, पर शहद मधुमक्खियों के बिना पैदा नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यवश मधु-मक्खियों में विभिन्न रोगों का पता लगाने की हमारी योग्यता शताब्दियों से घूमिल पड़ी हुई है। हाल ही में हमने अपनी पुरानी चीज अपनाई है और हमने मधुमक्खी पालन आरम्भ किया है। मधु की रोजगार क्षमता, विदेशी मुद्रा अर्जन क्षमता, आयुर्वेदिक औषधि क्षमता, खाद्यतत्वक्षमता की बात छोड़िये। मैं मंत्रीमहोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि एपिस मील्लीफरा नामक मधुमक्खियों का मंत्रालय की अनु-मति के बिना किस देश से आयात किया गया और क्या इस बीमारी को रोका गया था अथवा इनके आने से पूर्व इस प्रकार विशेष के प्रजनन को प्रभावित करने वाले किसी रो का पता लगाया था अथवा इनके आने के बाद क्या इसका निरोध किया गया था ?

यह एक महत्वपूर्ण मामला है। विपक्ष की बहुत सी काल्पनिक बातों से यह बहुत महत्वपूर्ण है।

जहां तक योरोप को फाउल-ब्रूड तथा एकेरीन बीमारी का सम्बन्ध है, क्या इन पर नियंत्रण पा लिया गया है और यदि हाँ, तो नियंत्रण का तरीका क्या है और क्या इसे ठीक प्रकार तैयार किया गया है और क्या रोग नियंत्रण उपाय का अच्छी तरह प्रचार किया गया है अथवा नहीं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : रोगों का पता लगाया गया है और उपचारात्मक उपाय प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। परन्तु भविष्य में हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि किन क्षेत्रों में किस प्रकार की मक्खियां पाली जायें।

आसाम में खाद्य उत्पादन योजना

+

*391. **श्री निहार लास्कर :**
श्री तरुण गोगोई :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य ने वर्ष 1974-75 की वार्षिक योजना में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) क्या कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं। 1974-75 की वार्षिक योजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान; असम सरकार ने 1973-74 में लगभग 24 लाख मीटरी टन के आधार स्तर की तुलना में 25 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य स्वीकार किया था।

(ख) और (ग) 1974-75 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में सहायता प्रदान करने वाले विभिन्न उपायों के बारे में राज्य सरकार को अवगत किया गया था। उनकी बीजों, उर्वरकों और कीटनाशी औषधियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए उपाय किये गये थे। आदानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के लिए 2.38 करोड़ रुपये (31-7-74 की स्थिति के अनुसार) का अल्पावधि ऋण स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य की समस्याओं की देखभाल करने के लिये मन्त्रालय में एक क्षेत्र अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

श्री निहार लास्कर : क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि आसाम राज्य में अनाज की अत्यधिक कमी है। वहाँ की स्थिति अत्यंत बिकट है। दूसरे सदन में मंत्री महोदय के दिए गए इस वक्तव्य ने कि आसाम में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हैं, राज्य की जनता के मन में बड़ी बुरी भावना उत्पन्न कर दी है। मैं जानना चाहता कि ऐसी स्थिति में इस प्रकार का वक्तव्य किस आधार पर दिया गया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : प्रश्न उत्पादन के संबंध में है

श्री निहार लास्कर : आपने कहा है कि आसाम में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है। ऐसा आपने किस आधार पर कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न वर्ष 1974–75 की वार्षिक योजना में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के संबंध में है। आपका प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंध नहीं है।

श्री निहार लास्कर : प्रश्न खाद्य उत्पादन के बारे में है। आसाम में खाद्यानों की आत्यधिक कमी है। वहाँ आवश्यक खाद्यान्न पदार्थ उपलब्ध नहीं है।

श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे : आसाम में बहुत बाढ़ आई है इसके परिणामस्वरूप वहाँ के लोगों को भारी क्षति पहुंची है। आसाम सरकार क्षतिग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

श्री निहार लास्कर : क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आसाम राज्य में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस प्रश्न का उत्तर मैं एक अन्य संदर्भ में दे चुका हूं और मेरे विचार में इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मेरे पास काफी दस्तावेज है और मैं नहीं चाहता कि उनकी गलत व्याख्या हो और मुख्य मंत्री को किसी अनावश्यक कठिनाई में डाला जाए।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामा : मत्रा महादय न कहा है कि राज्य की समस्याओं की देखभाल हेतु एक क्षेत्राधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य की खाद्य स्थिति के संबंध में इस अधिकारी ने क्या रिपोर्ट दी है? मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि आसाम में पर्याप्त मागा में खाद्यान्न उपलब्ध है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां वास्तविक स्थिति क्या है ? क्या क्षेत्राधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार मंत्री महोदय का वक्तव्य सहि है अथवा वह रिपोर्ट कुछ गलत जानकारी पर आधारित है ? आशा है मंत्री

महोदय इसे स्पष्ट करेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है? जब तक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती तब तक सरकार आसाम राज्य को खाद्यान्नों की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ताकि लोगों को भूखे मरने से बचाया जा सके?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं। इसका खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंध से कोई संबंध नहीं है। विभिन्न अधिकारी उत्पादन कार्यक्रमों के समन्वय में आसाम सरकार की सहायता करते हैं।

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदय इस प्रश्न को टाल क्यों रहे है? उन्होंने स्वयं कहा है कि राज्य की समस्याओं की देख रेख हेतु एक क्षेत्राधिकारी नियुक्त किया गया है। वह मेरे राज्य के लोगों से संबंद्ध प्रश्न को टाल रहे है।

श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे : मैं प्रश्न को टाल नहीं रहा हूं। हम आसाम सरकार से निरंतर संपर्क बनाए हुए है। हम वहाँ की खाद्य स्थिति से अवगत हैं। मूल्यों में वृद्धि हुई है। यह अलग विषय है जिन पर निश्चय ही चर्चा की जा सकती है।

जहां तक उत्पादन का संबंध है आप पृथक रूप से स्पष्टिकरण मांग सकते है। आप अभी उसका उत्तर देने के लिए मुझे क्यों बाध्य कर रहे है ? माननीय सदस्य मुझे गलत न समझे। मैं उनसे इस विषय पर बातचीत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उनका प्रश्न मुख्य प्रश्न से संगत नहीं है।

श्री नुरूल हुडा : मैं कृषि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उत्पादन के वर्तमान लक्ष्य क्या है और आसाम में कितनी कम मात्रा में इनकी प्राप्ति हुई जिस के कारण राज्य में खाद्य की अत्यधिक कमी की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न आसाम राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के संबंध में है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहाँ तक उत्पादन का संबंध है चौथी योजना के लिए 26 लाख टन का लक्ष्य था जब की वर्ष 1973–74 का अनुमानित उत्पादन 22.57 लाख टन है। आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थिति बाढ़ों के कारण बिकट हो गई है। संचार का अभाव तथा कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो गई है। पिछले वर्ष के दौरान खाद्य की अर्थव्यवस्था के प्रबंध के संबंद्ध समस्याओं तथा तस्करी इत्यादि के कारण हमें कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। जहाँ तक आसाम में उत्पादन का प्रश्न है उसमें वृद्धि हो रही है पर अभी भी निर्धारित लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। पिछले कई वर्षों से उत्पाद में वृद्धि हो रही है।

श्री डी० बसुमतारी : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि आसाम राज्य को भूकम्पों और निरंतर आनेवाली बाढ़ों से कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। सिचाई के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आसाम सरकार द्वारा कोई राष्ट्रिय कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि किसानों को समय पर पानी पहुचाया जा सके। मेरे विचार में भूकप्पों और प्रतिवर्ष आनेवाली निरंतर बाढ़ों के कारण किसी भी परियोजना का वहाँ सफलता पूर्वक क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता आसाम क्षेत्र में व्यापक खाद्य-उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे : ब्रह्मपुत्र घाटी देश के बहुत उपजाउ क्षेत्रों में से है आसाम में फसलों के बदल-बदल कर उगाने की बहुत आवश्यकता है। फसल उत्पादन हेतु सतही जल और भूमिगत जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना होगा। बाढ़ के बाद आसाम अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक उत्पादन करेगा।

श्री डी० बसुमतारी : बाढ़ के कारण आसाम में सिचाई का कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह डीजल पम्प-सटों की व्यवस्था करके भूमिगत जल की सप्लाई के संबंध में खोज करने पर विचार कर रही है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कृषि कार्यों के लिए डीजल पम्प सैटों की सप्लाई के लिए आसाम की मदद की जाए ।

महाराष्ट्र में सूखा

***392. श्री मधु दण्डवते :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सूखा पड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । वास्तव में अगस्त के महीने के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने के फलस्वरूप फसल काफी अच्छी होने की सम्भावना है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न की सूचना देने के बाद वर्षा में सुधार हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : अतः अनुपूरक प्रश्नों की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री तथा कृषि मंत्री ने अपनी हाल ही में 3 अगस्त की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों से सूखे की आशंका, वितरण हेतु उपलब्ध अपर्याप्त अनाज सप्लाई तथा राज्य को केन्द्र द्वारा दी गई सहायता के बारे में बात-चीत की थी । यदि हां, तो प्रधान मंत्री और महाराष्ट्र सरकार के खाद्य मंत्री की बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : प्रश्न सूखे के संबंध में है । जब प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्र का दौरा किया तो महाराष्ट्र सरकार ने उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि राज्य में कई स्थानों पर वर्षा नहीं हुई है परन्तु बाद में महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में काफी वर्षा हुई और अब खाद्य उत्पादन भी अच्छी संभावनाएं हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : महाराष्ट्र के सप्लाई मंत्री श्री वर्तक ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से कम से कम 2 लाख टन गेहूं देने का अनुरोध किया है ताकि महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई बिकट स्थिति का सामना किया जा सके ? यदि हाँ तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहाँ तक खाद्यान्नों के आबंटन का प्रश्न है हमें राज्य सरकारों से पत्र प्राप्त होते हैं और उन पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करते ह ।

पश्चिम बंगाल में वन विकास परियोजनाएं

+

***393. श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में वन विकास परियोजना सम्बन्धी कोई प्रस्ताव उनके मन्त्रालय को मिला है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कृषि पुनर्वित्त निगम की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां। भारत सरकार को पश्चिम बंगाल वन विकास निगम की एजेन्सी के माध्यम से उत्तरी बंगाल में अविकसित वनों के विकास के लिये एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) इस परियोजना का उद्देश्य दार्जीलिंग, कालिम्पोंग तथा बुक्सा के कुल 1,500 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के अविकसित वनों का विकास करने का विचार है। इस योजना में वर्ष भर काम आ सकने वाली सड़कों का निर्माण करना, काष्ठनिष्कासन कार्यों का यंत्रीकरण करना, वन-उत्पादों का विपणन करना एवं जिन क्षेत्रों में वन काटे गये हैं उनमें फिर से वन लगाना शामिल है। इस परियोजना पर 31.23 करोड़ रुपये व्यय होंगे। यह रकम 10 वर्ष की अवधि में व्यय की जायेगी। 10 वर्ष की अवधि के दौरान इस परियोजना से लगभग 37.30 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होगा। इस परियोजना से 20.22 लाख श्रम-दिनों को रोजगार मिलेगा और काटे गये वनों के क्षेत्र से अतिरिक्त कच्ची सामग्री उपलब्ध होने तथा उनमें वन लगाने से राज्य की औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी।

(ग) परियोजना के प्रस्तावों पर कृषि पुनर्वीत्त निगम विचार कर रहा है। कृषि पुनर्वीत्त निगम के एक अध्ययन दल ने जून, 1974 में परियोजना के क्षेत्र का दौरा किया था। इस सम्बन्ध में कृषि पुनर्वीत्त निगम की प्रतिक्रीया की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री शक्ति कुमार सरकार : पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन नामक एक बड़ा वन-क्षेत्र है। किंतु अवैध लकड़हारों द्वारा उसको प्रतिदिन विनाश किया जा रहा है। यह वन बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल के समुद्र के झंझावातों, बाढ़ों और सूखे से राज्य की प्रत्यक्ष रक्षा करता है। जबकि सुन्दरबन का प्रतिदिन विनाश किया जा रहा है उन्होंने 'टाइगर प्रोजेक्ट' के नाम से एक परियोजना और हाथ में ले ली है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता तो सुन्दरबन और 'टाइगर प्रोजेक्ट' की सुरक्षा कैसे की जा सकती है? यदि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोई विकास योजना रखी जाती है तो क्या केन्द्र सरकार उस योजना हेतु उदारतापूर्वक सहायता देगी?

श्री बी० पी० मौर्य : माननीय सदस्य एक विशिष्ट परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं। मुख्य प्रश्न उत्तर बंगाल के वनों के संबंध में है जिसमें यह तीन क्षेत्र शामिल है। सुंदरबन के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सही है। हमारे पास 'टाइगर परियोजना' के नाम से एक विशेष परियोजना है, हम सुंदरबन की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सुंदरबन में एक ऐसे किस्म का टिम्बर है जोकि अखबारी कागज के लिए बहुत उपयोगी है और यदि हां तो क्या सरकार ने इस टिम्बर का प्रयोग अखबारी कागज के उत्पादन हेतु करने की सोची है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

श्री बी० पी० मौर्य : जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस परियोजना का संबंध उत्तर बंगाल के वनों से है नाकि केवल सुंदरबन से। जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का संबंध है सरकार इस ओर आवश्यक ध्यान दे रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बंगला देश से हम जिस अखबारी कागज का आयात करते हैं वह उसी किस्म की लकड़ी से बनाया जाता है जो सुंदरबन में उपलब्ध है। मंत्री महोदय को ऐसी चीजों का पता होना चाहिए क्योंकि अखबारी कागज के उत्पादन के स्वदेशी संसाधनों में से यह भी एक है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम

*385. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक शास्त्र और वाणिज्य विषय केन्द्रीय विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित नहीं किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन विषयों के न होने के कारण कुछ छात्र केन्द्रीय विद्यालय छोड़ जाते हैं ; और

(ग) पाठ्यक्रमों में इन विषयों को सम्मिलित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) केन्द्रीय स्कूलों की पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र भी सम्मिलित है और उसे सामाजिक अध्ययन के अन्तर्गत केवल आठवीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है । अभी तक केन्द्रीय विद्यालयों की पाठ्यचर्या में वाणिज्य को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहां इन विषयों के न होने के कारण किसी छात्र ने कोई केन्द्रीय विद्यालय छोड़ दिया हो ।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने, जो केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा की एक समान पद्धति को व्यवस्था करता है, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित विषयों में से केवल कुछ विषयों को ही अपनाया है । केन्द्रीय विद्यालय, इस बोर्ड की परीक्षा के लिए ही विद्यार्थियों को तैयार करते हैं । आर्थिक तथा प्रशासनिक कारणवश वाणिज्य तथा नागरिक शास्त्र को IX—XI कक्षाओं में वैकल्पिक विषयों के रूप में प्रारम्भ नहीं किया जा सका था । तथापि, शिक्षा की नई पद्धति लागू करने को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य समेत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अपनाने की जांच की जा रही है ।

भूमिहीन श्रमिकों के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन

*386. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा भूमिहीन श्रमिकों के सम्बन्ध में कितने परियोजना प्रतिवेदन मंजूर किये गये हैं ; और

(ख) इनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) तथा (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना अक्तूबर, 1971 में आरम्भ की गई थी । वर्ष 1971–72 के दौरान कोई परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किए गए थे । 1972–73 तथा 1973–74 के वर्षों की अपेक्षित सूचना का एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा है । **[ग्रंथालय में रखा गया । दखिये संख्या एल० टी० 8217/74]**

Students in Agriculture Universities

*394. **Shri Onkar Lal Berwa ;** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the number of of students offering agriculture as a subject in Agriculture Universities is very low ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the measures included in the present plan for increasing the number of students in the Agriculture Universities so as to boost agricultural production ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P, Shinde) ; (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) At present there are 19 Agricultural Universities and, in all, 71 Agricultural Collages in the country. During 1969-73, on an average, 7,159 students were admitted every year to the various agricultural Colleges. There are proposals for the establishment of two more Agricultural Universities in Uttar Pradesh and one in Jammu and Kashmir during the V Plan period.

The number of students to be admitted is decided by every institution on the basis of an assessment of the requirements of the State Government and the potential for non-Government and self employment. Steps have been taken to promote greater opportunities for practical experience to agricultural graduates so that they can effectively contribute to increasing agricultural production.

उड़ीसा में अभाव की स्थिति

*395. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि उड़ीसा के कुछ भागों में अभाव की स्थिति व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं अथवा किये जाएंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) गंजम के सिवाय सब जिलों के भिन्न-भिन्न भागों में अभाव की स्थिति व्याप्त है । राज्य सरकार ने 3828 ग्राम पंचायतों में से 865 ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में अभाव की स्थिति घोषित की है । परन्तु, 14-8-74 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में अच्छी वर्षा हुई है, जिसके फलस्वरूप राज्य में अच्छी फसल होने तथा रोजगार की स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है ।

2. राज्य सरकार ने सूचना भेजी है कि उन्होंने विभिन्न राहत उपायों के लिये निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत की है या स्वीकृत की जा रही है :—

विवरण	स्वीकृत की गई धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1. श्रमोन्मुखी कार्यों के लिये टेस्ट रिलीफ ग्रान्ट	45 लाख रुपये	10 लाख रुपये
2. वृद्ध तथा दुर्बल व्यक्तियों को खाद्य तथा कपड़ा देने के लिये मुफ्त राहत	4 लाख रुपये	3 लाख रुपये
3. तकावी ऋण . . .	5 लाख रुपये	20 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों को अनुदेश दिये हैं कि वे रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये योजना तथा गैर-योजना के अन्तर्गत उपलब्ध विकास-राशि का उपयोग करें ।

कलकत्ता में विश्व टेबल टेनिस खेल

*396. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1975 में कलकत्ता में विश्व टेबल टेनिस खेलों के आयोजन में सहायता देने के लिए क्या व्यवस्था की है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई अनुरोध किया है और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) भारतीय टेबल टेनिस संघ, फरवरी 1975 के दौरान कलकत्ता में 33वीं विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का आयोजन कर रहा है । भारत में इस अन्तर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने समय संघ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि नई दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया तो भारत सरकार से कोई वित्तीय सहायता आवश्यक नहीं होगी । इसी आश्वासन के आधार पर यह चैम्पियनशिप कलकत्ता में आयोजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

(ख) और (ग) जी, हां । राज्य सरकार ने कलकत्ता में एक अंतरंग स्टेडियम के निर्माण के लिए अनुदान की प्रार्थना की थी । इसी स्टेडियम में विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप आयोजित करने का प्रस्ताव था । उन्हें सूचित कर दिया गया था कि टेबल टेनिस संघ ने इस टूर्नामेन्ट को एक कामचलाऊ अस्थाई हाल में आयोजित करने की परिकल्पना की थी । टेबल टेनिस संघ का विचार था कि काम-चलाऊ सुविधाएं भारतीय टेबल टेनिस संघ को स्वीकार्य होंगी और नए हाल का निर्माण आवश्यक नहीं होगा ।

भारतीय खाद्य निगम का धनबाद डिपो

*397. **श्री राम नारायण शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के धनबाद डिपो की हैन्डलिंग क्षमता कितनी है और स्थापित क्षमता की तुलना में जनवरी से जून, 1974 तक की अवधि में वैगनों से माल उतारने एवं डिलीवरी के लिये आने वाली पार्टियों को माल सप्लाई करने के सम्बन्ध में इस के कार्यनिष्पादन की स्थिति क्या थी;

(ख) क्या माल की डिलीवरी उसी दिन कर दी जाती है जिस दिन पार्टी गोदाम प्रबन्धकों के पास आती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें सुधार लाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) धनबाद (बिहार) स्थित भारतीय खाद्य निगम के खाद्य संचयन डिपो से संबधित कार्य रेलवे साइडिंग के माध्यम से होता है । रेलवे साइडिंग की 32 वैगन सम्भालने की क्षमता है । इस डिपो की सम्भालने की क्षमता 22 वैगन/500 मी० टन प्रति दिन है । जनवरी से जून, 1974 तक के प्रत्येक महीने के दौरान वैगनों से माल उतारने तथा सुपुर्दगी

के लिए आने वाली पार्टियों को खाद्यान्न सप्लाई करने के संबंध में वास्तविक कार्यनिष्पादन इस प्रकार है :—

माह	रेलवे साइडिंग पर सम्भाले गये वैगनों की कुल संख्या	डिपो पर औसत दैनिक सुपुर्दगी (मी० टन)
1974		
जनवरी	132	100
फरवरी	72	110
मार्च	190	150
अप्रैल	97	160
मई	329	160
जून	330	160

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति

*398. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० आई० जैड० क्षेत्र के पुनर्विकास के लिये नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति कब गठित की गई थी, इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके निदेश-पद क्या हैं ;

(ख) क्या सलाहकार समिति ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) कनाट प्लेस कम्पलैक्स तथा उस के पास पड़ोस के क्षेत्रों और नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में आने वाले नई दिल्ली के शेष भाग के विकास संबधी प्लानों के पुनरीक्षण के लिय, दिसम्बर, 1971 में समिति की स्थापना की गई थी । समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

"नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में नई दिल्ली के विभिन्न ज़ोनों के लिये विकास प्लानों का पुनरीक्षण जैसाकि दिल्ली की बृहत योजना तथा ज़ोनल प्लानों में निहित है तथा प्रत्येक ज़ोनके लिये पूर्ण तथा विस्तृत प्लान तैयार करना जिस में नगरीय डिज़ाईन, स्वरूप तथा संरचना, भूमि के उपयोग का तरीका, जन संख्या घनत्व, भू-दृश्य व्यवस्था, यातायात के आने-जाने की व्यवस्था, वाहनों के खड़ा करने की व्यवस्था और सामुदायिक सेवाएं एवं अन्य संबंधित पहलूओं को अंकित किया गया हो"

समिति के वर्तमान गठन संबंधी विवरण संलग्न है ।

(ख) डी० आई० जैड० क्षेत्र के बारे में कोई अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति का मौजूदा गठन

1. सचिव, निर्माण और आवास मन्त्रालय . . .	अध्यक्ष
2. प्रमुख इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग . .	सदस्य
3. उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण . . .	,,
4. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका . . .	,,
5. संयुक्त सचिव (आवास) निर्माण और आवास मंत्रालय .	,,
6. निदेशक, स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर . .	,,
7. अध्यक्ष, भारतीय वास्तुक संस्थान नार्दर्न चैप्टर, 8–बी, शंकर मार्केट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।	,,
8. मुख्य वास्तुक, डिज़ाईन ग्रुप, निर्माण और आवास मंत्रालय .	,,
9. प्रो० एम० एस० वी० राव, प्रोफेसर आफ ट्रैफिक प्लानिंग, स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्ट, नई दिल्ली	,,
10. श्री जी० बी० सिंह, मुख्य इंजीनियर, महानगर, परिवहन परियोजना (रेलवे), 35-36, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055.	,,
11. मुख्य वास्तुक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली . .	,,
12. श्री कुलदीप सिंह, 406, जंगपुरा रोड, नई दिल्ली . .	,,
13. मुख्य आयोजक, नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन, नई दिल्ली .	,,
14. श्री बी० जी० फर्नेण्डीज़, डिज़ाईन ग्रुप, नई दिल्ली, पुनर्विकास सलाहकार समिति, नई दिल्ली ।	सदस्य सचिव
15. श्री वी० के० कपूर, उपायुक्त, दिल्ली . . .	सदस्य

दूषण रोक विधेयक

*399. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूषण-रोक विधेयक किस तिथि से लागू किया जायेगा ;

(ख) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने इस विधेयक पर कोई आपत्ति उठाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) प्रदूषण-रोक विधेयक नाम का कोई विधेयक नहीं है । तथापि, सरकार ने जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 बनाया है । यह अधिनियम 12 राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षत्रों में 23 मार्च, 1974 से लागू हो गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इण्डिया गेट पर राष्ट्रीय नेता की प्रतिमा

*400. **श्री समर गुह :** क्या **निर्माण और आवास आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया गेट, नई दिल्ली पर राष्ट्रीय नेता की प्रतिमा स्थापित करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) इस मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बंगीय साहित्य परिषद् से विष्णु की मूर्ति की चोरी

*401. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगीय साहित्य परिषद् से चुराई गई विष्णु की अमूल्य कांसे की मूर्ति बोस्टन ललित कला संग्रहालय को 3.75 लाख रुपये में बेच दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो विष्णु की इस मूर्ति को वापिस लेने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) वर्ष 1971 से जून, 1974 तक राष्ट्रीय संग्रहालयों से कितनी कला कृतियों की चोरी हुई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) बोस्टन संग्रहालय के संग्रहपाल द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय राजदूत को कांसे की मूर्ति सौंप दी गई है ।

(ग) नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय से वर्ष 1971 और 1972 में कोई भी कला वस्तु नहीं चुराई गयी थी । तथापि, वर्ष 1973 में चांदी के 41 सिक्के चुराए गए थे, जिनमें से 40 सिक्के पुन: प्राप्त कर लिए गए थे । वर्ष 1974 में कोई चोरी नहीं हुई है ।

चीनी के अन्तिम लेवी मूल्य

*402. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार प्रति वर्ष गन्ना पिराई मौसम आरम्भ होने पर अनुमानों के आधार पर चीनी का अस्थायी वसूली मूल्य निर्धारित करती है और अन्तिम मूल्य बाद में निर्धारित किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष 1973–74 के लिये अन्तिम मूल्य निर्धारित कर दिये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख) गन्ने से वसूली के अनुमानित आंकड़ों और चीनी कारखानों की पेराई अवधि के आधार पर सरकार सामान्यत: मौसम के शुरू में लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित करती है। पेराई-अवधि की समाप्ति के बाद, वास्तविक कार्य के परिणामों आदि की दृष्टि में यदि आवश्यक हुआ तो मूल्यों में संशोधन किया जाता है । 1973–74 मौसम के उत्पादन के लिए मूल्यों की तदनुसार समीक्षा की जा रही है ।

काण्डला पत्तन से भावनगर तक तटवर्ती राजमार्ग

*403. श्री वैकारिया :
श्री डी० पी० जवजा :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कान्डला पत्तन से भावनगर तक तटवर्ती राजमार्ग बनाने के सम्बन्ध नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) कांडला पत्तन से भावनगर तक तटीय सड़क का भाग, गुजरात राज्य में तटीय राजमार्ग का भाग है, जिसकी लम्बाई 175.2 कि० मी० है और कच्छ में लखपत से दक्षिण गुजरात में उमरगांव तक जाता है । इस पर लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । यह एक राज्य सड़क है और गुजरात सरकार इसके विकास से मुख्यत: संबंधित है । परन्तु इस सड़क के विकास करने और क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को सहायतार्थ, भारत सरकार ने राज्य सरकार के लिए 1.43 करोड़ रुपये की ऋण सहायता का अनुमोदन किया है, ताकि वह पोरबन्दर–ओखा और भावनगर–बजेड़ा खंडों में लुप्त कड़ियों और पुलों की लागत वहन कर सके ।

कांडला पत्तन से तटीय राजमार्ग के भावनगर तक का खंड लगभग 848 किलो मीटर लम्बा है, जिसमें से 804 किलोमीटर तारकोली है। 29 किलोमीटर पर कार्य प्रगति में है और किलोमीटर पर अभी कार्य शुरू होना है । लगभग 54 पुलों में से 9 पूरे हो गए हैं, 14 प्रगति में हैं और 31 पुलों का निर्माण कार्य अभी शुरू होना है । इनमें से 14 पूलों के लिए बजट व्यवस्था है । अभी यह कहना कठिन है कि ये काय कब तक पूरे हो जाएंगे । क्यों कि उनको पूर्ति, वर्षानुवर्ष धन की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं ।

पश्चिम बंगाल द्वारा अनाज की मांग

*404. श्री टुना उर्राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल ने अन्य राज्यों की तुलना में गत छः महीनों में, प्रति माह, कितने अनाज की मांग की है;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल ने केन्द्र से गेहूं का अधिक कोटा देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो वास्तव में कितनी मांग की गयी है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) फरवरी से जुलाई, 1974 तक की अवधि में पश्चिमी बंगाल सरकार और अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने केन्द्रीय भण्डार से खाद्यान्नों की जो मासिक मांग की है उसे बताने वाला एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट)। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8218/74] हालांकि पश्चिमी बंगाल सरकार से मई और जून 1974 के लिए खाद्यान्नों की कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई थी फिर भी उन्होंने यह बताया है कि उनकी न्यूनतम मासिक आवश्यकता 50,000 मी० टन चावल और 90,000 मी० टन गेहूं की है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भण्डार में गेहूं की कुल उपलब्धता, अन्य कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं और व्यापार खाते में पंजाब/हरियाणा से पश्चिमी बंगाल की लेवी मुक्त गेहूं के संचलन को ध्यान में रखते हुये और इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि आटा मिलों को अपनी आवश्यकताएं खुले बाजार से पूरी करनी है,

पश्चिमी बंगाल सरकार को जुलाई, 1974 के लिए 65,000 मोटरी टन गेहूं आवंटित किया गया था। राज्य सरकार ने कहा है कि उन्हें नवम्बर, 1974 तक प्रति माह 90,000 मो० टन गहूं आवंटित किया जाए। हालांकि जुलाई के लिए आवंटन में वृद्धि करना संभव नहीं हुआ है, फिर भी विशेष मामले के रूप में, राज्य सरकार को पहले महीनों के कोटे की बाकी मात्रा के प्रति अगस्त और सितम्बर, 1974 के प्रत्येक मास में 23,000 मो० टन गहूं लेने की अनुमति दी गई है।

Globe Motors Delhi

2684. Shri Chandra Shekhar Singh : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Whether the Globe Motors, Delhi have illegally opened their office at G-14, South Extension, which is a residential area;

(b) if so, whether they are running this office against the bye-laws of the D.D.A. in connivance with certain officers of the D.D.A.;

(c) whether Government in a reply to a question had stated on the floor of the House that this office would be removed soon; and

(d) if so, the reasons for not removing this office so far and the action being taken against the Globe Motors as well as the officers of D.D.A. with whose connivance this office has been continuing to function there for the last one year despite Government's assurance in this regard?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works & Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes, Sir.

(b) The use of residential premises at G-14, South Extension, is in contravention of the provisions of the Delhi Develpoment Act, 1957. However, this is not being done with the connivance of D.D.A. officials.

(c) In reply to Unstarred Question No. 4326 answered on the 27th August, 1973, the House was informed that the Delhi Development Authority had initiated action against the Globe Motors for contravention of the provisions of the Delhi Development Act 1957.

(d) Prosecution has already been launched against the owner as well as the tenant by the D D.A. and the matter is subjudice.

बम्बई बन्दरगाह में कारगो और कारगो शिप्स के त्वरित हडलिंग के लिये सुविधाएं

2685. श्री मधु लिमये : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बन्दरगाह में कारगो और कारगो शिप्स के त्वरित हैंडलिंग के लिये सुविधायें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस योजना से बम्बई बन्दरगाह में रोजगार सम्भावनाओं में वृद्धि होगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

(1) बम्बई बन्दरगाह के पूर्व की ओर न्हावा शेवा में पत्तन सुविधाओं का विकास

यांत्रिक घरा उठाई उपकरण और सड़कों, रेलों, जल और बिजली सप्लाई आदि जैसी अन्य सुविधाओं सहित उर्वरकों और कच्चे माल, चीनी और खली तथा आधानों की उठाई के लिए प्रस्ताव में,

विकास के प्रथम चरण के तौर पर ज्वार जल क्षेत्र के अंदर तीन गहरे जल घाटों के निर्माण की व्यवस्था है। योजना पर 71.59 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

न्हावा-शेवा पत्तन परियोजना के यातायात सामर्थ्य का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग ने तीन छोटे कार्यदलों का गठन किया। अध्ययन दलों की रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद ही, योजना आयोग परियोजना का समाकलित जायजा लेगा और उसके बाद ही अन्तिम फैसला किया जायगा।

(2) समिति पैमाने पर आधान यातायात की धरा-उठाई के लिए घाट संख्या 12-बी इन्दिरा गोदी का विकास :

न्हावा शेवा समूह में एक पूर्ण आधान घाट के चालू होने तक घाट सं० 12-बी इन्दिरा गोदी में सीमित पैमाने पर आधान यातायात की धरा उठाई करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है। प्रस्ताव में तट पर आधानों को धरा उठाई और निर्यात माल से आधानों को भरने के लिये ग्रुपेज शेड के निर्माण के लिए उपकरण प्राप्त करने का विचार है। प्रस्ताव की आर्थिक आत्मनिर्भरता की जांच की जा रही है।

(3) घाट संख्या 15, इन्दिरा गोदी पर यांत्रिक उपकरण का संस्थापन :

वैगिंग संयंत्रों और सिलाई मशीनों जैसी अनुषंगी मशीनों सहित प्रति घंटा 300 टन को अधिकतम माल उतारने की क्षमता सहित उर्वरकों की उतराई की बढ़ाने हेतु यांत्रिक धरा उठाई उपकरण की संस्थापन के प्रस्ताव पर कृषि मंत्रालय विचार कर रहा है।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के पूरा हो जाने पर, बम्बई गोदियों में निस्संदेह रोजगार अवसर बढ़ जाएंगे।

भारतीय निर्यातकर्ताओं द्वारा ठेके सम्बन्धी दायित्वों को कथित पूरा न करना

2686. श्री पी० गंगादेव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं खरीदने वाले विदेशियों से इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है कि भारतीय निर्यातकर्ता ठेके सम्बन्धी दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत से गेहूं के निर्यात करने की अनुमति नहीं है।

(क) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पूरक तथा संरक्षित खाद्य पदार्थ का विकास करने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने सम्बन्धी कार्यक्रम

2687. श्री वेकारिया :

श्री डी० पी० जडेजा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग में खाद्य तथा पोषाहार बोर्ड ने पोषाहार स्तर को ऊंचा करने हेतु पूरक तथा संरक्षित खाद्य पदार्थों का विकास करने तथा लोकप्रिय बनाने सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों की मख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन कार्यक्रमों के लिये कितने व्यय का अनुमान है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खाद्य विभाग के खाद्य तथा पोषाहार बोर्ड ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उन्हें संक्षेप में बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	योजना का नाम	प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रुपयों में)
1	**पोषाहार संबंधी योजनाएं**	
1	पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन तथा विधायन . . .	35.00
2	समन्वित खाद्य तथा पोषाहार प्रणाली कार्यक्रमों का विकास . .	1.00
3	मास मीडिया प्रचार प्रसार प्रदर्शन तथा पोषाहार अभियान . .	1.50
4	खाद्य पदार्थों का प्रवलीकरण	3.00
5	प्रायोगिक परियोजनाएं, खाद्य तथा पोषाहार अनुसंधान विकास और किस्म नियंत्रण ।	1.50
6	पोषाहार कार्यक्रमों का मूल्यांकन .	2.00
7	निदेशन संबंधी खर्च . . .	1.00
8	चौथी योजना की बची योजनाएं .	5.00
		50.00
2	**खाद्य विधायक तथा चावल मिलिंग**	
1	चावल मिलिंग उद्योग का आधुनिकीकरण . .	6.00
2	मार्डन बेकरी	9.00
3	गेहूं–विधायन	0.50
4	खान-पान संस्थान तथा खाद्य क्राफ्ट संस्थान का विकास . .	4.00
5	अन्य खाद्य विधायन परियोजनाएं .	2.00
6	खाद्य औद्योगिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण . . .	1.70
7	फल तथा सब्जी विधायन	10.00
8	संगठन .	0.30
		33.50

चल खाद्य और पोषाहार, विस्तार कार्यक्रम की पांच अतिरिक्त यूनिटों की स्थापना करना

2688. **श्री वेकारिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974–75 के दौरान चल खाद्य और पोषाहार विस्तार कार्यक्रम के पांच और एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त एकक किन केन्द्रों में कार्य करेंगे; और

(ग) क्या इस देश के आकार को देखते हुये वर्तमान एककों में पांच अतिरिक्त एककों की वृद्धि पर्याप्त है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) मितव्ययिता के उपाय के रूप में, 1974–75 में 5 यूनिट स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को आस्थगित किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं, पांचवीं योजना के दौरान ऐसी और भी यूनिटें स्थापित किए जाने का विचार है बशर्ते कि उनके लिए साधन उपलब्ध हों ।

Recruitment in the College of Art, Delhi

2689. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the rule regarding recruitment through Employment Exchange is being followed in the College of Art, Delhi ; and

(b) if not, the reasons therefor and the number of persons recruited directly in the College during the last two years ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) For regular recruitment in the College of Art, Delhi, the rules of recruitment through Employment Exchange are followed. However, during the last two years the College had to resort to recruitment of some persons on daily wages and this was not made through the Employment Exchange.

(b) Recruitment of persons on daily wages, without going through the Employment Exchange was resorted to by needs of the situation. The number of such persons engaged during the last two years is as follows :

1972-73	10
1973-74	14
At present	5

दुग्ध परियोजना में 'आपरेशन फ्लड' की कथित असफलता

2690. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री अनादि चरण दास :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 24 मई, 1974 के एक स्थानीय अंग्रेजी के दैनिक में यह समाचार देखा है कि दुग्ध परियोजना में 'आपरेशन फ्लड' असफल हो गया है ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) बम्बई के 'इकोनामिक टाइम्स' में 24 मई, 1974 को परियोजन 618 (आप्रेशन फ्लड) को 'धक्का' पहुंचने के बारे में एक समाचार छपा था। इस परियोजना के अंतर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा उपहार-स्वरूप दिए गए पदार्थों की प्राप्ति कुछ कारणों से उतनी नहीं रही है जितनी कि आशा थी। किन्तु इससे ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यह परियोजना विफल हो गई है। यह कमी पूरी कर लिये जाने की आशा है ताकि जैसा कि इस परियोजना के अंतर्गत विचार है, यह डेरी विकास के लिए अपना योगदान दे सके।

बम्बई में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी का कारखाना लगाना

2691. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में महाराष्ट्र सरकार के उपक्रम के रूप में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी का कारखाना लगाने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड द्वारा पूर्व विरचित मकानों के उत्पादन के लिये फैक्टरी स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन था लेकिन योजना आयोग ने जिसे यह परियोजना अनुमोदनार्थ भेजी गई थी, सलाह दी थी कि यद्यपि बम्बई जैसे स्थान में यह एक उपयोगी परियोजना होगी, लेकिन इसे पूर्णतः महाराष्ट्र सरकार के एक उद्यम के तौर पर स्थापित किया जाना चाहिये। महाराष्ट्र सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का पुनर्गठन और प्रसार

2692. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षा का पुनर्गठन और प्रसार करने के उद्देश्य से कुछ चुने हुये स्कूलों में एक योजना परीक्षणार्थ लागू की गई है ;

(ख) क्या इस योजना के परिणाम आशाजनक रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह योजना देश के सभी स्कूलों में शुरू की जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां। विज्ञान के अध्यापन के पुनर्गठन और उसका विस्तार करने के लिए प्रत्येक राज्य में 50 चुने प्राथमिक और 30 चुने हुए मिडिल स्कूलों में प्रयोगिक आधार पर एक परियोजना आरम्भ की गयी है।

(ख) जी, हां।

(ग) उक्त प्रायोगिक चरण की सफलतापूर्वक समाप्ति पर आशा है कि राज्य सरकारें अपने अपने स्कूलों में विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तकों और विज्ञान किटों को व्यापक रूप से लागू करने के लिये कार्यक्रम प्रारंभ करेंगी। इस व्यापक रूप से लागू करने की योजना के अन्तर्गत, अध्यापकों का प्रशिक्षण, विज्ञान

पाठ्यपुस्तकों और अध्यापकों के लिए नियम पुस्तकों को छापने के लिए कागज तथा विज्ञान किटों जैसे योजना के कुछ पहलूओं के लिए यूनिसेफ से सीमित सहायता उपलब्ध है ।

न्यू ट्रेशन फीडिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत फीडिंग मेटीरियल बनाने के लिए संगठन

2693. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यूट्रेशन फीडिंग प्रोग्राम के अन्तगत फीडिंग प्रोग्राम में आने-वाली बाधाओं को रोकने के लिये अपेक्षित मात्रा में फीडिंग मेटीरियल का उत्पादन करने के लिये अलग से एक संगठन की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठन को स्थापना कब तक को जायेगी और उक्त संगठन द्वारा किस प्रकार के फीडिंग मेटोरियल का उत्पादन किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्द) : (क) और (ख) अनपूरक पोषाहार कार्यक्रमों के लिए अपक्षित पोषाहार सम्बन्धो सामान की विभिन्न किस्मों का उत्पादन करने के लिए एक अलग संगठन स्थापित करने का सुझाव विचाराधीन है ।

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में आवास कार्यक्रम

2694. **श्री मधु लिमये** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिकसे अधिक संख्या में देहाती लोग रोजगार को तलाश में शहरों में आ रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भो पता है कि इसके परिणामस्वरूप नगरोय क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों और अनधिकृत झोंपड़ियों को संख्या बढ़तो जा रहो है ; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने सरकारो तथा गैर सरकारो क्षेत्रों में आवास संबंधी क्या कार्यक्रम बनाये हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जो, हां ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में राज्य तथा केन्द्रोय क्षेत्रों के आवास संबंधो कार्यक्रमों के लिए 580.16 करोड़ रुपये का परिव्यय का प्रस्ताव है । रेल, डाक व तार, रक्षा, पत्तनन्यास जैसे केन्द्रोय सरकार के विभागों तथा अन्य केन्द्रोय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के आवास के कायक्रमों के लिए योजना अवधि के दौरान 450 करोड़ रुपये और निर्दिष्ट किये गए हैं ।

योजनावधि के दौरान निजो क्षेत्र द्वारा आवास के लिए 3,640 करोड़ रुपये को अनुमानित पूंजी निवेश का अनुमान हैं ।

भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा वर्ष 1972, 1973 और 1974 में मई और जून के दौरान चीनी का वितरण

2696. **श्री मधु लिमये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा वर्ष 1972, 1973 और 1974 में मई और जून के दौरान (लेवी चीनी से) कितनी चीनी वितरित की गई;

(ख) क्या इन महीनों में विवाह आदि होते हैं;

(ग) क्या वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान लेवी चीनी में से चीनी के मासिक वितरण की तुलना में इन महीनों में वितरण सर्वाधिक था; और

(घ) यदि नहीं, तो इन वर्षों में चीनी का महीने वार वितरण कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य): (क) सरकार 1-1-1973 से भारतीय खाद्य निगम और अन्य राज्य सरकारी एजेंसियों जिन में सहकारी समितियां शामिल हैं, के माध्यम से थोक स्तर पर वितरण करने के लिए लेवी चीनी का बंटन कर रही हैं, 1972, 1973 और 1974 के वर्षों में मई और जून के लिए लेवी चीनी के मासिक बंटनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	मई (मी० टन में)	जून (मी० टन में)
1972	1,91,380	1,91,395
1973	2,05,095	2,05,121
1974	2,00,600	1,90,600

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) 1972, 1973 और 1974 (अगस्त, 1974 तक) के दौरान राज्यों को लेवी चीनी के मासिक बंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है ।

विवरण

1972, 1973 और 1974 (अगस्त, 1974 तक) के दौरान राज्यों को आबंटित लेवी चीनी के मासिक कोट को बताने वाला विवरण

(मी० टन में)

माह	1972	1973	1974 (अगस्त 1974 तक)
जनवरी	1,95,000	1,85,064	2,00,000
फरवरी . . .	1,88,130	1,85,064	2,00,000
मार्च	1,91,380	1,85,064	2,00,000
अप्रैल	1,91,380	1,85,065	2,00,000
मई	1,91,380	2,05,095	2,00,000
जून	1,91,395	2,05,121	1,90,000
जुलाई	1,91,395	2,00,000	1,80,000
अगस्त	1,80,005	1,90,000	1,80,000
सितम्बर . . .	1,80,000	1,90,090	
अक्तूबर	2,06,150	1,90,090	
नवम्बर	2,06,150	1,90,090	
दिसम्बर	1,85,000	1,90,090	

केरल में युवक केन्द्र

2697. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुछ पंजीकृत युवक-केन्द्र हैं और यदि हां, तो वे किस-किस स्थान पर हैं ;

(ख) उनकी गतिविधियां क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने कितना धन खर्च किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) केरल के त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर तथा कन्नानूर में एक-एक नेहरू युवक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) इन केन्द्रों का उद्देश्य युवकों, मुख्य रूप से गैर-छात्र युवकों के कार्यकलापों में मुख्यत: निम्नलिखित दिशाओं में उन्नति और समन्वय करना होगा :—

(i) कार्यात्मक साक्षरता तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित अनौपचारिक शिक्षा ;

(ii) समाज सेवा ;

(iii) स्वास्थ्य संस्कृति और खेलें ।

(ग) चूंकि केन्द्रों ने कार्य करना अभी शुरू करना है, अत: अभी तक कुछ भी खर्च नहीं हुआ है ।

काली मिर्च के उत्पादकों को प्रोत्साहन

2698. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काली मिर्च के उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या प्रोत्साहन दिया गया है ; और

(ख) सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में काली मिर्च विकास कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशि का आवंटन किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) काली मिर्च उत्पादकों को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए थे :—

1. 'पन्नीयुर–1' नामक संकर काली मिर्च की उन्नत पौदरोपण सामग्री उचित दरों पर उत्पदकों को वितरित की गई ।

2. 'बिल्ट डिजीज' तथा 'बीटल पेस्ट' नामक रोगों के विरुद्ध नियंत्रण उपायों की कारगरता का प्रदर्शन करने के लिए किसानों के बागों में प्रदर्शन करने हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को शुरू करना । इस योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी बागानों में उपयुक्त भखण्ड चुने गए थे जहां सरकारी खर्च पर 'बिल्ट' तथा ' फिली बीटल' रोगों के विरुद्ध छिड़काव किया गया ।

3. उर्वरक जैसे आदानों और पौद रक्षण कार्यों का खर्च पूरा करने के लिए प्रदर्शन भू-खण्डों पर हुआ पूरा खर्च वहन किया गया ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी उपर्युक्त प्रोत्साहन जारी रखने का प्रस्ताव है ।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र योजना में 175.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

नारियल उत्पादकों को प्रोत्साहन

2699. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक उत्पादन के लिये नारियल उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ; और

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान नारियल विकास कार्यक्रम के लिये सरकार ने कितनी धनराशि नियत की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए थे :—

1. नारियल उत्पादकों को नारियल की संकर किस्मों की पौदरोपण सामग्री उचित दरों पर सप्लाई की गई ।
2. पैकेज क्षेत्रों में प्रदर्शन भू-खण्डों पर हुआ सारा खर्च (जो 0.25 हैक्टार के प्रति भू-खण्ड पर 150 रुपये पड़ता है) केन्द्र द्वारा वहन किया गया ।
3. पैकेज क्षेत्र के नारियल उत्पादकों को उर्वरकों तथा पौद-रक्षण रसायनों की खरीद और उनके प्रयोग के लिए हर वर्ष 3.50 रुपये प्रति खजूर वृक्ष के हिसाब से ऋण दिया गया । इसी प्रकार कृषि उद्योग निगम या अन्य संस्थानों द्वारा किसानों को भाढ़ा-खरीद-प्रणाली के आधार पर पम्प सैट सप्लाई किए गए । संस्थात्मक धन की राशि का उपयोग करते हुए ऋण मांग वाली राशि सम्बन्धित राज्यों द्वारा वहन की गई । पांचवी योजना के सभी उपर्युक्त प्रोत्साहनों को जारी रखन और ऋण राशि को 7/- रुपय प्रति खजूर वृक्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में 125.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

काजू उत्पादकों को प्रोत्साहन

2700. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काजू उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ; और

(ख) सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान काजू विकास कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशि आबंटित की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के क्षेत्रों के काजू उत्पादकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए थे :—

1. उत्पादकों को 50% लागत पर पौद सामग्री दी गई ;
2. उर्वरकों जैसे आदानों और पौद रक्षण रसायनों के प्रदर्शनों पर होने वाले सारे खर्च (जो प्रति 0.8 हैक्टर के भूखण्ड के लिए 300 रु० पड़ता है) को केन्द्र द्वारा वहन किया गया;
3. कीटनाशी औषधियों की लागत को पूरा करने के लिए 62.50 रु० प्रति हैक्टर के हिसाब से राजसहायता दी गई ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 'वृद्धिशील प्रणाली' से काजू रोपण के सुधार पर होने वाला सारा खर्च केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा और प्रदर्शन सम्बन्धी योजना को जारी रखा जाएगा, किन्तु कीटनाशी औषधियों के लिए राजसहायता नहीं दी जाएगी ।

(ख) योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में 500 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

Unauthorised Possession of land in Sarai Rohilla, Delhi

2701. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether a person has taken unauthorised possession of the Municipal Corporation land in the Sarai Rohilla area, Delhi, where a Community Hall and a Shopping Centre was to be constucted ;

(b) whether after taking similar type of unauthorised possession of the land near Gulabi Bagh, its sale has started ; and

(c) if so, the person guilty thereof ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Vacant land belonging to the Slum Department in Padamnagar (Sarai Rohilla) earmarked for Community Hall and Shopping centre in the approved Redevelopment Plan was encroached upon in 1963-64. Now there are approximately 200 squatters.

(b) On the West of Ram Rup Vidya Mandir is a Gurdwara and one small garden. This garden is in the possession of the Horticulture Department of the Delhi Development Authority.

(c) In view of reply to part (b) above, question does not arise.

Vanaspati seized from Lal Kuan, Delhi

2702. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agricuiture** be pleased to state :

(a) whether vanaspati ghee in sufficient quantity, proposed to be sent out of Delhi was seized from Lal Kuan area of Delhi in the first week of June, 1974 ; and

(b) if so, the number of persons involved and the action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) & (b) A truck conveying 600 tins (2 Kgs. each) of vanaspati was detected moving in Lal Kuan area, Delhi on 6th June, 1974 without valid documents for transporting the product. A case has been registered at Hauz Quazi Police Station under the Essential Commodities Act.

Additional Per Capita Annual Burden on Indian People Due to Fixation of Wheat Price

2703. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have fized the maximum price of wheat at Rs. 150 ; and

(b) if so, additional per capita annual burden thereof on the Indian people ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) The Government of India promulgated the Wheat (Price Control) Order, 1974 on 5th June, 1974 fixing Rs. 150 per quintal as the maximum price of wheat for Inter-State transactions chargeable by dealers in the States of Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh and the Union Territory of Chandigarh.

The maximum price of Rs. 150 per quintal for inter-State transactions is justified keeping in view the cost of the levy-free wheat on the basis of prevailing market prices in the main producing States, the normal incidentals and a reasonable margin of profit. The rise in the prices of wheat has been contained as a result of this price fixation and, therefore the question of any additional burden on the consumers does not arise.

दिल्ली बृहत योजना के अन्तर्गत शंकर रोड

2704. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली बृहत योजना के अन्तर्गत शंकर रोड को 200 फुट चौड़ी किया जाना है ;

(ख) क्या ओल्ड राजेन्द्र नगर में पटेल चौक से शंकर रोड चौक के बीच स्थित अनेक क्वार्टर इसके बीच में आ रहे हैं और यदि हां, तो इस प्रकार गिराये जाने वाले क्वार्टरों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन क्वार्टरों के मालिकों को वैकल्पिक स्थान क्वार्टर देने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में निर्णय कब तक किया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । 226 ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में भूमि के मूल्य

2705. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में भूमि के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं ;

(ख) क्या भूमि के मूल्यों में वृद्धि होने का एक कारण यह है कि प्लाटों के निर्धारित मूल्यों से बहुत अधिक मूल्यों पर इनकी नीलामी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भूमि के मूल्यों को कम करने की दृष्टि में तथा नीलामी में शामिल न हो सकने वाले समाज के गरीब वर्गों के हित के लिये भूमि के प्लाटों का आवंटन उचित मूल्यों पर लाटरी द्वारा करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) :(क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में रिहायशी भूमि का आवंटन, बड़े पैमाने पर भू-अर्जन, विकास तथा निपटान योजना के अधीन सहकारी गृह निर्माण समितियों तथा निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है । अत: दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में भूमि के मूल्यों में वृद्धि, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों की नीलामी इस का कारण नहीं हो सकती है ।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है, बड़े पैमाने पर भू-अर्जन, विकास तथा निपटान योजना में निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को रिहायशी प्लाटों का आवंटन करने की पहले ही व्यवस्था है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घरेलू और लघु उद्योगों का नियमित किया जाना

2706. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्तमान स्थिति में गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में अनेक घरेलू और लघु उद्योगों को नियमित करने के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कमाया गया लाभ

2708. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कमाये गये लाभ के सम्बन्ध में 26 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 810 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972–73 तथा 1973-74 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों तथा मकानों की किग्री से यदि कोई लाभ कराया गवा है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): दिल्ली विकास प्राधिकरण को, बने-बनाए मकानों, दुकानों, वाणिज्यक प्लाटों की बिक्री, भवनों की नक्शो की फीस, भूमि किराया तथा परिसरों से दुरुपयोग के लिए दण्ड आदि से वर्ष 1972–73 के दौरान 1.23 करोड़ रुपये की आधिक्य प्राप्तियां मिली ; दिल्ली विकास प्राधिकरण प्लाटों की बिक्री के लिये सरकार एक एजेन्सी के रूप में कार्य करता है तथा इन प्लाटों की बिक्री से प्राप्त धनराशि सरकार के नामे डाली जाती है ।

जहां तक वष 1973–74 का संबंध है, लेखे अभी बन्द किए जाने हैं तथा आधिक्य का निर्धारण किया जाना है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के निर्माण का लक्ष्य

2708. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मकानों के निर्माण के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये थे ;

(ख) ये लक्ष्य कहां तक पूरे हो गये थे;

(ग) क्या लक्ष्य पूरे न होने का मुख्य कारण वित्तीय बाधाएं हैं ; और

(घ) वर्ष 1974–75 के लिये कितनी धनराशि नियत करने का विचार है और इस अवधि में कितने मकान बनाने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता):(क) पिछले एक दशक के दौरान ऐसे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये थे । मकानों के निर्माण का कार्य वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर शुरू किया गया था ।

(ख) वर्ष प्रति वर्ष कार्यक्रम के आधार पर 31 मार्च, 1974 तक लगभग 33,000 मकान बनाने का प्रस्ताव था । इसके विपरीत, 31 मार्च, 1974 को 24,392 फ्लैट बनाये गये थे तथा 6,254 फ्लैट निर्माण के विभिन्न चरणों में थे ।

(ग) वित्तीय प्रतिबन्धों के अलावा, सीमेंट तथा अन्य इमारती सामान की अत्यधिक कमी की बाधाएं रही हैं ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1974–75 में मकानों के निर्माण जिसमें आवासीय पाकेटों में सुविधाजनक पणन व्यवस्था शामिल है, के लिए 23.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । निर्माणाधीन

मकानों के अलावा, इस वर्ष के दौरान 18,000 मकानों का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव है जिनकी दो वर्षों में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

दिल्ली और आसपास के राज्यों में लेवी गेहूं न दिया जाना

2709. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और आस-पास के राज्यों के गेहूं के थोक व्यापारी किसानों से खरीदे जाने वाले गेहूं में से लेवी गेहूं नहीं दे रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों को देखा है जिनमें कहा गया है कि बहुत से व्यापारी भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके ऐसी कुरीतियां करते हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा गेहू की वसूली पर इसका कुप्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या व्यापारी गेहूं को चोरी-छिपे दिल्ली तथा कमी वालों राज्यों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां अधिक मूल्य मिलता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली में व्यापारियों पर लेवी लागू नहीं है । जहां तक पड़ोसी राज्यों का सम्बन्ध है, व्यापारियों द्वारा मण्डियों में किसानों से खरीदे गए गेहूं पर वे 50 प्रतिशत लेवी दे रहे हैं ।

(ख) व्यापारियों की भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करने संबंधी किसी कदाचार का मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) सम्बन्धित राज्य सरकारें गेहूं का तस्कर व्यापार रोकने के लिए अपने क्षेत्राधिकार सभी सम्भव पग उठा रही हैं ।

कृषि श्रमिकों और भूमिहीन किसानों के लिये सहकारी समिति

2710. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कृषि श्रमिकों और भूमिहीन किसानों की अलग सहकारी समितियां बनाये जाने के लिये कानूनी व्यवस्था हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार तथ्य क्या हैं ; और

(ग) कृषि श्रमिकों की ऐसी सहकारी समितियों की, राज्यवार, कुल संख्या कितनी है और क्या ऐसी समितियां प्रत्येक पंचायत में बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के या सहकारी सोसायटियां गठित की जा सकती हैं । इसलिये, एकमात्र कृषि श्रमिकों और भूमिहीन किसानों के किए सहकारी सोसायटियों का गठन करने के लिये कोई विशेष कानूनी व्यवस्था नहीं है ।

(ग) एकमात्र कृषि श्रमिकों के लिए अलग सोसायटियां गठित नहीं की जा रही हैं। हर पंचायत में ऐसी सोसायटियां गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कृषि श्रमिक, विशेषकर राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध की गई भूमि के परिणाम स्वरूप गठित की गई श्रमिक सहकारी सोसायटियों तथा सामूहिक खेती सोसायटियों में महत्वपूर्ण लाभभोगी हैं। 30 जून, 1973 को, देश में 6177 श्रमिक सहकारी सोसायटियां और 4609 सामूहिक खेती सोसायटियां थीं। इसके अलावा, छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाने है विचार से परीक्षण के आधारपर चुने क्षेत्रों में कृषक सेवा सोसायटीयों नामक नई किस्म की सहकारी सोसायटियां गठित की जा रही हैं। इनमें से प्रत्येक सोसायटी के अन्तर्गत यथासम्भव एक सामुदायिक विकास खण्ड अथवा उसका एक भाग, जिसकी जनसंख्या 10,000 से कम नहीं होगी, रहेगा और इनके क्षेत्र के सभी कृषक, कृषि श्रमिक तथा ग्रामीण कारीगर इनके सदस्य बन सकेंगे। इन सोसायटियों के प्रबन्धमण्डल पर प्रधानत: कमजोर वर्गों का नियंत्रण होगा, जिसके लिये प्रबन्धमण्डल की दो-तिहाई सदस्यता इनके लिये आरक्षित होगी। मार्च, 1974 तक 47 कृषक सेवा सोसायटियां गठित की गई हैं।

विभिन्न संघ राज्य-क्षेत्रों में शराब की खपत

2711. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में शराब की खपत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में इसी अवधि में वर्षवार विभिन्न किस्मों की शराब की खपत के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) सभी संघ राज्य-क्षेत्र में शराब की खपत कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है और उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जी हां, एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से निम्नलिखित उपाय करने का निवेदन किया गया है :—

(1) धार्मिक स्थानों, शिक्षा संस्थाओं, राजमार्गों, मिलों और कारखानों इत्यादि के पास शराब की दुकानें न खुलने दें।

(2) शराब की बिक्री को बढ़ाने से सम्बधित वाणिज्य विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाएं।

(3) 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा एल्कोहल पान किए जाने पर विशेष पाबंदियां लगाएं।

(4) शुष्क दिनों की प्रणाली जारी करें और कारोबार के समय पर रोक लगाएं।

(5) सार्वजनिक मदिरापान पर साधारण पाबन्दियां लगाएं।

(6) राज्य स्तर मद्य निषेध सलाहकार समितियां स्थापित करें यथा मदयत्याग के काम को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक प्रचार हेतु अबकारी राजस्व का कुछ भाग अलग रखें।

इनके अतिरिक्त मोटर गाड़ियों के ड्राइवरों, पायलटों तथा रेलवे के परिचालन स्टाफ द्वारा शराबनोशी किए जाने पर और सख्त प्रतिबन्ध लगाने पर सम्बंधित मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा रहा है।

विवरण

(लिटरों में)

संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संघ राज्य क्षेत्रों में शराब की खपत		
	1971–72	1972–73	1973–74
1. चंडीगढ़ प्रशासन . . .	7,99,038	9,03,250	9,25,643
2. दादरा और नगर हवेली प्रशासन] . .	70,050	84,350	93,570
3. दिल्ली प्रशासन	42,96,397	69,18,628	95,10,572
4. गोआ, दमन और दीव . . .	67,92,689	79,13,351	76,73,736
5. पांडीचेरी	14,85,437	32,33,778	50,48,721
6. अंडमान और निकोबार प्रशासन . .	..	..	39,400*
7. अरुनाचल प्रदेश प्रशासन . . .	..	..	22,45,119*
8. मिजोरम .	..		2,01,669*
9. लक्ष्यदीप प्रशासन . . .	..	..	..†

मोरमुगाओ पत्तन विकास परियोजना के पूरा होने में विलम्ब

2712. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 जून, 1974 के एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि मोरमुगाओ पत्तन विकास परियोजना अब वर्ष 1976 के अन्त तक पूरी होगी अर्थात् निर्धारित समय से दो वर्ष बाद ;

(ख) क्या इस कारण, परियोजना की लागत वर्तमान परिव्यय 44 करोड़ की तुलना में लगभग 70 करोड़ रुपये तक बढ़ जायगी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की लागत में समय समय पर संशोधन किया गया है और अब अनुमानित लागत लगभग 64 करोड़ रुपए है।

(ग) मुख्य कारण ये हैं—ठेकेदार द्वारा निकर्षण कार्य की धीमी प्रगति, आयातित पुर्जों की प्राप्ति में विलम्ब और केलशियम कारबाइड तथा इम्पात की कमी के कारण निकर्षकों तथा कर्षनावों के निर्माण में

*यह आंकड़े 1969–70 से 1973–74 तक 5 वर्षों के हैं।

वर्षबार बटवारा उपलब्ध नहीं है।

†वास्तविक रूप से मद्यनिषेध है पर कानूनी रूप से नहीं।

उपयुक्त विदेशी सहयोगी प्राप्त करने में कठिनाई के कारण खनिज एवं तेल घाट के लिए करार को अंतिम रूप देने में लगा समय और इस्पात, सीमेन्ट की कमी तथा तेल संकट के कारण सिविल और अन्य यांत्रिक कार्यों की धीमी प्रगति ।

विभिन्न विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

2713. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्षों में अलग-अलग देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुल कितनी राशि का अनुदान किया गया है; और

(ख) इन विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने के लिये क्या मानदण्ड अपनाया गया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रा० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

कृषि के लिए जर्मनी के साथ करार

2714. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाये जाने के लिये भारत ने 6 मई, 1974 को जर्मनी के साथ कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या अन्य देशों के साथ भी इस प्रकार के करार किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) भारत सरकार तथा पूर्वी जर्मनी सरकार के बीच बर्लिन में दिनांक 7 मई, 1974 को वर्ष 1974 तथा 1975 के वर्षों के लिये पशु-चिकित्सा विज्ञान, कृषि सहकारी संस्थाओं, पशु-पालन, खाद्य उद्योगों, तथा पशु-चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्रों में वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग सम्बन्धी एक पूरक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) इस करार में पशु-चिकित्सा विज्ञान, कृषि सम्बन्धी सहकारी संस्थाओं सहित पशु-पालन, पशु-चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को पूर्वी जर्मनी में उच्च प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है । इस करार में पूर्वी जर्मनों के पशु-चिकित्सा कर्मचारियों को भारत में कोशिका कल्चर ब्रुसेली के वर्गीकरण, लंग वार्म टीका के उत्पादन तथा उपयोग, आफ्रीकन हार्स सिकनेस के टीकों का उत्पादन तथा उपयोग के सम्बन्ध में उच्च प्रशिक्षण दे ने की भी व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त, इस करार में सरकारी रिपोर्टों, तकनीकी पत्रिकाओं, पशु-चिकित्सा विज्ञान, पशु-पालन, कृषि सम्बन्धी सहकारी संस्थाओं, फल तथा साग-सब्जियों के आधारपर शिशु-आहार के उत्पादन के क्षेत्रों में जानकारी और बैक्टीरियम एवं वाइरस की किस्मों तथा आवश्यकता होने एवं उपलब्धि के अनुसार एन्टीजन के आदान-प्रदान की भी व्यवस्था है ।

(ग) जी, हां । रूस के साथ भी दिनांक 8-5-74 को एक ऐसे करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ।

स्कूलों में खेल सुविधाओं और खेल प्रशिक्षण का विस्तार करने सम्बन्धी कार्यक्रम

2715. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों और आयोजनों के लिये व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने और खेल स्तर में सुधार करने के लिये विशेष रूप से स्कूलों में खेल सुविधाओं में विस्तार करने सम्बन्धी कोई कार्यक्रम सरकार ने तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) यद्यपि स्कूलों में खेल सुविधाओं का कार्यक्रम राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है, भारत सरकार ने, देश में खेल सुविधाओं का विस्तार करने के लिये निम्नलिखित उत्साहवर्धक कदम उठाए हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ बच्चे भी सम्मिलित होंगे, ताकि खेलकूद के स्तरों में सुधार किया जा सके :—

(1) देश में खेलकूद को व्यापक आधार प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले युवकों के लिए वर्ष 1970-71 से ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का प्रत्येक वर्ष आयोजन करती है। 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी तथा गैर-विद्यार्थी दोनों प्रकार के युवक इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। इन प्रतियोगिताओं के दौरान खेल प्रशिक्षकों द्वारा खोजे गए होनहार खिलाडियों को कुछ चुने हुए खेलों में विशेष वृत्तिकाएं प्रदान की जाती हैं।

(2) वर्तमान वर्ष के दौरान एक अखिल भारतीय ग्रामीण हाकी प्रतियोगिता का अलग से आयोजन किया जाएगा जिसमें 16 वर्ष से कम आयु के ग्रामों में रहने वाले छात्र भाग ले सकेंगे।

(3) भारतीय स्कूली खेल संघ के सहयोग से, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के माध्यम से जनवरी, 1975 के दौरान भारत में पहली एशियाई स्कूल हाकी आमंत्रण प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(4) विद्यार्थी तथा गैर-विद्यार्थी दोनो प्रकार के युवकों के लिए विभिन्न खेलों में वार्षिक प्रशिक्षण शिबिरों के आयोजन के लिए राज्य खेल परिषदों को अनुदान दिए जाते हैं।

(5) स्कूली बच्चों के लिये खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना 1970-71 में प्रारंभ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ रहने वाले प्रतिभाशाली स्कूली छात्रों को प्रत्येक वर्ष 600 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(6) भारतीय स्कूल खेल संघ को, जो स्कूली बच्चों में खेलकूद के प्रसार के लिये उत्तरदायी है, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने, प्रशिक्षण शिबिर लगाने और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु विदेशों में भारतीय स्कूली बच्चों के दौरों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(7) राष्ट्रीय खेल संघों को, वार्षिक चैम्पियनशिप आयोजित करने, सीनियरों तथा जुनियरों के लिये प्रशिक्षण शिबिर लगाने, और विदेशों में चुनी हुई प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

(8) राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत, प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं राज्य खेल परिषदों को, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायता करने के लिये प्रदान की जाती है। खेल प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की नेहरू युवक केन्द्रों में भी नियुक्ति की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सम्बन्धी कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया जा सके तथा उच्च प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खिलाडियों का पता लगाया जा सके।

(9) अखिल भारतीय खेल परिषद की सलाहनुसार, तथा टीमों के चयन तथा उचित प्रशिक्षण के लिये मार्गदर्शी रूप रेखाएं निर्धारित की गई है तथा उन्हें कार्यान्वयन मार्गदर्शन हेतु संघों को भेज दिया गया है ।

(10) सरकार खेलों का प्रसार करने और राष्ट्रीय आधार पर उपलब्धियों के स्तर में सुधार करने के लिये भी विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के वास्ते टीमों का चयन करने हेतु और भी व्यापक क्षेत्र उपलब्ध हो सके । पांचवीं योजना के अन्तर्गत अन्तिम आबंटन का पता लगाने के बाद ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

कृषि कार्यक्रम के लिये योजना

2716. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ठोस कृषि कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) चालू वर्ष में इस समस्या को कहां तक हल करने की सरकार को आशा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) देश के कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का उल्लेख पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में किया गया है ।

पांचवीं योजना की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 4.67% उत्पादन बढ़ाने का विचार है । पांचवीं योजना में खाद्यान्नों की वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर का अनुमान 4.2% और चुनी गई वाणिज्यिक फसलों की वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान 5.2% लगाया गया है । फसलों के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि करने लिये बहुउद्देश्यीय प्रयास करने का विचार है । इस प्रयास की मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं :—

(1) सिंचाई का विस्तार करने तथा फसल की गहनता पर अधिक बल देते हुए कुल फसल के क्षेत्र में वृद्धि करना ;

(2) अधिक उपज देने वाली किस्मों की बुवाई के क्षेत्र को बढ़ाना और प्रमाणित बीजों के वर्धन तथा वितरण के कार्यक्रम का विस्तार करना ;

(3) रासायनिक उर्वरकों की खपत बढ़ाना तथा उर्वरकों के उपयोग की क्षमता में सुधार करना ;

(4) वनस्पति-रक्षण उपायों को तीव्र करना ;

(5) सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना, 50 मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्रों में सिंचाई कमांडों का समेकित विकास करना और जल व्यवस्था पर बल देना ;

(6) संस्थागत ऋण में विस्तार करना ;

(7) कृषि विस्तार तथा प्रशासन को मजबूत करना ;

(8) समस्या मुलक अनुसंधान को तीव्र करना;

(9) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में समेकित कार्यक्रम ;

(10) फसल की कटाई के बाद की सुविधाओं का विकास, जिसमें फसलों के विपणन के मामले में सहकारी एजेन्सियों के कार्य में विस्तार करना भी शामिल है । विपणन सम्बन्धी अवस्थापना की सहायता के लिये भंडारण क्षमता में विस्तार करना ;

(11) कृषि सम्बन्धी मूल्य नीति का कारगर संचलन, जिससे अधिक उत्पादन के मामले में निरन्तर रूप से अपेक्षित प्रोत्साहन मिलता है ।

(12) भूमि सुधार उपायों का क्रियान्वयन करना।

वर्ष 1974-75 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त नीति को अपनाया जा रहा है। वर्ष 1974-75 का वास्तविक उत्पादन क्रियान्वित किये जा रहे विकास कार्यक्रमों, नीतियों, मौसम तथा वर्षा की परिस्थिति आदि अन्य बातों पर निर्भर करेगा।

पहाड़ी और पिछड़ राज्यों में दुग्ध संयन्त्र

2717. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और पिछड़े राज्यों में दुग्ध संयंत्रों की स्थापना के कार्य में केन्द्रीय सरकार ने कोई प्रगति की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) इन राज्यों में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दुग्ध संयंत्र स्थापित करने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना नहीं है। दुग्ध संयंत्रों की स्थापना राज्यों की योजना के अन्तर्गत स्कीमों में आती है। हिमाचल प्रदेश और अन्य पर्वतीय तथा पिछड़े राज्यों के लिए पांचवीं योजना के दौरान इस प्रकार दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

राज्य	दुग्ध संयंत्र
1. हिमाचल प्रदेश	4
2. असम	4
3. जम्मू और कश्मीर	2
4. मेघालय	1
5. मणिपुर	1
6. उड़ीसा	3
7. त्रिपुरा	3

(ख) दुग्ध संयंत्रों में परिसंस्करण और उपभोक्ताओं में वितरण के लिये इन परियोजनाओं के दुग्धप्राप्ति क्षेत्रों में देहातों में उत्पादित दूध वर्ष भर किसानों को लाभकर मूल्य देकर एकत्र किया जायेगा।

लेवी मुक्त गेहूं के अधिकतम थोक मूल्य पर रोक लगाना

2718. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लेवी मुक्त गेहूं के अधिकतम थोक मूल्य पर रोक लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) नई गेहूं नीति की घोषणा के बाद से लेवी मुक्त गेहूं की बिक्री में इसका मूल्य कितना बढ़ा है; और

(ग) क्या मूल्य वृद्धि को रोकने और उपचारात्मक कार्यवाही को लागू करने के लिये कोई तंत्र स्थित है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) भारत सरकार ने 5 जून, 1974 को गेहूं मूल्य नियंत्रण आदेश, 1974 जारी किया था, जिसके अन्तर्गत अधिशेष राज्यों में अन्तर्राज्यीय

सौदों के लिए लेवी मुक्त गेहूं का अधिकतम मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। इस मूल्य साथ में रेल तक निष्प्रभार मूल्य से राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में अधिकतम थोक तथा खुदरा मूल्य निर्धारित करने के लिए आदेश जारी करें और तदनुसार बहुत से राज्यों ने अधिकतम थोक तथा खुदरा मूल्य निर्धारित कर दिए हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों में गेहूं के अधिकतम मूल्यों के निर्धारण से गेहूं के खुले बाजार मूल्यों की उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली है। इस तरह निर्धारित अधिकतम मूल्यों में अब तक कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न खाद्य आदेशों के प्रवर्तन के लिए स्थापित सामान्य प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से खाद्यान्नों के मूल्यों पर नियंत्रण और निगरानी रखी जाती है।

Sanction of Delhi Water Supply Scheme

2719. Shri Madhavrao Scindia :
Shri G. P. Yadav :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the levels and the authority which examined and accorded sanction, indicating the time thereof, to the Delhi Water Supply Scheme of supplying about 200 cusecs water from Upper Ganga Canal of Uttar Pradesh to be carried to Delhi from Murad Nagar;

(b) the year-wise expenditure incurred by the Central Government and the State Government on this scheme during last three years separately and the quantum of work completed as a result thereof;

(c) the number of officers and employees working at present for the implementation of this scheme; and

(d) the steps being taken to expedite the completion of the work?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) A scheme for supply of 200 cusecs of water from Upper Ganga Canal in Uttar Pradesh to Delhi is under consideration of the Ministry of Irrigation and Power and Ministry of Works and Housing in consultation with the Municipal Corporation of Delhi and Delhi Administration. The Local Self Government Engineering Department of Uttar Pradesh have been entrusted with the survey, investigation, technical studies, design and construction work. They have prepared the project report. The project report, proposed alignment of conduit and other means for conveying water to Delhi are under examination.

(b) The Central Government has so far released Rs. 170 lakhs (Rs. 20 lakhs during the year 1972-73 and Rs. 150 lakhs during the year 1973-74) to the Municipal Corporation of Delhi as an advance to the Government of Uttar Pradesh through Delhi Administration.

The expenditure incurred by the Government of Uttar Pradesh is given below :

1972—73	Rs. 4·05 lakhs
1973—74	Rs. 43·25 lakhs
1974—75 . . . . . (Upto June, 74)	Rs. 14·50 lakhs
	Rs. 61·80 lakhs

The work done is indicated in the Statement.

(c) As per the report of Chief Engineer, Uttar Pradesh Local-self Government Engineering Department, the position of staff engaged is as follows :

Officers	25
Employees	185 (excluding inescapable incumbents on workcharged establishment like watch and ward staff etc.)

(d) A group of experts under the chairmanship of the Chairman, Central Water and Power Commission having the representatives of Delhi Administration, Government of Uttar Pradesh, Government of Haryana, Central Public Health Engineering and Environmental Organisation and Delhi Electric Supply Undertaking has been set up to go into the technoeconomic feasibility of the alternative proposals for supply of water from Upper Ganga Canal. This group is expected to finalise its conclusions shortly.

STATEMENT

The Local Self Government Engineering Department of Uttar Pradesh Government set up and independent Circle and six divisions at Ghaziabad for implementation of this project in December '72. After extensive survey, investigations, design work and technical studies done by the L.S.G.E.D. the detailed project report and estimate was drawn up. The preliminaries for the execution of work, have been completed. Land acquisition proceedings have been finalised. Sufficient materials have been arranged or are or order. Various machinery/equipments are on order. Tender documents for execution of the main work are ready for release. Foundation investiagations have been done and construction drawings have been finalised. Construction of stock yard, non-residential and residential accommodation has been partly completed.

राज्यों के चीनी के कोटे में कटौती

2720. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को चीनी के कोटे में कमी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक राज्य के कोटे में कितनी कमी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) अनुमानित उत्पादन में गिरावट आने और अत्यंत आवश्यक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए 5 लाख मीटरी टन चीनी के निर्यात करने संबंधी निर्णय के कारण लेवी चीनी के कुल आबंटन में कमी करनी पड़ी है जोकि जनवरी से मई, 1974 के दौरान 2 लाख मीटरी टन प्रति मास के पिछले स्तर से कम करके जून, 1974 के लिए 1.90 लाख मीटरी टन और जुलाई, 1974 से आगे के लिए प्रति मास 1.80 लाख मीटरी टन कर दिया गया है। जनवरी से अगस्त, 1974 तक राज्यों को लेवी चीनी के कोटे के मासिक आबंटन को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8219/74]**

सी०पी०डब्ल्यू०डी० इण्डस्ट्रियल वर्कर्स कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की सदस्यता

2721. श्री भोला माझी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० पी० डब्ल्यू० डी० इण्डस्ट्रियल वर्कर्स कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के केवल औद्योगिक श्रमिक ही सदस्य बन सकते हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का लिपिक वर्ग औद्योगिक श्रमिकों की कोटि में नहीं आता; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने लिपिक इस सोसाइटी के सदस्य है और उनको सोसाइटी के सदस्य बनाय रखने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) सोसाइटी की उपविधि संख्या 5(1) (क) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति तब तक उसका सदस्य नहीं हो सकता जब तक कि वह दिल्ली अथवा नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के औद्योगिक कर्मचारीवर्ग का स्थायी अथवा अर्द्ध-स्थायी सदस्य नहीं है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के अन्तर्गत बिजली घर

2722. श्री भोला मांझी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के अन्तर्गत प्रत्येक डिवीजन के अनुसार बिजलीघरों की संख्या कितनी है ; और

(ख) प्रत्येक बिजली घर में श्रेणीवार नियुक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी कितनी है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 44-18 हाइड्रो इलैक्ट्रिकल डिवीज़न के अधीन तथा 26 इलक्ट्रिकल डिवीजन के अधीन।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल सर्किलों के कार्य प्रभारित कर्मचारी

2723. श्री भोला मांझी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किलों के कार्य प्रभारित कर्मचारी चिकित्सा सुविधायें पाने के हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्य सर्किलों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मिलनेवाली सुविधाओं से ये सुविधायें किन दृष्टियों से भिन्न हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जिन कार्यप्रभारित कर्मचारियों की सेवावधि एक वर्ष से कम नहीं है वे, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा के लिए पात्र हैं। तथापि दिल्ली के कार्य प्रभारित कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं के पात्र हैं। अरुणाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उनके कार्यप्रभारित कर्मचारी भी, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अन्तर्गत सुविधा के पात्र हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किल के कार्यप्रभारित कर्मचारी

2724. श्री भोला मांझी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश सर्किल के कार्यप्रभारित कर्मचारियों पर भी काम के घंटे, छुट्टी आदि के बारे में वही नियम लागू होते है, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अन्य सर्किलों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों पर लागू होते हैं ; और

(ख) यदि नही, तो दोनों नियमों में क्या अन्तर हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) अरुणाचल प्रदेश का कार्य प्रभारित स्टाफ, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रभारित स्थापना का हिस्सा नहीं है। तथापि, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यप्रभारित स्टाफ पर लागू तथा अरुणाचल प्रदेश प्रशासन के कार्यप्रभारित स्टाफ पर लागू छूट्टी की शर्तों में कोई अन्तर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यप्रभारित स्टाफ पर लागू कार्य के घंटों तथा छुट्टियों का एक तुलनात्मक विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

विवरण

सेवा की शर्तें	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्य प्रभारित स्टाफ		अरुणाचल प्रदेश का कार्यप्रभारित स्टाफ	
1. कार्य के घंटे	(i) चौकीदारों के अलावा, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित स्टाफ के कार्य के घण्टे निम्नलिखित हैं :— 9 बजे प्रातः से 5 बजे सायं तक एक घंटे को भोजन के लिये छुट्टि सहित।		(i) चौकीदारों के अलावा सभी कार्य प्रभारित स्टाफ के लिये कार्य का वास्तविक समय 7 1/2 घंटे निश्चित किया गया है और इस में एक घंटा भोजन की छुट्टी शामिल है, जो स्थानीय परिस्थिति पर आधारित है (सूर्य के उदय तथा अस्त होने के समय अनुसार) कार्यपालक इंजीनियरों को यथोचित कार्य-समय निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई है।	
	(ii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चौकीदारों के कार्य का समय निम्नलिखित है:—		(ii) चौकीदारों के कार्य का समय इस प्रकार है :—	
	(क) कार्यालय के चौकीदार :	कार्यालय बन्द होने से लेकर दूसरे दिन कार्यालय के पुनः खुलने तक	(क) जो केन्द्रीकृत भंडारों की रखवाली करते हैं	8 घंटे प्रतिदिन
			(ख) जो उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत नहीं आते, जहां असक्रिय अवधि ड्यूटी के अन्तर्गत आ जाती है।	12 घंटे प्रतिदिन
	(ख) (i) जो केन्द्रीकृत भंडारों की रखवाली करते हैं।	8 घण्टे प्रतिदिन	(ग) जो सर्किट हाऊस, निरीक्षण बंगलों पर नियुक्त है और जो कम मूल्य के भण्डारों की देखभाल करते हैं, जहां चौकीदारों का मनोरंजन न्याय-संगत नहीं है।	ड्यूटी के घण्टे निश्चित नहीं है।
	(ii) जो उपर्युक्त (i) के अन्तर्गत नहीं आते, जहां असक्रिय अवधि ड्यूटी के अन्तर्गत आ जाती है।	12 घंटे प्रतिदिन		
	(iii) जो निरीक्षण भवन/डाक बंगले तथा खाली भवनों की देखभाल करते			

सेवा की शर्तें	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्य प्रभारित स्टाफ	अरुणाचल प्रदेश का कार्यप्रभारित स्टाफ
	हैं तथा जो कम मूल्य के भण्डारों की देख-रेख पर लगाये गये हैं, जहां दूसरा चौकीदार रखना न्याय-संगत नहीं है।	
2. छुट्टियां	(i) चौकीदारों के अलावा सभी कार्य प्रभारित स्टाफ के लिये प्रति वर्ष 16 छुट्टियां जिस में 3 राष्ट्रीय छुट्टियां भी शामिल हैं।	(i) निगरानी की ड्यूटी पर तैनात चौकीदार, मेहतर, जलपूर्ति/बिजली की सेवाओं जैसी अनिवार्य सेवाओं के अतिरिक्त अनुरक्षण कार्यों पर लगे कार्यप्रभारित स्टाफ को एक पंचांग वर्ष में 15 छुट्टियां दी जाती हैं जिस में 3 राष्ट्रीय छुट्टियां शामिल हैं।
	(ii) चौकीदार 9 छुट्टियों के पात्र हैं जिसमें 3 राष्ट्रीय छुट्टियां भी शामिल हैं।	(ii) चौकीदार, मेहतर, जलपूर्ति/बिजली सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में जुटे कार्य प्रभारित स्टाफ को यथा संभव 9 छुट्टियां दी जाती हैं जिन में 3 राष्ट्रीय छुट्टियां शामिल हैं।
	(iii) कार्यप्रभारित स्टाफ, द्वितीय शनिवार तथा प्रतिबंधित छुट्टियों का पात्र नहीं है।	(iii) निर्माण कार्य पर लगे कार्यप्रभारित स्टाफ को एक पंचांग वर्ष में 7 छुट्टियां दी जाती हैं जिनमें 3 राष्ट्रीय छुट्टियां शामिल हैं।
		(iv) कोई कार्य प्रभारित स्टाफ द्वितीय शनिवार तथा प्रतिबंधित छुट्टियों का पात्र नहीं हैं।

सिविल सप्लाई निगम के लिये केरल सरकार को सहायता

2725. श्री सी० जनार्दनन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये प्रस्तावित सिविल सप्लाई निगम हेतु केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केरल राज्य सिविल सप्लाई निगम लिमिटेड के कार्यकारी पूंजी के लिए 5 करोड़ रुपये के ऋण देने का अनुरोध किया है।

(ख) फिलहाल, समवाय अधिनियम के अधीन अपने निगम स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता सुलभ करने की कोई भी योजना नहीं है।

अगले पांच वर्षों के दौरान कृषि के विकास के लिये धनराशि

2726. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि पुनर्वित निगम की एक रिपोर्ट अभी हाल में प्रकाशित की है, जिसमें अगले पांच वर्षों के दौरान कृषि के विकास के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये वितरित करने का प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ; और

(ग) उस धनराशि में से राज्यवार नियतन की राशि कितनी-कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में कृषि पुनर्वित निगम के कर्तव्यों तथा कार्यों का विवरण देते हुए प्रकाशित की गई पुस्तिका में यह कहा गया है कि जुलाई, 1973 से जुलाई, 1978 तक की पांच वर्षों की अवधि में कृषि के विकास के लिए 900 करोड़ रुपये का कुल पुनर्वित वितरित करने की परिकल्पना करने वाला एक कार्यक्रम चलाने का इरादा है। कृषि पुनर्वित निगम से भूमि विकास बैंकों तथा व्यावसायिक बैंकों जैसे पात्र प्राथमिक ऋणदायी संस्थाओं को तकनीकी रूप से व्यवहार्य तथा आर्थिक दृष्टि से चल सकने वाली कृषि विकास की योजनाओं में लगाये गये धन के लिए पुनर्वित सहायता मिलती है। कृषि पुनर्वित निगम द्वारा अधिकांश राज्यों में वितरित किये जाने वाले पुनर्वित का वर्तमान स्तर पर्याप्त है। वित्तदायी संस्थायें तथा राज्य सरकारें आगामी 5 वर्षों के लिए उपयुक्त योजनायें तैयार करने में लगी हुई हैं और विभिन्न राज्यों को मिलने वाले कृषि पुनर्वित निगम के पुनर्वित से समर्थित विनियोग ऋण की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि किस सीमा तक उपयुक्त तथा चल सकने वाली योजनायें तैयार की जाती हैं। तथापि, कृषि पुनर्वित निगम पिछड़े राज्यों को अधिक सहायता प्रदान कराने के लिए प्रयत्न करता रहेगा ।

पांचवीं योजना में लद्दाख में 'अधिक वृक्ष लगाओ' अभियान

2727. श्री कुशोक बाकुला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख जिले में 'अधिक वृक्ष लगाओ' अभियान पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने का विचार है; और

(ख) क्या लद्दाख में कम ऊंचाई पर नाशपाती, खुबानी, अखरोट, शहतूत और सेव के वृक्ष लगाये जाने पर विशेष बल दिया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

शुद्ध घी के मूल्य में वृद्धि

2728. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों में शुद्ध घी के मूल्य में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) गत एक वर्ष के दौरान शुद्ध घी के मूल्य में सामान्य वृद्धि होती रही है। परन्तु, गत कुछ महीनों में मूल्य में कोई असाधारण वृद्धि देखने में नहीं आई है। घी के मूल्य प्रायः स्थिर हैं।

(ख) तथा (ग) इसका मुख्य कारण यह है कि दूध के उत्पादन की लागत में वृद्धि हो गई है। उत्पादन की लागत में यह वृद्धि आहार तथा चारा के मूल्य बढ़ने तथा सूखे की परिस्थितियों के कारण दूध के उत्पादन में कमी होने के फलस्वरूप हुई है। खाद्य तेलों तथा वनस्पति की कमी के कारण घी की मांग अधिक होने से भी मूल्यों में वृद्धि हुई है।

दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये पशु-पालन के क्षेत्र में विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। तरल दूध की बढ़ती हुई मांग को ही नहीं, बल्कि घी आदि दुग्ध उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं। इन कदमों में सघन पशु विकास परियोजनाएं, आदर्श ग्राम योजनाएं, व्यापक संकर-प्रजनन कार्यक्रम और आहार तथा चारा विकास कार्यक्रम शामिल हैं। परम्परागत तिलहनों सोयाबीन और सूरजमुखी के बीजों, आदि गैर-परम्परागत तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने, यथा सम्भव सीमा तक आयात के माध्यम से खाद्य तेलों की सप्लाई बढ़ाने और वनस्पति के निर्माण में बिनौले के तेल तथा चावल की भूसी के तेल का अधिक प्रयोग करने के लिये वित्तीय सहायता के रूप में प्रोत्साहन देने के लिये भी साथ-साथ प्रयास किये जा रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य

2729. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में आन्ध्र प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या है ; और

(ख) उसकी प्राप्ति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) योजना आयोग ने आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में वर्ष 1974–75 के लिये खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 78 लाख मीटरी टन निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को अधिक उपज देने वाली किस्मों की बुवाई के क्षेत्र को बढ़ाकर, लघु सिंचाई व उर्वरकों का प्रभावी और संतुलित उपयोग करके तथा वनस्पति रक्षण उपायों को तेज करके प्राप्त किया जायेगा।

छात्र अनुशासनहीनता

2730. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छात्र अनुशासनहीनता को रोकने के लिये क्या उपाय किय गय ह;

(ख) उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) छात्रों को राजनीति से दूर रखने के लिये आगे क्या उपाय किये गय हैं जिसस कि वे शिक्षा में अच्छा स्तर प्राप्त कर सकें ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) छात्र अनुशासनहीनता के मामले जब कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करते हैं, तो उन्हें विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाता है, जो ऐसा करने के लिये पूरी तरह से प्राधिकृत हैं। छात्र अनुशासनहीनता की रोकथाम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जब भी वह कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करता हों। छात्रों की उचित कठिनाइयों के निवारण करने सहित छात्र-अनुशासनहीनता की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्राधिकारी तथा राज्य सरकारें जब भी उन्हें ऐसा करना जरूरी होता है, वे इस प्रकार के कदम उठाती रही है। अनेक विश्वविद्यालयों के मामले में, उनके अपन प्रासंगिक विधान में छात्रों को विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों में या तो परामर्शदात्री अथवा निर्णय लेने की हैसियत से उन्हें शामिल करने

की व्यवस्था है। उपलब्ध संसाधनों के अन्दर ही सम्बन्धित सरकारें भी छात्र समुदाय की विभिन्न आवश्यकताओं के लिये व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास करती रही है। केन्द्रीय सरकार ने सीमित संसाधनों के भीतर राज्य सरकारों को भरसक सहायता देने के लिए उनसे सम्पर्क बनाये रखा है और स्थिति का लगातार पुनरीक्षण होता रहता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सुविधाओं और छात्रवृत्तियों के लिए विश्वविद्यालयों की सहायता करता रहा है। सरकार का यह विचार है कि छात्रों को राजनीति स दूर रखना न तो सम्भव है और न हीं वांछनीय है। परन्तु राजनीतिक गतिविधियों में तीव्र रुचि रखने और उनका अध्ययन करने का तात्पर्य यह नहीं होना चाहिये कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए छात्र समुदाय का दुरुपयोग किया जाए। यह आशा की जाती है कि छात्र समुदाय इस प्रकार अपना शोषण नहीं होने देगा तथा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आये।

वनस्पति घी में रंग मिलाना

2731. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या वनस्पति घी को रंगीन बनाने के लिये उपयुक्त रंग का पता लगाने की दिशा में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) पूर्व के अध्ययनों और विस्तृत पुष्टिकारी अनुसंधानों के विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद वनस्पति के लिए रंग ढूंढने के लिए और उपयुक्त रूप से उसका समन्वय करन के लिए अनुसंधान को तेज करने हेतु सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की थी। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वनस्पति को रंगना न तो व्यवहार्य ही है और न ही वांछनीय ही है और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक तरीकों का पता लगाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से सामान्यतया सहमत होते हुए, सरकार ने ऐसे संस्थानों और एजेन्सियों जो कि इस सम्बन्ध में अनुसंधान कर रहे है, से कहा है कि वे वनस्पति को उपयुक्त रंग देने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखें। अब तक किन्हीं परिणामों के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

जन परिवहन व्यवस्था के विकास हेतु राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई राशि को स्वीकृति न मिलना

2732. **श्री ज्योतीर्मय बसु** :

श्री माधुर्य्य हालदार :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों की यह मांग स्वीकार नहीं की है कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में की गई वृद्धि का कुछ भाग उनके राज्यों में जन परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) इस समय निम्नलिखित कारणों से पेट्रोल पर अतिरिक्त लेवी की आय से सहायता मुख्य महानगरों तक ही सीमित रखी जा रही है :—

(i) ये वे नगर हैं जिनमें कि परिवहन की अत्यधिक कमी के कारण यात्रियों को बडी असुविधा हो रही है, और जो कभी कभी कानून एवं व्यवस्था की समस्या बन जाती है।

(ii) इन नगरों में परिवहन पद्धति को मजबूत बनाने से अपनी वैयक्तिक एवं निजी परिवहन की अपेक्षा सार्वजनिक परिवहन के उपयोग से पेट्रोल और डीजल की बचत में सहायता मिलेगी ।

मंत्रियों, संसद सदस्यों और अधिकारियों के लिये सुसज्जित आवास

2733. **श्री रेणुपद दास** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों, संसद सदस्यों और मंत्रालयों के प्रथम श्रेणी के असैनिक अधिकारियों के लिये सुसज्जित बंगलों, फ्लैटों और कमरों के सेटों की संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रकार के आवास, का, श्रेणी वार मासिक किराया कितना है;

(ग) क्या किराये का कुछ भाग सरकार देती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस शीर्ष के अन्तर्गत सरकारी कोष से कितना वार्षिक व्यय किया जाता है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) सेना अधिकारी रक्षा पूल से वास स्थान लेने के पात्र हैं जो निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। अन्य वर्गों के लोगों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अजंता के चित्रों की प्रतिलिपि तैयार करने के कार्य का पूरा होना

2734. **श्री रेणुपद दास** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1956–57 में आरम्भ किया गया अजंता के चित्रों की प्रतिलिपि तैयार करने का कार्य सत्तरह वर्षों में पूरा न हो सकने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किये गये असाधारण विलम्ब को ध्यान में रखते हुए सरकार इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग) अजंता के चित्रों की प्रतिलिपि तैयार करने की योजना 1956–57 से शुरू होने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी तथा तीसरी और चौथी योजनाओं की अवधि के दौरान भी जारी रही । चित्रकारी, अनुमानतः 7,500 वर्ग फुट के लगभग सतह में है, जिसमे से इस वर्ष के मार्च के अंत तक 2600 वर्ग फुट से अधिक पूरी की जा चुकी है । इस प्रक्रिया में, चित्रकारी का अनुरेखण, अनुरेखण का कैनवस पर स्थानांतरण, तथा मूल भित्तियों के अनुसार ही उनमें रंग भरना शामिल है । विशेषज्ञों की राय के अनुसार, इन सब स्तरों पर कार्य करते हुए एक कलाकार से वर्ष भर में 36 वर्ग फुट निर्माण की अपेक्षा की जा सकती है । चूंकि इस परियोजना पर केवल चार कलाकार ही नियुक्त किए गए हैं, अतः इस कार्य की अब तक की प्रगति को असंतोषजनक नहीं समझा जा सकता।

अब यह निर्णय किया गया है कि अधिक महत्वपूर्ण चित्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके बाद महत्वहीन अपूर्ण चित्रों को फोटो प्रलेख द्वारा पूरा किया जाएगा। अधिकांश चित्रित सतह के रंगीन फोटोचित्र 1956 में ही पूरे कर लिए गए थे, किंतु इस प्रक्रिया को फिर से करना पड़ सकता है। क्योंकि समय बीतने के साथ पहले की पारदर्शकता के रंग फीके पड़ सकते हैं।

Production of Sugar

2735. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the, State-wise production of sugar during the year 1973-74?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : A statement showing State-wise estimated production of sugar during 1973-74 (October, 1973 to September, 1974) is attached.

STATEMENT SHOWING STATEWISE ESTIMATED PRODUCTION OF SUGAR DURING 1973-74 SEASON

(Figures in lakh tonnes)

States	Production of sugar
Uttar Pradesh	12·90
Bihar	2·23
West Bengal	0·07
Assam	0·07
Haryana	0·94
Punjab	0·67
Rajasthan	0·21
Madhya Pradesh	0·29
Orissa	0·09
Andhra Pradesh	2·83
Gujarat	1·76
Maharashtra	9·55
Karnataka	2·93
Kerala	0·27
Tamil Nadu	4·43
Pondicherry	0·26
Nagaland	0·02
Goa	0·01
ALL INDIA	39·53

Housing Loan to Agricultural Labour and Marginal Farmers

2736. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce a simple procedure for granting loan to agricultural labour and marginal farmers for building houses; and

(b) if so, the main qualifications required to become eligible for getting such loan?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) No such proposal is under consideration.

(b) Does not arise.

राजनीतिक पीड़ित अध्यापकों को सेवानिवृति आयु के मामले में छूट देना

2737. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक पीड़ित स्कूल अध्यापकों को सेवानिवृत्ति के मामले में पांच वर्ष की छूट का लाभ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कालेज के प्राध्यापकों को उक्त लाभ देने के मामले पर भी विचार कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सरकार द्वारा ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Rural College Education Programme

2738. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether his Ministry propose to undertake rural college education programme in the near future; and

(b) if so, information in this regard?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) There is no specific proposal for undertaking separate Rural College Education Programme. The University Grants Commission has, however, appointed a Committee to work out the broad outlines and structure of courses relevant to the Rural environment in the degree courses so that the training imparted may be in conformity with the needs of the community as a whole and also help the employment potential of the young people.

National Highways in Chattisgarh Region

2739. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government have sanctioned an amount of Rs. 5·50 crores for the widening of National Highways in Chhattisgarh region in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the main features thereof in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping & Transport (Shri Pranab Kamar Mukherjee) : (a) The amount sanctioned for widening of portions of National Highway No. 6 (Bombay-Calcutta road) and National Highway No. 43 (Raipur-Jagdalpur-Vizianagaram road) passing through Chattisgarh region in Madhya Pradesh is Rs. 1·17 crores.

(b) A statement giving the requisite information is attached.

STATEMENT

Sl. No.	Name of work	Job No. and date	Sanctioned amount	Expenditure Rs. lakhs. upto March 1974	Overall progress upto March 1974
1	Providing hard shoulders in mile 3 to 23 of Raipur-Samblapur Section of National Highway No. 6 (Zero at Raipur)	40-MP-6 28-2-70	9,97,600	24·720	98%
2	Strengthening single lane Section including provision of hard shoulders in miles 30-35 and miles 90-104 of Raipur Sambalpur Section N. H. No. 6 (Zero at Raipur).	40A-MP-6 28-2-70	24,57,400	25·60	95%
3	Widening without strengthening of single lane to double lanes from KM. 7 to 28 (Miles 3/7 to 18) of Raipur-Dhamtari Section, National Highway 43.	201-MP-43 21-9-73	19,02,300	2·60	9%
4	Widening without strengthening of single lane to double lane from KM. 29 to 105 (Mile 19 to 67) of National Highway 43.	107-MP-43 29-12-71	63,68,600	50·88	81%
	TOTAL		1,17,25,900 Say Rs. 117·26 Lakhs.	103·80	

दिल्ली में संकटग्रस्त कालेजों को अपने नियंत्रण में लना

2740. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने संकटग्रस्त कालेजों को अपने नियंत्रण में लेने के अधिकारों की मांग की है तथा उन्होनें इस बार में उनको भी पत्र लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो सुझाव के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है और यदि इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालयों के कार्यकारी कुलपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं ताकि उन कालेजों का प्रबन्ध एक विशिष्ट अवधि के लिये अपने हाथ में लिए जाने की व्यवस्था की जा सके जो विश्वविद्यालय की संविधियों, अध्यादेशों तथा निर्देशों का पालन नहीं करते । ये सुझाव विचाराधीन हैं।

उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में अनुतीर्ण हुए विद्यार्थी

2741. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी में इस वर्ष उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : जी, हां। वर्ष 1974 में दिल्ली में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित है :—

दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा :

कुल संख्या 49,959 में से 10,413 अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है । अर्थात् 20.5%

अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा :

दिल्ली से कुल संख्या 2,552 में से अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 199 है अर्थात् 7.8%

उच्चतर माध्यमिक (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) परीक्षा :

कुल संख्या 3861 में से अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 926 है। अर्थात् 24.0 %

उच्चतर माध्यमिक तकनीकी परीक्षा :

कुल संख्या 216 में से अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 86 है। अर्थात् 39.8 %

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के बारे में बनाई गई नयी नीति

2742. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित कृषि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की एक बैठक में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए देश के खाद्यान्न उत्पादन को बढाने हेतु कोई नई नीति बनाई गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की एक बैठक में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए कोई नयी नीति या परियोजना नहीं बनायी गयी। प्रधान मंत्री ने उप-कुलपतियों से यह अनुरोध किया था कि उर्वरक, जल और कीट नाशक दवाओं जैसे कृषि साधन, जितनी मात्रा में देश में उपलब्ध हों, उनसे अधिकतम लाभ उठाने के लिए वे अपने विस्तृत मानवीय साधनों को गतिशील बनाने पर ध्यान दें। उपकुलपतियों ने प्रधान मंत्री को आश्वासन दिया कि देश में खाद्यान्न का उत्पादन

ढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारी और छात्र निम्न प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे :—

(क) कृषि विश्वविद्यालय स्थानीय भाषाओं में साहित्य तैयार करेंगे, जिसमें इस बात की पूरी जानकारी रहेगी कि खरीफ और उसके बाद रबी की फसलें उगाने के लिए किसानों को कौन से विभिन्न प्रकार के कदम उठाने हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत कृषि साहित्य उपलब्ध विस्तार एजेंसियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। कृषि विश्वविद्यालय आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित नियमित कार्यक्रमों के जरिये भी मौसम सम्बन्धी समस्याओं और कीट व्याधियों का सामना करने के लिए किसानों को उचित सलाह देंगे।

(ख) हमारे देश में जिन किस्मों के बीज बोने की सिफारिश की गयी है, उन किस्मों के बीज की कमी है। अतः कृषि विश्वविद्यालय नाभिक बीज उत्पादन का उत्तर-दायित्व भी वहन करेंगे। इन बीजों से राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य कृषि सेवा निगम मूल और प्रमाणित बीज तैयार करेंगे। जिन विश्वविद्यालयों में सुविधाएं उपलब्ध होंगी, वहां मूल और प्रमाणित बीज उत्पादन भी किया जाएगा।

(ग) कीट व्याधियों सम्बन्धी सर्वेक्षण और निगरानी कार्यक्रम तथा पौध संरक्षण अभियान का आयोजन।

(घ) सिंचित क्षेत्रों में वैज्ञानिक ढंग से जल का प्रबन्ध और बारानी खेती वाले क्षेत्रों में जल-संग्रह

(च) विभिन्न मौसमों संबंधी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त अनुषंगिक फसल उत्पादन योजनाओं का आयोजन।

(छ) व्यापारिक फसलों की अन्तः कृषि जैसे गन्ना और कपास के साथ दालें, तिलहनी फसल और सब्जियां उगाना।

(ज) कन्द फसलों और शाक सब्जियों के उत्पादन का अभियान चला कर कैलोरिज की आपूर्ति बढाना।

(झ) बेकार भूमि के उपयोग और ग्रामीण लोगों को इंधन देने के लिए सामाजिक और कृषि और वन सम्बन्धी सम्मिलित कार्यक्रम आरम्भ करना।

(ट) खाद तैयार करने के लिए सभी प्रकार के कूड़ा कचरों का उपयोग।

(ठ) खाद्य फसलों की पैदावार में सुधार के लिए अणुजीवी कल्चरों का उत्पादन और वितरण।

(ड) पैदावार बढ़ाने और खरपतवारों बीमारियों तथा व्याधियों के कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिए किसानों ने कृषि रसायनों का उपयोग करना आरम्भ कर दिया है। राज्य की नियमन करने वाली एजंसियों की ओर से कृषि विश्वविद्यालय इन रसायनों की जांच करेंगे, ताकि किसानों को उन अनैतिक व्यापारियों से बचाया जा सके, जो कृषि रसायनों में अन्य चीजें मिलाते हैं या नकली दवायें बेचते हैं।

N. B. T. Publications

2743. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether about 23,00,000 books of National Book Trust are lying in godowns without sale, if so, the value thereof;

(b) the names of persons held guilty and the nature of the charges against them as a result of an enquiry conducted about this case ;

(c) whether any enquiry has been conducted about the activities relating to the selection, writing, printing, fixation of price, distribution and sale of the books published by the Trust, if so, the result thereof ; and the action taken thereon;

(d) the year-wise expenditure incurred on Chairman, Manager, Officers, Committee Advisory Committees, Book fairs, Conferences and Camps during the last three years,

(e) the action taken to minimise expenditure; and

(f) the number of other book trusts which undertake writing, printing and sale of books like National Book Trust and receive Government aid?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The number of unsold books with the Trust as on 1-4-1974 was around 23 1/2 lakhs and their list price is about Rs. 59·8 lakhs

(b) Does not arise, since no circumstances have arisen to warrant such an enquiry.

(c) A Committee under the Chairmanship of Professor Niharranjan Ray was set up to review the working of the Trust including, inter alia, the policy relating to pricing, printing distribution and sale of its publications. The report, which this Committee has since recently submitted is under consideration of Government.

(d) The expenditure during 1971-72, 1972-73 and 1973-74, was Rs. 14,56,381·03p. Rs. 13,19,098·87p. and Rs. 8,67,553·52p. respectively.

(e) The instructions issued by Government for effecting economy in expenditure in the context of the present economic conditions are equally applicable to and are being followed by the Trust.

(f) The Sahitya Akademi, an autonomous organisation fully financed by the Government, is the only other national organisation of this kind.

Expenditure incurred on Community Devolepment Schemes

2744. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the annual expenditure being incurred on the community development schemes in the country;

(b) the works undertaken under these schemes; and

(c) whether Government propose to take fresh steps to speed up the implementation of these schemes with a view to achieving necessary progress ?

The Minister of State In The Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya): (a) & (b) Two statements indicating annual expenditure incurred on the various schemes concerning Community Development Programme ar eenclosed. [Placed in Library. *See* No. L T-8220/74]

(c) The Community Development Schemes are reviewed periodically to expedite their implementation. During the Fifth Five Year Plan, Drought Prone Area Programme, Tribal Area Development, Hill Area Development and Whole Village Development Programme with a Plan outlay of Rs. 18,700, Rs. 1,000, Rs. 300 and Rs. 500 lakhs respectively are being taken up in addition to the existing schemes. The Pilot Intensive Rural Employment Project which is essentially an experiment in full employment was taken up during 1972-73 and is being continued.

केंद्रीय हिन्दी निदेशालय

2745. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के मुख्य कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना काम पूरा किया जा चुका है;

(ग) कितना कार्य होना अभी बाकी रहता है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों के अनुसरण और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर अलग अलग अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस समय विभिन्न श्रेणियों में कितने कर्मचारी लगे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का, जो शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, मुख्य कार्य हिन्दी का विकास तथा प्रसार करना है। निदेशालय ने इस सम्बन्ध में कई कार्यकलाप शुरू किये हैं। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण कार्य जो पिछले तीन वर्षों में शुरू किये गये थे वे नीचे उल्लिखित हैं।

पिछले तीन वर्षों में लगभग 13,800 गैर हिन्दी भाषी व्यक्तियों—दोनों भारतीय तथा विदेशियों ने निदेशालय द्वारा चलाए जा रहे पत्राचार पाठ्यक्रमों के जरिए हिन्दी सीखी है—इस सम्बन्ध में 16 ध्वनि लेखों (डिस्कों) का हिन्दी भाषा का एक सेट तैयार किया गया है तथा बिक्री के लिए रखा गया है, एक हिन्दी तेलुगु "स्व शिक्षा" पुस्तक तथा एक हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी संवाद गाइड प्रकाशित की गई है, विदेशियों के लिए एक प्राथमिक पुस्तक तैयार की गई है जिसमें लगभग 900 पृष्ठ है तथा यह छापी जा रही है, अध्यापन सामग्री का एक पूर्ण सेट, पाठ तथा अनुपूरक पठन सामग्री भी तैयार की गई है तथा निदेशालय द्वारा पांच विभिन्न हिन्दी पाठ्यक्रमों अर्थात् हिन्दी प्रवेश, हिन्दी प्रबोध, हिन्दी प्रवीण, हिन्दी प्राज्ञ तथा हिन्दी परिचय के लिए मुद्रित की गई है। पत्राचार कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वयक्तिक सम्पर्क कार्यक्रम 16 कन्द्रों में आयोजित किये गये है जिससे लगभग 2800 छात्रों को लाभ हुआ है। निदेशालय ने प्रत्येक वर्ष देश तथा विदेश में लगभग 47 केन्द्रों में परीक्षाएं आयोजित की हैं।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में एक हिन्दी सूचना केन्द्र कार्य कर रहा है जहां से अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय तथा निदेशालय की अन्य योजनाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

निदेशालय, हिन्दी भाषी राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के पुस्तक निर्माण कार्यक्रम का समन्वय करता है।

निदेशालय 24 द्विभाषी शब्द कोषों के संकलन में लगा हुआ है, जिसमें हिन्दी, प्रादेशिक भाषाएं और अंग्रेजी के शब्दकोष शामिल है। इस संबंध में 20,000 शब्दों का बुनियादी शब्द संग्रह तैयार किया गया है।

निदेशालय ने हम्बेलेट विश्वविद्यालय, बर्लिन (ज०ज० गणतंत्र) के सहयोग से हिन्दी-जर्मन, जर्मन-हिन्दी शब्दकोष के निर्माण का कार्य शुरू किया है तथा इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निदेशालय और हम्बेलेट विश्वविद्यालय में कार्य दल स्थापित किए गए है और कार्य योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश के विभिन्न भागों में निदेशालय ने पुस्तकों की 26 प्रदर्शनियां आयोजित की हैं तथा 1972-73 के दौरान ऐसी तीन प्रदर्शनियां फिजी, नेपाल और मारिशस में भी आयोजित की गई थीं।

निदेशालय, अहिन्दी भाषी राज्यों के नव-हिन्दी लेखकों के लिए कर्मशालाएं आयोजित करने, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी के छात्रों के लिए हिन्दी के क्षेत्रों में भ्रमण का आयोजन करने, हिन्दी में साहित्य कार्य के लिए अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के 34 हिन्दी लेखकों के पुरस्कारों पर अन्तिम रूप से निर्णय करने जैसे विस्तार कार्यकलाप भी कर रहा है।

निदेशालय ने अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, आदि को हिन्दी की पुस्तकों के निशुल्क उपहार देने के लिए 670 पुस्तकों की कुल मिला कर 1,80,000 के लगभग प्रतियां खरीदीं। इस कार्य से कुल मिलाकर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लगभग 1500 पुस्तकालयों और संस्थाओं/संगठनों को लाभ पहुंचा है। निदेशालय ने 15 विदेशों के भारतीय मिशनों के जरिए वितरण के लिए 81,000 रुपये की राशि की 3734 पुस्तकों की प्रतियां भी खरीदीं।

पिछले तीन वर्षों में, निदेशालय ने 83 पुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रकाशनों से सहयोग किया है। प्रकाशित शीर्षकों को, निदेशालय द्वारा चुना गया था।

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, इस मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और उसको सौंपी गई मंत्रालय की योजनाओं को निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि निदेशालय का कार्य लगातार चलने वाला है, इस लिए हम यह नहीं बता सकते कि अभी विशिष्ट कितनी मात्रा में कार्य होना बाकी है। अब तक विभिन्न कर्मचारियों, योजनाओं, योजनागत तथा योजनेतर श्रेणियों के अन्तर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों (1971-72, 1972–73 और 1973–74) में किया गया कुल खर्च इस प्रकार है :—

विषय	खर्च		
	1971–72	1972–73	1973–74
(i) कर्मचारियों पर खर्च	रुपये	रुपये	रुपये
योजनेत्तर . .	2,516,191.00	25,46,993.00	27,45,747.00
योजनागत . .	3,38,155.00	3,69,141.00	4,52,162.00
(ii) हिंदी की उन्नति के लिए योजनाओं पर खर्च			
योजनेत्तर . .	51,436.00	60,917.00	33,515.00
योजनागत . .	6,38,905.00	10,93,619.00	9,63,447.00

वैज्ञानिक तथा तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग का कार्यकरण

2746. श्री मूल चन्द डागा : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग गत अनेक वर्षों से अध्यक्ष/सदस्य/सदस्यों के बिना कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन सभी वर्षों में आयोग के कार्यकरण का उत्तरदायित्व किसे सोंपा गया है; और

(ग) क्या इस आयोग को पुनर्जीवित करने के बारे में सरकार का कोई इरादा है, यदि हां, तो ऐसा कब किया जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) से (ग) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग अपना कार्य निरन्तर

रूप से यथावत कर रहा है । वै० त० श० आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति अप्रैल 1970 से इसलिये नियमित आधार पर नहीं की जा सकी क्योंकि सर्वप्रथम तो आयोग का पुनर्गठन विचाराधीन था और उसके बाद इस पद से सम्बद्ध वेतन पर विचार करना अपेक्षित था, इसलिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक, अपने कार्यों के अलावा, इस आयोग के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा एक अंशकालिक सलाहकार आयोग की उसके कार्य में सहायता कर रहा है । ऐसे ही कारणों की वजह से आयोग में कोई सदस्य नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सका है । तथापि तीसरे वेतन आयोग ने अभी हाल ही में वै० त० श० आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के लिये कुछ वेतनों की सिफारिश की है तथा सरकार प्रख्यात विद्वानों को आयोग के अंशकालिक सदस्यों तथा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

वरिष्ठ एन० डी० एस० इन्स्ट्रक्टर्स और ग्रेड 1 के सुपरवाइजरों को मानदेय देना

2747. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वरिष्ठ एन० डी० एस० इन्स्ट्रक्टर्स तथा ग्रेड 1 के सुपरवाइजरों को उनके वेतन के अतिरिक्त कुछ मानदेय दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालय 30-6-1972 को बन्द थ । परिणामस्वरूप दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वस्थता कोर क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकांश स्टाफ को 1-7-1972 से केन्द्रीय अधिशेष (सरप्लस) सेल के अभ्यर्पण कर दिया था। दिल्ली और राजस्थान में कार्य कर रहे राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों के हाउस कीपिंग कार्य को राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के क्षेत्री स्टाफ की सहायता से नई स्थापित राष्ट्रीय सेवा योजना नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय मुख्यालय को सौंप दिया था। क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना के केन्द्रीय मुख्यालय के पास इस काम को देखने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं था, इसलिए दिल्ली में कार्य कर रहे 8 राष्ट्रीय अनुशासन योजना के वरिष्ठ-श्रेणी—1 के अनुदेशक तथा एक पर्यवेक्षक को कहा गया था कि वे राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय में अपने साधारण कार्य के अतिरिक्त वेतन बिल बनाने, सेवा-पुस्तकों में इन्दराज करने तथा दिल्ली और राजस्थान में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों के अन्य विभिन्न दावों को देखने में सहायता करें। यह अतिरिक्त कार्य जो उन्होंने जुलाई से दिसम्बर 1972 तक किया उसके लिए उन्हें 7-5-1973 को 3100 रुपए का मानदेय संस्वीकृत किया गया था।

पंजाब को उर्वरक और बीजों की सप्लाई करने हेतु प्रबन्ध

2748. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि पंजाब राज्य को बिना मिलावट वाले उर्वरक तथा बीज सप्लाई करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य को पर्याप्त उर्वरक प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खरीफ (फरवरी–जुलाई) 1974 के लिये पंजाब की उर्वरकों की मांग का मूल्यांकन जनवरी, 1974 में हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में लिया गया था। और कुल मांग को राज्य सरकार द्वारा सुचित किए हुए उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात अंतिम रूप दिया गया था। निर्धारण की गई मांग के लिये आयात तथा देशी उत्पादन से उर्वरक सप्लाई किया गया था। फरवरी जून, 1974 की अवधि के दौरान इस अवधि में वचन दी गई मात्रा का 90% भाग सप्लाई किया गया है।

उन्नत बीजों के उत्पादन तथा वितरण की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय बीज निगम, तराई विकास निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम, आदि बीज उत्पादन करने वाली अखिल भारतीय संस्थाएं केवल राज्य सरकारों द्वारा तैयार किये गए बीजों के उत्पादन तथा उनकी सप्लाई के कार्यक्रम में सहायता देती है।

भारत सरकार ने वर्ष 1974-75 के बीजों की मांग का पुनरीक्षण इस वर्ष हुए दो क्षेत्रीय सम्मेलनों में किया था। यह देखने में आया है कि राज्य सरकार ने उन्नत बीजों के उत्पादन तथा उनके वितरण के लिये पर्याप्त व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बीज निगम तथा तराई विकास निगम ने धान, मक्का, गेहूं आदि मुख्य फसलों के बीजों की अधिक मात्रा के उचित वितरण के लिए भी व्यवस्था की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अगस्त-जनवरी 1974-75 की अवधि के लिये राज्य की उर्वरकों की मांग को हाल ही में अर्थात जुलाई, 1974 में हुए क्षेत्रीय सम्मेलन मे अंतिम रूप दिया गया था। राज्यों को इन मांगों की तुलना में उर्वरकों की सप्लाई करने के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। भारत सरकार देश में उर्वरकों की उपलब्धि बढ़ाने के लिये देशी उत्पादन बढ़ाने तथा अधिक आयात करने के लिए भी भरसक प्रयास कर रही है।

दिल्ली के जूनियर नृत्य अध्यापकों को सिलक्शन ग्रेड

2749. श्री के० लक्प्पा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय दिल्ली में 165–300 रुपये के वेतनमान में कार्य कर रहे जूनियर अध्यापकों को स्थायी पदों में से 15 प्रतिशत पदों के लिए सैलेक्शन ग्रेड की मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Vanaspati Mill on Cooperative Basis in Ratlam (M.P.)

2750. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received a formal application for setting up a vanaspati mill on co-operative basis in Ratlam, Madhya Pradesh ,; and

(b) if so, the reasons for delay in taking a decision thereon?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) Yes, Sir; from the Ratlam Co-operative Vanaspati Mills Ltd.

(b) This, together with 27 other applications had to be kept pending for careful consideration in view of the fact that the vanaspati industry was already over-installed and it was becoming increasingly difficult for it to operate economically in the context of inadequate availability and increase in prices of edible oils. All these cases were ultimately rejected and the applicant in this case was informed of the final rejection on the 12th August, 1974.

गन्ने का मूल्य

2751. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों, बिजली की दरों तथा कृषि के काम में आने वाली अन्य वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार गन्ने के मूल्यों में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रति क्विंटल कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) 1974–75 के दौरान गन्ना उत्पादकों को निर्वात पात्र चीनी कारखानों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के निर्धारण संबंधी प्रश्न पर सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर विचार किया जा रहा है ।

Complaint from Workers Union of Jawra (Madhya Pradesh) Sugar Mill

2752. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received a complaint from the Workers Union of Jawra Sugar Mill (Madhya Pradesh) regarding misuse of Gate sale Sugar-quota by the sugar mill; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Godowns for Procured Levy Wheat.

2753. **Shri R. R. Sharma** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the number of godowns Government have all over the country for storing the procured levy wheat and the storing capacity thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : Storage capacity is available with various agencies like the Food Corporation of India, the Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporations, the Co-operatives etc. The godown/warehousing capacity is utilised for storage of various agricultural produce and other commodities and such capacity is not exclusively reserved for the storage of procured levy wheat only. The total capacity available with the Government agencies is as under :—

Agency	No. of godowns/ warehouses	Capacity in million tonnes	
		Owned	Hired
F.C.I.	1275	5·18	2·10
C.W.C. & S.W.Cs.	1043	1·77	1·94

Besides, the cooperatives have 18676 godowns with constructed capacity of 3·15 million onnes. In addition, the State Governments also have a large number of godowns with them or the purpose of storage of foodgrains.

पश्चिम की ओर जाने वाले नौवहन के बारे में भारत और ब्रिटन के बीच हुआ करार

2754. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन के बीच अर्ध वार्षिक नौवहन कार्यक्रम को परीक्षणार्थ लागू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच इस बारे में हुए करार की शर्तें क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) भारत से यू० के० कान्टीनेन्ट तक परिचालित भारत पाकिस्तान बंगला देश सम्मेलन इस समय से और अधिक की अवधि के लिये पश्चिम की ओर जाने वाली दिशा में समुद्री यात्राओं के कार्यक्रम बनाने की संभावना का अध्ययन कर रहा है। ब्यौरे पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है।

Complaints from Farmers Regarding Procurement of Wheat by Force

2755. **Shri R. R. Sharma** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Central Government have received complaints against officers from the farmers of different States in regard to procurement of wheat by force ;

(b) if so, the nature of these complaints ; and

(c) the action taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) No such complaint has been received from farmers. However certain complaints from other persons were received and these were forwarded to the respective State Governments for necessary action. On inquiry one of the these complaints regarding forcible procurement from cultivators in Rajasthan was found to be incorrect.

दिल्ली अतिथि नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत मोटे अनाजों का लाया जाना

2756. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने ज्वार, बाजरे और मक्का जैसे मोटे अनाजों को दिल्ली अतिथि नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत लाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली अतिथि नियंत्रण आदेश, 1972 के अंतर्गत पहले ही लाये गये "अनाजों" का केवल व्याख्या करने का निर्णय किया गया है।

नौवहन कम्पनियों के लिए मंजूर किया गया ऋण

2757. **श्री के० मालन्ना :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में नौवहन कम्पनियों को कम्पनीवार कुल कितना ऋण मंजूर किया गया;

(ख) ऋण की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या कोई ऐसा सरकारी संगठन है जो इन कम्पनियों को दिए गए ऋण को उन के द्वारा किये गये उपयोग का निरीक्षण करता है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 1973-74 वर्ष में शिपिंग कम्पनियों के लिए कम्पनीवार स्वीकृत ऋण की कुल रकम निम्न प्रकार से है :—

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	ऋण राशि (रुपये लाखों में)
1.	मैसर्स मुगल लाइन लि०, बम्बई	927.00
2.	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, बम्बई	6.00
3.	मैसर्स ईस्टर्न शिपिंग कं० लि०, बम्बई	240.49
4.	मैसर्स रत्नाकर शिपिंग कं० लि०, कलकत्ता	2.00
5.	मैसर्स सेवन सीज ट्रान्स्पोर्टेशन लि०, बम्बई	1.00
	कुल	1176.49

(ख) मुख्य शर्तें निम्न प्रकार से हैं :—

(i) **ब्याज** : 8 प्रतिशत की सामान्य ब्याज दर, छमाही तौर पर देय है, परन्तु यदि ऋणी निर्धारित तारीखों तक देय रकमों का भुगतान कर देता है और ऋण समझौते के अंतर्गत सभी जिम्मेदारियों को ठीक तौर पर निभाता है तो ब्याज $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर स्वीकार किया जाता है ।

(ii) बकाया ऋण राशि के $133\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक, प्रतिभूति की आवश्यकता है ।

(iii) **ऋण इक्विटी अनुपात** : कम्पनी को यह सुनिश्चित करना है कि यदि इक्विटी पूंजी 1 करोड़ रुपये या इससे अधिक हो तो ऋण इक्विटी अनुपात 6:1 से और यदि इक्विटी पूंजी 1 करोड़ रुपये से कम है तो 4:1 से अधिक न हो ।

(ग) जी, हां ।

पशुधन बीमा योजना

2758. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुधन बीमा योजना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या किसी राज्य ने इस बारे में कोई पहल की है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय स्तर पर पशुधन बीमा योजना का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, कुछ बीमा कम्पनियाँ देश के विभिन्न मार्गों में चयनात्मक आधार पर पशुधन बीमे का कारोबार कर रही है ।

बड़े पत्तनों का विकास

2759. **श्री गजाधर माझी :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में बड़े पत्तनों के विकास के लिए मंजूर की गई राशि का बहुत बड़ा भाग उपयोग में नहीं लाया जा सका; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत राशि उपयोग में नहीं लाई गई और उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए बड़े पत्तनों के विकासहेतु अनुमोदित कार्यक्रम 279.83 करोड़ रुपये का था जिसमें पांचवीं योजना अवधि में 19.83 करोड़ रुपये की संभावित आगे लाई जाने वाली राशि शामिल है । केन्द्रीय क्षेत्रीय परिव्यय 160 करोड़ रुपये था जिसे या तो ऋणों द्वारा या पत्तन परियोजनाओं पर सीधे खर्च के रूप में उपलब्ध किया जाना था और शेष 100 करोड रुपए की राशि पत्तनों में मार्केट ऋण सहित अपने आन्तरिक साधनों से प्राप्त करती थी ।

(ग) मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान इन आंकड़ों में संशोधन किया गया, जबकि कुल आबंटन बढ़ाकर 303.88 करोड़ रुपये और केन्द्रीय क्षेत्रीय परिव्यय बढाकर 217.91 करोड़ रुपये कर दिया गया । शेष राशि पत्तनों ने अपने साधनों में प्राप्त करनी थी ।

चौथी योजना में किया गया कूल खर्च 284.90 करोड़ रुपये था, जिसमें से केन्द्रीय क्षेत्रीय परिव्यय 225.56 करोड़ रुपये था । शेष में आन्तरिक साधन और पत्तनों के मार्केट ऋण शामिल है । केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मुक्त सारी राशि का उपयोग किया गया । व्यय के इन आंकड़ों की लेखा परीक्षा की जानी है ।

वैकल्पिक विषय के रुप में विश्वविद्यालय में धर्म की शिक्षा आरम्भ करना

2760. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कुछ विश्वविद्यालयों ने धर्म की शिक्षा वैकल्पिक विषय के रूप में देना आरम्भ कर दिया; है, और

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। तथापि, सूचना एकत्र करने में कुछ समय लगेगा।

विभिन्न नौवहन कम्पनियों के नियतन में कमी

2761. श्री के० मालन्ना : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न नौवहन कम्पनियों के नियतन में नौवहन विकास निधि समिति द्वारा उनके लिये ऋण के रूप में अनुमानित राशि में कमी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंन्धी तथ्य क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) नियतन कम्पनीवार नहीं किये जाते। ऋण के लिये प्रत्येक आवेदन पत्रों पर गुणों और धन की उपलब्धता के संदर्भ में विचार किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय नौवहन के पास जहाज

2762. श्री के० मालन्ना : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, जहाजों की संख्या में किस दर से वृद्धि हुई है;

(ख) भारतीय नौवहन के पास वर्ष 1948 और 1968 में कितने जहाज थे और आज कितने जहाज है; और

(ग) इन्ही वर्षों में और इस समय अलग अलग विश्व नौवहन के पास कुल जहाजों की तुलना में भारतीय नौवहन के पास जहाजों की प्रतिशतता क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान जहाजों की संख्या में वृद्धि की दर निम्न प्रकार है :—

	जहाजों की संख्या	वृद्धि की दर
31-12-1970 . . .	250	..
31-12-1971 . . .	255	2.0%
31-12-1972 . . .	258	1.2%
31-12-1973 . . .	265	2.7%

(ख) भारतीय नौवहन कम्पनियों के पास 1948, 1968 में तथा इस समय जो जहाज है, उनकी संख्या निम्न प्रकार है :—

अवधि	जहाजों की संख्या
31-12-1948	83
31-12-1968	249
31-7-1974	289

(ग) विश्व की कुल नौवहन से भारतीय नौवहन की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

अवधि	प्रतिशतता
1-7-1948	0.3 %
1-7-1968	1.00%
1-7-1973	1.00%

Surplus lands in possession of sugar mills in Bihar and Uttar Pradesh

2763. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of sugar mills in Bihar and Uttar Pradesh, separately;

(b) whether surplus lands in the name of Farms are in the possession of these sugar mills;

(c) if so, the area of lands in possession of each sugar mill; and

(d) the scheme of the Government for distribution of the lands lying with them, in excess of the ceiling fixed?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) At present there are 30 installed sugar factories in Bihar and 74 installed sugar factories in Uttar Pradesh.

(b) to (d) The desired information is being collected from the State Governments of Bihar and Uttar Pradesh and will be placed on the table of the Sabha as soon as it becomes available.

Grants to literary and Cultural Institutions

2764. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government give grants every year to the literary and cultural institutions for their smooth functioning,

(b) if so, names of the institutions which were given grants during 1974-75,

(c) whether the Jan-Natya Sangh, Bihar had also made an application to him for the grant, and

(d) if so, the decision of the Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) A list of Institutions, which have so far been given grants during 1974-75, is attached.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

STATEMENT

List of Institutions which have so far been given grants during 1974-75

1. Kalakshetra, Madras.
2. Ranga Sri Little Ballet Troupe, Gwalior.
3. Ballet Unit, Bombay.
4. Triveni Kala Sangam, New Delhi.
5. Little Theatre Group, New Delhi.
6. Mumbai Marathi Sahitya Sangh, Bombay.
7. Bohurupee, Calcutta.
8. Indian National Theatre (Gujarati Unit), Bombay.
9. Naya Theatre, New Delhi.
10. Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi.

एस० बी० अध्यापकों को उच्च ग्रेड

2765. **श्री टी० सोहनलाल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के (सरकारी एवं सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कितने एस० बी० अध्यापक काम कर रहे है;

(ख) क्या 1 अप्रैल, 1950 से पूर्व काम पर लगे एस० बी० अध्यापकों को उच्च ग्रेड दिया गया है और यदि हां, तो ऐसे कितने अध्यापक हैं;

(ग) ऐसे एस० बी० अध्यापकों की संख्या क्या है, जिन्होंने 1 अप्रैल, 1950 के पश्चात नोकरी प्रारंभ की और जिन्हें उच्च ग्रेड न देकर निम्न ग्रेड दिया गया; और

(घ) एस० बी० अध्यापक ऐक्शन कमेटी, नई दिल्ली को कोई ऐसा आश्वासन दिया गया था कि मामले की जांच की जा रही है और यदि हां, तो मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में खाद्यानों की वसूली के तरीके

2766. **श्री एन० ई० होरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में इस समय खाद्यान्नों की वसूली के कौन कौन से तरीके प्रचलित है;

(ख) वसूली करने वाली सरकारी एजेंसियों के नाम क्या है, और

(ग) बिहार राज्य में पिछले वर्ष प्रत्येक एजेंसियों द्वारा कितनी वसूली की गई और चालू वर्ष के लिए इसके लक्ष्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) उत्पादकों पर क्रमिक लेवी लगाकर धान की अधिप्राप्ति की जा रही है और लाइसेंस शुदा व्यापारियों और मिल मालिकों पर 50 प्रतिशत लेवी लगा कर चावल की अधिप्राप्ति की जा रही है ।

बिहार गेहूं अधिप्राप्ति आदेश, 1974 नामक आदेश पहले ही लागू है जिसमें उत्पादकों पर क्रमिक लेवी लगाने की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार, भारतीय खाद्य निगम और बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ की एजेंसियों के माध्यम से खरीफ 1972–73 और रबी 1973–74 मौसमों के दौरान खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की जा रही थी। पिछले वर्ष प्रत्येक एजेन्सी द्वारा अधिप्राप्त की गई मात्राओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

हजार मीटरी टन में

खरीफ 1972,73 चावल	
(चावल के हिसाब से धान)	
राज्य सरकार	38.6
भारतीय खाद्य निगम	17.4
जोड़	56.0
रबी 1973–74 गेहूं	
राज्य सरकार	48.8
भारतीय खाद्य निगम	0.4
सहकारी समितियां	0.6
जोड़	49.8

1973–74 के खरीफ मौसम के लिए चावल का 1 लाख मीटरी टन और मोटे अनाजों का 25,000 मी० टन के अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित किए गए है । चालू मौसम के लिए रबी के खाद्यानों के कोई अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रकाशनों के मत्थन, प्रकाशन, वितरण और विक्रय विषयक समिति

2767. **श्री सि० के० जाफर शरीफ :**
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रकाशनों के मूल्यन, प्रकाशन, वितरण और विक्रय संबंधी पहलुओं की जांच करने और उनके उत्पादन

मितव्ययता एवं उनके त्वरित निपटान के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था; और

(ख) यदि हां तो रिपोर्ट के कब तक पेश किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) जी, हां। न्यास के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने के लिए प्रोफेसर निहार रंजन रे की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसे अन्य बातों के साथ साथ, इसक प्रकाशनों की मूल्य पद्धति, मुद्रण, वितरण तथा विक्रय सम्बन्धी नीति की जांच करने का कार्य भी सौंपा गया था । समिति द्वारा अभी हाल ही में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता-प्राप्त भाषायें

2768. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भाषाओं के नाम क्या है, जिन्हें साहित्य अकादमी द्वारा निकट भविष्य में मान्यता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है, और

(ख) भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए अकादमी क्या मानदंड अपनाती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री बी० पी० यादव) : (क) भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी और खासी भाषाओं के लिए स्वतंत्र साहित्यिक भाषाओं के रूप में मान्यता का दावा किया गया है, परन्तु अकादमी ने अभी भी निर्णय लेना है ।

(ख) इसके लिए अपनाये गये मानदंड निम्नलिखित है :–

(1) क्या कोई भाषा संरचनात्मक दृष्टि से स्वतंत्र भाषा है अथवा प्रदत्त भाषा की पद्धति का एक भाग है ।

(2) क्या उसकी सतत साहित्यिक परम्परा और इतिहास है ।

(3) क्या आज भी पर्याप्त रूप से बड़ी संख्या में लोग इस भाषा का साहित्यिक तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं।

(4) क्या वह भाषा संबंधित राज्य द्वारा/और अथवा कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा अध्ययन के एक और/अथवा पृथक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

(5) बोली वर्तमान साहित्य (कथा साहित्य, निबन्ध, अन्य साहित्य, पत्रिकाएं आदि) जिनका निर्माण इसमें किया जा रहा है, उनका उपयोग करने वाले लोगों की संख्या पर भी विचार किया जाना चाहिए।

कर्नाटक में हुल्लरों द्वारा चावल का परिष्करण

2769. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में मान्यता प्राप्त चावल मिलों की तुलना में हुल्लरों द्वारा चावल की अनुमानित कितनी मात्रा का परिष्करण किया जाता है; और

(ख) सरकारी एजेंसियों से धान की कटाई कराने के लिए सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक में खाद्यान्नों की वसूली

2770. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक राज्य में खाद्यान्नों की वसूली के लिये कोन कौन से तरीके उपयोग में लाये जा रहे हैं;

(ख) वसूली करने वाली सरकारी एजेन्सियों के नाम क्या क्या है, और

(ग) गत वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य में प्रत्येक एजेन्सी ने कितनी मात्रा में वसूली की और चालू वर्ष के लिये क्या लक्ष्य निश्चित किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) धान और ज्वार/रागी दोनो के लिए उत्पादकों पर क्रमिक लेवी की प्रणाली लागू है ।

(ख) और (ग) : इस वर्ष (खरीफ 1973-74) राज्य सरकार राज्य के नागरिक पूर्ति निगम के माध्यम से धान और ज्वार/रागी की अधिप्राप्ति कर रही है । भारतीय खाद्य निगम 19727-3 के खरीफ मौसम के दौरान राज्य सरकार के अधिप्राप्ति एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा था। राज्य सरकार द्वारा 1972–73 के खरीफ मौसम के दौरान अधिप्राप्त मात्राओ का ब्यौरा इस प्रकार है :—

अनाज	अधिप्राप्त मात्रा
(1) धान (चावल के हिसाब से) . . .	51,473 मीटरी टन
(2) ज्वार/रागी	542 मीटरी टन

1973–74 की खरीफ फसल के लिए अधिप्राप्ति लक्ष्य इस प्रकार है :—

(1) चावल	275,000 मीटरी टन
(2) ज्वार/रागी	200,000 मीटरी टन

राष्ट्रीय बीज निगम के बीजों के व्यापार की मात्रा

2771. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 में राष्ट्रीय बीज निगम ने कितने बीजों का व्यापार किया;

(ख) निगम जनता की मांग किस सीमा तक पूरी कर सका है;

(ग) मांग पूरी करने के लिये निगम ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1972-73 में राष्ट्रीय बीज निगम न निम्नलिखित बीजों की मात्रा सप्लाई की थी :—

बीज का नाम	प्रमाणित बीज (क्विंटलों में)	मूल बीज (क्विंटलों म)
मक्का	24,581.88	779.93
बाजरी	19,573.89	281.49
चरी	6,985.35	554.05
धान	25,225.35	1,128.79
गेहूं	62,071.35	4,089.62
सब्जी	4,749.30	1,119.00
आलू	32,336.01	8,267.00
अन्य तथा विविध	12,421.07	1,915.19
कुल	187,944.20	18,135.07

(ख) उन्नत बीजों के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था करने के लिये मुख्यतया राज्य सरकारें जिम्मदार है । राष्ट्रीय बीज निगम आदि अखिल भार ीय बीज उत्पादक संगठन इस संबंध में राज्य सरकारों क प्रयासों म सहायता दती है । जहां तक निगम का सम्बन्ध है यह धीर धीरे उन्नत बीजों की प्राय: सभी मांगों को पूरा करती रही है।

(ग) निगम न 1975-76 क दौरान बड़ पैमाने पर उन्नत बीज उगान का कायक्रम तयार किया है ।

निगम ो आशा है कि वह काफी मात्रा में उन्नत बीज तयार करक विपणन कर सकेगे।

लाख की खेती

2772. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार लाख की खेती किन किन स्थानों पर की जाती है; और

(ख) खेती कितनी भूमि में की जाती है तथा इसका राज्यवार उत्पादन कितना कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) लाख प्रमुख रूप से बिहार के छोटा नागपुर डिवीजन और संथाल परगना, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा और मुर्शिदाबाद जिलों, महाराष्ट्र क भंडारा और चांदा जिलो, उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज और सुन्दरगढ जिलों और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में पैदा को जाती है। लाख कुछ मात्रा में गुजरात, असम, तामिलनाडु कर्नाटक और राजस्थान में भी पदा की जाती है ।

(ख) चूंकि लाख के वृक्षों को बागान में नहीं उगाया जाता, इसलिए इसके अन्तर्गत क्षेत्र के अनुमान उपलब्ध नहीं है । लाख का राज्यवार वार्षिक उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

कच्ची लाख का उत्पादन

(मीटरी टनों में)

राज्य	वर्ष 1971-72	1972-73
बिहार	16,208	7,388
मध्य प्रदेश	6,308	6,187
महाराष्ट्र	784	914
उड़ीसा	233	243
उत्तर प्रदेश	1,344	1,064
पश्चिम बंगाल	2,148	1,053
अन्य राज्य	186	190
पूरे देश का जोड	27,211	17,039

ग्रीन लाइन सेवा की बसें पूरी पूरी भरी होने के कारण कार्यालय जाने वाले लोगों को असुविधा

2773. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुबह और शाम जब बस यात्रियों की भीड बहुत अधिक होती है तो उस समय ग्रीन लाइन सेवा की बसें अपने चलने वाले स्थानों से ही पूरी पूरी भर जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये बसें दूसरे और बाद वाले स्थानों पर नहीं रुकती है;

(ग) क्या इससे कार्यालय जाने वालों को बहुत असुविधा और कठिनाई होती है ;

(घ) क्या सरकार इन बसों में उनके चलने के स्थानों से खड़े होने की क्षमता की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है जिसे बाद के स्टापों पर और यात्री बस में चढ़ सकें; और

(ङ) इस मामले में अन्य क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : यह सच नहीं है कि सभी सुगम सेवा बसें, रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टापों पर नहीं ठहरतीं । सुबह व्यस्ततम समय ये बसें चलने वाले स्थानों पर ही पूरी तरह भर जाती है । परन्तु चूंकि सभी यात्रियों को केन्द्रीय सचिवालय नहीं जाना होता और उनमें से कुछ बीच में पड़ने वाले स्टापों पर ही उतर जाते है, अतः वहां परीक्षा कर रहे लोगों को बसों में चढ़ने का मौका मिल जाता है ।

(घ) जब भी शक्य समझा गया दिल्ली परिवहन निगम, कार्यान्वयन के लिये इस सुझाव पर विचार करेगा।

(ङ) मार्ग में पडने वाले स्टापों पर यात्रियों की सुविधा के लिये सुगम सेवा चालू करने से पहले बसों के जो विशेष फेरे लगाये जा रहे थे, उन्हें जारी रखा गया है। सुगम सेवा मार्गों पर और बसे चलाने की भी योजना इस प्रकार बनाई गई है; कि मार्गों में भी यात्रियों को पर्याप्त रूप से बस की सेवा प्राप्त हो जायेगी।

ट्रालर निर्माण यार्ड के लिये मैक्सिको के साथ सहयोग

2774. श्री ए० के० गोपालन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मैक्सिको के सहयोग से ट्रालर के निर्माण यार्ड स्थापित करने पर विचार कर रही है जब कि भारत में ट्रालर निर्माण यार्ड बनाने की पोलैण्ड की पेशकश अभी ज्यों की त्यों है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारत पोलेंड समुद्री करार में अन्य बातों के साथ साथ मछली पकडने वाले ट्रालरों के निर्माण के लिए उपकरण सप्लाई करने हेतु पोलेंड से सहायता की व्यवस्था है। प्रस्तावित केरल ट्रालर निर्माण यार्ड के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु पोलेंड सरकार से पोलैण्ड के एक विशेषज्ञ की सेवा में प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया है। इस समय मैक्सिको के सहयोग से एक ट्रालर निर्माण यार्ड स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एक प्राइवेट फर्म ने अपने प्रस्तावित शिपयार्ड के लिए मैक्सिको का सहयोग प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है।

आवास योजना

2775. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जुलाई 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में "ब्यूरोक्रेटिक बंगलिंग स्टाल्स हाउसिंग प्लान" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में जहां कथित घोटाला किया गया है, बेघर व्यक्तियों के लिये आवास की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ग) क्या देश के कुछ अन्य भागों में विशेषकर राजस्थान में भी ऐसा घोटाला किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)
(क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान की सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Average Yield of Paddy and Wheat in States

2776. Shri Chandu Lal Chandrakar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to State :

(a) the average yield of paddy and wheat per acre of cultivated land in Madhya Pradesh and

(b) the average yield of paddy and wheat per acre cultivated land in each of the other States ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) The average yield per hectare of rice and wheat in Madhya Pradesh, and other states for the years 1971-72 and 1972-73 are indicated in the enclosed statement. [*Placed in Library See No. L.T.* 8221/74] Similar information for the year 1973-74 has not yet become available.

Funds for Construction of Link Road in Madhya Pradesh

2777. Shri Chandu Lal Chandrakar : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of villages of Madhya Pradesh that have been connected by roads,

(b) whether the Madhya Pradesh Government have requested the Central Government for some funds for construction of link roads for linking big villages of Madhya Pradesh i.e. villages having population of more than one thousand, and

(c) the amount given to the Madhya Pradesh Government for this purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Prarab Kumar Mukherjee) : (a) According to the information supplied by the Madhya Pradesh Govt. during discussions on the Minimum Needs Programme in the Planning Commission there are in the State about 2886 villages each having a population of 1500 and above. Out of this about 1587 villages have already been connected with all-weather roads and the remaining 1299 villages require connection by all weather roads.

(b) Constitutionally the Govt. of India are primarily responsible for the development and maintenance of roads declared as National Highways. All roads other than National Highways in the States, such as State Highways, Major District roads and village roads are essentially a State subject. In order to help in the development of backward/tribal/rural areas, the Planning Commission initiated a Minimum Needs Programme for the development of rural roads in Fifth Plan with the objective of linking by all-weather roads villages with population of 1500 and above. In the case of hilly, coastal or tribal areas where the population is relatively more dispersed, the programme envisages taking into account a cluster of villages for achieving the aforesaid objective. The State Govt. of Madhya Pradesh submitted proposals estimated to cost Rs. 117·5 crores under this programme.

(c) A provision of Rs. 500 crores for the entire country has been tentatively indicated by the Planning Commission or roads under this programme in the draft Fifth Plan. Out of this, Rs. 45 crores was tentatively recommended by the Planning Commission for this purpose for Madhya Pradesh in the light of the scrutiny of these proposals and funds available for this purpose. This amount will have to form part of the State's Fifth Plan. The formula for allocation of Central Assistance to the States in the Fifth Plan has not yet been decided by the Planning Commission. However, while deciding the Central assistance to the States, the requirements of the Minimum Needs Programme will also be taken into account.

मावरयगकर्नेंग विकास खंड में किसानों को बांटे गये ऋण

2778. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या कृषि मंत्री मावरयगकर्नेंग, मेघालय में छोटे किसान विकास योजना के बारे में 4 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1733 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसान विकास एजेन्सी योजना के अन्तर्गत खासी पहाड़ियों के मावरयगकर्नेंग विकास खण्ड में किसानों को बांटे गये ऋण तथा अनुदानों के मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के समाचार के सम्बन्ध में उन्हें राज्य सरकार से पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो गई है, और

(ख) जानकारी किस प्रकार एकत्र की गई ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) मेघालय की राज्य सरकार आरोपों की जांच कर रही है । उनकी जांच के परिणाम की प्रतीक्षा है । सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों के पुनर्निर्माण के लिये केन्द्र द्वारा नियत राशि

2779. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों के पुनर्निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि नियत की गई और उक्त योजना के अन्त तक मध्य प्रदेश द्वारा वास्तव में कितनी राशि उपयोग में लायी गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : संभवतया सदस्य महोदय राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य अर्थात् निर्माण पुनर्निर्माण/विकास/सुधार संबंधी कार्यों के लिये चौथी योजना में आबंटित धन राशि तथा उसी अवधि में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिये दी गई धनराशि और इन आबंटनों में से किये गये व्यय के बारे में जानकारी चाहते है । अपेक्षित सूचना निम्नलिखित सारणी में दी गई है :

रु० लाखों में

	चौथी योजना अवधि के दौरान आबंटित कुल धनराशि	व्यय
1. राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य	898.52	955.75
2. रा०रा० की मरम्मत तथा अनुरक्षण	457.62	465.62

मध्य प्रदेश को वनस्पति घी की सप्लाई

2780. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य में वनस्पति घी के वितरण और अनियमित सप्लाई के बारे में शिकायतें प्राप्त की हुई है, और

(ख) गत चार महीनों में मध्य प्रदेश राज्य को कितनी मात्रा में वनस्पति घी की सप्लाई की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से ऐसी कोई भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रीयकृत नियंत्रण नहीं है । तथापि, यह ज्ञात हुआ है कि कारखानों ने मध्य प्रदेश सरकार को 7315 मी० टन वनस्पति भेजा है ।

गंगानगर जिले में सूरतगढ़ मशीनी कृत फार्म को हुआ लाभ

2781. श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के गंगानगर जिले में सूरतगढ स्थित केन्द्रीय फार्म को 1972-73 में 60 लाख रुपये की कुल आय हुई थी;

(ख) यदि हां, तो 1972–73 की कुल आय में से शुद्ध लाभ कितना था, और

(ग) फार्म को गत तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितनी आय और शुद्ध लाभ कितना हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1972-73 में सूरतगढ स्थित केन्द्रीय राज्य फार्म की कुल आय 160.36 लाख रु० थी।

(ख) 56.79 लाख रुपये ।

(ग) (रु० लाखो में)

	केन्द्रीय राज्य फार्म की गत 3 वर्षों में वर्षवार हुई आय और शुद्ध लाभ		
क. आय शीर्ष	1970–71	1971–72	1972–73
1) विक्रय जिसमें निजी उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए गए बीज और दी गई मजदूरी शामिल है ।	90.03	107. 15	128.34
2) मरम्मत कार्यों से आय .	0.70	0.61	0.81
3) स्टाक में वृद्धि .	(–) 8.78	(–) 3.75	27.84
4) पूर्व खरीफ कार्यों का कुल प्रभाव	4.39	0.52	2.10
5) विविध विविध आय .	3.65	2.55	1.27
	89.99	107.08	160.36
ख. कुल लाभ . .	11.68	18.61	56.79

केरल के लिये चावल और गेहूं

2782. श्री वयालार रवि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान केरल राज्य की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कुल कितनी मात्रा में चावल और गेहूं की मांग की तथा केन्द्र ने उस राज्य को वास्तव में कितनी मात्रा में उनकी सप्लाई की;

(ख) आगामी दो महीनों के लिये उस राज्य ने कितनी मात्रा की मांग की है और इस अवधि में केन्द्र द्वारा कुल कितनी मात्रा की सप्लाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि वर्तमान सप्लाई से राज्य सरकार के लिए राशन का न्यूनतम स्तर बनाये रखना कठिन है और यदि हां, तो उस राज्य को और सहायता देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केरल सरकार ने मई, जून और जुलाई के दौरान कुल 2.45 लाख मीटरी टन चावल की मांग की थी। उक्त अवधि के दौरान गेहूं के लिए कोई विशिष्ट मांग नहीं की गई थी। केरल की उक्त अवधि में केन्द्रीय पूल से कुल लगभग 2.51 लाख मीटरी टन चावल और गेहूं सप्लाई किया गया था।

(ख) और (ग) : सितम्बर और अक्तूबर के आगामी दो महीनों के लिए कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता, अन्य कमी वाले राज्यों की आवश्यकता, स्थानीय मंडी में उपलब्धता को ध्यान में रखकर केरल सरकार को राज्य की सरकारी वितरण प्रणाली की उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथा सम्भव अधिक से अधिक सप्लाई की जाती रहेगी।

दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों का कार्यकरण

2783. श्री राम कंवर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उन सहकारी गृह निर्माण समितियों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध सरकार ने कुप्रबन्ध के आरोप में जांच कराई है; जांच किस तारीख को कराई गई और क्या जांच कार्य पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ख) क्या इन समितियों के विरुद्ध जांच कार्यों में निर्धारित समय के अनुसार प्रगति हो रही है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सोसायटी का नाम	जांच प्रारंभ करने की तारीख	समय-सीमा	विलम्ब के कारण
1. दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि०	21–3–72	2 महीने	सोसायटी के कुछ मूल अभिलेख जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं किए गये है।
2. दी आराम बाग कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि०	15–3–73	1 महीना	संगत अभिलेख समय से उपलब्ध नहीं किये गये थे।
3. दी लेबर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि०।	29–5–74	2 महीने	जांच चल रही है।

कोचीन पत्तन से माल की ढुलाई

2784. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 में कोचीन पत्तन से कुल कितने माल की ढुलाई हुई और पहले दो वर्षों की तुलना में पत्तन न्यास द्वारा इस अवधि में कमाये गये लाभ सहित इस मात्रा की स्थिति क्या है, और

(ख) हाल के वर्षों में इस पत्तन से माल ढुलाई में कमी के लक्षणों के कारण क्या है और सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 1973–74 में कोचीन पत्तन ने कुल 37.21 लाख टन माल की धरा उठाई की। 1971–72 तथा 1972–73 के लिये तदनुरूपी आंकड़े क्रमशः 46.94 तथा 42.02 लाख टन थे। यातायात में गिरावट की प्रवृत्ति के कारण आय में कमी हुई जबकि मजदूरी रख रखाव इत्यादि के स्थायी व्यय में वृद्धि के कारण व्यय में निरन्तर वृद्धि होती रही।

1971–72 तथा 1972–73 में पत्तन को क्रमशः 90.80 लाख रु० तथा 125.43 लाख रु० का घाटा हुआ। 1973–74 के लेखों को अभीतक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है परन्तु संशोधित अनुमानों के आधार पर 1973–74 में 122.74 लाख रु० के घाटे का अनुमान है।

(ख) यातायात में गिरावट का मुख्य कारण कोचीन रिफाइनरों द्वारा कच्चे तेल के आयात में कमी था। 1974–75 में इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। अप्रेल से जुलाई, 1974 तक की अवधि के दौरान पत्तन का कुल यातायात 17.54 लाख टन था जबकि 1973–74 में उसी अवधि के दौरान 11.53 लाख टन था।

दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध तथा अन्य दुग्ध उत्पादों के मूल्य में वृध्दि

2785. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध तथा अन्य दुग्ध उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) इस विषय पर एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधिन है। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

'बेनामी भूमि'

2786. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'बेनामी भूमि' का पता लगाने का कोई नया प्रयास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे): (क) और (ख) राज्यों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में बेनामी या भूमि को अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन करके अन्य अवैध तरीकों से चोरी-छिपे कब्ज में ली गई भूमि का पता लगाने के लिए चलाये गए एक विशेष

अभियान के फलस्वरूप 13,500 एकड़ भूमि जिसमें 9,100 एकड़ कृषि भूमि भी शामिल है, 1 जनवरी 1974 और 30 जून, 1974 के बीच राज्य के अधिकार में आई।

गुजरात में बम्बई पट्टेदारी तथा कृषि भूमि अधिनियम, 1948 के अंतर्गत चलाए गए एक अभियान के फलस्बरूप 40,423 छुप हुए पट्टदारों का पता चला है।

मिल मालिकों तथा व्यापारियों को निःशुल्क बोरियां देना

2787. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्री द्वारा संसद को आश्वासन दिए जाने के बावजूद मिल मालिकों और व्यापारियों को निःशुल्क बोरियां दिया जाना जरूरी है;

(ख) क्या मिल मालिकों तथा व्यापारियों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली बोरियों की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपया होती है;

(ग) क्या सिंगापूर को निर्यात करके इन बोरियों को अधिक मूल्य पर बेचा जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या है;

(घ) मिल मालिकों और व्यापारियों को निःशुल्क बोरियां दिए जाने की प्रक्रिया को अब भी जारी रखे जाने का क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) गेहूं का निर्गम मूल्य निर्धारित करते समय, अधिप्राप्ति, भण्डारण, संचलन और वितरण पर हुए सभी खर्चे और बोरियों, स्थानीय करों, मण्डी प्रभार आदि के कारण हुए खर्चे को भी हिसाब में लिया जाता है । इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है कि बोरियां बहुत ही उंची कीमत पर बची जा रही है क्योंकि उनका सिंगापुर निर्यात किया जाता है।

क्योंकि "निर्गम मूल्य" में बोरियों की लागत समेत सभी विभिन्न लागतों को हिसाब में लिया जाता है इसलिए मौजूदा नीति म कोई परिवतन करन का प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता पत्तन पर अनाज के चढ़ाने तथा उतारने के लिये साइलों प्लांट का उपयोग

2788. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन पर अनाज को चढ़ाने तथा उतारने के लिए साइलों प्लांट को चढ़ान और उतारन की केवल आंशिक क्षमता का उपयोग किया जाता है और वर्ष 1961 से अनाज क डिसचार्ज पर साइलों प्लांट को कवल 25 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया है;

(ख) साइलों प्लांट द्वारा प्रति मैट्रिक टन डिसचार्ज पर लगभग 2.40 रुपये खर्च आता है जब कि नौभरकों द्वारा इतनी ही मात्रा के डिसचार्ज पर लगभग 17.61 रुपये खर्च आता है;

(ग) क्या इसके धीमी गति से कार्य करने के कारण भारतीय खाद्य निगम को पत्तन आयुक्त के शेड में अनाज रखन क लिए प्रतिदिन बहुत अधिक विलम्ब शुल्क दना पडता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्ष में साइलों प्लांट तथा नौभारकों द्वारा किए गए अनाज के डिसचार्ज कार्य का अलग अलग ब्यौरा क्या है तथा नौभारकों को कितनी राशि अदा की गई और भारतीय खाद्य निगम को शैड शुल्क के रुप में कितना विलम्ब शुल्क देना पडा; और

(ङ) नौभारकों को ठेके देने की बजाय साइलों प्लांट का पूरा क्षमता का उपयोग न करने के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ङ) साइलो में गेहूं को मशीनों द्वारा डालना, जहाज की लम्बाई, गेहूं की किस्म, आवश्यकता के महत्व, स्थान की उपलब्धता, साइलों में स्थान की उपलब्धता, साइलों के बाहर सुपुर्दगी आदि जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है। पश्चिमी बंगाल में सरकारी वितरण के प्रयोजन हेतु उनकी दैनिक आवश्यकताएं इस प्रकार की हैं कि उनकी पूर्ति करना केवल तभी सम्भव हो सकता है जब पारगमन शैडों से सीधे ही सुपुर्दगी की जाए। साइलों के बाहर सुपुर्दगी करना एक सीमाकारी तथ्य है क्योंकि औसतन अधिक से अधिक प्रति दिन 800 मीटरी टन से अधिक सुपुर्दगी सम्भव नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता बन्दरगाह के साइलों संयंत्र को यथा सम्भव इस्तेमाल किया जा रहा है और यह सत्य नहीं है कि साइलों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

(ख) साइलों के माध्यम से मशीनी निकास के लिए केवल जहाजी कुली को ही 2.40 रुपये प्रति मीटरी टन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुल लागत में कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड को देय वास्तविक लेवी, कलकत्ता बन्दरगाह को देय कार्यचालन संबंधी लागत, विभागीय मजदूरी/मशीनी स्टाफ को देय बोरियां भरने/सीने की लागत, और संयंत्र तथा मशीनरी की मूल्य ह्रास लागत शामिल हैं। जहाजी कुलियों द्वारा हाथों से निकास की लागत 12.15 रुपये प्रति मीटरी टन बैठती है और उसके अलावा कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड को देय वास्तविक लेवी भी देनी होती है।

(ग) यह सत्य नहीं है कि कलकत्ता बन्दरगाह को शैड में खाद्यान्न रखने के लिए प्रतिदिन भारी विलम्ब शुल्क देना पड़ता है। खाद्यान्नों की यथा सम्भव शीघ्र निकासी की जाती है। शैड में खाद्यान्न रखने के लिए विलम्ब शुल्क तभी देना पड़ता है जब जहाज के गोदी पर लगने के बाद तीन दिनों के अन्दर अन्दर माल की निकासी नहीं होती।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

वेतन की हानि के बारे में गोदी श्रमिक सलाहकार समिति का निर्णय

2789. **श्री रोबिन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी श्रमिक सलाहकार समिति ने निर्णय किया है कि केवल 21 दिनों में से वेतन की हानि के दिनों की संख्या को घटाया जाये और शेष दिनों के लिये गारंटी शुदा न्यूनतम मजूरी का भुगतान किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) बंबई में 8-12-1973 को हुई अपनी 12वीं बैठक में गोदी कमचारी सलाहकार समिति ने सिफारिश की कि दिनों की संख्या जिसके लिये महीने में निम्नतम गारन्टी वाली मजदूरी स्वीकार्य है जो 12 से 21 दिन तक की होती है, में से अनधिकृत अनुपस्थिति के दिनों की वास्तविक संख्या घटा दी जाये।

(ख) उपर्युक्त सिफारिशों अनुसरण में गोदी कर्मचारी रोजगार अधिनियम योजनाओं में संशोधन करने के लिये प्रस्ताव गोदी मजदूर बोर्डों से मांगे गये हैं। ये विशाखापत्तनम तथा मद्रास गोदी मजदूर बोर्डों से प्राप्त हो गये हैं तथा इन पर कार्यवाही की जा रही है। अन्य गोदी मजदूरबोर्डों के संबंध में कार्यवाही उनसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर की जाएगी।

गोदी श्रमिक सलाहकार समिति की सिफारिश

2790. **श्री रोबिन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई में 8 दिसम्बर, 1973 को आयोजित की गई गोदी श्रमिक सलाहकार समिति की सिफारिशों की उनके मंत्रालय को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने समिति की सिफारिशें नोट कर ली है और आवश्यकतानुसार और कार्यवाही गोदी मजदूर बोर्डों के परामश से की जा रही है।

नौभरक कारोबार का राष्ट्रीयकरण

2791. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौभरक कारोबार का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में सामूहिक कृषि फार्मों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग

2792. श्री वयालार रवि : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने उस राज्य में सामूहिक कृषि स्मारक बनाने के लिये योजनाबद्ध कार्य के अतिरिक्त कोई विशेष सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य द्वारा तैयार की गई योजना की मुख्य बाते क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) जी हां, केरल सरकार ने सरकारी जमीनों में सामूहिक खेती करने के लिए मार्गदर्शन परियोजनाए स्थापित करने का निर्णय किया है। उन्होंने एर्नाकुलम तथा कोजीकोड़े के जिलों में पहले ही सामूहिक फार्म स्थापित किए हुए हैं और ऐसा ही तीसरा फार्म त्रिवेन्द्रम जिले में स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार ने योजना के अलावा वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है और योजना को लागू करने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के प्रतिमान के विषय में पूछा है। । योजना की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

(1) सामूहिक फार्म का प्रबंध विशेष प्रकार की सहकारी समिति द्वारा किया जाएगा।

(2) समिति की सदस्यता 500 होगी जिसमें 250 जोड़े होंगे जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक नही होगी।

(3) फार्म का क्षेत्र सरकारी भूमि का 500 हैक्टार होगा जो सोसायटी को मुफ्त दिया जाएगा।

(4) फार्म पर अस्थाई रूप से आवास स्थल उपलब्ध किए जाएंगे। बाद में स्थायी आवास दिए जाएंगे।

(5) कृषि उपकरण आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस योजना पर भारत सरकार विचार कर रही है।

अनधिकृत कबजे वाले पात्र लोगों को गाड़गिल आश्वासन के अधीन पुनर्वास

2793. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कदम शरीफ, नबी करीम, पहाड़गंज, नयी दिल्ली 55 पोस्टल जोन के उन अनधिकृत कब्जाधारियों के पुनर्वास के लिए कोई कार्यवाही की गई है जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गाडगिल आश्वासनों के अधीन लाभ प्राप्त करने का हकदार ठहराया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें पुनर्वास के लाभ कब तक दिये जायेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) कदम शरीफ, नबी करीम तथा पहाड़गंज क्षेत्रों अति अधिक घने बसे क्षेत्र हैं तथा इन क्षेत्रों में या इनके आस-पास के क्षेत्रो में कोई खाली भूमि उपलब्ध नहीं है जहां गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को पुन: बसाया जा सके। दिल्ली विकास प्राधिकरण पात्र व्यक्तियों को अपनी नयी रिहायशी कालोनियों में पुन: बसाने को तैयार है लेकिन संबंधित व्यक्ति उन्ही या उनके समीप के क्षेत्र में ही पुन: बसना चाहते हैं। अत:, यह बताना संभव नही है कि इन व्यक्तियों को पुन: कब तक बसाया जा सकेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

2794. **श्री धामणकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक के 22 और 23 जुलाई, 1974 के अंक में "आई० सी० ए० आर० प्रोब फाईंडिग इगनोर्ड" तथा "आई० ए० आर० आई० हैपन फार करप्ट आफीशियल" शीर्षकों से प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचारों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके तथ्य क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये/उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) जी, हां।

(ख) और (ग) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जांच के परिणामों की अवज्ञा" और "भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भ्रष्ट अधिकारियों का स्वर्ग" शीर्षक से प्रकाशित दो समाचारों से संबंधित प्रश्न के (ख) और (ग) भागों के संबंध में दी गयी सूचना दो अलग टिप्पणियों में प्रस्तुत है, जो संलग्न हैं (परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट "ख")। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8222/74]**

दक्षिण दिल्ली में त्रिलोकी कालोनी

2795. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के विकास योजना के बारे में 23 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1949 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटला मुबारकपुर की पुनर्विकास योजना के लिए दक्षिण दिल्ली की त्रिलोकी कालोनी के एक भाग का दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने प्लांटों का अधिग्रहण किया गया है और उनकी अलग अलग उस संख्या का ब्यौरा क्या है जिसके अधीन वर्ष 1952 से 1956 के बीच वे कालोनाइजर द्वारा प्लांट होल्डरों को बेचे गये थे ;

(ग) क्या जिन प्लांटों का अधिग्रहण किया गया है, उनके मालिकों को यथासम्भव निकटतम डी० डी० ए० की किसी कालोनी में वैकल्पिक विकसित प्लांट उपलब्ध करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) 24 नवम्बर, 1966 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 2322 के उत्तर में दिये गये आश्वासन के अनुसार वैकल्पिक प्लाट प्राप्त न करने वाले प्लाट मालिकों को किस दर से मुआवजा दिया जा रहा है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम महता) : (क) यह अर्जन दिल्ली प्रशासन द्वारा किया गया है।

(ख) 29 प्लाट अर्जित किए गए हैं। ऐसे प्रत्येक प्लाट की अलग अलग संख्या, जो कालोनाइजरों द्वारा प्लाटधारियों को बेचे गए हैं, उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि भूमि का अर्जन खेत नम्बरों के आधार पर किया गया है जसे कि राजस्व अभिलेख में दिये गए हैं।

(ग) यदि तथा कभी कोई पात्र व्यक्ति, जिसकी भूमि अर्जित की गई है, वैकल्पिक प्लाट के लिए आवेदन करेगा तो उसके आवेदन पत्र पर वर्तमान नीति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण की नियमित योजनाओं में वैकल्पिक वास आबंटित करने के लिए विचार किया जाएगा।

(घ) मुआवजे का मूल्यांकन 16,000 रुपये प्रति बीघा खाम की दर पर तथा रास्ता तथा लेनों के लिए 4,000 रुपये प्रति बीघा की दर पर किया गया है।

इन्द्रपुरी कालोनी का लेआऊट प्लान

2796. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रपुरी कालोनी के कुछ प्लाट मूल ले-आउट प्लान, जो नगर निगम द्वारा मंजूर किया गया है, में उपमार्ग दिखाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या नगर निगम द्वारा मंजूर संशोधित ले-आउट में उपमार्गों के कुछ भागों को प्लाटों में परिवर्तित करते समय नालियों के पानी के लिए मार्ग छोड़ा गया था; और

(ग) क्या उपमार्गों को प्लाटों में बदलने से "बी" ब्लाक में तूफानी पानी निकालने की नालियां रुक गई हैं और यदि हां, तो इस बात के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं कि तूफानी पानी की नालियां न रुकें ताकि उपमार्गों को प्लाटों में बदल देने से क्षेत्र की सफाई प्रभावित न हो ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विशिष्ट स्थल के ब्यौरे के बिना कोई सूचना देना संभव नहीं है।

खाद्य समस्या को हल करने हेतु लघुकालीन उपाय

2797. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में खाद्यान्न की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास खाद्य समस्या को हल करने के लिये कोई लघुकालीन उपाय हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे): (क) से (ग) किसी भी समय विशेष में खाद्यान्नों की आवश्यकताएं उत्पादन, उपलब्धता, अन्य प्रतिस्थापित खाद्य पदार्थ, उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय स्तर, जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की रफ्तार आदि पर निर्भर करती हैं। अत: आवश्यकताएं और कमी, यदि कोई हो, के ठीक ठीक मात्रात्मक अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, वर्तमान स्थिति में, सरकार के अल्पकालिन प्रयत्नों में मुख्यत: पहले से सृजित उत्पादन सम्भाव्यता के अधिक इस्तेमाल, जिसको कानूनी, वित्तीय और मौद्रिक उपायों का समर्थन प्राप्त हो, व्यापार को विनियमित करने, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण करने और अधिप्राप्ति द्वारा स्टाक प्राप्त करने तथा यथा-सम्भव आयात करने जैसे उपाय शामिल हैं।

1974 के दौरान फसल उत्पादन

2798. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1974 में प्रत्येक राज्य में फसलों का कुल उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार 1974 के कृषि उत्पादन के मूल्य का किस प्रकार अनुमान लगायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) विभिन्न फसलों की बुवाई और कटाई की अवधि के अनुसार समस्त राज्य सरकारों से फसलों का उत्पादन और क्षेत्र के अनुमान प्राप्त करने के लिये कृषि मंत्रालय ने नियमित रूप से व्यवस्था की हुई है। प्रमुख फसलों के उत्पादन के अनुमान प्राप्त करने के लिये अब तक प्रचलित व्यवस्था को 1974–75 के दौरान भी जारी रखा जायेगा। इनके अनुसार, फसल की बुवाई के क्षेत्र और इसकी प्रति हैक्टार औसत उपज के अनुरूप उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। प्रमुख फसलों की बुवाई के क्षेत्र के आंकड़े खेतों में घूम कर राज्य के राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा इकठ्ठे किये जाते हैं। अस्थायी बन्दोबस्त वाले राज्यों में पूर्ण गणना की पद्धति लागू है। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे स्थायी बन्दोबस्त वाले राज्यों में फसल की बुवाई के क्षेत्र के अनुमान नमुना सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं। प्रमुख फसलों की प्रति हैक्टार औसत उपज का अनुमान यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति द्वारा फसल कटाई के अनुभव के आधार पर लगाया जाता है। फसल कटाई परीक्षण सम्बन्धी क्षेत्र कार्य राज्य सरकार के राजस्व/कृषि/सांख्यिकी विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा अधिकतम विपणन अवधि के दौरान उत्पादकों के प्रचारित औसत मूल्यों और कुल उत्पादन के उत्पाद के अनुसार कृषि उत्पादन के मूल्यों का अनुमान लगाया जाता है। वर्ष 1974–75 के लिये कृषि उत्पादन के मूल्य का अनुमान राज्य सरकारों से समस्त फसलों का उत्पादन और उत्पादकों के मूल्यों के अनुमान उपलब्ध होने पर लगाया जायेगा।

Flats Constructed in Prasad Nagar

2799. Shri Shrikishan Modi : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7840 on the 23rd April, 1973 and state the progress of flats being constructed in Prasad Nagar, New Delhi for various categories and time by which these flats will be allotted?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : Out of 604 flats proposed to be constructed in Prasad Nagar area for the Janta, Low Income and Middle Income Groups about 300 houses are in different stages of construction and about 60 to 70 per cent work completed.

Due to acute shortage of cement and building material and uncertain supply position it is not possible to indicate at this stage as to when construction of houses could be completed and allotments made.

Bus service from Naraina to Pahar Ganj in Delhi

2800. Shri Shrikishan Modi : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether he has received a complaint to the effect that there is no direct bus service from Naraina to Pahar Ganj in Delhi as a result of which school going children face a lot of difficulty in reaching the school in time; and

(b) if so, whether there is any proposal to introduce bus service on this route and if so when will it be introduced?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Yes, Sir.

(b) It is not practicable for Delhi Transport Corporation to connect every locality in the city with a direct bus service. A regular shuttle service throughout the day has been provided between Naraina and Shadipur Depot (West Patel Nagar) from where a large number of bus services on various routes are available to Paharganj. Lately, there have been some inadequacies in the bus services from Naraina due to non-operation of all the scheduled trips for want of tyres and some essential spare parts. Steps are being taken to procure these items, so as to ensure regular operation of services by bringing the defective buses back on the road as early as possible.

In view of the above, there is no proposal before the Corporation at present to provide a direct service from Naraina to Paharganj. However, the Corporation has already provided a direct linkage between these two points by mini bus services.

Bus service from Pahar Ganj to Shadipur

2801. Shri Shrikishan Modi : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether he has received any complaint that the people travelling from Pahar Ganj to Shadipur Depot by buses face/great difficulty in catching buses and there is always crowd of people waiting for the buses at these bus stands, and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) No such complaint has been received. Paharganj is well connected to Shadipur Depot of D.T.C. by the services on routes No. 10, 10A, 10B, 13, 13B, 13C, 21, 21A, 22, 22A, 50, 53, 53A and 53C.

In addition, all the mini buses operating from New Delhi Railway Station to Janakpuri, Tilak Nagar and Narain Vihar provide a linkage to the two points. It is considered that the existing services, as indicated above, are adequate to clear the traffic at Pahar Ganj.

डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति में अनियमितताओं के बारे में सदस्यों को भेजा गया पत्र

2802. **श्री योगेश चन्द्र मुर्मू** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेरा इस्माईल खां सहकारी गृह निर्माण समिति, मुबारक शाह, दिल्ली के कार्यकरण में प्रकाश में आई अनियमितताओं के बारे में उक्त समिति की प्रबन्धक समिति के सदस्यों को रजिस्टार, सहकारी समितियां, दिल्ली ने प्रश्नों की एक सूची भेजी है; और यदि हां, तो अनियमिततायें किस प्रकार की हैं; और

(ख) सोसायटी की प्रबन्धक समिति के सदस्यों से कब तक उत्तर देने के लिए कहा गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। सोसायटी के मामलों की जांच करने वाले जांच अधिकारी की रिपोर्ट का सार सोसायटी को 9-7-74 को भेज दिया गया था। जांच रिपोर्ट में बतायी गई त्रुटियां मुख्यत: सदस्यों के गलत नामांकन, हिस्सों के दोषपूर्ण हस्तांतरण, सोसायटी की आदर्श उपविधियों को न अपनाने और सोसायटी की निधियों के उपयोग में की गई अनियमितताओं के बारे में है।

(ख) एक महीना।

बहराइच में उत्पादित गन्ने का बेचा जाना

2803. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में उत्पादित कितना गन्ना अन्य जिलों की चीनी मिलों को बेचा गया;

(ख) ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या जरवाल (बहराइच) स्थित चीनी मिल इस जिले में उत्पादित कुल गन्ने को खरीदने की स्थिति में नहीं है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 1972-73 और 1973-74 के वर्षों के दौरान बहराइच जिले में कुल उत्पादित गन्ने की मात्रा में से क्रमश: 1.60 लाख क्विंटल और 0.69 लाख क्विंटल गन्ना उस जिले के बाहर स्थित चीनी मिलों को बेचा गया था।

(ख) और (ग) आर० बी० लछमन दास शुगर और जनरल मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, जारवाल रोड, जो कि बहराइच जिले में एक मात्र चीनी मिल है, 6000 से 8000 क्विंटल गन्ने की प्रति दिन पिराई करती है जब कि उसकी पंजीबद्ध पिराई क्षमता 11000 क्विंटल प्रति दिन है। कम पिराई का कारण उसके पुराने संयंत्र और मशीने होना है। अत: वह जिले में उत्पादित सारा गन्ना पेरने की स्थिति में नहीं थी और अधिशेष गन्ना उस जिले के बाहर स्थित चीनी मिलों को भेजना ही पड़ता है।

पहराइच जिले में चीनी मिल की स्थापना

2804. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराइच जिले में बहराइच और रिद्दिया में एक चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिए भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ग) क्या किसी अन्य स्थान पर भी मिल की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) इस मामले में और क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) तहसील नानपाड़ा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में 1250 मी० टन की गन्ने की दनिक पेराई क्षमता की एक नयी सहकारी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी फैक्ट्रीज संघ लि० को 20-3-1974 को एक लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंस धारी को राज्य सरकार के परामर्श से उपयुक्त स्थान का चुनाव करना है और उसके बाद केन्द्रीय सरकार को सूचना देनी है। उपयुक्त स्थान को चुनने के बारे में अथवा प्रस्तावित चीनी फैक्ट्री की स्थापना की प्रगति के बारे में लाइसेंसधारी द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हई है।

भूकम्पसह भवनों का निर्माण

2805. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि दिल्ली और बम्बई में विद्यमान या बनायी जा रही बहुमंजिला इमारतें इतनी मजबूत हैं कि वे अधितम भूकम्प-तीव्रता को सहन कर सकती हैं; और

(ख) क्या सरकार ने भविष्य में वैसी ही भूकम्पसह भवन संहिता को लागू करने का निर्णय किया है जैसा कि 31 मई, 1935 के विध्वंसक भूकम्प के बाद क्वेटा में लागू कर दी गई थी और तदनुसार भूकम्प से प्रभावित हुए या भविष्य में इससे प्रभावित होने की सम्भावना वाले क्षेत्रों में केवल ऐसे भवनों के निर्माण की ही अनुमति दी जायेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम महता): (क) भारतीय मानक संस्थान द्वारा 1962 में पहली बार भूकम्पीय संहिता तैयार की गई थी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तब से निर्मित सभी बहुमंजिले भवनों के डिजाइन, विशेष रूप से इसी संहिता के उपबन्धों के अनुसार बनाए गए ह। इससे पूर्व के बने बहुमंजिले भवनों के डिजाईन, यद्यपि विशष रूप से ऐसे नहीं हैं, तो भी उनमें सुरक्षा की व्यवस्था है तथा उन्होंने भूकम्प के तीव्र झटकों को वस्तुतः सहन किया है। तथापि, भूकम्प के प्रत्याशित अधिकतम तीव्र झटकों को सहन करने की इनकी क्षमता के बारे में कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ख) भूकम्प रोधी संरचना के डिजाइन के लिये भारतीय मानक मानदण्ड के अनुसार देश को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विशेष क्षेत्र में निर्मित भवनों के डिजाईन उस क्षेत्र के भूकम्प की तीव्रता का मुकाबला करने की दृष्टि से बनाये जाते हैं। तथापि, संहिता सम्बन्धी उपबन्धों का उद्देश्य भूकम्प सह्य डिजाईनों के लिये विनियम निर्धारित करना नहीं है परन्तु यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक सम्भव हो, ऐसी संरचनाएं बनाई जाएं जो कम तीव्र झटकों को भयंकर संरचनात्मक क्षति के बगैर तथा बहुत तीव्र झटकों को पूर्णतः धराशयी हुए बिना सह सकें। ऐसे ही उपबन्धों को भारत की राष्ट्रीय भवन-निर्माण संहिता में भी शामिल कर दिया गया है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटों का आरक्षण

2806. **श्री एस० एम० सिद्दया** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये सीटों का आरक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया गया है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक फेकल्टी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने छात्र दाखिल किये गये हैं; और

(ग) इस वर्ष अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों ने दाखिले के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं और अब तक कितने छात्रों को दाखिला मिला है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में शिक्षित लोगों की प्रतिशतता

2807. **श्री एस०एम० सिद्दया :**

श्री श्याम सुन्दर महापात्र :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1971 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच पढ़े लिखे लड़कों और लड़कियों की प्रतिशतता कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : विवरण संलग्न है जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित स्त्रियों और पुरुषों की साक्षरता की प्रतिशतता दर्शाई गई है।

विवरण

भारत/राज्य/संघीय क्षेत्र	*अनुसूचित जातियो से संबंधित पुरुषों की साक्षरता की प्रतिशतता	अनुसूचित जातियों से संबंधित स्त्रियों की साक्षरता की प्रतिशतता	अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पुरुषों की साक्षरता की प्रतिशतता	अनुसूचित जनजातियों से संबंधित स्त्रियों की साक्षरता की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
भारत . .	**22.43**	**6.45**	**17.60**	**4.86**
राज्य				
1. आन्ध्र प्रदेश .	15.89	5.29	8.47	2.13
2. असम (मिजोराम सहित)	35.00	15.74	34.62	17.16
3. बिहार . .	11.92	1.03	18.45	4.85
4. गजरात . . .	39.89	14.95	21.83	6.15
5. हरियाणा . . .	20.88	3.09	..	
6. हिमाचल प्रदेश .	27.43	9.74	26.25	5.53
7. जम्मू और कश्मीर . .	19.17	4.18		..
8. केरल . .	47.07	33.43	32.01	19.40
9. मध्य प्रदेश .	21.63	4.00	13.06	2.19
10. महाराष्ट्र . . .	37.02	12.85	19.06	4.21

*आंकड़े अस्थायी हैं।

1	2	3	4	5
11. मणिपूर . . .	36.02	15.96	38.64	18.87
12. मेघालय . . .	25.98	16.85	29.35	22.68
13. मैसूर . . .	20.76	6.69	21.34	7.74
14. नागालैण्ड . . .	..	..	30.17	17.68
15. उड़ीसा . . .	25.98	5.17	16.38	2.58
16. पंजाब . . .	22.94	8.16	..	..
17. राजस्थान . . .	16.35	1.25	12.03	0.49
18. तमिल नाडु . .	32.16	11.32	13.34	4.48
19. त्रिपुरा . . .	30.32	10.06	23.60	6.04
20. उत्तर प्रदेश . .	17.13	2.46	18.93	6.61
21. पश्चिम बंगाल . .	25.78	9.18	14.49	3.09
संघ शासित क्षेत्र				
1. अ० नि० द्वीप समूह . .	..	..	24.14	11.17
2. अरुणाचल प्रदेश . .	52.81	18.01	8.72	1.70
3. चण्डीगढ़ . . .	33.43	12.08	..	..
4. दादरा तथा नगर हवेली .	44.43	24.43	15.30	2.59
5. दिल्ली . . .	39.22	14.32	..	..
6. गोवा, दमन तथा दीव .	34.79	17.38	20.33	5.08
7. ल० मी० तथा अ० मी० द्वीप समूह (लक्षद्वीय)	..	..	54.06	28.94
8. पाण्डिचेरी . . .	27.49	9.60	..	..

टिप्पणी :–0–4 आयु वर्ग की साक्षरता प्रतिशतता सहित ।

*आंकडे अस्थायी हैं ।

पश्चिम बंगाल में वन्य क्षेत्र

2808. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल का कुल वन्य क्षेत्र कितना है और गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष राज्य में वन्य क्षेत्रों के विकास के लिये क्या काम हुआ और कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और यथा-समय लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिम बंगाल में राज्य नौवहन निगम की स्थापना

2809. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल में पश्चिम बंगाल में संयुक्त क्षेत्र में एक राज्य नौवहन निगम की स्थापना का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) ज्ञात हुआ है कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य नौवहन निगम की स्थापना की शक्यता पर विचार कर रही है परन्तु अभी तक अंतिम निर्णय नहीं किया है। उन्होंने मामले में भारत सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

पश्चिम बंगाल में वन विकास परियोजना

2810. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, तथा अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में वन विकास परियोजना के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा कोई राशि मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्षवार कितनी राशि मंजूर की गई है और इस बारे में कितना कार्य किया गया है; और

(ग) इस बारे में वर्ष 1974–75 के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों की मई, 1974 में खाद्य मंत्री के साथ हुई बैठक

2811. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मई में खाद्य मंत्री से मिला था; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या चर्चा हुई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। खाद्य मंत्री से मई, 1974 में ऐसा कोई भी प्रतिनिधीमंडल नहीं मिला था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन लागत में वृध्दि

2812. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत दो वर्षों के दौरान परिवहन लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) अत्यधिक परिवहन लागत से जनता तथा राजनीतिज्ञों की आर्थिक तथा राजनैतिक गति विधियां किस सीमा तक प्रभावित हुई हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) मोटर गाड़ियों की प्रचालन लागत में पिछले दो वर्षों से भारी वृद्धि हुई है।

(ख) देश के विभिन्न कार्यकलापों में सड़क परिवहन लागत के प्रभाव का अनुमान लगाना कठिन है। परन्तु पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के कारण विशेषत: महानगरीय शहर में व्यक्तिक परिवहन से लोगों का झुकाव सार्वजनिक परिवहन की ओर स्पष्ट रूप से हो गया है।

दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों के लिये चलाई जा रही प्राइवेट बसों द्वारा लिए जाने वाले सवारी प्रभार में वृद्धि

2813. **श्री वसंत साठे :**

श्री घामनकर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों के लिये बसें चलाने वाले ठेकेदारों ने हाल ही में प्रति छात्र सवारी शुल्क और बढ़ा दिये हैं और अब तक दिये जाने वाले भाई/बहन रियायत को यह बहाना करके बन्द कर दिया है कि बसों को चलाने का खर्च बढ़ गया है;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली में विभिन्न केन्द्रीय स्कूलों से प्राइवेट बसें चलाने वालों द्वारा मांगे/प्राप्त किये जा रहे किराये-ढांचे को युक्ति संगत बनाया है;

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि बसें चलाने वाले अनुसूचित लाभ न उठा सकें; और

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों के लिये बसों की अपनी व्यवस्था करने का है और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :(क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों को उनके घरों से लाने और ले जाने के लिए इन विद्यालयों को अलग-अलग प्रबन्ध समितियों द्वारा अनुमोदित शर्तों पर दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा बसों का प्रबन्ध किया गया है, क्योंकि इस प्रयोजन के लिए दिल्ली परिवहन निगम बसें मुहैया करने में समर्थ नहीं हो सका है।

2. चालू शैक्षिक वर्ष (1974–75) के दौरान, तेल, लुब्रिकेट, टायरों की कीमत और वेतनों आदि में वृद्धि हो जाने के कारण बस-किराये में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बस किराये में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की अनुमति प्रदान करने से संबंधित निर्णय, इस वर्ष दिल्ली स्थित केन्द्रीय स्कूलों के प्रधानाचार्यों की एक बैठक में लिया गया था। इन विद्यालयों की अपनी अपनी प्रबन्ध समिति द्वारा प्रत्येक मामले में इस वृद्धि का अनुमोदन कर दिया गया है।

3. दिल्ली के किसी भी केन्द्रीय विद्यालय में इन बसों का प्रयोग करने वाले भाई व बहिनों के किरायों में वर्तमान रियायतों को इस वर्ष वापस अथवा रद्द नहीं किया गया है।

4. विद्यालयों द्वारा किये गये इन परिवहन प्रबन्धों से न तो सरकार का और न ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन का प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध है। इस प्रयोजन के लिये सरकार अथवा संगठन द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा किये गये इन बस-प्रबन्धों के संबंध में संगठन द्वारा सामान्य मार्गदर्शी रूप-रेखाएं जारी की गयी हैं। प्रधानाचार्यों द्वारा परस्पर परामर्श के जरिए, निविदाएं मंगाकर और विद्यालयों की प्रबंध समितियों से ठेके की शर्तों को अनुमोदित कराकर किराये की दरों की संरचना में युक्तिसंगतता लाने और बस संचालकों द्वारा यथासंभव शोषण को कम से कम करने का प्रयत्न किया जाता है।

5. वित्तीय कठिनाई के कारण, केन्द्रीय विद्यालय संगठन का बच्चों को उनके घरों से लाने और ले जाने के लिए परिवहन संबंधी अपनी व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों को निकट भविष्य में प्राधिकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सुविख्यात कलाकारों तथा लेखकों को नेशनल प्रोफेसरशिप का पुरस्कार और सहायता देना

2814. **श्री धामनकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकट में पड़े सुविख्यात कलाकारों, लेख क और विद्वानों को नेशनल प्रोफेसरशिप का पुरस्कार देने और सहायता पेंशन देने संबंधी योजना को पुनः सक्रिय बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और यह प्रस्ताव अभी किस अवस्था में है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रो० एस० नुरूल हसन) :(क) निम्नलिखित प्रस्ताव सरकार के विचाराधिन हैं :

(i) कलाओं तथा जीवन के अन्य ऐसे ही क्षेत्रों के ऐसे सुविख्यात व्यक्तियों को, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में हों, वित्तीय सहायता देने की योजना का पुनः चालू करना ।

(ii) निष्पादन, साहित्य और रुपंकार कलाओं के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कलाकारों को शिक्षावृत्तियां प्रदान करने हेतु एक नई योजना को प्रारंभ करना ।

(ख) पांचवीं आयोजनागत योजनाओं के रूप में दो योजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है और ये यथाशीघ्र शुरू कर दी जायेंगी, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों । इनमें से प्रथम योजना में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा खर्च वहन किया जाना और आवेदकों के लिए अधिकतम आय सीमा को 150 रुपये प्रतिमाह से 250 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की परिकल्पना है ।

कलाओं तथा जीवन के अन्य ऐसे ही क्षेत्रों के ऐसे विख्यात व्यक्तियों को जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में हों, सहायता प्रदान करने की 1961 की योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही केन्द्रीय सरकार के पास नहीं रही है और अब उसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हो गई है ।

दूसरी योजना में क्रमशः 1000 रुपये प्रतिमास तथा 500 रुपये प्रतिमाह की दो प्रकार की शिक्षावृत्तियां प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, और वे सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

उड़ीसा को समाज कल्याण अनुदान

2815. **श्री शाम सुन्दर महापात्र :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को किस प्रकार का समाज कल्याण अनुदान दिया गया है और समाज कल्याण संबंधी कार्य के लिये कितने स्वयंसेवी संगठनों को ये अनुदान मिल रहे है; और

(ख) क्या आगामी वर्ष के दौरान उड़ीसा में समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई आर्थिक परियोजना स्वीकार की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) उड़ीसा को निम्नलिखित योजनाओं के लिए समाज कल्याण अनुदान दिया गया है :—

1. 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, दूध पिलाने वाली और गर्भवती माताओं के लिए विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम हेतु उड़ीसा सरकार को अनुदान ।

2. स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित योजनाओं के लिए अनुदान :—

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए भवन का निर्माण ।

(2) बालवाड़ी पौष्टिक आहार कार्यक्रम ।

(3) बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

इनके अतिरिक्त सरकार केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान देती है जो उड़ीसा में स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित योजनाओं के लिए अनुदान देता है :—

(1) वयस्क स्त्रियों के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रमों की योजना ।

(2) सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम ।

(3) कल्याण विस्तार परियोजना (शहरी) ।

(4) बच्चों के लिए अवकाश शिबिर ।

(5) साधारण सहायक अनुदान कार्यक्रम ।

(6) परिवार और बाल कल्याण कार्यक्रम ।

(7) महिला मंडल प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए सहायक अनुदान ।

(8) भूतपूर्व प्रदर्शन परियोजनाओ की बालवाड़िया ।

(9) बालवाड़ी पौष्टिक आहार कार्यक्रम ।

(10) परिवार और बाल कल्याण प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

चार स्वयंसेवी संगठनों ने समाज कल्याण विभाग से सीधे अनुदान प्राप्त किए। इस राज्य के जिन स्वयंसेवी संगठनों ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अथवा किसी अन्य संस्था से अनुदान प्राप्त किए, उनकी संख्या सुलभ नहीं है ।

(ख) समाज कल्याण विभाग ने उड़ीसा के लिए कोई आर्थिक परियोजना सीधे स्वीकार नहीं की है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जिसे उक्त विभाग द्वारा धन दिया जाता है, की आगामी वर्ष में उड़ीसा के लिए आर्थिक लाभ की योजनाए हैं ।

उड़ीसा में आदिवासियों और हरिजनों में निरक्षरता की प्रतिशतता

2816. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में आदिवासियों और हरिजनों के बीच पढ़े लिखे लोगों की प्रतिशतता क्या है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : 1971 की जनगणना के अनुसार, उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में साक्षरता (0–4 आयु-वर्ग सहित) की अनन्तिम प्रतिशतता क्रमशः 15.61 और 9.46 है ।

पारादीप बन्दरगाह

2817. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावी योजनावधि में पारादीप बन्दरगाह के विस्तार का कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी धन-राशि के व्यय का अनुमान है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) विस्तार कार्यक्रम यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार शुरू किये जाते हैं। पत्तन की परिचालनात्मक कुशलता को बनाये रखने सुधारने के लिए आवश्यक लोहायस्क के पहले से अधिक यातायात की धरा उठाई करने और ऐसी अन्य योजनाओं के लिए पत्तन की क्षमता बढ़ाने और अग्रेनीत परियोजनाओं हेतु, पांचवीं योजना मसौदे में व्यवस्था का सुझाव दिया गया है।

'पूर्व मध्यमा' को मैट्रिक के समान मान्यता देना

2818. **श्री के० लकप्पा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विद्या भवन, बम्बई द्वारा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के संस्कृत बोर्ड की ओर से ली जा रही पूर्व मध्यमा, परीक्षा को गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में हाई स्कूल के तुल्य मान्यता दे दी गई है और वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय ने भी इस परीक्षा को मैट्रिक के तुल्य मान्यता दी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र में इस परीक्षा को मैट्रिक के तुल्य मानने में भारत सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) "पूर्व मध्यमा" परीक्षा सहित भारतीय विद्या भवन, बम्बई द्वारा संचालित परीक्षाएं संस्कृत बोर्ड अथवा भारत सरकार अथवा उसके किसी भी निकाय की ओर से संचालित नहीं की जाती है।

तथापि, भारत सरकार ने भारतीय विद्या भवन की मध्यमा परीक्षा को संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति के लिये उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान की है। "पूर्व मध्यमा" को मैट्रिक के समकक्ष मान्यता देने के प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है तथा इस संबंध में भारतीय विद्या भवन से अनुरोध प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की आगरा छावनी में भूमि का कुछ भाग दिया जाना

2819. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने रक्षा मंत्रालय से आगरा छावनी में भूमि के उस भाग को उन्हें देने का अनुरोध किया है जहां पर शिवाजी को बंदी बनाया गया था ताकि उसे प्राचीन स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रक्षा मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन): (क) आगरे की नगर-दीवारों के बाहर एक मकान में कुंवर राम सिंह की अभिरक्षा में छत्रपति शिवाजी को रखा गया था, तथापि उस स्थान की ठीक स्थिति अभी तक ज्ञात नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंगलैंड में हुआ क्रिकेट टैस्ट मैच

2820. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लंदन में हुए हाल के क्रिकेट टैस्ट मैच में भारत की हुई बहुत बुरी तरह की हार के कारणों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) : भारत के क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय को सूचित किया है कि जिस भारतीय क्रिकेट टीम ने इस वर्ष इंग्लैण्ड का भ्रमण किया था, उस टीम के मैनेजर की रिपोर्ट पर क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की कार्य-समिति द्वारा 20 अगस्त, 1974 को विचार किया जाएगा। बोर्ड ने अपनी कार्य समिति की बैठक के बाद अन्य बातों के साथ-साथ, इस दौरे के दौरान भारतीय टीम के कार्य के संबंध में पूरी रिपोर्ट भेज देने का आश्वासन दिया है।

खेलकूद के लिये पांचवीं योजना में व्यवस्था

2821. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेलकूद लोकप्रिय बनाने के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में मूल व्यवस्था क्या की गई है और कितने धन राशि का आवंटन किया गया है; और

(ख) भारत में फुटबाल को लोकप्रिय बनाने तथा इसके स्तर को सुधारने के लिये क्या उपाय किये गए है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संकृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) पांचवी पंचवर्षीय आयोजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। मसौदा पांचवी पंचवर्षीय आयोजना में खेलों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 1270 लाख रुपये का विनिधान करने का प्रस्ताव है।

(ख) सरकार फुटबाल सहित देश में खेलों के स्तरों में सुधार करने के लिए समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रही है।

राष्ट्रीय वार्षिक प्रतियोगिताएं, सीनियरों और जूनियरों के लिए प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करने तथा विदेश में चुनी हुई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में भाग लेने और विभिन्न राष्ट्रीय खेलों से सम्बद्ध सहायक सचिवों को वेतन की अदायगी करने के लिए राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता दी जाती है।

राज्य खेल परिषदों से अनुरोध प्राप्त होने पर, प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करने, स्टेडियम के निर्माण, खेल उपस्कर खरीदने, ग्रामीण खेल केन्द्रों आदि की स्थापना के लिए उन्हें धन उपलब्ध किया जाता है।

स्कूल तथा कालेज के छात्रों के लिए खेल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शारीरिक सुविधाओं के निर्माण/सुधार तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए धन की व्यवस्था करके विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों को प्रोत्साहित करता रहा है।

ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं को खंड जिला और राज्य स्तर पर आयोजित करने तथा नेताजी सुभाष खेल संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राज्य खल परिषदों को भी आर्थिक सहायता दी जाती है। कुछ विशिष्ट खेलों, अर्थात् जलक्रीडा व्यवसाय पर निर्भर रहने वाले अभिभावकों के बच्चों के लिए तैरना, जनजाति के युवकों के लिए धनुर्विद्या; ग्रामीण और जनजाति के युवकों के लिए लम्बे दौड़ में ग्रामीण और जनजाति खिलाड़ियों के लिए विशष प्रशिक्षण शिबिरों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिससे खेलों के लिए बृहद्भमिका बनाई जा सके और इसे फिर चालू वर्ष के दौरान लगातार आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, "नट" जन-जाति के बच्चों के लिए व्यायाम में एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित करने का विचार है जो अपनी जिविका कला बाजी के कामों से कमाते हैं। ये सभी खेल सरकार की वित्तीय सहायता से आयोजित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत, प्रशिक्षित खेल शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनकी सहायता करने के लिए उनकी सेवाएं राज्य खेल परिषदों की इच्छा पर छोड़े जाते है। ग्रामिण क्षेत्रो में खेलों के कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने और अधिक विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रतिभाशाली युवकों की खोज करने हेतु विभिन्न जिलों में स्थापित विभिन्न नेहरू युवक केन्द्रों में प्रशिक्षित खेल शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है ।

पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति

2823. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक के 27 जुलाई, 1974 में "विलेंजिस स्टार्व इनवैस्ट बंगाल—ग्रेव क्राइसिस लाइकिली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने और कथित भूखमरी से जनता को बचाने के लिये खाद्यान्नों की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) इस सम्बन्ध में एक समाचार सरकार के ध्यान में आया है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गांवों में खाद्यान्नों समेत अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि और रोजगार की कमी के कारण संकट चल रहा है । सहायता देने की दृष्टि से पश्चिमी बंगाल को यथा सम्भव अधिकतम मात्रा में खाद्यान्न दिए जा रहे हैं । राज्य सरकार को अधिशेष राज्यों से द्विपक्षीय आधार पर लेवी मुक्त चावल खरीदने और व्यापारिक खाते में लेवी मुक्त गेहूं मंगवाने की इजाजत दी गई है । राज्य सरकार ने संकटपूर्ण क्षेत्रों में मुफ्त राहत के देने, राहत कार्य योजनाओं को कार्य रूप देने और संशोधित राहत कार्य; आदि शुरू किए हैं ।

भूमि उपयोग प्राधिकरण ढांचा सुझाने के लिये समिति का गठन

2824. **श्री पोल मोदी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि उपयोग प्राधीकरण के ढांच सम्बन्धी सुझाव देने के लिये एक समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और समिति के विस्तृत निर्देश पद क्या हैं और उसका प्रतिवेदन सरकार को कब प्राप्त होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां ।

(ख) समिति की संरचना निम्न प्रकार से है :—

सदस्य (ए) योजना आयोग . .	अध्यक्ष
सचिव (कृषि) . .	सदस्य
सचिव (सी० डी० एण्ड सी०)	,,
सचिव (डी० ए० आर० ई०)	,,
सचिव (आई० एण्ड पी०) . .	,,
सचिव (वित्त)	,,
वन महानीरिक्षक	,,
अपर सचिव (ओ० एस० डी०) (कृषि विभाग) . . .	(सदस्य सचिव)

समिति के विचारार्थ विषयो में निम्नलिखित मामलों पर विचार कर के रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है :—

(क) यह निश्चय करना कि प्रस्तावित केन्द्रीय भूमि उपयोग आयोग या अधिकरण की किस प्रकार नियुक्ति होनी चाहिए जो भारत की भमि-प्रबंध सम्बन्धी समस्याओं पर लगातार निगरानी रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें हर अवस्था में काफी ध्यान मिलता है या नहीं।

(ख) उसने किन किन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करना है।

(ग) वह किस पद्धति के अनुसार कार्य करेगा।

(घ) उसे कितने वित्तीय अधिकारों की आवश्यकता होगी।

आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1974 के अंत तक प्रस्तुत कर देगी।

नेहरू युवक केंद्रों के अधीन ग्रंथालय स्थापित करना

2825. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान नेहरू युवक केन्द्रों के अधीन ग्रंथालय स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधान चालू वित्तीय वर्ष में राज्यवार, कितने ग्रंथालय स्थापित किये जायेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) प्रत्येक नेहरु युवक केन्द्र के पास पहले से ही अपना एक छोटासा पुस्तकालय है। राज्यों में इस समय कार्य कर रहे नेहरू युवक केन्द्रों की संख्या निम्नलिखित है :—

आन्ध्र प्रदेश	7
अरूणाचल प्रदेश	1
असम	3
बिहार	7
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	3
कर्नाटक	6
मध्य प्रदेश	9
मणिपूर	1
मिजोरम	1
मेघालय	1
महाराष्ट्र	2
उड़ीसा	5
पंजाब	3
राजस्थान	6
तमिलनाडु	4
उत्तर प्रदेश	10

पश्चिम बंगाल	5
अंडमान तथा निकोबार द्वीप	1
गोआ	1
चण्डीगढ़	1
दिल्ली	1
पांडिचेरी	1

चालू वित्तीय वर्ष में खोले जाने वाले नेहरू युवक केन्द्रों के पास अपना पुस्तकालय होगा । निम्नलिखित नेहरू युवक केन्द्र संस्वीकृत हो चुके हैं और निकट भविष्य में उनके स्थापित होने की सम्भावना है :—

केरल	3
गुजरात	3
उत्तर प्रदेश	3
जम्मू तथा कश्मीर	2
त्रिपुरा	1
बिहार	1
नागालैन्ड	1

जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय वारंगल को मान्यता न दिया जाना

2826. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, वारंगल को मान्यता देने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने, वारंगल में नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सलाह मांगी थी। तथापि, आयोग की सलाह की प्रतीक्षा किए बिना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संशोधन (अधिनियम) 1972 के लागू होने के बाद यह विश्वविद्यालय 2 अक्तूबर, 1972 को स्थापित किया गया था। अधिनियम की धारा 12(क) इस प्रकार है :

"केन्द्रीय सरकार, आयोग अथवा कोई भी अन्य संस्था द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार से निधियां प्राप्त हो रही हों, किसी ऐसे विश्वविद्यालय को अनुदान नहीं दिया जाएगा जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम 1972 के लागू होने के बाद की गई हो जब तक कि आयोग, ऐसे निर्धारित मामलों के आधार पर विचार करके अपने आप को संतुष्ट करके ऐसे विश्वविद्यालय को इस प्रकार का अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य घोषित न करें।"

देश में प्रौद्योगिकीय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित निर्णय किया है :—

"आयोग इस बात से सहमत था कि यद्यपि तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्रों में नवीकरण तथा प्रयोग की तत्काल आवश्यकता है, यह सम्बन्ध कामकाज वाले प्रौद्योगिकीय और चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश नहीं कर सकता। किन्तु यदि ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करने की अत्यन्त शक्षणीक आवश्यकता हो तो उनकी स्थापना सम्बन्द्धन दायित्व के बगर एकात्मक विश्वविद्यालय के रूप में (रुड़की विश्वविद्यालय, भा० प्रो० सं० अथवा अ० भा० मे० वि० संस्थान की पद्धति पर) की जानी चाहिए। आयोग का यह भी मत था कि एसे विश्वविद्यालय स्थापित करने के स्थान पर चुने हुए कालेजो को स्वायत्त स्तर प्रदान करना तथा विश्वविद्यालयो कों विद्यमान रुपरेखा के अन्तर्गत ही इंजीनियरी, तकनीकी तथा चिकित्सा कालेजों/संस्थाओं को और अधिक धन उपलब्ध करना वांछनिय होगा।"

राज्य सरकार से हाल ही में अनुरोध किया गया है कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या आयोग के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार वह जवाहरलाल नेहरु प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय का पुनर्गठन करना चाहेगी।

कृषि श्रमिक

2827. श्री शक्ति कुमार सरकार: क्या कृषि] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि श्रमिकों की संख्या के बारे में मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में जिलेवार कृषि श्रमिक कितने हैं ?

कृषि मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री० अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(ख) 1971 की जनगणना के आधार पर देश में राज्यवार आधार पर कृषि श्रमिकों की संख्या और पश्चिम बंगाल में जिलेवार कृषि श्रमिकों की संख्या को प्रदर्शित करने वाले दो विवरण संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रख गये। दखिये, संख्या एल० टी० 8223/74]**

राजनैतिक दलों के ऐसे नेताओं को जो संसद सदस्य है, बंगलों का आवंटन

2828. श्री मोहम्मद इस्माईल : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली में राजनैतिक दल के ऐसे नेता जो संसद सदस्य भी हैं को आवंटित बंगले तथा उक्त केन्द्रीय क्षेत्र के उसी प्रकार के बंगलों का मार्केट दर पर वर्तमान मकान किराया क्या है; और

(ख) क्या अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं, जो संसद सदस्य भी हैं, के लिये इसी प्रकार के केन्द्रीय स्थान पर स्थित आवास की व्यवस्था की गयी है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम महता) : (क) एक राजनीतिक दल के नेता, जो संसद सदस्य भी हैं, को जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली में आबंटित किए गए

बंगले का वर्तमान मार्कीट किराया 4058/– रुपये प्रति माह है। उसी केन्द्रीय क्षेत्र के कुछ बंगलो का मार्कीट किराया निम्नलिखित है :—

नं० 15 अकबर रोड	.	3,273.25 रुपये प्रति माह
नं० 9, जनपथ .	.	5,189.85 रुपये प्रतिमाह
नं० 11, अशोक रोड	.	2,912.35 रुपये प्रति माह
नं० 4, जंतर मंतर रोड	.	2,875.70 रुपय प्रति माह

(ख) जी, हां।

गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच हुआ परिवहन करार

2829. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच कोई परिवहन करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बाते क्या हैं और इससे गुजरात सरकार को कितनी सहायता मिलेगी; और;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) से (ग) गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच अगस्त, 1961 में एक पारस्परिक परिवहन करार हुआ। उक्त करार की समीक्षा की गई है और उस में समय समय पर संशोधन किया गया है। मौजूदा करार की मुख्य मुख्य बाते नीचे दी गई है :—

(1) यात्री वाहन :

गुजरात राज्य सडक परिवहन निगम सात अन्तर्राज्यीय मार्गों पर यात्री वाहन का परिचालक कर रहा है, जिसका मध्य प्रदेश में 1589 किलोमीटर तक विस्तार है, जबकि मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 8 अन्तर्राज्यीय भागों पर यह सेवा चला रहा है जिसका गुजरात में 1534 कि० मी० तक विस्तार है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली यात्री बसों को एकल स्थान मोटर गाड़ी कर के आधार पर चलने की अनुमति है। परन्तु प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले मील दूरी के अनुसार यात्री कर दोनों राज्यों को देय है।

(2) सार्वजनिक वाहन :

प्रत्येक राज्य द्वारा प्रति-हस्ताक्षर के लिए 115 सार्वजनिक गाड़ियों का कोटा निर्धारित किया गया है। इस समय सार्वजनिक गाड़ी के परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर 6 अन्तर्राज्यीय मार्गों के लिए जारी किये जाते हैं। इस करार के अन्तर्गत चलने वाली सार्वजनिक माल गाड़ियों को एकल स्थान मोटर गाड़ी कर के आधार पर चलने की अनुमति है। परन्तु, संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर माल कर दोनों राज्यों को देय है।

(3) प्राइवेट वाहन :

प्रत्येक राज्य के प्राइवेट वाहन परमिट 10 माल गाड़ियों तक प्रतिहस्ताक्षरित किये जाते हैं जिसमें उनको 6 अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने के लिए अधिकृत किया जाता है और अनुमति से 30 कि० मी० तक का रास्ता मोड़ा जा सकता है। प्राइवेट माल गाड़ियों को एकल स्थान मोटर कर के आधार पर चलने की अनुमति होती है। परन्तु माल कर दोनों राज्यों को देय है। राज्य सरकार की गाड़ियों, जो गृह राज्य में कर मुक्त होती हैं, को पारस्परिक राज्य में कर की अदायगी से छूट दी जाती है।

(4) अस्थायी परमिट (सार्वजनकि और प्राइवट) :

कलेण्डर मास के आधार पर किसी भी संस्था में परमिट जारी किये जाय जिसमें दोहरे स्थान मोटर गाड़ी एवं माल कर के आधार पर 6 अन्तर्राज्यीय मार्गों के लिए पारस्परिक राज्यों में माल गाड़ियों का परिचालन अधिकृत किया जाये ।

(5) ठेका वाहन परमिठ :

(क) किसी भी राज्य के राज्य परिवहन उपक्रम की ठेका गाड़ियों को 10 बसों तक दूसरे राज्य में जाने वाले किसी मार्ग पर एकल स्थान मोटर गाड़ी कर के आधार पर चलने की अनुमति है । परन्तु सम्बन्धित राज्य में पड़ने वाली मील दूरी के आधार पर दोनों राज्यों को यात्री कर देय है ।

(ख) अस्थायी परमिटों पर, अन्य राज्यों में अन्तर्राज्यीय मार्गों पर प्रतिमास 50 तक ठेका गाड़ी टैक्सियो चलाने की अनुमति है । इन टैक्सियों को दोहरे स्थान गाड़ी कर पर चलाने का अनुमति है ।

(ग) किसी विनिर्दिष्ट अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिए किसी महीने में 10 गाड़ियों तक के मासिक आधार पर मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 63(6) के अन्तर्गत मासिक आधार पर ठका गाड़ियो (पर्यटक गाड़ियां) को विशेष परमिट जारी किये जाते है । इन गाड़ियों को एकल स्थान मोटर गाड़ी कर के आधार पर चलाने की अनुमति है ।

परन्तु प्रत्येक राज्य में पड़ने वाली मील दूरी के आधार पर यात्री कर दोनों राज्यों को देय है ।

उपरोक्त करार की पीछे अप्रैल, 1973 में दोनों राज्य सरकारों द्वारा समीक्षा की गई थी और एक संशोधित करार को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

गुजरात में भूमि सम्बन्धी रिकार्ड का शुद्ध किया जाना

2830. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक जबरदस्त आन्दोलन शुरू किया है कि भूमि सम्बन्धी रिकार्ड अद्यतन और शुद्ध हों तथा विभिन्न भमि सुधार कानूनों के अन्तर्गत जोतदारों की भूमि उन्हे दे दी जाये;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में कितनी सफलता प्राप्त हुई; और

(ग) क्या इस प्रयोजना से गुजरात सरकार ने भी आठ विशेष दल नियुक्त किये है; और क्या उन दलों ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, गुजरात सरकार ने भूमि कार्ड ठीक तथा अद्यतन करने के लिए बम्बई पट्टेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अभियान प्रारम्भ किया है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त कार्य के लिये आठ विशेष दल नियुक्त किये गये थे । इन्होंने 12,981 ग्रामों से 8,865 ग्रामों में अपना कार्य पूरा कर लिया है और पट्टेदारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के विषय में एग्रिकल्चरल लैण्ड ट्रिब्यूनलस द्वारा जारी किए हुए 22,671 आदेशों को रिकार्ड में दर्ज किया जा चुका है । इन दलों ने 17,48,423 भूमि सम्बन्धी कागज़ पत्रों की भी जांच की है और इनमें से 40,423 अज्ञात पट्टेदारों की खोज की है तथा इनमें से 33,313 लोगों को पट्टेदारों के रूप में दर्ज कर लिया है । इसके अतिरिक्त, इन्होंने पट्टेदारी अधिनियम के अन्तर्गत, विस्तृत सूची से छुटे हुए 1,30,884 पट्टेदारों को, स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिये, विस्तृत पूरक सूची में नाम दर्ज कर लिये है ।

गुजरात में गंदी बस्तियों की सफाई कार्यक्रम

2831. **श्री प्रसन्न भाई महता :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात गन्दी बस्ती सफाई बोर्ड ने राज्य में गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्यक्रम को चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी है;

(ख) क्या बोर्ड के चैयरमैन ने शिकायत की है कि बोर्ड को राज्य में राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य सरकारों से कोई राजसहायता अथवा ऋण नहीं मिला है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने सहायता देने के बारे में चेयरमैन को आश्वासन दिया है; और

(घ) क्या चैयरमैन ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि सरकार और नगरपालिका की सभी भूमि बोर्ड को दे दी जानी चाहिये और यदि हां, तो राज्य सरकार की इस प्रस्ताव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (घ) गुजरात गन्दी बस्ती उन्मूलन बोर्ड के अध्यक्ष ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वे राज्य सरकार को यह निर्देश दे कि वह बोर्ड को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करे जिस में राजसहायता तथा ऋण देना और सरकार एवं नगर निगम की उस समस्त भूमि को बोर्ड को हस्तांतरित करना है जहां गन्दी बस्तियां मौजूद हैं। राज्य सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

हाउस टैक्स को वापस करने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका के पास लंबित आवेदन-पत्र

2832. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार हाउस टैक्स को वापस करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका नई दिल्ली को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार, इनमें से कितने आवेदन पत्र, निपटाये गये और इनमें से कितने अभी तक लंबित हैं और इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र के अधीन मकान मालिकों में व्यापक रोष है क्योंकि नई दिल्ली नगरपालिका के पास धनराशि वापस करने के ऐसे मामलों को निपटाने के लिये कोई उपयुक्त प्रक्रिया नहीं है और हाउस टैक्स को वापस करने में कई वर्ष लग जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को सुधारने और छः महीने के अन्दर धनराशि वापस करने के ऐसे अधिकतम मामलों को निपटाने में यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क)

1971–72	8
1972–73 . . .	13
1973–74 . .	6

(ख) सभी निपटाये जा चुके हैं।

(ग) ऐसा कोई रोष नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली नगर पालिका की विभागीय उप-समिति

2833. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के प्रेजीडेंट ने अनेक विभागीय उपसमितियां समाप्त कर दी हैं जिससे जनता में भारी असंतोष फैल गया है क्योंकि नई दिल्ली नगर पालिका के स्वास्थ्य सफाई तथा अन्य विभागों में काम लगभग रुक गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन उपसमितियों का काम करने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और बकाया काम किस प्रकार निपटाया जा रहा है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) पहले नई दिल्ली नगर पालिका कई उप-समितियां नियुक्त किया करती थी जिन की सिफारिशें अन्तिम निर्णय के लिए समिति को प्रस्तुत की जाती थीं। अक्तूबर, 1973 में नई दिल्ली नगर पालिका ने सामूहिक रूप से (न कि अध्यक्ष ने स्वयमेव) निर्णय लिया कि क्योंकि ऐसे सभी मामलों में अन्तिम निर्णय समिति को समग्र रूप से लेना होता है, अत: भविष्य में समिति सभी कार्य सीधे तौर पर निपटायेगी। ऐसा विलम्ब कम करने तथा कार्य को शीघ्र निपटाने के लिये किया गया था। परिणामत: कार्य में कोई गतिरोध नहीं हुआ है और काम बकाया नहीं पड़ा हुआ है। लोगों में किसी प्रकार का रोष भी नहीं है।

दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों से लाल गेहूं का वितरण

2834. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों से दिल्ली की उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ताओं को घटिया किस्म का लाल गेहूं दिया जा रहा है और इस बारे में अनेक शिकायतें भी की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं, और इन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को देशी गेहूं या कल्याण गेहूं न दिये जाने के क्या कारण हैं जैसा कि पहले किया जा रहा था ; और

(ग) दिल्ली के उपभोक्ताओं की इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम पिछले दो अथवा तीन महिनों से दिल्ली की उचित मूल्य की दुकानों को मानक विनिर्दिष्टियों के अनुसार लाल गेहूं आवंटित कर रहा है। जो शिकायतें प्राप्त हुई है वे, कुल मिलाकर, उपभोक्ताओं के देशी अथवा कल्याण गेहूं के पंसद करने के कारण हैं। दिल्ली क्षेत्र में गेहूं की इन किस्मों के कम स्टाक को देखते हुये इन्हें सप्लाई नहीं किया जा सका। तथापि यथा सम्भव दिल्ली को देशी गेहूं आवंटित करने के लिए उपाय किए जा रहे है।

दिल्ली में संगीत अध्यापिकाओं को पी० जे० टी० का वेतनमान न दिया जाना

2835. श्री मधु दण्डवते : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में अध्यापन कार्य कर रही संगीत अध्यापिकाओं को पी० जी० टी० का वेतनमान नहीं दिया गया है हालांकि उनकी भर्ती वर्ष 1959 में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी मिलों को ऋण सुविधाएं

2836. श्री बनमाली बाबू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग के विकास तथा चीनी उत्पादन में वृद्धि के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या चीनी मिलों की पर्याप्त ऋण सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का भी विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उस की रूप रेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) आंशिक नियन्त्रण की नीति और अधिक उत्पादन शुल्क में छूट देने से चीनी का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली थी । नई फैक्ट्रियां स्थापित करने और मौजूदा यूनिटों के विस्तार के लिए पहले से जारी किए गए लाइसेंस को शीघ्र कार्यरूप देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ; गन्ना के विकास में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार करने की दिशा में ध्यान दिया जा रहा है । लाइसेंसशुदा यूनिटों की क्षमता में वृद्धि से सरकार को आशा है कि 1979 तक 60 लाख मीटरी टन वार्षिक चीनी उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव हो जाएगा ।

(ख) और (ग) भारत के रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को प्राधिकृत किया है कि वे पिछले दो पिराई मौसमों के दौरान स्वीकृत नियमित सीमाओं के अधीन अधिकतम बकाया स्तर तक चीनी के स्टाक पर 1973–74 के लेवी मौसम के दौरान चीनी मिलों को ऋण सीमाएं स्वीकार करें । बैंक उपयुक्त मामलों में अधिकतर ऋण सीमाएं मंजूर करने में स्वतन्त्र है लेकिन रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकार प्राप्त करना होगा यह प्राधिकार यहां आवश्यक था वहां दिया गया है। इस तथ्य कि 1973-74 के दौरान संशोधित अनुमानित उत्पादन पिछले वर्ष से केवल मामूली अधिक होने की सम्भावना और इस वर्ष चीनी की अधिकतर मात्रा के निर्यात करने के निर्णय और चालू सदास्थीति प्रकृत्तियों द्वारा उत्पन्न दबावों की दृष्टि में इस स्थिति को सुधारना सम्भव नही हुआ है ।

दिल्ली परिवहन निगम की बसें

2837. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने अपनी बसों की संख्या बढाने के लिए गत वर्ष कितनी बसें खरीदी हैं;

(ख) इसी अवधि में कितनी बसे बहुत पुरानी हो गई हैं और क्या वे बेच दी गई हैं और यदि हां, तो किस मूल्य पर और इस मूल्य में उन के क्रय मूल्य की अपेक्षा कितना अन्तर है; और

(ग) बसों की संख्या में की गई वृद्धि से नागरिकों की मांग किस हद तक पूरी होगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) 1 अगस्त, 1973 से 31 जुलाई, 1974 तक दिल्ली परिवहन निगम ने 340 नई बसें प्राप्त की ।

(ख) उक्त अवधि के दौरान 355 बसों को बेकार घोषित किया गया । इनमें से 227 बसों की, उनके उपयोगी हिस्से को उतार कर, सार्वजनिक नीलामी कर दी गई । इनमें से प्रत्येक बस से औसतम 5,000 रुपये प्राप्त हुए, जबकि इनकी लगभग औसत खरीद कीमत 60,000 रुपये प्रति बस थी ।

(ग) पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें लेने से दिल्ली में बस सेवाओं के परिचालन में कुछ सुधार हुआ है । जब 1974–75 के कार्यक्रमानुसार सभी नई बसें प्राप्त हो जाएंगी, तो लोगों को और भी राहत मिलेगी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिय सीटों की संख्या में कमी करना

2888. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने अर्थशास्त्र ग्रुप में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये सीटों को संख्या में कमी कर दी है ;

(ख) क्या इन कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को टेस्ट देना पड़ता है । यदि बी० ए० की परीक्षा में उन के अंक 50 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के बीच हो ; और

(ग) क्या ये प्रतिबन्ध अन्य ग्रुपों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर नहीं लगाये जाते हैं ; और यदि हां, तो क्या यह भेदभाव खत्म किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन): (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार चालू शिक्षा सत्र में एम० ए० (अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में सीटों की संख्या 200 से घटाकर 150 कर दी गई है ;

(ख) जिन छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी०ए० (आनर्स) की परीक्षा 55% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की हो उन्हें प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाती है । बाकी सभी पात्र छात्रों को परीक्षा में बैठना पड़ता है ।

(ग) व्यापार प्रबन्ध, अंग्रेजी, औषध, समाजशास्त्र इत्यादि जैसे विश्वविद्यालय के कुछ अन्य विभागों द्वारा दाखिले के लिये लिखित अथवा मौखिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं ।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास योजना

2839. **श्री नरेन्द्र कुमार सालवे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये समेकित राज सहायता प्राप्त आवास योजना के अधीन बनाये गये मकानों की बिक्री के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है जिस की सिफारिश मद्रास में हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन में की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक बनायी जायेगी और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता : (क) जी, हां ।

(ख) विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(i) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि के कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों को देने के लिए बनाए गए मकानों की संख्या को देखते हुए, मकानों को वर्तमान दखलकारों को बेचने के कार्यक्षेत्र

आवश्यकता और वांछनीयता की जांच करना तथा केन्द्रीय सरकार को तद्विषयक सलाह देना ;

(ii) औद्योगिक कर्मचारियों के, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अथवा औद्योगिक कर्मचारी होने के नाते उन्हें दिए गए मकानों को अपने पास रखने के लिए अपात्र हो जाने के बाद उनके पुनर्वास की व्यवस्था के लिए उपाय सुझाना;

(iii) निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए मकानों की संख्या बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना ;

(iv) यह सिफारिश करना कि क्या विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत बनाए गए मकानों के आबंटन के लिए पात्रता की आय सीमा बढ़ायी जाए, और यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(v) यह सुझाव देना कि क्या विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत मकान बनाने की निर्धारित अधिकतम लागतों को बढ़ाया जाना चाहिए ; तथा

(vi) अन्य किसी संबंधित मामले पर सिफारिश करना ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों द्वारा वरीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियों की अदायगी न करना

2840. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों द्वारा छात्रों को वरीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियों की नियमित रुप से मासिक अदायगी नहीं की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्तियों की नियमित अदायगी सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद् संबंधित कालेजों के प्रधानाचार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना की छात्रवृत्तियों की राशियों को अदायगी करते है । कालेज में किसी छात्र के दाखिल होने की सूचना रा० शि० अ० और प्र० प० को प्राप्त हो जाने पर छः महीने की छात्रवृत्ति की राशि के बराबर अग्रिम भुगतान प्रधानाचार्य को इस अनुरोध के साथ कर दिया जाता है कि वह प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में छात्र को उक्त राशि का भुगतान कर दें, बशर्ते कि छात्र अन्य छात्रवृत्तियों की प्राप्ति, संतोषजनक प्रगति आदि से संबंधित कुछ शर्तों को पूरा करता हो । अदायगी न करने तथा अन्य मामलों के संबंध में शिकायतों पर कालेज प्राधिकारियों के साथ तुरन्त ही कार्रवाई की जाती है । दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों से अदायगियों में अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में श्रेणी दो के एसिस्टेंट इंजीनियर

2841. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1974 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में क्रमशः सिविल तथा इलैक्ट्रीकल श्रेणी दो के एसिस्टेंट इजीनियर कितने हैं ; और

(ख) उस ग्रेड में उनमें से कितने व्यक्ति सात वर्ष, दस वर्ष और पन्द्रह वर्ष से अधिक समय से स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 1-7-74 को स्थिति इस प्रकार थी :—

सिविल 1098
बिजली 312
} इस में वे भी शामिल हैं जो प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

(ख)	सिविल	बिजली
(i) ग्रेड में 7 वर्ष की अवधि से अधिक स्थानापन्न कर्मचारियों की संख्या	295	47
(ii) ग्रेड में 10 वर्ष की अवधि से अधिक स्थानापन्न कर्मचारियों की संख्या	362	70
(iii) ग्रेड में 15 वर्ष की अवधि से अधिक स्थानापन्न कर्मचारियों की संख्या	167	9

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एसिस्टेंट इंजीनियर से सुपरींटेंडिंग इंजीनियर तक के अधिकारियों के ग्रेड

2842. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 1 जुलाई, 1974 को तथा 1 जुलाई, 1971 को क्रमशः सिविल तथा इलेक्ट्रिकल साइड के एसिस्टेंट इंजीनियर से सुपरींटेंडिंग इंजीनियर तक के अधिकारियों के कितने विभिन्न ग्रेड थे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम महता) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 1-7-74 तथा 1-7-71 को सिविल तथा इलैक्ट्रिकल सहाय्यक इंजीनियरों, सहायक कार्यपालक इंजीनियरों, कार्यपालक इंजीनियरों तथा अधीक्षक इंजीनियरों के पदों की संख्या नीचे दी जाती है :—

पद का वर्ग	पदों की संख्या	
	1-7-74 को	1-7-71 को
सिविल		
1. सहायक इंजीनियर	810	608
2. सहायक कार्यपालक इंजीनियर	123	106
3. कार्यपालक इंजीनियर	272	209
4. अधीक्षक इंजीनियर	47	40
इलैक्ट्रिकल		
5. सहायक इंजीनियर	290	269
6. सहायक कार्यपालक इंजीनियर	32	30
7. कार्यपालक इंजीनियर	71	63
8. अधीक्षक इंजीनियर	12	10

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति के मापदंड

2843. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एसिस्टेंट इंजीनियर श्रेणी दो, एक्जीक्यूटिव्ह इंजीनियर श्रेणी I तथा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पद के लिये पदोन्नति के मापदण्ड क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर (श्रेणी–II) कार्यपालक इंजीनियर (श्रेणी–I) तथा अधीक्षक इंजीनियर के पदों के लिए पदोन्नति का तरीका इस प्रकार है :—

(क) **सहायक इंजीनियर (श्रेणी-II)** : इस ग्रेड में पदोन्नति अब उन कनिष्ठ इंजीनियरों में से की जा रही है जो सेवा अवधि की कम से कम निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :—

(i) स्नातक कनिष्ठ इंजीनियर	ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो ।
(ii) कनिष्ठ इंजीनियर जिन्होंने सेवा काल में ए० एम० आई० ई० किया हो	ए० एम० आई० ई० के खण्ड ए तथा बी के उत्तीर्ण करने की तिथि से 5 वर्ष की सेवा अथवा 6 वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने की तिथि से, इनमें से जो भी अधिकारी को अधिक लाभकारी हो ।
(iii) डिप्लोमा होल्डर स्थायी कनिष्ठ इंजीनियर	ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा हो ।
(iv) स्थायी अनर्हता प्राप्त कनिष्ठ इंजीनियर	ग्रेड में 15 वर्ष की सेवा हो ।

(ख) **कार्यपालक इंजीनियर (श्रेणी-I)** : कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में रिक्तियां उन सहायक कार्यपालक इंजीनियरों (कनिष्ठ श्रेणी–I) तथा सहायक इंजीनियरों (श्रेणी–II) में से 1 : 1 के अनुपात से भरी जानी अपेक्षित हैं जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :—

(i) सहायक कार्यपालक इंजीनियर	ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा हो ।
(ii) सहायक इंजीनियर (स्नातक)	ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा हो ।
(iii) सहायक इंजीनियर (गैर स्नातक)	ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा हो तथा साथ में सेवा का उत्कृष्ट रिकार्ड हो ।

(ग) **अधीक्षक इंजीनियर** : अधीक्षक इंजीनियर के ग्रेड में रिक्तियां उन कार्यपालक इंजीनियरों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं जिन की ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा हो ।

जिमखाना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के लेखे के बारे में प्रोफेसर गुह से पत्र

2844. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृती** मंत्री जिमखाना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के लेखे में वित्तीय अनियमितताओं के बारे में 22 जूलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 167 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जादवपुर विश्वविद्यालय के भुतपूर्व उपकुलपति और खड़गपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर एच० सी० गुह द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष को लिखे गए पत्र और जो बोर्ड के अन्य सदस्यो को परिचालित किया गया था सरकार को इस बिच मिल गया है

(ख) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व निदेशक प्रो० बोस द्वारा शिक्षा मंत्रालय को लिखे गए पत्र में जो लिखा गया है उसको यह पत्र पूरी तरह पुष्टि करता है ;

(ग) यदि हां, तो प्रो० गुह और प्रो० बोस के पत्रों की बातें क्या हैं ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, हां । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के शासी निकाय के अध्यक्ष को प्रो० गुह द्वारा लिखे गए पत्र दिनांक 27–5–1974 की एक प्रति, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रजिस्ट्रार से अब सरकार को प्राप्त हो गई है ।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्र में पिछले निदेशक द्वारा उठाई गई बहुत सी बातों का उलेख है ।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित प्रो० गुह के पत्र और भूतपूर्व निदेशक प्रो० एस० के० बोस के पत्र में उठाई गई सामान्य बातें निम्मलिखित हैं :—

1. सीनेट, अध्यक्ष और निदेशक के अधिकार और कार्य ।
2. मुख्य कार्मिक सलाहकार की नियुक्ति ।
3. इंडिया टोबॅको कंपनी के श्री डी० पी० बरूआ द्वारा भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान के मामलों के बारे में निदेशक को पत्र लिखना ।
4. बोर्ड में सीनेट के सदस्यों का मनोनयन ।
5. 1973 में रैंगिग के दोषी कुछ छात्रों के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित मामले ।

प्रो० एस० के० बोस द्वारा शिक्षा मंत्री को लिखे पत्र में उठाई गई बातें जो ऊपर (क) में संदर्भित प्रो० गुह के पत्र में शामिल नहीं हैं वे निम्नलिखित हैं :—

1. छात्रों से सम्बन्ध ।
2. कुछ चुने कर्मचारियों में अध्यक्ष की विशेष रुचि ।
3. प्रवरण समिति की प्रक्रिया ।
4. नए रजिष्ट्रार की नियुक्ति ।
5. छात्र व्यायामशाला के लेखे ।

(घ) शिक्षा मंत्री ने लोक सभा में दिनांक 10–5–1974 को दिए गए अपने वक्तव्य में सभी आरोपों पर सामान्यत: विचार किया है ।

तमिलनाडु में मूंगफली के तेल और बीज परिवहन पर रोक

2845. श्री एस० आर० दामाणी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने मूंगफली के तेल और बीज को राज्य से बाहर भेजे जाने पर रोक लगाने से पहले अपनी इस आशय की इच्छा से भारत सरकार को अवगत करा दिया था ।

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) देश में खाद्य तेलों की कीमतों और वनस्पति के उत्पादन पर उक्त रोक का क्या प्रभाव पड़ा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि उन्होने मुंगफली के तेल को राज्य से बाहर भेजने पर कोई रोक नहीं लगाई है, परन्तु उन्होंने 25 मई, 1974 को राज्य से बाहर भेजे जाने वाले 25% माल का एच्छिक वितरण करने के लिए व्यापारियों के साथ समझोता किया है। केन्द्र सरकार किसी भी राज्य द्वारा इन जिनसो के लाने लेजाने पर नियंत्रण लगाने के पक्ष में नहीं रही है, क्योंकि ऐसे नियंत्रणों से विभिन्न राज्यों के मूल्यों में अधिक अन्तर उत्पन्न हो जाता है ।

कोचीन में जहाज निर्माण यार्ड

2846. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन स्थित जहाज निर्माण यार्ड पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और वर्ष 1974–75 के दौरान कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : 1974–75 के वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 26.00 करोड़ रुपये की राशि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा व्यय किये जाने का प्रस्ताव है जिस में से 6.98 करोड़ रुपये की राशि 31–7–74 तक पहले ही व्यय की जा चुकी है ।

बंगलौर में वातावरण सम्बन्धी सुधार

2847. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में वातावरण सम्बन्धी सुधार के कार्य करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कौन-सी योजनाएं केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) गन्दी बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार योजना को 1 अप्रैल, 1974 से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया है ।

पांचवी योजनावधि में मध्य प्रदेश में टिम्बर के उत्पादन के लिये केन्द्रीय सहायता

2849. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजनावधि में केन्द्रीय सहायता से मध्य प्रदेश में टिम्बर के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 'उत्पादन वानिकी ––मानव-निर्मित वन' नामक अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि वनों के विकास के लिये जिसमें इमारती लकड़ी का अधिक उत्पादन भी शामिल है, वन विकास निगम गठित किये जाय । भारत सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है । इस कार्य-कलाप के संवर्धन और वन विकास निगमों की स्थापना में राज्यों को सहायता देने के लिए पांचवी योजनावधि के दौरान ऐसे निगमों की साम्य शेयर पूंजी में केन्द्र ने भागीदार बनने के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की

है । मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के मुताबिक एक वन विकास निगम स्थापित कर रही है ।

मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक के जरिए सहायता के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं प्रस्तुत की है :—

परियोजना का नाम	अवधि	प्रस्तावित परिव्यय
1. शागोन और बास के व्यावसायिक उदयान, मध्य प्रदेश	10 वर्ष	16.47 करोड़ रुपये
2. बस्तर (मध्य प्रदेश) में सघन बन प्रबंध	10 वर्ष	10.70 करोड़ रुपये

इन परियोजनाओं के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

वसंत बिहार, नई दिल्ली में प्लाटों का उप पट्टा समाप्त करना

2850. श्री भान सिंह भौरा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 8 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5894 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक परिसर (अनधिकृत कब्जे से बेदखली) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत नुकसान वसूल करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है और यह कब तक पूरी की जायेगी ; और

(ख) कितना नुकसान वसूल किये जाने योग्य है और नुकसान वसूल करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) एक मामले में, कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा कुल 7,200 रुपये का हर्जाना लगाया गया है । यदि निर्धारित अवधि के भीतर हर्जाने अदा नहीं किये जाते, तो भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि वसूल करने की कार्यवाही की जा सकती है ।

दूसरे मामले में गवाहियां पेश की जा रही हैं ।

सहायक फसलों की खेती

2851. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आलू और शकरकन्दी जसी सहायक फसलों की खेती को बढ़ावा देने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो सहायक फसलों के रकबे में वृधि करने और उनकी प्रति एकड़ उपज को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् वर्ष 1974–75 के दौरान आलू, शकरकन्दी तथा टेपियोका के उत्पादन में लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि करने के लिए एक योजना तैयार की गई है । यह उत्पादन आलू के अंतर्गत लगभग 1 लाख हैक्टेयर तथा टेपियोका के अन्तर्गत लगभग 20,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाकर बढ़ाया जायेगा ।

(ख) क्षेत्र तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाने का विचार है :—

(i) विस्तार कार्यकर्त्ताओं तथा कृषकों का प्रशिक्षण

(ii) अतिरिक्त क्षेत्र के लिये पौद-रोपण सम्बन्धी सामग्री तथा अन्य अपेक्षित अदानों की सप्लाई की व्यवस्था करना ; और

(iii) उत्पाद, विशेषकर फालतू आलू का विपणन करना ।

पूर्व जर्मनी से कम्बाइनों का आयात

2852. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी सस्ते कम्बाइनों की तुलना में पूर्व जर्मनी से फसल के कटाई करने और अनाज तथा भूसी अलग करने के कार्यों के लिए भारी कम्बाइनों का आयात किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) पूर्व जर्मनी से आयात किए गए कम्बाइनों और देश में बनाए गए कम्बाइनों की बनावट में फर्क है अत: उनके मूल्यों की तुलना नहीं हो सकती । आयातित कम्बाइन स्वयं चालित बड़ी मशीनें हैं जिनमें इंजन लगे हुए होते हैं लेकिन देश में बने कम्बाइन छोटी मशीन वाले होते हैं जिन्हें चलाने के लिए ट्रक्टर की जरूरत होती है। स्वयं चालित हारवैस्टर कम्बाइनों की जरूरत आयात करके पूरी करनी होगी क्योंकि ये अपने देश में नहीं बनाए जा रहे हैं ।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास योजना

2853. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चौथी श्रेणी आदि जैसे समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए राज सहायता प्राप्त आवास योजना सम्बन्धी कोई प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण का केवल सामुदायिक सेवा के कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आधार पर 2173 फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली में आवास योजनाओं के वित्त-पोषण की नीति

2854. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 5 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1588 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में निम्न आय वर्ग के लिए आवास योजनाओं के वित्त-पोषण सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जब अन्य राज्यों में ऐसी योजना विद्यमान है तो इसके क्या क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग) निम्न आय वर्ग आवास योजना पहले से ही है जो दिल्ली संघ-राज्य-क्षेत्र में 1954 से चल रही है । दिल्ली में, जो एक संघ-राज्य क्षेत्र है तथा जहां विधान मण्डल नहीं है, इस योजना के

अधीन अन्य लोगों को गृह निर्माणार्थ ऋण देने के लिए निधियां केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली प्रशासन को दी जाती हैं। इस योजना के लिए 70 लाख रुपये की निधियों की आवश्यकता को, दिल्ली के लिए वर्ष 1974–75 में प्लान परिव्यय हेतु की गई 200 लाख रुपये की एक मुश्त अनियत व्यवस्था में से पूरा किया जाएगा। दिल्ली में आवास-समस्या को कम करने के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी निम्न आय वर्ग के लिए बड़े पैमाने पर मकानों का निर्माण करना आरम्भ कर दिया है। इस प्रयोजन हेतु आवश्यक निधियों की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा स्वयं, जीवन बीमा निगम, आवास तथा नगर विकास निगम अथवा अन्य स्रोतों से की जाती है।

दिल्ली में निम्न आय वर्गों की आवास योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सैन्य अधिकारियों को आवासों/फ्लैटों का आबंटन

2855. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन सैन्य अधिकारियों के माता-पिता दिल्ली में रह रहे हैं, उनको आवासों/फ्लैटों का आवंटन करने का कोई प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या रक्षा कार्य में उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए प्लाट और इमारती सामान उन्हें रियायती दर पर उपलब्ध किया जाएगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण की ऐसी कोई योजना नहीं है।

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास का आरक्षण

2856. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के लिए टाइप III में सरकारी आवास का कोई आरक्षण नहीं है जसा कि टाइप II में आवास के लिए आरक्षण है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उसके लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, टाइप–III में कोई आरक्षण नहीं है।

(ख) मामला विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय लेने के बाद ही आदेश जारी किये जा सकतें हैं।

निर्माण तथा आवास मंत्रालय में स्थानान्तरणीय तथा गैर-स्थानान्तरणीय पद

2857. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय में सभी अधिकारी पद स्थानान्तरणीय हैं अथवा गैर-स्थानान्तरणीय हैं ;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों की श्रेणियां क्या-क्या हैं और प्रत्येक के वेतनमान क्या हैं, और

(ग) सरकारी अतिथि गृह का मैनेजर अथवा एस्टेट मैनेजर एक स्थान पर कितनी अवधि तक रह सकता है, क्या वह किसी निश्चित अवधि अथवा उसके पूरे जीवन तक सेवा निवृत्ति तक रह सकता है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) यद्यपि पद तो अहस्तान्तरणीय हैं परन्तु उनके अधिकारी अधिकांशतः स्थानान्तरणीय हैं ।

(ख) पदों की श्रेणियों तथा उनके वेतनमानों के ब्यौरों की एक सूची संकलित की जाएगी और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) सम्पदा प्रबन्धकों/सहायक सम्पदा प्रबन्धकों के स्थानान्तरण तब किये जाते हैं जब ये लोक हित की दृष्टि से आवश्यक होते हैं । इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष अवधि निर्धारित नहीं की गई है ;

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ अनधिकृत कालोनियों का गिराया जाना

2858. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में जमीन के सभी नाजायज कब्जों को खाली करने के बारे में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है और कुछ अनधिकृत कालोनियों को गिराया है ?

(ख) क्या सरकारी जमीन पर बनी अनधिकृत इमारतों के मालिकों को कोई मुआवजा दिया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की क्रियान्विति

2859. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक संघ (जी० ए० एस० टी० ए०) ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित न किए जाने पर 20 अगस्त, 1974 से 'रिले' भूख हड़-ताल आरम्भ करने की धमकी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन, जो कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के उपबन्धों को कार्या-न्वित करने के लिए जिम्मेदार है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई कर रहा है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध अन्यों के साथ-साथ, दिल्ली और नई दिल्ली स्थित सभी सरकारी सहा-यता प्राप्त स्कूलों में भी लागू किए जाएं ।

डबल रोटी के मूल्य में वृद्धि

2860. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी की मांग के अनुरूप दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर डबल रोटी के मूल्य में हाल ही में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की अनुमति दी गई है ;

(ग) गत दो वर्षों में सरकार ने उन उत्पादनों को डबल रोटी के मूल्य बढ़ाने की अनुमति कितनी बार दी और प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की अनुमति दी गई ; और

(घ) मूल्य वृद्धि की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) गेहूं की संशोधित नीति के अधीन दिल्ली में रोलर मिलों को पहली जुलाई 1974 से खुले बाजार में खरीदी गई गेहूंसे गेहूं के पदार्थ बनाने और मैदा को 210 रुपये प्रति क्विंटल के संशोधित नियन्त्रित मूल्य पर बेचने की इजाजत दी गई है। इस आधार पर दिल्ली प्रशासन ने 400 ग्राम की डबल रोटी का मूल्य 90 पैसे से बढ़ाकर 1.10 रुपये और 800 ग्राम की रोटी का 1.75 रुपये से बढ़ाकर 2.15 रुपये करने का प्रस्ताव किया था और भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था। भारत सरकार को अन्य किसी राज्य से रोटी के मूल्य निर्धारित करने के बारे में कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान रोटी के निर्धारित मूल्य नीचे सारणी में दिए गए हैं :—

तारीख	400 ग्राम की रोटी	800 ग्राम की रोटी
	रु०	रु०
22-8-1973	0.70	1.35
20-11-1973 .	0.75	1.45
26-4-1974 .	0.90	1.75
9-7-1974	1.10	2.15

(घ) रोटी का मूल्य मैदा के निकासी मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है जिसमें समय समय पर गेहूं के मूल्यों में संशोधन के आधार पर संशोधन किया जाता है।

हाई स्कूल स्तर पर नाम दर्ज करना

2861. **श्री ज्योतिमय बसु :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना अवधि के दौरान हाई स्कूल स्तर पर नाम दर्ज करने पर वर्तमान स्तर पर रोक लगाई जा रही है ;

(ख) क्या पुनरीक्षित योजना प्रारूप के अन्तर्गत प्राईमरी और मिडिल स्तर की शिक्षा तक राजकोषीय आवंटन और लक्ष्यों में और कमी कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और शिक्षा सुविधाओं में इस प्रकार की कटौती करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग म उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) मसौदा पंचवर्षीय आयोजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और उसको अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही विनिधान तथा लक्ष्य मालूम हो सकेंगे ।

तमिलनाडु में खाद्य सम्बन्धी दंगे

2862. श्री एम० कतामुतु : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के खाद्य सम्बन्धी दंगों की जानकारी है ;

(ख) इसको ध्यान में रखते हुए, इस संकट को दूर करने के लिये, केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार को क्या सुझाव दिया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने खाद्य पदार्थों के बढ़ते हुए मूल्यों और खाद्य पदार्थों की अपर्याप्त वितरण प्रणाली से निपटाने के लिये कोई ठोस उपाय किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्द) : (क) से (ङ) तमिल नाडु से आन्दोलन के बारे में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । जुलाई, 1974 में तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया था कि मानसून सामान्य नहीं हुई थी जिसके परिणामस्वरूप कुरूवई 1974 की बुवाई करने में विलम्ब हुआ था और चावल के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति आयी थी । उन्होंने सूचित किया था कि मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने की दृष्टि से उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अधिक मात्रा में चावल वितरित करने के लिए आवश्यक पग उठाए गए थे । इसके अलावा तमिलनाडु को व्यापारिक खाते पर 63,000 मीटरी टन लेवी मुक्त गेहूं भेजने की अनुमति भी दी गई है । राज्य सरकार को केन्द्रीय पूल से "मैदा आदि" बनाने के लिए 3,000 मीटरी टन अतिरिक्त गेहूं, यदि वे आवश्यक समझे पेश करना मान लिया गया था । राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई थी कि वे ऐसे सभी प्रयत्न करें जिससे मूल्य बढ़ने न पाएं ।

पोरबन्दर में सभी मौसम में इस्तेमाल हो सकने वाल पत्तन का निर्माण

2863. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री वैकारिया :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) पोरबन्दर में सभी मौसम में इस्तेमाल हो सकने वाले बन्दरगाह के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने यह बताया है कि 9600 फुट लम्बी मुख्य पनकट दीवार का निर्माण प्रगति पर है । अब तक 30 फुट गहराई तक की 5400 फुट लम्बी पनकट दीवार पूरी हो चुकी है । 30 फुट से 42 फुट तक की गहराई की पनकट दीवार के शेष भाग के लिए निविदाएं जुलाई, 1974 में स्वीकार की जा चुकी है । सम्पूर्ण योजना की लगभग 1977 के अन्त तक पूरे होने की संभावना है ।

गुजराती भाषा के विकास के लिए संस्थाएं

2864. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजराती भाषा के विकास के लिए संस्थाओं की स्थापना करने के बारे में सरकार कौन से उपायों पर विचार कर रही है ; और

(ख) वर्ष 1974-75 में इस प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग मे उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तक तथा साहित्य निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, गुजरात सरकार ने गुजराती में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें निर्माण करने के लिए, गुजरात राज्य विश्वविद्यालय पुस्तक निर्माण बोर्ड की स्थापना की है। उक्त बोर्ड ने गुजराती भाषा में अब तक 331 पुस्तकें निर्माण की हैं। भारत सरकार ने 31 मार्च, 1974 तक इस प्रयोजन के लिए गुजरात सरकार को 49 लाख रुपये की धनराशि के अनुदान दिए हैं। इस योजना के अन्तर्गत 1974-75 के लिए 2 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार ने 1974-75 के दौरान लगभग 10,000 रुपए के अनुदान गुजराती भाषा के प्रसार के लिए अखिल भारतीय गुजराती समाज को भी दिए हैं।

किसानों को राज-सहायता प्राप्त दर पर उर्वरक सप्लाई करने सम्बन्धी योजना

2865. **श्री पी० गंगादव :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे किसानों के लिये राजसहायता-प्राप्त दर पर उर्वरक सप्लाई करने की योजना तैयार की है जो अपने धान/चावल एफ० सी० आई० को बेचते हैं ;

(ख) क्या उक्त योजना को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार के समक्ष, भारतीय खाद्य निगम को अपना धान/चावल बेचने वाले किसानों को साहाय्य दरों पर उर्वरकों की सप्लाई करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, अशोक पार्क, एक्सटेंशन, नई दिल्ली

2866. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, अशोक पार्क, एक्सटेंशन, नई दिल्ली की मुख्याध्यापिका के विरुद्ध शिकायत के बारे में 15 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6585 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्याध्यापिका के विरुद्ध की गई शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

राजकीय माध्यमिक कला शिक्षक संघ, दिल्ली

2867. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री राजकीय माध्यमिक कला शिक्षक संघ, दिल्ली द्वारा की गई मांग के सम्बन्ध में 6 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2005 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांग पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मांगवार क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पंजाब में गहूं ले जाने की अनुमति के देने के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति न देने के कारण

2868. **श्री नारायण चन्द पराशर :**
श्री विश्वनारायण शास्त्री :
श्री शिव पूजन शास्त्री :

क्या **कृषि** मंत्री 5 अगस्त, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 207 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश के निवासियों को विशेष उपाय के रूप में एक क्विन्टल गेहूं ले जाने की अनुमति देने के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : पंजाब सरकार, जिनसे इस संबंध में परामर्श किया था, का यह विचार था कि गेहूं का निर्यात करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और उन्होंने इस वैकल्प का सुझाव दिया कि हिमाचल प्रदेश को गेहूं के आटे का निर्यात किया जाना चाहिए। राज्य में कम उपलब्धता के कारण पंजाब सरकार ने बाद में इस सुझाव को भी वापस ले लिया ।

केन्द्रीय सड़क निधि

2869. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**
श्री विश्वनारायण शास्त्री :
श्री शिव पूजन शास्त्री :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यवार राज्यों को कुल कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई ;

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना में और वर्ष 1974-75 में उक्त निधि से आबंटन के अलग-अगल तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) राज्यों को उक्त निधि किस प्रयोजन के लिए उपलब्ध है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य /संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली सहित) को केन्द्रीय सड़क निधि से 1973-74 के दौरान 486.80 लाख रुपये की कुल राशि आबंटित की गई । स्वीकृत बजट अनुमान 1974-75 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र

(दिल्ली सहित) को आबंटन के लिए 6.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल थी। परन्तु चालू वित्तीय कठिनाई के कारण, इस व्यवस्था में से 3.00 करोड़ रुपये की कटौती की जानी है। इससे दिल्ली सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस साधन से 1974-75 के दौरान आबंटन के लिए कुल उपलब्ध राशि घट कर 3.70 करोड़ रुपये रह जायेगी। जहां तक पांचवी योजना की शेष अवधि का संबंध है, प्रत्येक राज्य को आबंटन की राशि राज्यों की आवश्यकताओं और प्रत्यक वर्ष के दौरान आबंटन के लिए उपलब्ध राशि पर निर्भर करेगी।

(ग) राज्यों को धन निर्माण कार्यों के लिए अथवा केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त घोषित किये जाने के लिए स्वीकृत सड़कों, पुलों आदि से संबंधित योजनाओं के लिए आबंटित किया जाता है।

सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ स्वीकार करने सम्बन्धी मानदंड

2870. श्री विश्वनारायण शास्त्री :

श्री शिव पूजन शास्त्री :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़कों के राष्ट्रीय राजपथ स्वीकार करने संबंधी मापदंड क्या हैं ;

(ख) उन सड़कों के नाम क्या हैं जिन्हें इस समय सम्बन्धित राज्य सरकार के प्रस्तावों पर राष्ट्रीय राजपथ समझा जाता है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय राजपथों का चयन करने के लिए देश के पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) अखिल भारत आधार पर प्रत्येक योजना की पारस्परिक प्राथमिकता तथा मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कें शामिल करने के लिए उपलब्ध योजना व्यवस्था की राशि पर निर्भर करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने के लिए कई सड़कों पर विचार करने के लिए सामान्यत: निम्नलिखित कसौटी अपनाई जाती है :—

(1) वे मुख्य मार्ग हो जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाए।

(2) वे विदेशी राजमार्गों को जोड़ने वाले हों।

(3) वे राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाले हो।

(4) वे बड़े पत्तनों तथा बड़े बड़े औद्योगिक अथवा पर्यटक केन्द्रों को जोड़ते हों।

(5) वे सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

इन कसौटियों के अलावा सड़क के आर्थिक महत्व पर भी बल दिया जाता है।

(ख) चूंकि उपलब्ध होने वाली बहुत सीमित योजना व्यवस्था में से पांचवी योजना के लिए विस्तृत कार्यक्रमों को तैयार करने की कार्यवाही अभी प्रारम्भिक चरण में है, अत: उन सड़कों के नाम बताना इस समय समयपूर्व होगा जिन पर पांचवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने के लिए विचार किया जा रहा है।

(ग) जबकि पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती है, ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकताओं को, राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में सड़कों को शामिल करने के लिए उपरोक्त निर्धारित उक्त कसौटी ध्यान में रखी जाती है।

गृह निर्माण सहकारी समितियों की सदस्यता

2871. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों ने सरकार से दोषी सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन समितियों के नाम क्या हैं जिन्होंने सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने समितियों को उन सदस्यों के निकाल देने की अनुमति दे दी है और इस हेतु क्या मापदंड अपनाया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

शाहदरा में गृह निर्माण समितियां

2872. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहदरा क्षेत्र में जिन गृह निर्माण समितियों को भूमि आबंटित की गई है, क्या उन्होंने अपने सदस्यों को प्लाट आबंटित कर दिये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो भूमि के विकास और आबंटन के लिये प्रत्येक समिति ने क्या प्रगति की है ; और

(ग) क्या समितियों द्वारा भूमि का आबंटन सरकार की अनुमति से किया जाता है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, नहीं ।

(ख) एक विवरण नीचे रखा है । **[ग्रंथालय मे रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8224/74]**

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुमोदित सदस्यों को प्लाटों का आबंटन किया जाएगा ।

दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी समितियां

2873. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की सभी गृह निर्माण सहकारी समितियों ने अपने नवीनतम उप-नियम सरकार को प्रस्तुत कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) दिल्ली में लागू सहकारी सोसायटी अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार सोसायटी की उप-विधियां और उनमें किये गये संशोधन, सहकारी सोसायटियों के पंजीयक द्वारा उन्हें पंजीकृत किए जाने के बाद ही लागू हो सकते हैं । पंजीयक भी ऐसी उप-विधियों और उनमें किए गये संशोधन की प्रतियां अपने पास रखेगा ।

किसानों को उर्वरकों के लिये ऋण सम्बन्धी सहायता

2874. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण किसानों को ऋण देने सम्बन्धी सहायता में संशोधन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र प्रदेश, उड़ीसा, असम , पंजाब, मैसूर, मध्य प्रदेश और केरल के किसानों को कुल कितना ऋण दिया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सहकारी सोसाटियों और वाणिज्यिक बैंकों जैसे संस्थागत अभिकरणों द्वारा किसानों को उत्पादन-प्रयोजनों और निवेश, जिनमें उर्वरक तथा बीज भी शामिल हैं, खरीदने तथा उनका वितरण करने के लिए दिये जाने वाले ऋण की लगातार पुनरीक्षा की जाती रहती है और जब भी आवश्यकता होती है, सुधार के उपाय किए जाते हैं । हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य वित्तदायी अभिकरणों और भारत सरकार ने निवेशों, विशेषकर उर्वरकों, की कीमत में हुई वृद्धि को देखते हुए कृषि कामी के लिए ऋण सीमाओं तथा वित्तमानों में परिशोधन करने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी किए हैं ।

(ग) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में सहकारी सोसायटियों, केन्द्रीय सरकार तथा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से दिया गया ऋण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8225/74**]

भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के खजांची द्वारा रुपए की चोरी

2875. श्री के० एन० मधुकर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग का खजांची 17 मई, 1974 से लापता है और उसके द्वारा कार्यालय निधि से कुछ रुपया चुराए जाने का समाचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस मामले में की गई जांच के क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) खजांची के गायब हो जाने के पश्चात् जिस समय खजाने की तिजोरी को खोला गया था तो उस समय लगभग 80,000 रुपये की धनराशि गायब पाई गई थी । महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्त एक विशेष लेखा परीक्षा दल गायब हुई धनराशि का ठीक पता लगाने के लिए लेखों की जांच कर रहा है । दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा मामले की छानबीन तथा गायब खजांची को पकड़ने की कोशिश कर रही है ।

दिनांक 29 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8503 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

CORRECTING STATEMENT TO U.S.Q. NO. 8503 DATED 29-4-1974

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : बड़े पतानो में पत्तन कर्मचारियों की हड़ताल और यूनियन के बारे में 29-4-1974 को श्री देवेन्द्र नाथ महाटा द्वारा लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 8503 के उत्तर में विवरण दिया था। कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर उसमें यह बताया गया कि कलकत्ता पत्तन में कर्मचारियों की यूनियन की संख्या 1971 में 4 और 1972 तथा 1973 में 5 थी।

2. कलकत्ता पत्तन में हड़तालों के बारे में 8-4-1974 को श्री ए० के० एम० इसहाक के लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 5906 के उत्तर में प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में सूचना दी गई और प्रश्न के (ख) और (ग) भागों के उत्तर में आश्वासन दिया गया। आश्वासन को पूरा करने के लिये सामग्री देते समय, कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने बताया कि कलकत्ता पत्तन में कर्मचारियों की यूनियनों की संख्या 1971 1972 और 1973 में 7 थी।

3. इस मंत्रालय द्वारा आंकड़ों में उक्त असंगति पाई गई और हमारे प्रश्न के उत्तर में कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने इस बात की पुष्टि की कि अतारांकित प्रश्न सं० 8503 के उत्तर में जो आंकड़े उन्होंने भेजे थे वे सही न थे। यही कारण है कि यह शुद्धि पहले न की जा सकी। उन्होंने अपनी इस भूल के लिये खेद व्यक्त किया है और उन्हें अधिक सावधान रहने के लिये कहा गया है।

4. जब यह भूल मालूम हुई तो इसे सही करने का प्रयत्न किया गया और इसलिये ऐसा करने में देरी हुई।

5. अत: 29-4-1974 को अतारांकित प्रश्न सं० 8503 के उत्तर को निम्नप्रकार से ठीक किया गया है :—

उत्तर के साथ संलग्न विवरण में, (क) कलकत्ता पत्तन के अंतर्गत स्तम्भ कर्मचारियों की यूनियन की संख्या में 4, 5 और 5 अंकों के स्थान पर 7, 7 और 7 प्रतिस्थापित किये जाएं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्री उमाशंकर दीक्षित ने बिना टिकट यात्रा करने वाले युवा कांग्रेस के सदस्यों की जो संख्या बताई है उसके बारे में मैं विशेषाधिकार का प्रस्ताव उठा रहा हूं। उन्हीं के दल ने यह कहा है कि प्रत्येक गाड़ी में बिना टिकट यात्रा करने वाले लड़कों की संख्या 800 से 900 थी...

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का प्रस्ताव उठाना रोजमरी की बातें हो गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे क्यों रोज यहां झूठ बोलते है?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए प्रक्रिया नियम है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रक्रिया नियम के अनुसार चल रहा हूं। मैं ने नोटिस दिया है। मंत्रियों को गलत बात नहीं बतानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे निदेश 115 के अन्तर्गत मामला समझूंगा। यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Unless Ministers stop telling lie, such Privilage Motions will always be raised. What is your ruling regarding wrong statement by ministers?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को निदेश 115 के अन्तर्गत लूंगा।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 362 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 अगस्त, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8212/74]**

दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद (निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1974

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर तथा दुग्ध दुग्ध उत्पाद (निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 457 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8213/74]**

गुजरात माल वहन कराधान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं (1) (एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात माल वहन कराधान अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(क) अधिसूचना संख्या जीएच/जी/74/135/एमटीए-1774-4-1591/ई जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 4 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुई थी।

(ख) अधिसूचना संख्या जीएच/जी/74/152/एमटीए–1774-4552–ई, जो गुजरात सरकार राज्यपत्र दिनांक 25 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त (एक) (क) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रंथालय मे रखे गये। देखिए। संख्या एल० टी० 8214/74]

(2) (एक) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी 1974 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई मोटर गाड़ी

कर अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) अधिसूचना संख्या जीएच/जी/74/134एमटीए–1774-1591-ई, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 4 जलाई, 1974 में प्रकाशित हुई थी।

(ख) अधिसूचना संख्या जीएच/जी/74/153/एमटीए-1774-4552-ई, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 25 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त (एक)(क) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8214/74]

स्थगत प्रस्ताव के बारे में
READJOURNMENT MOTION

(प्रश्न)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। निवर्तमान राष्ट्रपति ने अपने इन्टरव्यू में कहा है कि उनके विचार में रेलवे हड़ताल के दौरान हिंसा अथवा तोड़फोड़ के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को बिना परेशान किए अथवा सेवा में व्यवधान किए बिना वापिस सेवा में ले लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में रेल मंत्री से बात की थी। ऐसे 10,000 कर्मचारियों को सेवा में नहीं लिया जा रहा है, जिनका हिंसा आदि में कोई हाथ नहीं है, वे राष्ट्रपति की अपील की अवमानना कर रहे हैं। इसलिए मेरा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए। मैंने एक महा प्रबंधक से बातचीत की थी। उन्होंने कहा है कि इस पर विचार करने में 3-4 महीने लग सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि राष्ट्रपति वक्तव्य देते हैं, तो इसमें सरकार बीच में कैसे आ सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री गिरि रेलवे के बारे में श्री मिश्र से अधिक जानते हैं। वे रेलवे में कार्मिक संघ के नेता थे। जब तक वे स्पष्ट वचन नहीं देते हैं तब तक हम उन्हें रेलवे बजट पेश नहीं करने देंगे ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : According to the Constitution, the President can advise the Government but when it comes to newspapers or is made public then the House has to take note of it.

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता है कि यह स्थगन प्रस्ताव कैसे हुआ। आप सरकार को इस पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य देने को कह सकते हों। परन्तु यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें सरकार की कोई असफलता नहीं है। राष्ट्रपति ने केवल सुझाव दिया है क्योंकि अच्छा राष्ट्रपति हमेशा सरकार को सुझाव देता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपका यह कहना ठीक नहीं है कि निवर्तमान राष्ट्रपति लोकप्रिय होने के लिए अच्छे सुझाव पेश करता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है कि वे एक अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार की राष्ट्रपति के सुझाव पर, जो अभी पदासीन हैं, क्या प्रतिक्रिया है। कठिनाई यह है कि वे सामने तो हां कह देते हैं, पर बाद में अपनी मनमानी करते हैं। सरकार को इस बारे में स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कह दिया है कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप इस पर सरकार से वक्तव्य की मांग कर सकते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Unless the advice of the President is made public, it cannot be raised in the House. But when it comes to Press and the Government does not comply with it, it will be liable of outing the advice.

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे, तो मैं उनको कह सकता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Government have not complied with the advice of the President. So he had to speak in Public. Will the Spokesman of the Governmen say whether a statement in this regard will be made or not?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपने रेलवे मंत्री अथवा प्रधान मंत्री को इस पर व्यक्तव्य देने को कहा है?

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को इस बारे में वक्तव्य देने को कह रहा हूं। पर सभा का कार्य इस प्रकार अव्यवस्थित रूप से कैसे चलेगा। क्या यह कोई तरीका है? इस प्रकार का शोर शराबा निरन्तर चलाया जा रहा है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस करेंगे।

तत्पश्चात कुछ माननीय सदस्य सदन से उठ कर चले गये।

[Some Hon. Members then left the House.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बिहार और पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी, मशीनों की ऊंची लागत आदि के कारण कोयला उत्पादन और खानों के संचालन को खतरा का समाचार

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : श्रीमान्, मैं इस्पात और खान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"बिजली की कमी, मशीनों की कमी तथा उनकी कीमतों में वृद्धि तथा बिहार और पश्चिम बंगाल की कोयला खानों में चल रहे औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति और परिणामस्वरूप

कोयले के मूल्यों में वृद्धि के कारण कोयला उत्पादन, खान श्रमिक तथा कोयला खानों के संचालन को खतरे की ओर इस्पात और खान मंत्री का ध्यान दिलायेंगे।"

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : वर्तमान ऊर्जा संकट के कारण कोयले की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए सरकार ने निर्णय किया कि कोयला उत्पादन के 1973-74 के लगभग 780 लाख टन स्तर को बढ़ाकर 1974–75 में 950 लाख टन कर दिया जाए। कोयला उत्पादक एजेंसियों द्वारा इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु किए जा रहे निरंतर प्रयासों के बावजूद चालू वर्ष के प्रथम चार महीनों अर्थात् अप्रैल से जुलाई, 1974 में कोयले का उत्पादन 270 लाख टन हो सका। हालांकि यह उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 14 लाख टन अधिक है, परन्तु 950 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में कम है। कम उत्पादन होने के मुख्य कारण हैं, बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों में बिजली की कमी, मशीनों के कुछ जरूरी कल-पूर्जे न मिलना तथा देर से मिलना, पूर्वी प्रभाग में क़ानून और व्यवस्था तथा औद्योगिक सम्बन्धों का बिगड़ना और अपर्याप्त रेल परिवहन। अब तक के उत्पादन की प्रवृत्ति को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि पिछले वर्ष के 780 लाख टन के अनुमानित उत्पादन की तुलना में चालू वर्ष में 880 लाख टन उत्पादन नहीं हो सकेगा। परन्तु, यदि ऊपर बताई गई बाधाओं को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से अभी से दूर करने की कोशिश की जाए तो चालू वर्ष में 880 लाख टन से भी अधिक कोयले का उत्पादन हो सकता है।

2. यह सही है कि बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों को कोयला खानों को, विशेषकर दामोदर घाटी निगम से बिजली की पूर्ति संतोषजनक नहीं रही है। इसके फलस्वरूप कोयला खान प्राधिकरण के अकेले पूर्वी प्रभाग में ही लगभग 8000 टन से 10,000 टन तक दैनिक उत्पादन की कमी हुई है। इसका खानों की सुरक्षा पर तथा गैसी खानों में काम पर लगे व्यक्तियों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है। बिजली पूर्ति ने सुधार करने के लिए सिंचाई और बिजली मंत्रालय तथा कोयला खान प्राधिकरण और भारत कोकिंकोल लि० द्वारा दामोदर घाटी निगम तथा बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्डों के बीच निकटका तालमेल रखा जा रहा है। इसके फलस्वरूप हाल ही में बिजली पूर्ति में सुधार दिखाई दिया है। बिजली पूर्ति के लिए कोयला उद्योग को रेलवे के समान ही उच्च प्राथमिकता दी गई है। लगातार बिजली कटौतियों को रोकने के लिए यह फैसला किया गया है कि कोयला खानों की बिजली पूर्ति लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर अलग अलग कर दिया जाए। भारत कोकिंग कोल लि० अपनी मांग की आंशिक पूर्ति हेतू डीजल उत्पादन सैटों को लगा रहा है। कोयला खान प्राधिकरण ने भी पूर्वी प्रभाग में अपना एक ग्रहीत बिजलीघर खोलने का प्रस्ताव किया है।

3. मशीनों और कल पुर्जों की कमी के संबंध में मैं यह जोर दे कर कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकृत खानों के पहले मालिकों ने खानों में थोड़ा बहुत भी धन लगाने में पूरी उपेक्षा बरती, जिसके फलस्वरूप अनेक खानों में वांछित उत्पादन स्तर की प्राप्ति के लिए पर्याप्त धन लगाने की अवश्यकता है। भारत कोकिंग कोल लि० और कोयला खान प्राधिकरण दोनों ने ही अपनी खानों में उत्पादन को कम न होने देने तथा बढ़ाने के लिए आवश्यक सामान और उपकरण जुटाने के लिए जरूरी उपाय किए हैं। पांचवी योजना के मसौदे में कोयला सैक्टर के लिए 737 करोड़ रुपये के प्रावधान में से केवल संयंत्र और मशीनों के वास्ते ही 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सरकार ने प्राधिकरण को योजना के प्रथम दो वर्षों में संयंत्र और मशीनों की खरीद के लिए लगभग 219 करोड़ रूपये व्यय करने की स्वीकृति पहले ही दे दी है। इन उपकरनों में से अधिकांश की स्वदेश में ही अधिप्राप्ति की जा रही है; केवल 60.63 करोड़ रूपये की कीमत के

[श्री के० डी० मालवीय]

उपकरणों का आयात किया जाएगा जिसपर लगभग 38 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होगी। कोयला खान प्राधिकरण द्वारा 1974–75 में ही 63 करोड़ रुपये के मूल्य के संयंत्र और मशीनों की अधिप्राप्ति की जाएगी। खनन मशीनों के निर्माण के लिए देश में उपलब्ध सम्पूर्ण क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है। फिर भी, बिजली उपकरणों, ढुलाई उपकरणों आदि की अत्यधिक कमी है जिसका तेजी से आयात किया जा रहा है।

4. कोयला उद्योग में औद्योगिक संबंध कुल मिलाकर संतोषजनक रहे हैं। कामगारों तथा मजदूर संघों ने गैर सरकारी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का पूरा समर्थन किया है, जो कुछ संकट है वह मजदूर संघों की आपसी और आंतरिक प्रतिस्पर्धा तथा खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कुछ बेईमान मजदूर संघों और अन्य वर्गों के नकली खनिकों को शामिल करने के प्रयासों को रोकने के लिए प्रबंधकों द्वारा किए गए उपायों के कारण है। कोयला खान प्राधिकरण ने अपने अस्तित्व में आने के कुछ ही समय में एक सराहनीय कार्य यह किया कि अपेक्षित छानबीन तथा वर्गीकरण के बाद हाथ में ली गई खानों के लगभग 3 लाख कामगारों की सेवाओं को नियमित कर दिया। उसने प्रचलित श्रम कल्याण कानून के अनुरूप खनिकों की काम की दशाओं में सुधार किया, जिससे इस दिशा में भूतपूर्व निजी खान मालिकों द्वारा की जाने वाली घोर उपेक्षा की स्थिति दूर हो गई है। मजदूरी बोर्ड की सभी मान्य अनुसंसाओं को नियंत्रण में ली गई ऐसी सभी खानों में लागू कर दिया गया है, जो भूतपूर्व खान मालिकों ने लागू नहीं की थी। कोयला खान प्राधिकरण द्वारा अपने कामगारों के लिए 1 लाख से भी अधिक मकान बनाने और जलपूर्ति की व्यवस्था के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये लागत का एक पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाया गया है। कोयला उद्योग में औद्योगिक संबंधों के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अगस्त, 1973 में एक द्वि-पक्षीय मजदूरी वार्ता समिति गठित कर के उठाया गया है। इस समिति की बैठकों में कई निर्णय किए गए हैं जिनको लागू करने में काफी व्यय होगा। यह व्यय उस अतिरिक्त आय में से पूरा नहीं हो सकेगा जिसे कोयला उत्पादन संगठन हाल में कोयले के प्रति टन मूल्य में की गई औसतन 10 रुपये की वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त करेंगे। यद्यपि कोयला खान मजदूरों की मजदूरी बढ़ाना न्यायसंगत है तथापि ऐसे अवसर पर जबकि हमारी अर्थव्यवस्था एक संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रही है। मजदूरी बढ़ाने की बात पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि मजदूरी बढ़ाने के संबंध में प्रबंधकों तथा कामगारों के बीच शीघ्र ही एक परस्पर स्वीकृत समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे जिससे कि मजदूरों को भी संतोष होगा और वे कोयले का उत्पादन बढ़ाने में जी जान से जुट जाएंगे, जो देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है।

श्री कार्तिक उरांव : मैं मंत्री महोदय का ध्यान 31 जुलाई 1974 के फाइनेंसियल एक्सप्रैस में "कोयले की कमी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कुल मिलाकर 925 कोककर और गैस कोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था परन्तु हाल ही में खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद द्वारा हाल ही में जारी प्रैस समाचार के अनुसार जनवरी 1973 में राष्ट्रीयकरण से पूर्व 728 की तुलना में केवल 566 खानों में काम हो रहा था। इससे स्पष्ट है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड 359 राष्ट्रीयकृत कोयला खानों को चलाने में असफल रहा है, उन्हें जनता के सामने स्पष्टीकरण रखना चाहिए कि वे इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीयकृत कोयला खानों को चलाने में असफल क्यों रहे हैं। आज बिजली का विकास देश की सर्वप्रथम आवश्यकता है। इसलिए हमें बिजली के विकास पर अधिक से अधिक जोर देना चाहिए, हमने पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 14 करोड़

30 लाख रखा था परन्तु जुलाई तक हम केवल 2 करोड़ 70 लाख कोयले का उत्पादन कर सके हैं। इसलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 14 करोड़ 30 लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपयी (ग्वालियर) : मंत्री महोदय ने वक्तव्य पढ़कर नहीं सुनाया है और न ही इसकी प्रतियां वितरित की हैं। यह प्रतियां सभी सदस्यों को वितरित की जानी चाहिएं ।

श्री के० डी० मालवीय : 300 कोयला खानों के काम न करने का एक कारण यह है कि राष्ट्रीकरण करने के शीघ्र बाद इस कोयला खानों को युक्तिसंगत बनाने का प्रयत्न किया गया और एकीकृत खनन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जा रहा है । यह भी सच है कि 100 से कम कोयला खानों में इसलिए काम नहीं हो रहा है क्योंकि या तो वे अलाभकारी हैं अथवा उनका यंत्रीकरण किया जाना है। हम संपूर्ण खनन क्षेत्रों के कार्य को युक्तिसंगत बना रहे हैं।

जहां तक पांचवी पंचवर्षीय योजना में 14 करोड़ 30 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है, मैंने यह बता दिया है कि इसको प्राप्त करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गए हैं। कोयले का वर्तमान उत्पादन असंतोषजनक नहीं है, हमें आशा है कि इस वर्ष के अंत तक 8 करोड़ टन से अधिक कोयले का उत्पादन हो जायेगा यद्यपि हमारा लक्ष्य 9 करोड़ 50 लाख टन है । कुछ समय से बिजली की स्थिति सुधारने और परिवहन व्यवस्था के संतोषजनक होने के कारण हम कोयले का उत्पादन न केवल 8 करोड़ 80 लाख टन तक बढ़ा सकेंगे अपितु पांचवी योजाना के अंत तक 14 करोड़ 30 लाख टन उत्पादन के लक्ष्य तक भी पहुंच सकेंगे ।

श्री चपलेंदु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : प्रश्न यह है कि आपकी नीति क्या है और कोयल का उत्पादन निर्बाध रुप से चलाने के लिए रक्षित तापीय बिजली घरों की स्थापना का क्या कार्यक्रम है? बिजली के फेल हो जाने की दशा में खनन कार्य में होने वाले संकटों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? कोयले का मूल्य कोयले के उत्पादन लागत के बराबर लाने के लिए क्या किया गया है? हम अशोधित तेल का आयात करने में 1100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय कर रहे हैं। डा० जे० सी० घोष ने 1956 में एल० टी० सी० संयंत्र लगाने की सिफारिश की थी परन्तु हमने क्या किया है?

इस मामले में मुख्य बात यह है कि वेतनों पर रोक नहीं लगायी जा सकती । कार्मिक लोग कार्य नहीं करेंगे और खनिज उद्योग ठप्प हो जायेगा। आवास-स्थानों की कमी है। चेचक के मामले व्यापक हो गये हैं तथा मलेरियां फिर घातक रूप धारण कर चुका है।

परिधिस्थ क्षेत्रों में रेलों ने अच्छा कार्य किया है। मेरा सुझाव है कि सड़कों को चौड़ा बना कर 6-7 जिलों में नदीं परिवहन को सुधारा जा सकता है।

सामान्य उपभोक्ताओं को कोयले का मूल्य 8 रुपये मन अथवा 180 रुपये प्रति टन देना पड़ता है। जब कि खानों पर उसका मूल्य 40 रुपए टन है, जबकि दिल्ली लाने के लिये ट्रक द्वारा 300 रुपए प्रति टन देने पड़ते हैं। आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मोतीहारी छपरा आदि को पर्याप्त कोयला भेजने के लिए मुंगेर को नदी-परिवहन केन्द्र के रूप विकसित किया जाये।

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : माननीय सदस्य ने कोयले के उत्पादन तथा देश में उसके उपयोग के बारे में बहुत संगत प्रश्न उठाये हैं। कोयला उत्पादन को बनाये रखने तथा उसमें वृद्धि करने के लिये सरकार की नीति रक्षित विद्युत संयंत्रों की अनुमति देने की है। मुझे खुशी है कि बिजली की सप्लाई की स्थिति में सुधार हो गया है और जनता को वैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है। जैसा कि मान्य सदस्य ने उल्लेख किया था। तो भी हम इस बात का ध्यान रखते है कि ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न न हो।

प्रति व्यक्ति कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कोयला खानों के उत्पादन में सुधार हुआ है तथा औद्योगिक संबन्धों में भी सुधार हुआ है। हमारा उत्पादन बढ़ कर 8.8 करोड़ टन से अधिक हो गया है। बाधाएं हमें अधिक सतर्क बनाती हैं। हमें परिवहन पद्धति एवं बिजली की स्थिति में सुधार पर ध्यान देना है।

इस बात में सन्देह नहीं है भारत में कोयले के मूल्य सारे विश्व से कम हैं। खानों के मुहानों पर मूल्य 49-50 रुपए प्रति टन है जबकि दिल्ली, अमृतसर जैसे स्थानों पर ले जाने पर 4-5 गुना भाड़ा लग जाता है। जब हमने यह नीति बनाई है कि दूरस्त स्थानों पर कोयला रेल द्वारा भेजा जाये तथा निकटवर्ति स्थानों पर सड़क परिवहन द्वारा। सरकार खानों के कामगारों की स्थिति में सुधार लाने के लिये निरंतर प्रयत्नशील है। निस्सन्देह कुछ स्थानों पर यहां कामगारों की संख्या तो बढ़ी है परन्तु उत्पादन नहीं बढ़ा है। उनपर निरन्तर दृष्टि रखने की आवश्यकता है।

राज्य सरकारें धीमी कार्बनीकरण प्रक्रिया संयंत्रों के गैसीकरण कार्यक्रम का वास्तविक रूप से अध्यपन कर रही है। इसे प्रारम्भ करने, अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् और बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आज के वाद-विवाद का बहुत अधिक महत्व है। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है उत्पादन 9.5 करोड़ टन के लक्ष्य से कम रहा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि बिजली की कमी, अपेक्षित उपकरणों का प्राप्त न होना तथा विषम औद्योगिक संबंध बने हुए है। यह आश्यर्य की बात है कि इन सबके होते हुए भी कोयले का उत्पादन कैसे बढ़ गया है?

कामगारों की दशा का अध्ययन करने के लिए मंत्री महोदय खानों में जायें। उनकी दशा ब्रिटिश राज्य के पुराने समय से भी बिगड़ी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि कामगारों के वेतनों में 1967 से रोक क्यों लगा रखी है?

कोयला खानों में मृत्यु दर प्रति वर्ष 200–230 है और गम्भीर दुर्घटनाओं में 2000–3000 लोग मरते है। मंत्री महोदय उनके कारणों का पता लगायें और कोयला खानों की इस परिस्थिति में सुधार के उपाय बरतें।

कोयला खान प्राधिकरण में गंभीर आरोपों के कारण जिन अधिकारियों को बरखास्त अथवा निलिम्बित किया गया था उन्हें सेवा में पुनः ले लिया गया है।

मैंने जो आरोप लगायें है वे गम्भीर है। इन के गलत सिद्ध होने पर मैं दण्ड भुगतने को तैयार हूं। जब तक इन दोषों को दूर नहीं किया जाता तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता और न ही राष्ट्रीयकरण से देश को सन्तोष प्राप्त हो सकता है।

श्री के० डी० मालवीय : इसमें सन्देह नहीं है कि कोयला खानों के कामगारों ने अत्यन्त विषम परिस्थितियों में भी उत्पादन को बनायें रखा है की उत्पादन में धीरे-धीरे वृद्धि भी हो रही है। यह दुःखद बात भी मुझे विदित हुई है कि खानों के प्रबन्धक खानों में जा कर कामकारों की स्थिति का अध्ययन तक नहीं करते।

मुझे विश्वास है अगले वर्ष बिजली की स्थिति में सुधार हो जायेगा। यह कहना गलत है कि इस्पात और खान मंत्रालय तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में कोई झगड़ा नहीं है। मंत्रालयों में निरन्तर समन्वय बना हुआ है।

कर्मचारियों की स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है जितनी कि हम बनाना चाहते है। परन्तु इस योजना में हमने मकान बनाने, पानी उपलब्ध करने, सामान्य कल्याण योजनाओं आदि के लिये काफी धन राशि रखी है तथा श्रम मंत्रालय तथा हमारा मंत्रालय इस बात की जांच कर रहे हैं कि इस बारे में तुरन्त क्या किया जा सकता है।

कामगारों के वेतन में वृद्धि होगी इसलिए कोयले के मूल्य में भी वृद्धि होगी। हमें उनकी कठिनाईयों की जानकारी है तथा उन्हें दूर करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं।

कोयला खानों में मृत्यु दर लगभग वही है। इसे हमें घटाना है। इस बारे में कार्यवाही करने के लिये हमने एक समिति गठित की है।

मैं यह तो स्वीकार करता हूं कि कोयला खानों में भ्रष्टाचार हैं परन्तु यह स्वीकार नहीं करता कि भ्रष्चाचारी को छोड़ दिया जाता है।

माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं कि भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है। भ्रष्टाचार पर अब नियंत्रण है और जो कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त है वह हमारी चिंता का कारण है। मंत्रालय कोयला खान क्षेत्र से इसे समाप्त करने का प्रयास करेगा।

तेल उद्योग (विकास) विधेयक के बारे में
RE : OIL INDUSTRY DEVELOPMENT BILL

अध्यक्ष महोदय : 6 अगस्त, 1974 को जब पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने तेल उद्योग (विकास) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया था, तो कुछ सदस्यों ने विधेयक के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां उठाई थीं। उनके द्वारा उठाए गये कुछ मुख्य मुद्दे ये थे :

(1) इस विधेयक में दो प्रस्ताव रखे गये हैं --एक तेल उद्योग के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना करने का है तथा दूसरा देश में उत्पादित कच्चे तेल पर उत्पादन शुल्क लगाने का। क्या दो सर्वथा भिन्न बातें एक जगह रखी जा सकती हैं ?

(2) विधेयक के कारण बड़ी अद्भुत स्थिति पैदा हो गई है। यदि अध्यक्ष यह निर्णय देते है कि यह धन विधेयक है तो इससे राज्य सभा के अधिकारों पर रोक लगती है। दूसरी ओर यदि इसे धन विधेयक नहीं माना जाता तब कराधान सम्बन्धी लोक सभा के अनन्य अधिकार का अतिक्रमण है।

(3) विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन से स्पष्ट है कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य विकास बोर्ड की स्थापना कर तल उद्योग को विनियमित और नियंत्रित करने की आड़ में कराधान करना है। इसलिए यह धन विधेयक है।

(4) यदि यह विधेयक गुप्त रूप में न लाया गया हो तो सदस्य प्रस्तावित बोर्ड के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट कर सकते थे।

[अध्यक्ष महोदय]

मैंने इस मामले पर पेट्रोलियम और रसायन तथा विधि मंत्री से चर्चा की है । उनका यह कहना है कि संविधान के लागू होने से अब तक तेल उद्योग (विकास) विधेयक के समान चाय अधिनियम, 1953, नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 इलायची अधिनियम, 1965, उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1966 और कपड़ा समिति (संशोधन) विधेयक, 1973 संसद के समक्ष लाए गये हैं और लागू किए गये हैं।

मैं इस बात से संतुष्ट हो गया हूं कि इस प्रकार का विधेयक लाए जाने का यह पहला ही अवसर नहीं है, पहले भी ऐसे विधेयक सभा के सामने आए हैं। पूर्वोदाहरणों से पता चलता है शुल्क लगाने सम्बन्धी ऐसे ही उपबन्धों वाले विधेयक पुरःस्थापित हुए हैं और पास किए गये हैं। क्योंकि यह विधेयक पूर्व उदाहरणों के अनुसार है, इस लिये मैंने इसे लिये जाने की अनुमति दी है।

आगे बात यह है कि चुंकि इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 110 के खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट सभी या कोई भी विषय नहीं है अतः मेरे विचार में यह धन विधेयक नहीं है ।

अनुच्छेद 117 के अन्तर्गत वे मामले आते हैं जिनमें संसद के समक्ष न केवल कराधन वाले विधेयक तथा अन्य विषय भी लाये जा सकते हैं। इन विधेयकों को अनुच्छेद 110 के अधीन धन विधेयक नहीं कहा जा सकता। अतः अनुच्छेद 117 के अधीन किसी मिश्रित प्रकार के विधेयक को लाने पर कोई रोक नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि यथासंभव यह अच्छा होगा कि मिश्रित प्रकार के विधेयक कम से कम हों और वे ऐसे मामलों के बारे में हों, जिनमें प्रस्तावित कराधान को अन्य मामलों से अलग न किया जा सके।

Shri Madhu Limaye (Banka) : You have just stated that you consulted the Minister of Petroleum and Chemicals and the Minister of Law. When the discussion was goingin the House, they should have expressed their views here and should not have influenced the chair.

अध्यक्ष महोदय : जहां तक गुप्त विधेयक का प्रश्न है, मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं गुप्त विधेयक के पक्ष में नहीं हूं। इसके बाद मैंने ऐसा करने के कारणों के बारे में सुना और मैं इस बात से संतुष्ट हो गया कि गोपनीयता के लिये दिये गये कारण वैध हैं। मुझे उनसे सलाह करने तथा इस बारे में हल निकालने का अधिकार है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : If this is not a Money Bill, how can it b introduced in the form of a secret Bill? You had told the other day that it was a Taxation Bill, but now you are of the view that it is not a Money Bill.

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : संसद का अभिप्राय इसके प्रतिनिधियों के बीच सभा में विचारों का आदान-प्रदान करना है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले का गुण-दोषों के आधार पर अध्ययन किया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्षपीठ का भूतपूर्व अध्यक्षों, जिनमें श्री मावलंकर और श्री आयंगर भी शामिल हैं, द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्बन्ध है। उन्होंने पहले यह विचार व्यक्त किया है कि ऐसे मामलों को गुप्त रूप से इस प्रकार नहीं लाया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में अध्ययन किया है और मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह मामला अनुच्छेद 117 के अन्तर्गत आता है ।

Shri Madhu Limaye : You have been misled.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You had called them, why did you not call us also?

Mr. Speaker : We had heard your views in the House itself.

Mr. Madhu Limaye : I want to raise a point of order. I am not challenging your ruling. On that day, you gave your rulings that it was a Money Bill after hearing them. You gave your ruling that it was a Taxation Bill. In this matter you have been misled. I have also given a notice in this regard. Tea Board and Cardamom Bills are two different Bills.

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल सकते हैं। इस मामले पर मुझे गुमराह करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : आपने यह बताया है कि यह धन विधेयक नहीं है। यदि यह धन विधेयक नहीं है तो इसे गोपनीय कैसे रखा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे गुप्त विधेयक के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

Shri Madhu Limaye : How Excise rules are being amended like this ? you are not following the conventions. It is a mockery of the Parliamentary system.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह दूसरा विनिर्णय था। मैं यह जानना चाहता हूं कि पहला विनिर्णय ठीक था अथवा दूसरा ?

अध्यक्ष महोदय : उस समय मैंने विनिर्णय नहीं दिया था अपितु इसे स्थगित किया था। अब मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं। मैं उस पर चर्चा की अनुमति नहीं देता। मैंने अपना विनिर्णय सोच विचार कर दिया है। आपका व्यवस्था का मामला नहीं बनता। अब मैं इस विनिर्णय पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

Shri Madhu Limaye : This is a new method of giving a ruling, that the Ministers should go to the chamber and get your ruling changed. You should have listened to us also before giving your ruling.

श्री एच० एन० मुकर्जी : आपका विनिर्णय इस मामले में उचित है। लेकिन जब कभी कोई ऐसा संवैधानिक महत्व का मामला सदन में उठाया जाता है जिसमें मतभेद होता है, तो ऐसे मामले में विपक्षी सदस्यों अथवा सरकार द्वारा आपसी विचार विमर्श से मामला हल किया जाता है। इस मामले में आपने सदन में चर्चा किये जाने के बाद दो मंत्रियों को उनके विचार जानने के लिये अपने कक्ष में बुलाया। हम इस मामले पर निर्णय के लिये विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं विधि मंत्री को तत्संगत जानकारी देने के लिये बुला सकता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हमें प्रसन्नता है कि आपने यह कहा है कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 13 दिन व्यतीत हो चुके हैं। क्या सरकार विधेयक के दो पहलुओं को अलग -अलग नहीं कर सकती ? प्रत्येक मंत्रालय के लिये अलग मांगें प्रस्तुत की जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद 117 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Both of your rulings are self or Contradictory ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बताया था कि मैं इसका हल निकालूंगा। मैं इसे अभी भी अनुच्छेद 117 अधीन कराधान विधेयक मानता हूं।

पटसन के माल पर निर्यात शुल्क के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE EXPORT DUTY ON JUTE GOODS

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): आपकी सलाह के अनुसार, मैं पटसन माल पर निर्यात शुल्क के समायोजनों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

विवरण

माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये ने पटसन माल के निर्यात शुल्क ढांचे में अगस्त, 1973 और मार्च, 1974 में किये गये समायोजनों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने बताया था कि इन समायोजनों का संबंध उत्तर प्रदेश के निर्वाचनों से था और उनका पटसन माल की कीमतों से कोई संबंध नहीं था। माननीय सदस्य के कथनानुसार पटसन माल की कीमतें 1-1/2 वर्ष से भी अधिक समय से बढ़ती जा रही थीं, मार्च, 1974 में नये शुल्क लगाये जाने की तारीख से ही नहीं।

2. मैं यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए पटसन माल संबंधी उत्पादन शुल्कों का बराबर पुनिलोकन करते रहे हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगी बनी रहें। हमने यह सुनिश्चित करने का भी प्रयत्न किया है कि जब बाजार की दशाएं ऐसी हो जायें जिस से उद्योग को अप्रत्याशित रूप से ऊंचा लाभ होने लगे, तो सरकार उस लाभ का कुछ भाग खजाने के लिए प्राप्त कर सके। सदन निःसंदेह इस बात से अवगत है कि अब कुछ समय से पटसन माल को संश्लिष्ट स्थानापन्न वस्तुओं से गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में, 1964 से लेकर 1971-72 तक इस क्षेत्र में हमारे कुल निर्यात निरन्तर और काफी मात्रा में घटे। 1971-72 में पटसन माल के हमारे निर्यातों में कुछ थोड़ी सी वृद्धि हुई क्योंकि उस समय बंगला देश अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की मांग की पूर्ति करने में असमर्थ था। हमारे पक्ष में मांग में जो ये मोड़ आया, उससे पटसन माल की कीमत में काफी वृद्धि हुई और साथ ही निर्यात की मात्रा में भी वृद्धि हुई। इसको देखते हुए ही सरकार ने दिसम्बर, 1971 में निर्यात शुल्क लागू किये थे।

अनुबन्ध 1 पर दिये गये विवरण से यह प्रकट होगा कि 1971-72 में उससे पिछले दो वर्षों की तुलना में पटसन माल की औसतन कीमतों में काफी वृद्धि हुई।

भारत के प्रतियोगी देश के रूप में बंगला देश के उभरने पर 1972-73 में पटसन माल के हमारे निर्यातों में भारी गिरावट आई। भारतीय पटसन उद्योग के भरसक प्रयत्नों और साथ ही कीमतों में तीव्र वृद्धि के बावजूद 1971-72 में सप्लाई में जो रुकावट आई उसका संश्लिष्ट पदार्थों के उत्पादकों ने पूरी तरह से लाभ उठाया जो अमरीकी और पश्चिम यूरोपीय बाजारों में बड़ी संख्या में आ गये इस प्रकार इन परम्परागत बाजारों में हमारे पटसन के निर्यातों में काफी गिरावट आई। 1972 में अमरीका के बाजार की दशाओं का अध्ययन करने के लिये जो प्रतिनिधिमंडल वहां गया था, उसने यह सिफारिश की कि संश्लिष्ट पदार्थों के मुकाबले में पटसन माल की प्रतियोगिता करने की क्षमता बढ़ाने के लिए उन की निर्यात कीमतें कम कर दी जाएं। तद्नुसार सरकार ने नवम्बर, 1972 में प्राइमरी कालीन अस्तर पर लगा निर्यात शुल्क 700 रुपये प्रति मे० टन से घटा कर 300 रुपये प्रति मे० टन करने का विनिश्चय किया। इस उपाय का विदेशों के आयातकों और साथ ही पटसन उद्योग द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया और जून, 1973 में प्राइमरी कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क में और कमी करके उसे 200 रुपये प्रति मे० टन कर दिया गया और सैकेण्डरी कालीन अस्तर पर लगा शुल्क 700 रुपये प्रति मे० टन से घटा कर 300 रुपये प्रति मे० टन कर दिया गया। अगस्त, 1973 में हैसियन पर लगा शुल्क 600 रु० प्रति मे० टन से घटा कर 200 रुपये प्रति मे० टन कर दिया गया और टाट पर शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया। ये विनिश्चय अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात और कीमत संबंधी प्रवृत्तियों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके किये गये थे। इन बाजारों में हमारे पटसन माल की प्रतियोगी क्षमता बनाये रखने के लिए निर्यात शुल्क की दरों में समायोजन करना आवश्यक समझा गया।

3. सितम्बर, 1973 से ऊर्जा संकट पैदा होने से पटसन माल की मांग फिर से पैदा हो गई। इस समय इस उद्योग के सामने बिजली की कमी के कारण एक कठिन परिस्थिति आई हुई थी और अन्तर्राष्ट्रीय मांग के मुकाबले में इसका उत्पादन अपेक्षाकृत निम्न स्तर तक था। अत: कीमतों में वृद्धि हो गई जिससे वैसी ही स्थिति पैदा हो गई जो दिसम्बर, 1971 और जनवरी, 1972 में थी। यह देखा गया कि उद्योग इस परिस्थिति का फायदा उठा रहा है और कहीं अधिक लाभ कमा रहा है। सरकार ने इस अप्रत्याशित लाभ को प्राप्त करना आवश्यक समझा और मार्च, 1974 में फिर से निर्यात शुल्क बढ़ाने का विनिश्चय किया गया।

अनुबन्ध 2 में दिये गये विवरण से प्रकट होगा कि पटसन माल के निर्यात शुल्क ढांचे में क्या क्या समायोजन किये गये हैं।

4. यह कहना ठीक नहीं होगा कि 1-1/2 वर्ष से अधिक समय से पटसन माल की कीमतें बराबर बढ़ती जा रही हैं। इस क्षेत्र में हमारे मुख्य निर्यात वस्तु कालीन अस्तर है और इस वस्तु के निर्यात उस निश्चित कीमत सूत्र के आधार पर किये जाते है, जो सरकार द्वारा प्रचलित उत्पादन लागत, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों और ऐसी ही अन्य बातों को देख कर निर्धारित किया जाता है। यह एक ऐसा सिद्धान्त है जो उद्योग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और कालीन अस्तर की ऐसी कोई भी निर्यात संविदा पंजीकृत नहीं की जाती जो प्रचलित निश्चित कीमत के अनुरूप न हो। कालीन अस्तर की कीमत 1973 के पूरे वर्ष 4550 रुपये प्रति मे० टन बनाये रखी गई। जनवरी, 1974 में अमरीका के अलावा अन्य बाजारों से मांग के दबाव को देखते हुए और अपनी निर्यात आय को बढ़ाने के उद्देश्य से कीमत में वृद्धि करके 5000 रुपये प्रति मे० टन निश्चित की गई। मार्च, 1974 में इस संबंध में आगे पुनरीक्षण किया गया और कीमत फिर से 5200 रुपये निश्चित की गई। उस समय मांग की स्थिति ऐसी थी कि इससे भी ऊंची कीमत रखी जा सकती थी। यह अनुभव किया गया कि उससे जो लाभ होता है उसका एक बड़ा भाग सरकार द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। इसी तर्क के आधार पर 14 मार्च, 1974 को प्राइमरी और सैकण्डरी कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क बढ़ाये गये।

5. जहां तक अन्य पटसन माल का सम्बन्ध है, टाट का उत्पादन मुख्यत: आन्तरिक बाजार के लिए किया जाता है। नवम्बर, 1973 से विदेशों में टाट की कुछ मांग होती रही है। इसके साथ साथ बिजली की कमी की वजह से उत्पादन में कटौती करने के परिणामस्वरूप टाट की कीमतें बढ़ गई। तथापि, टाट की कीमतों में केवल 1973 की अन्तिम तिमाही में ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दिखाई दी जबकि अगस्त, 1973 तक टाट की कीमतों में वास्तव में गिरावट रही।

6. हैसियन के सम्बन्ध में, जिसका काफी मात्रा में निर्यात होता है, अगस्त, 1973 तक एक बार फिर वास्तव में कीमतों में गिरावट आई जो 101 रु० प्रति 100 गज से गिर कर लगभग 90 रु० प्रति 100 गज हो गई। उसके बाद, उत्पादन में गिरावट तथा ऊर्जा संकट की वजह से बाजार में होने वाली प्रतिक्रिया की वजह से हैसियन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। हमने, "तैयार सुपुर्दगी" संविदाएं विनियमित करके तथा अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर निर्यात शुल्क पुन: लागू करके हैसियन की कीमतों को संतुलित रखने की कोशिश की है।

अनुबन्ध 3 पर जो विवरण है उसमें संगत अवधि के दौरान हैसियन/बी०-ट्विल्स की मासिक औसत कीमतें दर्शायी गई हैं।

7. ऐसी आशा है कि एक बार पटसन माल की सप्लाई तथा मांग के बीच असंतुलन ठीक हो जाने पर सभी श्रेणियों की कीमतें काफी हद तक सुस्थिर हो जाएगी। अन्ततोगत्वा यह निःसन्देह हमारे हित में ही है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पटसन माल की प्रतियोगी क्षमता बनी रहे। यह आशंका निराधार नहीं है कि तेल तथा तेल उत्पादों की कीमतें बढ़ जाने पर भी संश्लिष्ट स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत पटसन माल से काफी कम बनी रहेंगी और पटसन माल के लिए कड़ी मेहनत से हासिल किए गए बाजार कटने

[प्रो० डी० पी० चटोपाध्याय]

लगेंगे । अत: सरकार को पटसन माल पर लगने वाले निर्यात शुल्कों को लगातार तथा अनवरत पुनर्विलोकन करना होता है और इस क्षेत्र में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर शुल्क सम्बन्धी समायोजना करना अपरिहार्य है ।

अनुबन्ध 1

कलकत्ता में पटसन माल की औसत कीमतें

वर्ष	हैसियन 40″ × 10 औंस प्रति 100 गज	बी०-ट्विल 100 बौरे	प्रति
1969–70 . . .	86.05	195.80	
1970–71	88.80	265.30	
1971–72	108.02	273.80	
1972–73	101.01	258.19	

अनुबन्ध 2

निर्यात शुल्क की दरों में परिवर्तन

(रु० प्रति मे० टन)

क्रमांक	पटसन माल का विवरण	नवम्बर, 72 से पहले	नवम्बर, 72 से	जून, 73 से	अगस्त, 73 से	मार्च, 74 से
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1	प्राइमरी कालीन अस्तर . .	700	300	200	200	650
2	सैकेंडरी कालीन अस्तर . .	700	700	300	300	750
3	हैसियन . . .	600	600	600	200	600
4	टाट	150	150	150	शून्य	150

अनुबन्ध 3

जनवरी 1973 से जनवरी, 1974 तक कलकत्ता में हैसियन 40" × 10 औंस तथा बी ट्विल की औसत कीमतें दर्शाने वाला विवरण

महीना	हैसियन 40" × 10 औंस (प्रति 100 गज)	बी ट्विल (प्रति 100 बोरे)
जनवरी, 1973	101.00	263.50
फरवरी, 1973	103.38	264.25
मार्च, 1973	101.13	261.63
अप्रैल, 1973	104.88	265.00
मई, 1973	102.63	258.63
जून, 1973	97.75	247.25
जुलाई, 1973	90.25	240.38
अगस्त, 1973	97.50	247.75
सितम्बर, 1973	104.63	263.50
अक्तूबर, 1973	108.77	271.26
नवम्बर, 1973	115.16	275.73
दिसम्बर, 1973	122.38	270.73
जनवरी, 1974	136.40	288.32

अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक

ADDITIONAL EMOLUMENTS (COMPULSORY DEPOSIT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 7 पर चर्चा होगी ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैंने दो व्यवस्था के प्रश्न उठाये थे और उन पर कोई विनिर्णय नहीं दिया गया था । मैं स्वीकार करता हूं कि सरकार शुद्धिपत्र जारी कर सकती है और छपाई की गलती भी ठीक की जा सकती है । मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप अपना स्पष्ट विनिर्णय दें कि शुद्धिपत्र की सीमा कितनी होनी चाहिये और उसको किस प्रकार परिचालित किया जाना चाहिये । मेरे विचार में छपाई अथवा व्याकरण की त्रुटियों को दूर करने के लिये शुद्धि-पत्र जारी किया जाना चाहिये न कि विधेयक में सुधार करने के लिये । यदि विधेयक में अधिक परिवर्तन किया जाता है तो संशोधन के माध्यम से किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि शुद्धि-पत्र में छपाई की शुद्धियां शामिल की जानी चाहियें और व्याकरण अथवा गणित सम्बन्धी त्रुटियां दूर की जानी चाहियें। और यदि कोई बड़ी शुद्धि है अथवा बिल-कुल नई बात है तो मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। उन्हें संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये। परन्तु इस मामले में अभी विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया था और शुद्धि-पत्र जारी कर दिया गया था ताकि वह विधेयक का अंग बन सके। मेरे विचार में ऐसा किया जा सकता। इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। यदि वे कोई नया खण्ड जोड़ना चाहते हों तो वे विधेयक का परिचालन रोक कर और उसे वापस लेकर उसको पुनः मुद्रित करवा सकते हैं। वे समय रहते अध्यक्ष की अनुमति से ऐसा कर सकते हैं।

श्री सेझियान : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का इसलिये विरोध करता हूं कि यह सभा वैधानिक दृष्टि से इस पर विचार करने के लिये सक्षम नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि यह विधान किस प्रकार का है---क्या यह सामान्य अधिनियमन है या कराधान विधेयक है? भविष्य में बताया जाना चाहिये कि अमुक विधेयक संविधान के किन उपबन्धों के अधीन पुरःस्थापित किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर कुछ सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और कुछ ने करने हैं और इस बीच आप ने शुद्धि-पत्र का मामला उठा दिया था जिसके बारे में मैं ने निदेश दे दिये हैं। अन्य बातों के बारे में आप बाद में विचार व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप सभा की वैधानिक क्षमता के बारे में बोलना चाहते हैं तो ठीक है।

श्री सेझियान : इस विधेयक का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन और केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं के कर्मचारियों के साथ है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह राज्य सूची का अतिक्रमण है। एक तर्क दिया जा सकता है कि आपात स्थिति में संसद शक्ति का प्रयोग कर सकती है (**व्यवधान**) वर्ष 1963 में जब अनिवार्य जमा योजना पुरःस्थापित की गई थी तो वह केवल उन लोगों पर लागू होती थी जिन पर आय-कर का अतिरिक्त अधिभार लगाया जा सकता था। वर्ष 1963 में सरकार ने उसको आय-कर के साथ जोड़ना चाहा तो वह मामला उच्च न्यायालय में ले जाया गया और यह निर्णय किया गया था कि पहले वर्ष 1963 के अनिवार्य जमा अधिनियम में यह व्यवस्था थी... अब यह उनपर लागू होता है जिन से अतिरिक्त अपेक्षा है। तब अनिवार्य जमा योजना और आय-कर के बीच कुछ जोड़ था अतः उससे संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं हुआ परन्तु इन में कोई सम्पर्क नहीं है। अतः इस से उल्लंघन होता है और यह सभा इस पर चर्चा नहीं कर सकती और इस से समवर्ती सूची में शामिल विषयों का अतिक्रमण होता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा आशय संवैधानिक क्षमता से था। क्या अध्यक्ष इस बात का निर्णय कर सकता है?

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : यदि उल्लंघन स्पष्ट है तो अध्यक्ष महोदय अपने पद की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाये बिना विनिर्णय दे सकते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I had given Notice of a motion and demanded that Attorney General of India should be asked to come to the House and advise on the legal aspects of this Bill.... (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : क्या अध्यक्ष किसी विधेयक के संवैधानिक पक्ष पर निर्णय देने में सक्षम है?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यदि ऐसा नहीं तो फिर अध्यक्षपीठ की आवश्यकता ही क्या है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि क्या हमारा कर्तव्य संविधान की रक्षा करना नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह बताया जाये कि अध्यक्षपीठ को संवैधानिक या वैधानिक मामलों पर राय देने के लिए कब सक्षम घोषित किया गया है? इसका निर्णय न्यायालय कर सकता है।

श्री सेझियान : दूसरी लोकसभा में सम्पदा शुल्क विधेयक के बारे में वैधानिक क्षमता का प्रश्न उठाया गया था और अध्यक्ष महोदय ने राज्यों से अनुमोदन प्राप्त करके यह तय किया था कि विधेयक इस सभा में पास किया जाएगा। अतः यह पूर्वोदाहारण है।

अध्यक्ष महोदय : कौल एण्ड शकधर कृत 'प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ़ पार्लियामेंट' के अनुसार माननीय सदस्य इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या सभा वैधानिक दृष्टि से सक्षम है या नहीं, परन्तु कोई विनिर्णय नहीं दिया जा सकता। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : फिर अध्यक्ष महोदय हमें राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने से क्यों रोकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अब तक की मान्य प्रक्रिया और पूर्वोदाहारण का उल्लेख किया है। अध्यक्ष-पीठ से संवैधानिक सक्षमता के बारे में कोई विनिर्णय नहीं दिया जाता परन्तु सभा चर्चा कर सकती है और उसके पक्ष अथवा विपक्ष में मत दे सकती है। कोई भी माननीय सदस्य इसको नियम विरुद्ध घोषित करवाने के लिये न्यायालय में जा सकता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We cannot be a party to any thing being adopted in violation of the Constitution. We have to protect the provision of the Constitution.

Mr. Speaker : I have stated one practice that is being followed here.

Shri Madhu Limaye (Banka) : On a point of order, Sir. It has been stated in Rule 72 that if a question of legislation competence arises that the same will be discussed. When I raised this point, the Deputy Speaker ruled that it should be discussed in details. Kindly listen to us first and then if you think that there is any violation of the Constitution and your ruling is very necessary that can be done later on. If your opinion is changed after listening to our please, then it will be a new precedent.

Mr. Speaker : I have given my ruling. This Bill will be discussed and during the course of consideration you can bring in all these points.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : श्री वाजपेयी ने प्रस्ताव किया था कि अटार्नी जनरल को अपनी राय देने के लिये बुलाया जाना चाहिये। संविधान के अनुसार वह सभा को सम्बोधित कर सकते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : During the cause of Emergency, the Parliament can make laws in respect of matters included in the State list as well. But the Hon. Minister has stated that this Bill has not been introduced under the provisions of Emergency. Hence the situation has become more complicated. Ours is a Federation and not a Unitary State. There can be substantial differences of opinion over the issue of Compulsory Deposits. The States may differ with the policy adopted by the Centre on this issue. The States are being deprived of their autonomy. They may like to give full benefits to their employees in so far as dearness allowance is concerned. If this Bill is not being introduced under emergency provision then our objection is all the more serious. In view of the above the Attorney General should be summoned to the House to enable us to know the correct position.

श्री सेझियान : कौल एवं शकधर कृत उपरोक्त पुस्तक के पृष्ठ 473 के पैरा 4 में इस सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है और विशिष्ट मामला भी बताया गया है। उससे स्पष्ट है कि आप हमारे विचारों को सुनने के बाद हमारी बात को स्वीकार कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपूर) : आप श्री चव्हाण से कह सकते हैं कि वह विधेयक को वापस ले लें और उसमें उपयुक्त परिवर्तन करने के बाद पुनः पुरःस्थापित करें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे विचार में इस में कोई संदेह नहीं होना चाहिये कि जो मामले राज्य सूची में विशिष्ट रूप से सम्मिलित हैं उनके बारे में यह सभा वैधानिक दृष्टि से सक्षम नहीं है अन्यथा संघीय ढांचे का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर सरकार का कहना है कि यह विधेयक आपतकालीन उपबन्धों के अधीन नहीं लाया गया है। क्या मद संख्या 5 और 41 राज्य सूची में ही हैं अथवा संघ सूची और राज्य सूची दोनों में है ? दूसरी स्थिति में निश्चय ही संघीय संसद सर्वोपरि है। परन्तु यदि यह सिद्ध हो जाता है कि मद संख्या 5 और 41 केवल राज्य सूची में ही शामिल हैं तो यह असंवैधानिक है। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करना चाहिये ताकि हम बाद में इसपर विचार कर सकें। संविधान के अनुच्छेद 246 के अधीन सरकार यह कदम उठा सकती थी, यदि कोई अतिव्यापी होती। वह भी बात नहीं है। अतः यह कदम सिद्धान्त के विपरीत है और केन्द्रीय सरकार राज्यों के क्षेत्र का अतिक्रमण करके खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। संविधान में निर्धारित सीमा तक राज्य विधान मंडलों को भी पूरी शक्तियां प्राप्त हैं जिस प्रकार संसद की हैं। यदि इस प्रकार का अतिक्रमण होता है तो राज्यों की प्रभुसत्ता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः मेरा निवेदन यह है कि यह सभा इस विधेयक पर विचार नहीं कर सकती।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : महोदय, मूल बात यह है कि क्या यह मामला सूची II की प्रविष्टि 5 या 41 में ही आता है या वह प्रविष्टि 97 में आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक इस प्रकार के मामले पर विचार किया था और बाद में निर्णय दिया था कि वह मामला प्रविष्टि 97 में अन्तर्गत आता था। मेरा निवेदन यह है कि इस विधान का सार है अतिरिक्त मजूरी की कटौती करना और अतिरिक्तमहंगाई भत्ते की आधी राशि काट कर उसको अनिवार्य रूप में जमा किया जाना और सरकार द्वारा उसपर ब्याज दिया जाना। दूसरे शब्दों में सरकार मुद्रास्फीति रोकने के लिये मजूरी पाने वालों से कुछ राशि उधार ले रही है और उस पर ब्याज दिया जायेगा। यह कहना गलत है कि यह मामला प्रविष्टि 5 और 41 के अन्तर्गत आता है। प्रविष्टि 5 स्थानीय प्राधिकार के गठन और शक्तियों से सम्बन्धित है जिससे इस विधेयक का कोई सम्बन्ध नहीं है। कर्मचारी और नियोजक के बीच जो भी करार हो उससे इस विधेयक का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विधेयक मे केवल यह व्यवथा है कि स्थानिक गाधिकार अतिरिक्त मजूरी और आधे मंहगाई भत्ते की कटौती कर के खाता विशेष में जमा करवा दें और कर्मचारियों की ओर से ब्याज प्राप्त करें। यह बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था है जैसी आय-कर विधि में है। उच्चतम न्यायालय ने वार्षिकी जमा योजना पर पहिले यह चर्चा की कि यह योजना क्या है। इसमें और वर्तमान कारण में कोई अन्तर नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि इस अधिनियम के दो उद्देश्य हैं। पहला, गैर सरकारी बचतों को सार्वजनिक कामों में लगाना और मुद्रास्फीति प्रसार को रोकना। वर्तमान कानून का भी यही उद्देश्य है। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या स्थानीय प्राधिकरण वार्षिकी जमा के क्षेत्राधिकार में नहीं आता था ? जब इस विधायी सक्षमता, कि क्या यह मामला राज्य सूची में आता है और संघ सूची में नहीं आता है, को चुनौती दी गई थी तब क्या उच्चतम न्यायालय का कर्त्तव्य इस पर विचार करना नहीं था ? जब यह कहा जाता है कि यह राज्य सूची की प्रविष्टि 41 के अंतर्गत आता है, जो राज्य सरकारी सेवाओं और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो क्या वार्षिकी जमा राज्य कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू क्यों नहीं होता था ? यह योजना, जिसके अन्तर्गत उन्हें अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता था, पूरी तरह से सूची I की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत आती है। इसलिए जो कुछ कहा जा रहा है वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत है। चूंकि धन अनुच्छेद 31(2) के अनुसार संपत्ति है इसलिए इसे इस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त नहीं किया जा सकता है अथवा प्रयुक्त नही किया जा सकता है। यह सभी दलीलें उच्चतम न्यायालय के इस बारे में निर्णय पर गलतफहमी के आधार पर दी गई है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाये, तो इसका तात्पर्य यह है कि हम राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखलदाजी कर रहे हैं। ऐसा मधु लिमये का तर्क मालूम पड़ता है। प्रश्न यह है कि क्या हम ऐसा कानून बना सकते हैं जिससे राज्य सरकार के लिए वित्तीय जटिलतायें

उत्पन्न हो सकती हैं। प्रश्न यह है कि क्या यह संसद ऐसा कानून बना सकती है जिसका वित्तीय भार राज्यों पर पड़ेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : राज्यों के पास अपेक्षित अधिकार है क्या आप उनको छीनना चाहते हैं?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरा उनसे अनुरोध है कि वे यहां हमारे अधिकार को कम करके न दिखायें। कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर लगाने के मामले का निर्णय करते समय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यदि कोई विषय प्रविष्टि 2 और 3 के अन्तर्गत नहीं आता है तो संसद को उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। इसलिए यह कहने में कोई सार नहीं है कि संसद इस विधेयक के मामले में विधायी सक्षमता नहीं रखती।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : इस समय मैं इस विधेयक के गुणावगुण पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं परन्तु जिस तरीके से यह विधेयक लाया गया है उससे ऐसा लगता है कि संविधान में लगाई गई रोक का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार संवैधानिक सिद्धान्तों की उपेक्षा कर रही है। यह बहुत अवांछनीय और अजीब बात है कि जमा की राशियों के एकत्र करने का व्यय, उनके लेखे रखने और पुनःसंदाय, जैसा कि उपबंध है, का व्यय केन्द्रीय और राज्य सरकारें सहन करेंगी। यह बात खराब और असंवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे देश में संघीय सरकार है। इसलिए संविधान के निर्बाध रूप से चलने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्यों के बीच संतुलन होना चाहिए। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में गैर सरकारी सरकार है। उसे सरकार अपने विचारों के अनुसार नहीं चला सकती है। इस प्रकार का विधेयक लाकर सरकार राज्यों के अधिकार को ले रही है। मेरी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि इस दिशा में सरकार राज्यों के अधिकारों की क्यों उपेक्षा कर रही है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 249 में कुछ उपबंध हैं जिसमें कहा गया है "राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में विधान बनाने का अधिकार है।" परन्तु वह एक अस्थायी कदम होगा। यदि सरकार राज्य के अधिकारों को अपने हाथ में लेना चाहती है तो वह ऐसा दूसरे सदन में एक संकल्प अथवा कुछ आसानी से ला सकती है और वहां दो-तिहाई बहुमत से वह ऐसा कर सकती है। परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपात स्थिति की घोषणा की गई है। क्या सरकार ने वास्तव में आपात स्थिति और बाह्य आक्रमण की संभावना और आन्तरिक व्यवस्था के संबंध में अपना निर्णय लिया था जिसके नाम पर वे लोगों से इतना रुपया इकट्ठा कर रहे हैं।

यह जिक्र किया गया कि अनुच्छेद 360 का सहारा किस प्रकार लिया गया। सरकार ने अब तक यह घोषणा नहीं की है कि देश में वित्तीय अस्थिरता है और भारतीय सारव को खतरा पैदा हो गया है। मुझे विश्वास है कि सरकार यह घोषित नहीं करना चाहती है कि देश में वित्तीय अस्थिरता है। इसलिए वे इस अनुच्छेद को लागू नहीं कर रहे हैं। इस सत्र में यह पहला अवसर नहीं है जब सरकार चुपचाप इस प्रकार के विधेयक को ला रही है। सरकार अपने बहुमत से मनमाना व्यवहार कर रही है। हमें यह देखना है कि केन्द्र और राज्यों के संबंधों को बनाए रखने वाले सांविधिक उपबंधों की उपेक्षा न हो और सरकार गुप्त रूप से कोई काम न करे।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहत्ती) : यहां प्रश्न उठाया गया है कि क्या यह विधेयक संसद की विधायी सक्षमता के अंतर्गत है या नहीं? इस संबंध में दो बातें उठायी गयी हैं। पहली बात, यह विधेयक सूची 2 के प्रविष्टि 5 और 41 के अंतर्गत आने के कारण विधान सभा की सक्षमता के अंतर्गत आता है और संसद का इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, यह विधेयक अनुच्छेद 31(2) का उल्लंघन करता है। यह विधेयक समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 यथा सामाजिक तथा आर्थिक योजना के अन्तर्गत लाया जा सकता है। विधेयक के लम्बे नाम को देखकर आप जान सकते हैं कि यह ऐसा विधेयक है जो कर्मचारियों की सेवा शर्तों को प्रभावित नहीं कर रहा है अपितु यह ऐसा विधेयक है जो राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में है और इसी कारण से यह समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 के अंतर्गत आता है।

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी]

अनिवार्य जमा योजना विधेयक, 1963 पर इस सदन में महान्यायवादी श्री सी० के० दफ्तरी ने अपने जो विचार व्यक्त किए थे उससे मेरे कथन को बल मिलता है। उन्होंने भी "आर्थिक तथा सामाजिक योजना" प्रविष्टि के कारण उसे समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 के अंतर्गत माना था। यदि आप उस विधेयक के और इस विधयक के लम्बे नामों को देखेंगे तो पायेंगे कि दोनों में समानता है। जब उस विधेयक पर चर्चा के दौरान यह कहा गया था कि यह विधान सभा के क्षेत्राधिकार में आता है क्योंकि जमा भूराजस्व जमा करने वालों से भी ली जायेगी और भू राजस्व राज्य सूची में आता है तब महान्यायवादी ने उत्तर दिया था कि विधेयक के सार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसका सार अनिवार्य बचत और जमा करना है। इसका सार भू राजस्व नहीं है इसलिए यह राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि यह सूची 3 की प्रविष्टि 30 के अंतर्गत आता है।

यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में आपातकालीन उपबन्ध लागू नहीं होते क्योंकि यह जो आपातकालीन स्थिति अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत घोषित की गई है वह बाहरी आक्रमण से संबंधित है न कि संविधान में निहित आर्थिक आपात स्थिति से। मैं संविधान के अनुच्छेद 250 की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करता हूं। इसमें कहा गया है कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण आपात स्थिति घोषित की गई हो अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत विधान बनाने का अधिकार राज्य सूची के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में स्वत: ही मिल जाता है। अत: प्रश्न यह नहीं है कि आपातस्थिति किस कारण से घोषित की गई है। आपात स्थिति के घोषित होते ही अनुच्छेद 250 के अन्तर्गत संसद का विधान बनाने का अधिकार राज्य सूची के विषयों तक बढ जाता है। फिर यदि आपातस्थिति अन्य वित्तीय आपातस्थिति के उपबंधों के अन्तर्गत घोषित किए जाने के बजाए अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत की गई है। संपत्ति संबधी बात का उत्तर दिया जा चुका है कि धन सम्पत्ति नहीं है। यदि धन को सम्पत्ति माना जाए, तो भी यह अनुच्छेद 31 क (ख) के अन्तर्गत आता है क्योंकि सार्वजनिक हित में आर्थिक विकास और इस संकट के समय मुद्रास्फीति रोकने के लिए हम धन का प्रबन्ध एक सीमित समय के लिए अस्थायी रूप में अपने हाथ में ले सकते हैं। अत: वैधानिक युक्तियुक्तता के संबंध में उठाए गये दो मुद्दों का कोई औचित्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री बीच में बोलना चाहते ह पर वे इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं।

विधि मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं इस समय केवल इसीलिए बीच में बोलना चाहता हूं क्योंकि मुझे किसी भी समय राज्य सभा में जाना पड़ सकता है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, See rule 72, the Hon. Minister has to reply to the objections raised by Members. Now the Hon. Minister is going without hearing me. I raised the question of legislative competence. I object it.

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री। कुछ माननीय सदस्यों ने यह राय व्यक्त की है कि पहले वे विधि मंत्री को सुनना चाहेंगे ताकि वे उनकी बात समझ सकें। किसी भी मामले में यह अध्यक्षपीठ पर निर्भर करता है कि वह किसे बुलाएं।

Shri Madhu Limaye : Do you think that he should not take note of my points?

Shri H. R. Gokhale : The Hon. Member has spoken.

Shri Madhu Limaye : I yielded to Shri Somnath Chatterjee.

The reasons given by him are very flimsy. He has no respect to the directly elected House.

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय करना अध्यक्षपीठ पर निर्भर करता है कि किसे और किस समय बुलाया जाये।

श्री एच० आर० गोखले : मैंने माननीय सदस्यों के भाषण को ध्यान से पढ़ा है। कानून बनाने की संसद की विधायी क्षमता से सम्बद्ध प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है।

मुख्य तर्क यह दिया गया था कि यह विधान सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची के अन्तर्गत राज्यों को दी गई विधायी शक्तियो को उललंघन करता है। उस सूची की 5 और 41 प्रविष्टियों का यह दिखाने के लिये सहारा लिया गया कि इस विधयक के कुछ उपबंध उन प्रविष्टियों जिनके सम्बंध में केवल राज्य विधानमंडल को विधान बनाने का अधिकार है, का उल्लंघन करते हैं। मेरा निवेदन है कि इनमें से किसी भी प्रविष्टि का इस विधान से उल्लंघन नहीं होता है।

जब कोई व्यक्ति किसी प्रविष्टि का अर्थ निकालता है, चाहे वह प्रथम सूची, द्वितीय सूची या तृतीय सूची की प्रविष्टि हो, तो उस पर अलग-अलग विचार नहीं करता परन्तु वह उस पर अन्य प्रविष्टियों के साथ विचार करता है और यह पता लगता है कि किसी विशेष प्रविष्टि का अंतिम प्रयोजन और आशय क्या है।

हमें इस बात का पता लगाना है कि इस विधान का सार क्या है। इस विधान का प्रयोजन आर्थिक विकास है।

जब यह विधेयक लाया गया था तो पहली बार इस बात पर विचार नहीं किया गया है। वर्ष 1963 में इसी विधेयक से मिलता-जुलता एक विधेयक लाया गया था। उस पर इस सभा में और बाहर न्यायालयों में चुनौती दी गई थी। उस समय के महान्यायवादी की अपनी राय देने के लिये सदन में बुलाया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह विधान राज्य सूची की किसी भी प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आता है। श्री साल्वे ने अपने भाषण में कहा है कि उनकी राय के अनुसार यह पहले समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 के अन्तर्गत आता है। बाद में उन्होंने कहा कि यदि प्रविष्टि 20 के अन्तर्गत नहीं आता है तो इसे अवशिष्ट प्रविष्टि 97 के अंतर्गत लिया जा सकता है या इसे अनुच्छेद 248 के अन्तर्गत लिया जा सकता है।

इस सार सम्बंधी सिद्धान्त को यहां पहली बार नहीं उठाया गया है। इसे पहले भी उठाया गया है और न्यायालयों ने कानून की विधायी क्षमता का पता लगाने के लिए किसी विशेष विधान के सारपर विचार किया है। अतः यदि हम पूरे विधेयक, इसके प्रयोजन, उद्देश्य और उपबंधों पर विचार करें तो पता चलता है कि यह राज्य सूची की प्रविष्टि 5 या 41 के अन्तर्गत नहीं आता है।

इसके अतिरिक्त विधेयक के एक खंड का थोड़ा उल्लेख किया गया है कि राज्यों को काम करना पड़ेगा और स्वाभाविक ही है कि उन्हें खर्च करना पड़ेगा। एक नियोक्ता के रूप में राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारियों और केन्द्रीय सरकार से अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वे जमा-राशियां एकत्र करें। अन्यथा राज्य सरकारों को ऐसा करने विशेष अधिकार या निदेश देना आवश्यक नहीं है। यहां तक कि संविधान के वर्तमान उपबंधों के अन्तर्गत संसद द्वारा बनाये गए कानूनों को क्रियान्विति के लिये राज्य द्वारा राज्य को कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाना होता है। यदि कोई निदेश न दिया जाये तो अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत संसद द्वारा बनाये गए कानून को क्रियान्वित करने के लिये राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करेंगे। अतः क्षमता का प्रश्न स्पष्ट है।

परसों जो अन्य मामला उठाया गया था वह विधेयक के खंड 17 के बारे में था। मैं समझता हूं की श्री लिमये ने वह प्रश्न उठाया था। उनका यह तर्क था कि यह मामला विधायी शक्तियों के अत्याधिक प्रत्यायोजन का है। मेरा निवेदन है कि यह खंड शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में नहीं है।

मुझे ठीक से याद नहीं है कि उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था, उनका आशय असीम शक्तियों से था। विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन और 'सशर्त विधान' के रूप में कानून में जाने जाने वाली बात के बीच अन्तर है। मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं जहां खंड इसकी अपेक्षा अधिक व्यापक है। उच्चतम न्यायालय ने...

श्री मधु लिमये : मेरा सम्बन्ध सभा के नियमों से है न कि उच्चतम न्यायालय से ।

श्री एच० आर० गोखले : वह तो पूर्णतया भिन्न मामला है । मैं तो यह कह रहा हूं कि क्या यह विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन है या नहीं या क्या यह केवल सशर्त विधान है ।

ऐसी बात नहीं है कि वर्तमान उपबंध में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं है । सबसे पहले इसमें लोकहित का मार्गदर्शी सिद्धान्त है । दूसरे, जब ऐसी घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनका पूर्वानुमान नहीं होता है तो कानून और नियम बनाने की शक्ति दी जाती है ।

ये मुख्य प्रश्न उठा गए थे कि...

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : अनुच्छेद 31(1) के बारे में क्या कहना है ?

श्री एच० आर० गोखले : मुझे इस बारे में स्मरण कराने के लिये धन्यवाद । मैं समझता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह मामला उठाया था । उन्होंने कहा कि धन सम्पत्ति है । मैं मान लूंगा कि धन सम्पत्ति है । परन्तु समूचे तर्क का आधार यह था कि किसी भी व्यक्ति को उसके धन से बिना कानून की शक्ति के वंचित नहीं किया जा सकता है । मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कर्मचारियों को एक सीमित समय तक धन के उपयोग से वंचित रखा जा सकता है परन्तु कानून की शक्ति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता । श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह भी कहा था कि इसकी परीक्षा अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत की जानी चाहिए ।

इसमें अधिग्रहण का मामला नहीं है । जब हम सम्पत्ति का अधिग्रहण करते हैं तो उस व्यक्ति का नाम और स्वामित्व समाप्त हो जाता है और वह सरकार में निहित हो जाता है परन्तु वर्तमान कानून में नाम समाप्त नहीं होता है । नाम उसी कर्मचारी का बना रहता है और जब समय आता है तो उसे पाने का अधिकारी होता है । इसके बदले उसे बैंक दर से 2½ प्रतिशत अधिक ब्याज मिलता है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : विधि मंत्री दो बातों पर निर्भर रहे । ये हैं : समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 । ये मद-सूची 2 में निहित हैं । अतः वह संघ सूची की मद 97 पर निर्भर नहीं रह सकते हैं । मुझे आश्चर्य है कि राज्य की शक्ति का उपहास करने के लिये आर्थिक और सामाजिक योजना का तर्क कैसे किया जा सकता है । आर्थिक और सामाजिक योजना के आवरण में राज्य की सभी शक्तियों को समाप्त नहीं किया जा सकता ।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister is relying again and again on Entry No. 97. First of all I want to say that the Hon. Minister should explain the position with regard to additional wages etc. of the workers which the Government want to take in the shape of tax on borrowings.

Since this measure involves the wages of the employees of the local authorities, it comes under Entry No. 5. This measure also violates the Entry No. 41 which concerns the employees of the State Governments. This has nothing to do with the social and economical plannings. This measure is a conspicuons effect to rob the employees of the state. Governments and Local authorities of a portion of their additional wages. This has violated the Articles 203, 204 and 205 of the Constitution.

The hon. Minister has presented in a twisted manner what I wanted to say about the delegated legislation. A notification or an order has to be issued irrespective of which they talk of delegated legislation or conditional legislation. The committee on subordinate Legislation should be given the right to watch the actions taken under Clause 17.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : हमें इस समय केवल इस बात पर विचार करना है कि क्या परन्तुक 272 के अधीन राज्य विधान मंडल में निहित शक्तियों का उल्लंघन हुआ है । वे प्रविष्टि संख्या 5 और प्रविष्टि संख्या 41 का सहारा ले रहे हैं । हमारे संविधान के निर्माताओं के ध्यान में जब वेतनों

के नियंत्रण की बात थी तो उन्होंने उसका संविधान की सम्बन्धित प्रविष्टियों में उल्लेख किया। उन्होंने केवल 'राज्य लोक सेवाओं, राज्य लोक सेवा आयोग', का उल्लेख किया है। अतः इस विधान का एक शब्द भी इन प्रविष्टियों के अन्तर्गत नहीं आता। किसी अन्य प्रविष्टि का उल्लेख या संकेत नहीं किया गया है।

जिस विधान पर हम चर्चा कर रहे हैं वह पहले के विधान के समान है। अंतर केवल इतना है कि पहले यह अनिवार्य जमा था और वह स्वेच्छा से कराया जाना था और अब वह एक नाम निर्देशित प्राधिकरण के पास अनिवार्यतः जमा कराया जाएगा। कटौती तो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत होती है अब तो केवल आय में से एक भाग जमा करने का आदेश दिया गया है।

प्रश्न यह है कि एक विशेष आय को रखा कैसे जाए। आय बुनियादी बात है। कृषि के अतिरिक्त आय निःसंदेह सूची एक में है और संसद के क्षेत्राधिकार में है। यह एक स्पष्ट बात है और सबने इसका समर्थन किया है। अतः इन परिस्थितियों में इस विषय पर लम्बा वाद-विवाद व्यर्थ है। इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : मैं इस विधेयक का सामाजिक, नैतिक तथा कानूनी सभी दृष्टियों से विरोध करता हूं।

यह वेतन वृद्धि पर रोक लगाने वाला विधेयक है। महान्यायवादी का कहना है कि सरकार अनिवार्य जमा विधयक द्वारा कर्मचारीयों पर उचित प्रतिबन्ध लगा रही है और कर्मचारियों को किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा रहा। सरकार को उचित प्रतिबंध लगानेका पूर्ण अधिकार है। यह उचित प्रतिबंध मुद्रा-स्फीति को रोकने हेतु लगाए जा रहे हैं और पहले यह प्रतिबंध अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के नाम पर लगाए गए। तब मद्रास्फीति का नाम नहीं लिया गया था। दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है।

कई राज्य सरकारों ने वेतन आयोग नियुक्त किए हैं और उन्होंने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिय हैं। इससे पहले वह प्रतिवदन क्रियान्वित हो, यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा और इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार वह वेतन से कटौती कर लेंगे। यह वेतन पर रोक लगान वाला विधेयक है। सरकार की नीतियां विफल हुई हैं। अब वह इस विधेयक का सहारा ले रही है। यह कहा गया है कि यह विधयक मुद्रास्फीति को, जोकि देश के समक्ष एक बड़ा प्रश्न है, रोकने के लिए लाया गया है। आज़ादी के 27 वर्ष बाद उन्हें मालूम हुआ है कि देश की अर्थव्यवस्था की इतनी खराब स्थिति है।

यदि अध्यक्ष महोदय सदन की विधायी क्षमता के बारे में विनिर्णय नहीं दे सकते तो इस मामले को उच्चतम न्यायालय की राय के लिए क्यों नहीं सौंपा जाता ?

कई मामलों में पहले भी महान्यायवादी को इस सदन में बुलाया गया है। इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जाता ? मैंने पहले भी एक प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला उच्चतम न्यायालय कोसौंपा जाए। ताकि वह इस बात का निर्णय करे कि कहीं यह विधान वास्तव में कर्मचारियों के हित तथा राज्यों के अधिकारों के विरुद्ध तो नहीं है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्तर्गत कई कार्पोरेशन हैं और यदि इस विधान का विरोध किया गया, तो उसका परिणाम क्या होगा ?

आप मेरे इस प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखें ताकि इस देश की जनता को पता लग जाए कि उच्चतम न्यायालय की राय जानने के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को किस प्रकार सत्तारुढ़ दल ने बहुमत के आधार पर पराजित कर दिया।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : विधि मंत्री द्वारा को गई व्याख्या संतोषजनक नहीं है। इस सदन की विधायी क्षमता के प्रश्न पर मैं आपका ध्यान एक असंगति की ओर दिलाना चाहता हूं। गुजरात में न्यायाधीश देसाई की अध्यक्षता में एक वेतन आयोग नियुक्त किया गया है और वह अपनी रिपोर्ट अक्तूबर में देगा और इस बीच केन्द्र की ओर से यह विधान आ गया है। आर्थिक विकास के नाम पर सरकार राज्य सरकारों और वेतन भोगियों का गला घोंट रही है। क्या समान नियम राज्य वेतन आयोगों के संबंध में भी लागू किये जाएंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप इस विधेयक का विरोध करने से पहले इसके गुणों को तो देख लीजिए। मेरा विचार था आपने पूरा विधेयक पढ़ा होगा। मैं श्री बनर्जी के भाषण को सुनकर भी बड़ा हैरान हूआ। विधेयक के खण्ड 2(ग) में आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय की व्याख्या के लिए मैं आभार हूं। मैं यह कह रहा था कि जिस विधान को आप पुरःस्थापित करने जा रहे ह, वह राज्यों के अधिकारों में बाधक है। प्रश्न यह है कि क्या हम ऐसा करने के लिए सक्षम हैं, समर्थ हैं ? यदि यह भाग कराधान प्रस्ताव है तो केन्द्र सरकार को ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है। किन्तु "सामाजिक और आर्थिक योजना" की आड में आप सब कुछ नहीं कर सकते। चूंकि आपको सदन में दो तिहाई बहुमत प्राप्त है अतः क्या आप संविधान को भी बदल सकते हैं ?

हमारा संविधान संघीय संविधान है। इसके अधीन राज्यों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। ये सरकारें अधीनस्थ नहीं हैं, वे अपने क्षेत्र में समन्वित निकाय हैं। यदि राज्य अधीनस्थ नहीं हैं तो हम इस विधेयक पर कैसे विचार कर सकते हैं।

चूंकि इसमें संवैधानिक प्रश्न निहित है, अतः मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि इस विधेयक को महान्यायवादी को मंत्रणा से लाया गया है। चूंकि विधि मंत्री ने सभा को यह नहीं बताया कि महान्यायवादी से परामर्श किया गया है या नहीं, अतः हम उन्हें स्वयं यहां बुलाना चाहते हैं, ताकि वह अपना स्वतंत्र मत व्यक्त कर सकें।

यहाँ प्रश्न सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के सही अथवा गलत होने का नहीं है। एक विशेष आर्थिक समस्या का सामना करने हेतु ऐसे कार्य नहीं करने चाहिएं जोकि इस सदन की संवैधानिक शक्तियों से बाहर हों।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्यों द्वारा विधायी क्षमता के संबंध में उठाए गए प्रश्नों का मेरे सहयोगी विधि मंत्री ने बड़ी योग्यतापूर्वक उत्तर दे दिया है।

विधेयक के खण्ड 17 में अधिक प्रत्यायोजन का प्रश्न भी उठाया गया है। उसका भी विधि मंत्री ने विस्तारपूर्वक उत्तर दे दिया है। खण्ड 17 का संबंध कानून के अन्तर्गत छूट देने से है। यह प्रत्यायोजन शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस अवसर पर हमें किसी बात के संवैधानिक या कानूनी होने को नहीं देखना है। हम यहां मामलों पर चर्चा करने तथा उन पर निर्णय लेने के लिए हैं। यह सभा की एक परम्परा है। अतः हमें इस पर आगे कार्यवाही करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : विधायी क्षमता के प्रश्न पर विनिर्णय देना अध्यक्षपीठ का कार्य नहीं, अपितु सदन का कार्य है। वही इस पर निर्णय लेगा। चूंकि इस विषय पर सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं, सदन इस पर आगे कार्यवाही कर सकता है। वैसे मेरा वैयक्तिक विचार है कि महान्यायवादी को यहां बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आप से विशिष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है ? यदि नहीं, तो हमें महान्यायवादी की राय अवश्य जाननी है। महान्यायवादी को क्यों पर्दानशीं रखा हुआ है ? क्या यह

अध्यक्ष का कर्तव्य नहीं कि वह महान्यायवादी को हमसे मिलवाएं ताकि जिन वैधानिक मामलों के संबंध में जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं, उनका निराकरण किया जा सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है अथवा नहीं, इसका निर्णयभी सदन करेगा। अध्यक्ष पीठ के अधिकार सीमित हैं। उन्हें और अधिकार मत प्रदान कीजिए। क्या बात सही है और क्या गलत, इस पर निर्णय लेना अध्यक्षपीठ का कार्य नहीं है। मैं तो केवल आपको अवसर प्रदान करने के लिए हूं। प्रश्न यह है कि क्या इस मामले में महान्यायवादी को बुलाने की आवश्यकता है या नहीं। इस संबंध में श्री वाजपेयी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं।

जहां तक श्री एस० एम० बनर्जी के प्रस्ताव का प्रश्न है, वह मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता। उस पर राष्ट्रपति ही उच्चतम न्यायालय को राय देने के लिए कह सकते हैं।

श्री शाम नन्दन मिश्रा : ऐसे मामले को सभा के मतदान हेतु नहीं रखा जाना चाहिए। सभी फैसले बहुमत के जोर पर नहीं किये जाने चाहिएं।

श्री सी० एम० स्टीफन : किस उपबन्ध के अन्तर्गत महान्यायवादी को यहाँ बुलाए जाने का अनुरोध किया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : महान्यायवादी को सदन में बुलाने के लिए एक नियत प्रक्रिया है। उसे कुछ विशेष अवसरों पर ही बुलाया जा सकता है ; जिसमें सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करके सरकार द्वारा बुलाए जाने का अनुरोध भी शामिल है।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि महान्यायवादी को इस प्रश्न पर लोक सभा को परामर्श देने के लिए बुलाया जाये कि क्या सभा माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई संवैधानिक आपत्तियों को ध्यान में रख कर अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक, 1974 पर विचार करने के लिए सक्षम है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि महान्यायवादी को इस प्रश्न पर लोक सभा को परामर्श देने के लिए बुलाया जाये कि क्या सभा माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई संवैधानिक आपत्तियों को ध्यान में रख कर अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक, 1974 पर विचार करने के लिए सक्षम है।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में—34	विपक्ष में—108
Yes	Noes

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ वर्गों के आय-करदाताओं द्वारा राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में अनिवार्य निक्षेप के लिये तथा उसके सम्बन्ध में एक स्कीम बनाने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए, उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में—116 Yes	विपक्ष में—40 Noes

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अतिरीक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अध्यादेश 1974 के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : ADDITIONAL EMOLUMENTS (COMPULSORY DEPOSIT) ORDINANCE, 1974

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं अतिरिक्त ऊपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अध्यादेश, 1974 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) विधेयक

COMPULSORY DEPOSIT SCHEME (INCOME-TAX PAYERS) BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ वर्गों के आय करदाताओं द्वारा राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में अनिवार्य निक्षप के लिये तथा उसके सम्बन्ध में एक स्कीम बनाने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए, उपबन्ध करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ वर्गों के आय-करदाताओं द्वारा राष्ट्र के आर्थिक विकास की हित में अनिवार्य निक्षप के लिय तथा उसके सम्बन्ध में एक स्कीम बनाने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए, उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मै विधयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आय-कर दाता) अध्यादेश, 1974 के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : COMPULSORY DEPOSIT SCHEME (INCOME-TAX PAYERS) ORDINANCE, 1974

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आय-कर दाता) अध्यादेश, 1974 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचलन संबंधी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

इस्पात घोटाले का पता लगने और कतिपय नकली कारखानों के मालिकों पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के समाचार

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : नियम 377 के अधीन मैं एक लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । लोहा और इस्पात नियंत्रक ने 360 जाली कारखानों के मालिकों को कारण बताओ नोटिसें दिये हैं जिनको गत वर्ष 50 करोड़ रुपये के इस्पात के कोटे दिये गये थे । ये 360 जाली कारखानों के मालिक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली में हैं । 360 लाख टन इस्पात जिसका मूल्य 50 करोड़ रुपये हैं, अनेक वर्षों, अनेक वर्षों से दिया जा रहा था । इस घोटाले का नई दिल्ली के क्षेत्रीय नियंत्रक ने पता चलाया है । उसने इन कारखानों को कारण दर्शाओं नोटिस जारी किये हैं परन्तु इन कारखानों को अभी भी इस्पात का कोटा मिल रहा है । मंत्री महोदय इस बारे में यथाशीघ्र एक वक्तव्य दें ।

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974

FINANCE (NO. 2) BILL, 1974

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 7 अगस्त, 1974 को श्री यशवन्तराव चव्हाण द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर पुनः चर्चा शुरू करेंगे :

> "कि आय-कर अधिनियम, 1961 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । हमारा देश संकट के समय से गुजर रहा है । वित्त मंत्री के लिये 233 करोड़ रुपये के कराधान प्रस्ताव रखने के अतिरिक्त और कोई अच्छा विकल्प नहीं था । ऐसी परिस्थितियों में यह सबसे अच्छी बात है ।

करों से प्राप्त राशि के उपयोग के बारे में प्रश्न उठाये गये हैं । इस प्रकार का प्रश्न उठना ही नहीं चाहिये था क्योंकि बिहार की शांति और व्यवस्था की स्थिति के लिये अब तक 22 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है और यह व्यय 55 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है ।

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुये
SHRI ISHAQ SAMBHALI *in the Chair*]

[श्री कार्तिक उरांव]

विरोधी दल यदि इसी प्रकार के आन्दोलन आयोजित करते रहे तो यह व्यय 600 करोड़ तक भी बढ़ सकता है । ऐसी स्थिति में 232 करोड़ रुपये के कर प्रस्ताव उचित ही हैं ।

कोयला तथा अन्य उद्योग प्रगति कर रहे हैं । सरकारी क्षेत्र में हमने लगभग 38.324 करोड़ रुपया लगाया है। लगाये गये धन पर यदि 10 प्रतिशत लाभ होता तो 3832 करोड़ रुपये तीन वर्षों के बाद मिल जाता । यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अच्छा काम करते तो शायद इन कर प्रस्तावों को लाने की आवश्यकता नहीं होती ।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के प्रश्न का वित्त मंत्री ने कोई उल्लेख तक नहीं किया है । उन्हें एक प्रस्ताव लाना चाहिये जिसके अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये एक केन्द्रीय बोर्ड स्थापित किया जाये और पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष राशि रखी जाये ।

सरकार यदि काले धन को निकालने में सफल हो जाती है और कर अपवंचन की समस्या का समाधान कर लेती है तो सरकार के पास बहुत धन हो जायेगा । वांचू समिति ने काले धन को निकालने के लिये अनेक सुझाव दिये थे । सरकार को उस समिति की सिफारिशों को लागू करके इन बुराइयों की समस्या को समाप्त करना चाहिये । कर अपवंचको और काला धन जमा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये ।

बोनस के भुगतान को मुनाफे के साथ सम्बद्ध कर देना चाहिये । बिना मुनाफे के बोनस का भुगतान विश्व में कहीं पर भी नहीं होता ।

जनजाति के लोगों, विशेषकर मनीपुर, त्रिपुरा और नागालैंड के लोगों को आयकर में छूट मिलती है । यह छूट समूचे देश में सभी जनजातियों को मिलनी चाहिये ।

इसके साथ ही मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Kumari Maniben Patel (Sabarkantha) : This Government was voted to power with the confidence that it will remove poverty. Today the position is quite different. The poor man is growing under the pressures of high prices. He cannot even get the basic necessities of life. The burden of taxes is very heavy and the present Finance Bill is giving a further dose of taxation to the tune of Rs. 900 crores. All this will only add to the misery of the poor man.

There has been continuous increase in the Governmental expenditure. No economy is observed. Huge sums are spent on tours and Ministers' visits abroad etc. etc. There is no check on this kind of expenditure.

It seems that there is no administration in Gujarat. The law and order situation is very bad. Even press-reporters are beaten up and girls are assaulted. Such things surely call for same stern action on the part of Government.

Government imposed taxes on cigarattes but liquor has been spared from taxation. Gandhiji is always quoted in the speeches but his teachings are not followed at all. Why liquor was spared from taxation ? No commission was set up to inquire into the Nagarwala case with a view to bring the facts into light. The Government has been showing its reluctance to set up a commission, for same obvious reasons.

Essential commodities like wheat are disappearing from the open market. No economy is being observed in Governmental expenditure as is evident from the extension of the current session.

श्री श्यामसुंदर महापात्र (बालासौर) : डाक विधेयक पर चर्चा के दौरान मुझे दुख स कहना पड़ रहा है कि समूचा उत्तरी उड़ीसा और कटक जिले का एक बड़ा भाग बाढ़ की चपट में है । वर्ष प्रति वर्ष उड़ीसा पर यह संकट आता है और सरकार को सहायता अनुदान देना पड़ता है । जब तक उड़ीसा की इन बेलगाम नदियों के नियंत्रण में रखने के लिए उपाय नहीं किए जाते, उड़ीसा के लोगों के कष्टों का निवारण नहीं हो सकता ।

पारादिप में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का तथा सुनकी में एक सीमेंट का कारखाना लगाने के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए । उड़ीसा में सरकार एक फेरी-बनेडियम संयंत्र की स्थापना भी कराए । जब तक यह सब कार्य नहीं किए जाते क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त नहीं हो सकता ।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) : Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Finance Bill. Many honourable Members have given constructive suggestions and they have also admitted that the economic condition of the country has worsened due to economy compulsions. The Honourable Finance Minister has admitted that the prices have been increasing inspite of anti-inflactionary measures. Our country is passing through economic crisis and we have to find its solution on a national basis.

There are three main reasons for the worsening condition of our economy. First of all, there is no integrated planning. Secondly, there is wrong fixation of priorities. Lastly, there are no competent, active and dedicated workers for the specific works.

Ad-hocism and compartmentalism has affected all the previous four plans. There has been compartmentalism, because every Department has been functioning in its own way without having co-ordination with any other Department.

The priorities have been fixed in a wrong way. The agriculture should have been given top priority after Defence. The allocation for agriculture made in 1972-73 was reduced in 1974-75 and now this amount is being further reduced by another Rupees one hundred crores. Even now we are not self-sufficient in the matter of fertilisers. Last year, Rock phosphate worth thirty crores of rupees was imported, but we have not set up any phosphatic fertiliser unit in the hilly areas of Rajasthan and U. P., though there are rich deposits of rock phosphate there. There are no irrigational facilities and tube-wells are not working as there is no power. Agricultural inputs should be made available to increase the production of foodgrains.

Fortunately, there is no shortage of natural recources in the country. Neither there is any shortage of man power. Technical knowledge is also available. But our country can not progress as there is no integrated planning. The unemployment has been growing whereas production has been going down. The number of unemployed may go upto 2 crores at the end of fifth Plan.

If rising prices and inflation hato be contained, the production in all speres would have to be increased. Seventy to eighty per ent of the amcount allowcated for the Crash Programme has been spent on roads instead of agriculture.

Tax-evasion and smuggling are two big stumbling blocks of our economy. According to Wanchoo Committee, there was black money to the extent of Rs. 1,400 Crores in 1968-69. According to another member of the Committee, there was black money of Rs. 2,833 Crores in circulation and at present black money to the extent of Rs. 14,000 Crores is in circulation. It is a matter of regret that no concrete steps are being taken to unearth black money and to check inflation, black marketing and corruption. According to Central Excise Review Committee, the big Capitalists show losses in the name of small scale industries and evade taxes. The Central Excise Department should be strengthened to check tax evasion. At present 700 Crores of rupees remain as arrears of income-tax. There would be no need for levying fresh taxes, if half the amount of income-tax is realised.

Finally, I would request that more attention should be paid to backward classes, Harijans, hilly areas and backward areas.

Shri Hari Singh (Khurja) : The Government has launched an all-round attack on the economic ills of the country and I am sure the Government would be successful in solving the economic problems of the country. The three ordinances, which have been promulgated very recently, were absolutely necessary. The black money is being unearthed and black marketeers as well as profiteers are being exposed.

It is essential to increase the production and fertilisers, seeds and power should be made available at subsidised rates. For this purpose, our population increases by 13 million very year and the increase in population offsets the development through planning.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

There is man-made shortage of goods. The units are not working according to the installed capacity. The capitalists are trying to make the measures of the Government a failure. The opposition parties are also trying to detract the attention of the Government from solving the problems. There is a great difference between the professions and practice of the opposition parties. The services at the highest level must be committed to the ideology of the Government and the higher officers should have full faith in the programme and ideology of the Government. If we want to bring about real socialism in the country there should not be wide gap between the salaries of Government employees of variou categories. Lastly, I would like to say that if we want to make the country prosperous' the aim of the plans should be to make the farmers' lives prosperous.

श्री यशवंतराव चव्हाण : वक्ताओं ने अपने भाषणों में चार मुख्य बातों का उल्लेख किया है : (1) दूसरे वित्त विधेयक की आवश्यकता (2) कर प्रस्तावों का सम्भावित प्रभाव (3) काले धन के बारे में सरकार की कार्यवाही और (4) मुद्रास्फीति के बारे में क्या इन उपायों से सहायता मिलेगी ? मैं प्रत्येक के बारे में संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा ।

इस बारे में सभी सहमत हैं कि मुद्रा स्फीति विरोधी नीति के रूप में घाटे की अर्थ व्यवस्था को बहुत कम किया जाना चाहिए । श्री श्यामनन्दन मिश्र, श्री वीरेन्द्र अग्रवाल और अन्य सदस्यों ने भी घाटे की अर्थ व्यवस्था को कम करने और मुद्रा सप्लाई की विकास दर को कम करन की आवश्यकता पर बल दिया है । यही कारण है कि मैंने दूसरा वित्त विधेयक पश किया है ।

हमारे व्यय में अपरिहार्य रूप से वृद्धि हो गई है। हम कुछ आवश्यक क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यय करने के लिए कम प्राथमिकता वाले व्यय में कटौती करके; धन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं । हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि विकास-व्यय में अत्याधिक कटौती से विकास की गति और देश में रोजगार की स्थिति पर अत्याधिक बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है । इसलिए अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था इस तरीके से करनी होगी कि मुद्रा-स्फीति कम से कम हो । अतिरिक्त धन जुटाने के दो विकल्प हैं । घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेना या करों में वृद्धि करना । अर्थव्यवस्था की विकास-दर को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना और मुद्रा स्फीति को नियंन्त्रित करने की दृष्टि से अतिरिक्त कर लगाने के विकल्प को मैंने चुना है ।

मुद्रा स्फीति को रोकने के अनेक उपायों में से एक प्रमुख उपाय बजट में घाटे की अर्थ व्यवस्था को नियन्त्रित करना है । श्री अग्रवाल के अनुसार, 1975 में 50 प्रतिशत की दर से मुद्रा-स्फीति होगी, परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि उनके हिसाब का क्या आधार है । अगर वह मुद्रा स्फीति और मुद्रा सप्लाई के बारे में वस्तुत: चिन्तित हैं, तो उन्हें इस वित्त विधेयक का समर्थन करना चाहिए । य उपाय अर्थ व्यवस्था को सन्तुलित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, परन्तु मुद्रा स्फीति विरोधी नीति के ये मुख्य अंग हैं ।

मेरे कर प्रस्तावों से आम उपयोग की वस्तुओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । श्री वसन्त साठे ने ठीक ही कहा है कि कम उपयोग की वस्तुओं पर करों का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा । कुछ सदस्यों ने कर प्रस्तावों की इसलिए आलोचना की है कि विलासिता की सामग्री पर कर प्रस्तावों द्वारा भार नहीं डाला गया है । मैं इस बारे में

यह निवेदन करना चाहता हूं कि पांच महीने पहले ही तो 1974-75 के बजट में रेफ्रीजरेटर, एयर कन्डीशनर, टीव्ही सेट, बढ़िया किस्म के कपड़े और विदेशी शराब पर करों में बढ़ोत्तरी की गई थी। वर्तमान कर प्रस्तावों द्वारा भी विलासिता के सामान, जैसे सुपर फाइन कपड़े; मानव निर्मित फाइबर, बढ़िया सिगारेटों पर करों में वृद्धि की गई है।

कुछ सदस्यों ने यह तर्क दिया है कि इन कर प्रस्तावों से मुद्रा स्फीति में और वृद्धि होगी, क्योंकि इन करों का भार निर्माता उपभोक्ता पर डाल देंगे। विलासिता की सामग्री पर लगे करों का भार समाज के सम्पन्न वर्ग को वहन करना पड़गा। दूसरे, अगर मांग में कमी होती है तो निर्माता उपभोक्ता पर करों का भार डालने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। मेरे कर प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य बजट के घाटे को कम करना और कुछ विशिष्ट प्रकार के सामान के उत्पादन में निर्माताओं और व्यापारियों के अत्याधिक मुनाफे में से कुछ हिस्सा करों के रूप में लेना है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर ने कागज की कुछ किस्मों पर सहाय्यक शुल्क बढ़ाये जाने की इसलिए आलोचना की है कि इससे छात्र समुदाय को क्षति होगी। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि कर प्रस्तावों में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि छात्रों के हितों को नुकसान न पहुंचे। अभ्यास पुस्तिकाओं और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में काम आने वाले कागज को करों से पूरी छूट दी गई है। बढ़िया किस्म के कागज की कीमतों में निर्माताओं ने हाल ही में काफी वृद्धि की है और मूल प्रभावी उत्पादन-शुल्क पर 33$\frac{1}{3}$ प्रतिशत सहायक शुल्क बढ़ाने से व्यापारियों और निर्माताओं के मुनाफे में ही कमी होगी।

श्री जे० एम० गौडर ने यह कहा है कि देश से काला धन समाप्त करने के लिए सरकार के पास कोई समय-बद्ध कार्यक्रम नहीं है। मैं यह मानने के लिए तयार नहीं हूं कि काले धन में कमी करने के लिय कोई कार्यवाही नहीं की गई है। काल धन की समस्या पर अनेक प्रकार के आक्रमण करना होगा। काले धन के विरुद्ध नीति निर्धारण करते समय हमें काले व्यय, काली आय और काली सम्पत्ति में भी अन्तर करना होगा। इनमें से प्रत्येक के बारे में अलग दृष्टिकोण अपनाना होगा। विमुद्रीकरण से करेन्सी नोटों के रूप में वर्तमान काली सम्पत्ति ही प्रभावित हो सकती है परन्तु उससे भावी काली आमदनी के निर्माण पर रोक नहीं लग सकती। काली आमदनी के निरन्तर निर्माण का कारण अप्रभावी मूल्य और वितरण नियन्त्रण तथा आंशिक रूप से कर अपवंचन है। काली आमदनी के भावी विकास को रोकने के लिए औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण की अधिक वास्तविक नीति और दुहरी मूल्य नीति अपनाई गई है। कर अपवंचन पर भी दुहरा आक्रमण किया जा रहा है। व्यक्तिगत कर की दरों में कमी करके कर अपवंचन के आकर्षण को कम किया गया है कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाकर कर अपवंचन को अधिक जोखिम वाला बनाने का प्रयास किया गया है। आयकर अधिकारियों द्वारा छापे मारने से लोगों के मन में कर अपवंचन के प्रति डर पैदा किया जा रहा है। कम मूल्य दिखाकर बेची जानेवाली सम्पत्ति के अधिग्रहण, कृषिजन्य और गैर कृषिजन्य आय को जोड़कर आयकर निर्धारण और कर अपवंचन के लिए अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था सरकार के काले धन को समाप्त करने के दृढ़ निश्चय को परिव्यापक हैं।

मुद्रा स्फीति पर दुहरा आघात किया जाना चाहिये। उत्पादन में वृद्धि करके सप्लाई की स्थिति में सुधार और धन आय तथा धन-मांग को नियन्त्रित करके मांग में कमी करना। कर प्रस्ताव और तीनों अध्यादेश मांग पक्ष पर आक्रमण करते हैं। ये अपने आपमें पर्याप्त नहीं है, परन्तु मुद्रा स्फीति विरोधी उपायों के आवश्यक अंग हैं।

सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सुदृढ़ प्रयास कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध उर्वरक को अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की सहायता के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के आयात की

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

व्यवस्था की गई है । सरकार आवश्यक वस्तुओं के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बनाये रखने और उसे सुदृढ बनाने के अपने वचन पर दृढ़ है। बिजली की स्थिति भी अधिक आशाप्रद है । यह सच है कि हम काफी कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं परन्तु मुझे विश्वास है कि हम इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे ।

श्री मधु लिमये ने कैप्रोलेक्टम और डी० एम० टी० पर शुल्क और भारतीय तम्बाकू के बारे में प्रश्न उठाया है । श्री मधु लिमये ने अपने एक पत्र का हवाला दिया है, जो उन्होंने मुझे लिखा था । उन्होंने अपने पत्र में कर-प्रस्ताव किया था और कर प्रस्ताव पर जब सरकार विचार कर रही हो, तो सरकार किस प्रकार से उसका जवाब दे सकती है । कैप्रोलेक्टम और डी० एम० टी० का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में होता है । जब अप्रैल में प्रस्ताव पर विचार हो रहा था, तब कैप्रोलक्टम का कतई उत्पादन नहीं हुआ था और इस वर्ष जुलाई में ही उत्पादन शुरु हुआ । डी० एम० टी० का पिछले साल के बीच उत्पादन शुरू हुआ था और इस साल के प्रारम्भ तक कोई खास उत्पादन नहीं हुआ था । इसलिए, यह कहना ठीक नहीं है कि कर न लगाने का आशय किसी की मदद करना था ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Even after the fresh taxation proposals, the monopolists would get a benefit of Rs. 15,000 per tonne. Either you should raise the price or levy the tax.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किसी ऐसी वस्तु पर कर लगाते समय हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए, जिसका उत्पादन हाल में शुरू हुआ हो । माननीय सदस्य के कथनानुसार देश में उत्पादित डी०एम०टी० की कीमत 18,000 रुपया प्रति मीट्रिक टन है और रूसी डी०एम०टी० की कीमत 30,000 रुपया प्रति टन है । मेरी जानकारी के अनुसार, देश में उत्पादित डी० एम० टी० की कीमत 16,000 रुपया प्रति टन है । देश में उत्पादित कैप्रोलेक्टम की कीमत 26,000 रुपया प्रति टन है । कर लगाने के बाद दोनों की कीमत क्रमश: 20,000 रुपया प्रति टन और 38,000 रुपया प्रति टन होगी ।

दूसरा प्रश्न उन्होंने इण्डियन टोबको के बारे में उठाया है ...

Shri Madhu Limaye : I am giving these papers to you, which may be returned to me after scrutiny. These papers would reveal that there is evasion of excise duty to the extent of Rs. 3 Crores.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग करूंगा ।

श्री मावलंकर के अनुसार हम राज्य सरकार के उत्पादन शुल्क विभाग के मदत से बेची जा रही शराब के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye : You auction it.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसे नीलाम करने के प्रश्न पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

उन्होंने इस बारे में विचार किया है और पर्याप्त मात्रा में जुर्माना किया जा रहा है ।

Shri Madhu Limaye : The penalty to be imposed is only Rs. 15 lakhs. But it would be sold for Rs. 65 lakhs and they would still have a profit of Rs. 40—45 lakhs.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने जांच की है और मुझे पता चला है कि सामान को कब्जे में ले लिया गया है । वे नियमानुसार कार्यवाही करेंगे और जुर्माना लगाया जायेगा ।

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनंदगांव) : इस समय लगभग 4300 किस्मों के कपड़े का उत्पादन होता है। कपड़े के कारखाने भारी मुनाफा कमा रहे हैं। कपड़े की इन किस्मों में कमी की जानी चाहिए ताकि आम आदमी के उपयोग के कपड़े का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य से सहमत हूं, परन्तु कपड़े की किस्मों में कर प्रस्तावों के माध्यम से कमी नहीं की जा सकती।

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpet) : I have said on many occasions that the loan or financial aid should be given to the farmers directly through Cheques. It would help to check corruption. I would like to know the reaction of the Finance Minister to this.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य जब उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने यह प्रश्न उठाया था। यह काफी अच्छा सुझाव है। परन्तु इसकी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी। उस समय जब मैंने पत्र का उत्तर भेजा, तब तक माननीय सदस्य मंत्री पद से हट चुके थे।

पत्र की एक और प्रति मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भेज रहा हूं ताकि वह उसे कृषि मंत्री को दे दें।

Shri Ram Chandra Vikal (**Baghpet**) : I have recently written you a letter.

Shri Yeshwantrao Chavan : I am endorsing you a copy of the letter addressed to the Chief Minister.

Shri Pannalal Barupal (Ganganagar) : Is it fact that the ships of private companies that go abroad overstay on the plea of repairs and indulge in smmugling envolving crores of rupees.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 और 3 पर कोई संशोधन नहीं हैं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have a point of order. In explanatory notes it is mentioned that in accordance with this Bill, taxes would be realized from 1st April, 1975.

What is the necessity to bring it now ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : बेशक इन्हें 1 अप्रैल, 1975 से लागू होना है, तो भी इस वर्ष की आय पर आधारित है। इस बारे में पुरानी चली आ रही परिपाटियों का महत्व नहीं है।

Shri Madhu Limaye : The explanatory memorandum is defective. He is saying that this year's income will be assessed next year.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

*महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद

*MAHARASHTRA KARNATAKA BOUNDARY DISPUTE

श्री शंकरराव सावंत (कोलाबा): 24 जुलाई, 1974 को तारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर में मंत्री जीने कहा था कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद का समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह समाधान अधिकाधिक लोगों को मान्य होगा। यह भी कहा गया है कि सरकार भी यथा शीघ्र समस्या को सुलझाने को उत्सुक है। इस प्रकार उत्तर सरकार सदा देती आई है।

[**डा० हेन्री आस्टिन** पीठासीन हुए
DR. HENRY AUSTIN *in the Chair*]

यह समस्या तब उत्पन्न हुई जब 1956 में राज्य पुर्नगठन आयोग ने भारत संघ को भाषावार प्रान्तों में विभाजित किया था। कुछ मराठी-भाषी व्यक्ति कर्नाटक में रह गये तथा कुछ कन्नड़-भाषी व्यक्ति महाराष्ट्र में रह गये। लोग अपने प्रदेशों में जाने के लिये आन्दोलन करते रहे। सरकार ने महाजन आयोग को नियुक्ति की जिसकी रिपोर्ट अगस्त 1967 में प्रस्तुत की गई। उसे भी आठ वर्ष व्यतीत हो गये और सरकार यही कहती रही की वह समाधान खोजने की चेष्टा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मांग की परिसीमन आयोग की नियुक्ति से पहले इस विवाद को हल किया जाये परन्तु इस संबन्ध में कुछ नहीं किया गया। लोगों का धैर्य समाप्त होने को है। इसके समाधान को स्थगित करने का कोई कारण नहीं है।

8 अगस्त, 1974 को महाराष्ट्र के विभिन्न दलों के संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री से आग्रह किया था कि इस समस्या को परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिये जाने से पहले हल कर लिया जाये। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। सरकार यदि चाहें तो इस समस्या को हल कर सकती है। गृह मंत्री बतायें कि क्या उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की है और मुख्य मंत्रियों के प्रस्तावों के प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? वह यह भी बतायें कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट से पहले इस विवाद को हल न करने के क्या कारण हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): मैं 17 दिसम्बर को नियम 193 में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर वाद-विवाद आरम्भ करने जा रहा था कि गृह मंत्री ने दोनों राज्यों में तनाव को देखते हुए तथा व्यापक राष्ट्रहित में वाद-विवाद पर आग्रह न करने के लिये कहा था। मैंने उसे स्वीकार कर लिया था।

महाजन आयोग की रिपोर्ट आई पड़ी है परन्तु हमें पता नहीं कि क्या उसे स्वीकार कर लिया गया है अथवा नहीं?

मैंने इस मामले पर प्रधान मंत्री को पत्र लिखा और उत्तर में उन्होंने बताया कि इस प्रश्न पर गृह मंत्री ध्यान दे रहें हैं और शीघ्र ही सीमा विवाद का संतोषजनक समाधान खोज निकाला जायेगा। गृह मंत्री एवं प्रधान मंत्री ने भी इस सभा को विश्वास दिलाया था कि इसके समाधान के शीघ्र प्रयत्न किये जायेंगे तत्पश्चात इस सदन के सभी दलों के सदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था कि यदि केन्द्र कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद के समाधान में विफल होता है तो दोनों राज्यों में गम्भीर उपद्रव होंगे। शासक दल के कई सदस्यों ने भी उस ज्ञापन से सहमति व्यक्त की थी।

---

*आधे घंटे की चर्चा
*Half an hours discussion.

जब भी इन क्षेत्रों में आन्दोलन हुए हैं, उन्होंने यही कहा कि आन्दोलन को वापस ले लिया जाये। इस समस्या का समाधान शांत वातावरण में किया जायेगा। शान्ति स्थापित होने के पश्चात तब आप समझत है कि अब मामला शान्त पड़ गया है। तब उन्होंने सोचा कि क्यों अकारण कठिनाइयां पैदा की जायें? महाराष्ट्र एकता समिति ने प्रधान मंत्री की अपील पर अपना आन्दोलन वापस ले लिया। परन्तु तब भी मामले पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई है?

महाजन आयोग ने कोई पंचाट नहीं दिया अपितु सिफारिशें की थी। मेरा निवेदन है कि नये परिसीमन के आधार पर निर्वाचन कराने से पूर्व इस विवाद को हल किया जाये।

इस प्रकार समस्या का समाधान न करके आप कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों के साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनंदगांव): मेरा आग्रह है कि गृह मंत्री दोनों मुख्य मंत्रियों को एक कमरे में बंद कर दें तथा जब तक वे अपने मत-भेद समाप्त न कर लें उन्हे वहीं रहने दें। यह विवाद पिछले 18 वर्ष से चल रहा है।

सभापति महोदय: यह आधे घंटे की चर्चा है अतएव वही चार सदस्य भाग ले सकत हैं जिनके नाम बेलट में आये हैं।

श्री राम सहाय पांडे: मैंने यह सदाशा से किया है।

श्री बी० वी० नायक (कनारा): जो कुछ भी हम यहां पर कहते हें हमें ध्यान रखना चाहिए कि उससे अन्यत्र दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

सेरा सम्बन्ध कर्नाटक महाराष्ट्र एवं गोवा के सीमावर्ती क्षेत्रों से है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के राजनीतिक प्रश्नो ऐसी समस्याएं नहीं हैं जिनका किसी निहित अवधि में समाधान खोजा जा सके। विश्व के किस भाग में किसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किया जा सका है? ऐसी गम्भीर समस्याओं पर पांच मिनट में क्या प्रकाश डाला जा सकता है?

हम आशा करते हैं कि मतैक्य पैदा हो सकता है। अब स्थिति शान्त है और आशा है कि यह फिर नहीं भड़केगी।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): इस आधे घंटे की चर्चा का लाभ तो तभी है यदि हम गृह मंत्री से इस बात का उत्तर प्राप्त कर पाते हैं कि यह भीषण समस्या इतने समय से क्यों अनिर्णीत रखी गयी है। हमसे किसी का भी उद्देश्य इधर अथवा उधर उत्तेजना पैदा करने का नहीं है।

क्या कारण है कि पंतजी, शास्त्रीजी, नन्दजी, यशवन्तराव जी तथा दीक्षित जी इसका कोई समाधान नही कर पाये? ये व्यक्ति न केवल गृह मंत्री अपितु राष्ट्रीय नेता रहे हैं। ये लोग संबद्ध क्षेत्रा में राष्ट्रीय भावना क्यों नहीं पैदा कर पाये?

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस समस्या को पिछले कई महीनों से अब तक क्यों नहीं सुलझाया? सरकार को अब तक कोई न कोई निर्णय अवश्य कर लेना चाहिये था। गत अवसर पर मंत्री महोदय ने बताया था कि यह समस्या बहुत जटिल है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वह समस्याए क्या है? क्या सरकार ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने के लिये कोई ठोस कदम उठाये है?

जुलाई 1974 में मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में बताया था कि समस्या के समाधान के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। मैं उनके इस विचार से सहमत

[श्री पी० जी० मावलंकर]

नहीं हूं। यदि सरकार चाहे तो अवश्य ही समस्याओं का समाधान एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत कर सकती है ।

श्री धामनकर (भिवंडी) : यह एक जटिल समस्या है तथा गत 18 वर्षों से इसका समाधान नहीं किया जा सका यद्यपि प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री द्वारा आश्वासन किये जाते रहे हैं। अनिर्णय की स्थितिमें सीमा क्षेत्रों पर रहने वाले व्यक्तियों में भारी असंतोष उत्पन्न होता है । क्या गत 4 या 6 महीनों से उस दिशा में कोई प्रगति हुई है ? क्या दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच कोई समझोता कराया जा सका है । मेरा सुझाव है कि इस समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान खोजा जाना चाहिये ।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : सदन को भली भांति ज्ञात है कि यह एक जटिल समस्या है । इस सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये गये हैं तथा जो सुझाव दिये है वे दलगत भावना से प्रभावित नहीं है । अतः हमारा प्रयास यह है कि समाधान ऐसा होना चाहिये जो न केवल महाराष्ट्र और कर्नाटक में अधिकाधिक मान्य हो अपितु संसद के सभी पक्ष भी उसे ठीक समझे । आशा है हम अपने प्रयासों में सफल होंगे और बहुत शीघ्र ऐसा होगा।

इस प्रकार का कोई आश्वासन देना कि समस्या का समाधान एक निश्चित समय तक कर दिया जाएगा, उस स्थिति में ही सराहनीय हो सकता है जब समाधान का लाभ अधिकतम जनता के हित में हो। सरकार इस मत से सहमत है कि विभिन्न राज्यों अथवा विभिन्न भाषा-भाषी समुदायों में विवाद और वैमनस्य उत्पन्न करने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाना चाहिये। सरकार सभा में व्यक्त किये गये इन विचारों से सहमत है कि यदि सम्भव हो तो इस समस्या को लोकसभा के आगामी सामान्य चुनाव से पहले हल कर लिया जाये। किन्तु हम चाहे जितने भी उत्सुक हो, एक विशेष तिथि निश्चित नहीं की जा सकती कि उससे पहले इस हल कर ही लिया जाएगा।

24 जुलाई, 1974 को एक प्रश्न के उत्तर में मैं ने वस्तुस्थिति स्पष्ट की थी कि परिसीमन आयोग को कोई निदेश नहीं दिया गया है । सरकार किसी संविधिक आयोग को निदेश जारी नहीं करती है । परिसीमन आयोग को वर्तमान संवैधानिक वास्तविकताओं के आधार पर काम करना है । कर्नाटक में निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में परिसीमन कार्य पूरा हो गया है और महाराष्ट्र में परिसीमन के बार में अधिसूचना हाल में जारी की गई है । जब भी राज्यों का पुनर्गठन होता है और क्षेत्रीय सीमाओं का समायोजन किया जाता है तो उस पुनर्गठन सम्बन्धी कानून में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः परिसीमन को ध्यान में रखा जाता है। जब कर्नाटक के किसी क्षेत्रको महाराष्ट्र में बदलने या महाराष्ट्र से कर्नाटक में बदलने का अंतिम निर्णय होगा तो निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः परिसीमन को ध्यान में रखा जाएगा। मेरा यह कहने का आशय किसी भी गलत धारणा को दूर करना है ।

प्रधान मंत्री तथा मैंने सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बहुत लाभप्रद चर्चा की है । 1970 में जब कुछ अस्थाई प्रस्ताव रखे गये थे तो यह उचित समझा गया था कि मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श किया जाये। उसी के अनुसार विचारों का आदान प्रदान किया गया था । और विभिन्न विकल्पों पर गहन विचार किया गया। अब हमें दोनों मुख्य मंत्रियों और राज्य सरकारों के विचारों की पूरी जानकारी है । इसके परिणामस्वरूप मुझे विश्वास है कि ऐसा समाधान निकाला जाएगा जो अधिकाधिक लोगों को मान्य होगा। हम इस बात के लिये उत्सुक हैं और हमें विश्वास भी है कि इस समस्या का शीघ्र ही कोई समाधान मिल जाएगा।

दुर्भाग्य की बात है कि जब भी इस प्रश्न पर चर्चा होती है तभी कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है । मेरा आशय यह नहीं है कि इस में किसी का हाथ होता है मेरा अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से तथा सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाये रखकर ही किया जाना चाहिये ।

पिछले अवसर पर श्री ज्योतिर्मय बसु और श्री पिलू मोदी ने इस बात पर बहुत बल दिया था कि अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्यीय परिषद नियुक्त की जाए । यदि परिषद की स्थापना की जाती तो उसकी सिफारिशें भी सरकार को प्रस्तुत होतीं तथा उनपर सभा में चर्चा की जाती । मेरे विचार से उस प्रकार कोई समाधान नही हो पाता । जहां तक मैं समझता हूं माननीय सदस्यों ने अनुच्छेद 263 का हवाला अनुच्छेद 262 के संदर्भ में दिया था किन्तु दोनों अनुच्छेदों की व्यवस्थाएं भिन्न हैं ।

मै चाहता हूं, कि जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, सद्भावनापूर्ण वातावरण किसी भी स्थिति में समाप्त न हो । अंतिम निर्णय में किसी भी राज्य की पूरी मांगों को स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं होगा तथा दोनों ही राज्यों में भाषायी अल्पसंख्याक रहेंगे । जनता को यह बताना हमारा कर्तव्य है कि भिन्न भाषा-भाषियों के साथ साथ रहने से प्रगति में कोई बाधा नहीं आनी चाहिये ।

श्री महाजन तथा अन्य माननीय सदस्यों ने महाजन प्रतिवेदन का उल्लेख किया है । वस्तुत: यह प्रतिवेदन सर्वोच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश का प्रतिवेदन था किन्तु हुआ यह कि महाराष्ट्र ने मांग की कि इस प्रतिवेदन की शिफारिशों को अंतिम तथा अनिवार्य माना जाये जिसे कई कारणों से स्वीकार नहीं किया गया । जब तक दोनों पक्ष को वह मान्य न हो तब तक उसको अंतिम निर्णय कैसे कहा जा सकता है । अत: यह कहना न्यायसंगत नहीं है कि सरकार ने इस प्रतिवेदन को स्वीकार न करके अन्याय किया है ।

जहां तक मुख्य मंत्रियों से मेरी बातचीत का प्रश्न है, मैं कर्नाटक के मुख्य मंत्री से दो बार तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से तीन बार मिल चुका हूं । उन्होंने अपने अपने मत विस्तारपूर्वक बताये हैं तथा हम उनकी समस्याओं को समझकर कोई मान्य समाधान निकालने के लिये प्रयत्नशील हैं ।

मधु जी के भाषण का मूल उद्देश्य यह था कि शीघ्र ही कोई निर्णय किया जाना चाहिये । मेरा निवेदन है कि सरकार अपना निर्णय थोप नहीं सकती जब तक दोनों पक्षों को कोई निर्णय मान्य न हो तब तक सरकार राज्य सरकारों को ... आशा है आगामी आम चुनावों से पहले इस समस्या को हल कर लिया जाएगा । राज्य सरकारों को भी अपना काम चलाना होता है तथा केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को किसी बात के लिये विवश नहीं कर सकती । अत: माननीय सदस्यों को यह नहीं समझना चाहिये कि सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 20 अगस्त, 1974/29 श्रावण, 1896 (शक) के ग्यारह बज म० पू० तक क लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 20, 1974/*Sravana* 29, 1896 (*Saka*)

GIPN—S8—28 L.S.S.(ND)/74—6-11-74—490.

PLS. 48 XXXIX 41,74(N)

490

© 1974 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (नवां संस्करण) के
नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय रिंग रोड,
नई दिल्ली-110027 द्वारा मुद्रित

© 1974 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (NINTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, RING ROAD,
NEW DELHI-110027.